



Percentage Rate / Item Rate Tender & Contract
fo"k; I ph
Index

क्रम सं० SI No.	विवरण Details	पृष्ठ Page
1.	मानक फार्म के प्रयोग के लिये दिशानिर्देश Guidelines for use of the Standard Form	2
2.	निविदा फार्म के.लो.नि.वि. – 7/8 Tender Form CPWD - 7/8	3
(i)	साधारण नियम एवं निर्देश General Rules and Directions	5
(ii)	संविदा की शर्तें Conditions of Contract.	10
(iii)	संविदा के खंड Clauses of Contract.	13
(iv)	सत्यनिष्ठा संधि Integrity Pact	62
(v)	के.लो.नि.वि. सुरक्षा संहिता C.P.W.D. Safety Code.	68
(vi)	आदर्श नियम Model Rules	72
(vii)	के.लो.नि.वि. ठेका श्रमिक विनियम C.P.W.D., Contractor's Labour Regulations	77
(viii)	रजिस्ट्रों के प्रारूप Proforma of Registers	82
(ix)	मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस Notice for Appointment of Arbitrator	97
(x)	सीमेंट गोदाम का रेखाचित्र Sketch of Cement Godown	99
(xi)	बयाना धनराशि जमा फार्म – बैंक गारंटी का बंधपत्र Form of Earnest Money Deposit - Bank Guarantee Bond	100
(xii)	निष्पादन प्रतिभूति गारंटी का फार्म – बैंक गारंटी का बंधपत्र Form of Performance Security - Bank Guarantee Bond	101
3.	क से च तक अनुसूचियों के प्रारूप Proforma of Schedules A to F	102

GENERAL GUIDELINES

1. This book of “General Conditions of Contract” is applicable to both types of tenders i.e.” Percentage rate tenders and Item rate tenders”. Accordingly, alternative provisions for conditions Nos. 4, 10 & 12 of the General Rules and Directions are given in this book. The appropriate alternatives will be applicable in specific cases depending on whether this is used for percentage rate tender (CPWD-7) or item rate tender (CPWD-8).
2. CPWD-6, Schedules A to F, special conditions/specifications and drawings only will be issued to intending bidders. The standard form will not be issued along with the Tender Documents but the same shall form part of the agreement to be drawn and signed by both parties after acceptance of tender.
3. All blanks are confined to Notice Inviting Tender (CPWD-6) and Schedules A to F.
4. Authority approving the Notice Inviting Tenders (NIT) shall fill up all the blanks in CPWD-6 and in Schedules B to F before issue of Tender Papers.
5. The intending bidders will quote their rates in Schedule A.
6. The proforma for registers and Schedules A to F are only for information and guidance. These are not to be filled in the Standard Form. The Schedules with all blanks, duly filled, shall be separately issued to all intending tenderers.



I keku; fn'kkfun3 k

1. "ढेके की सामान्य शर्ते", नामक यह पुस्तिका दोनों प्रकार की निविदाओं अर्थात "प्रतिशतता दर निविदाओं" और "मद दर निविदाओं", के लिए लागू है। तदनुसार सामान्य नियमों और निर्देशों की शर्ते संख्याओं 4, 10 और 12 के वैकल्पिक प्रावधान इस पुस्तक में दिए गए हैं। विशिष्ट मामलों में उचित विकल्प लागू होंगे जो इस बात पर निर्भर करेंगे कि यह प्रतिशतता दर निविदा (के. लो. नि. वि.-7) या मद दर निविदा (के. लो. नि. वि.-8) के लिए इस्तेमाल किया गया है।
2. के. लो. नि. वि.-6, अनुसूचियां 'क' से 'च' तक, विशेष शर्ते/विनिर्देश और नक्शे ही इच्छुक निविदाकारों को दिए जाएंगे। निविदा कागजों के साथ मानक फार्म नहीं दिया जाएगा किन्तु वह निविदा की स्वीकृति के पश्चात बनाए जाने वाले और दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होने वाले करारनामों का भाग बनेगा।
3. सभी रिक्त स्थान निविदा आमंत्रण सूचना (के. लो. नि. वि.-6) और 'क' से 'च' तक की अनुसूचियों तक सीमित हैं।
4. निविदा कागज जारी करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना (नि. आ. सू.) का अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के. लो. नि. वि. -6 तथा 'ख' से 'च' तक की अनुसूचियों में खाली स्थान भरेगा।
5. इच्छुक निविदाकार अपनी दरें अनुसूची 'क' में बताएं।
6. रजिस्ट्रों और अनुसूचियों 'क' से 'च' तक के प्रारूप केवल सूचना और मार्गदर्शन के लिए हैं। इन्हें मानक फार्म में नहीं भरना है। सभी इच्छुक निविदाकारों को सभी खाली स्थान भरे जाकर अनुसूचियां अलग से जारी की जाएंगी।



GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Percentage Rate Tender/Item Rate Tender & Contract for Works

(A) Tender for the work of :-

.....
.....

- (i) To be submitted/uploaded by.....hours on.....to
...../upload at www.tenderwizard.com/cpwd
(ii) To be opened in presence of tenderers who may be present at..... hours on.....in
the office of.....

Issued to:*
Signature of officer issuing the documents*
Designation*
Date of Issue:*

* Note Applicable for e-tendering

TENDER

I/We have read and examined the notice inviting tender, schedule, A, B, C, D, E & F Specifications applicable, Drawings & Designs, General Rules and Directions, Conditions of Contract, clauses of contract, Special conditions, Schedule of Rate & other documents and Rules referred to in the conditions of contract and all other contents in the tender document for the work.

I/We hereby tender for the execution of the work specified for the President of India within the time specified in Schedule 'F' viz., schedule of quantities and in accordance in all respect with the specifications, designs, drawing and instructions in writing referred to in Rule-1 of General Rules and Directions and in Clause 11 of the Conditions of contract and with such materials as are provided for, by, and in respect of accordance with, such conditions so far as applicable.

We agree to keep the tender open for thirty/ forty five/ sixty/ ninety (30/45/60/90) days from the due date of its opening in case of single bid system / Ninety(90) days from the date of opening of technical bid in case tenders are invited on 2 bid/envelop system/ One hundred twenty(120) days from the date of opening of technical bid in case bids are invited on 3 bid/envelop system for specialised work (strike out as the case may be) and not to make any modification in its terms and conditions.

A sum of Rs. is hereby forwarded in cash/receipt treasury challan/deposit at call receipt of a scheduled bank/fixed deposit receipt of scheduled bank/demand draft of a scheduled bank/bank guarantee issued by a scheduled bank as earnest money.

A copy of earnest money in receipt treasury challan/deposit at call receipt of a scheduled bank/fixed deposit receipt of scheduled bank/demand draft of a scheduled bank/bank guarantee issued by a scheduled bank is scanned and uploaded (strike out as the case may be). If I/We, fail to furnish



the prescribed performance guarantee within prescribed period, I/We agree that the said President of India or his successors, in office shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the said earnest money absolutely. Further, if I/We fail to commence work as specified, I/ We agree that President of India or the successors in office shall without prejudice to any other right or remedy available in law, be at liberty to forfeit the said performance guarantee absolutely. The said Performance Guarantee shall be a guarantee to execute all the works referred to in the tender documents upon the terms and conditions contained or referred to those in excess of that limit at the rates to be determined in accordance with the provision contained in Clause 12.2 and 12.3 of the tender form.

Further, I/We agree that in case of forfeiture of Earnest Money or Performance Guarantee as aforesaid, I/We shall be debarred for participation in the re-tendering process of the work.

I/We undertake and confirm that eligible similar work(s) has/have not been got executed through another contractor on back to back basis. Further that, if such a violation comes to the notice of Department, then I/We shall be debarred for tendering in CPWD in future forever. Also, if such a violation comes to the notice of Department before date of start of work, the Engineer-in-Charge shall be free to forfeit the entire amount of Earnest Money Deposit/Performance Guarantee.

I/We hereby declare that I/We shall treat the tender documents drawings and other records connected with the work as secret/confidential documents and shall not communicate information/derived therefrom to any person other than a person to whom I/We am/are authorized to communicate the same or use the information in any manner prejudicial to the safety of the State.

Dated
Witness:

Signature of Contractor
Postal Address

Address:
Occupation:

A C C E P T A N C E

The above tender (as modified by you as provided in the letters mentioned hereunder) is accepted by me for and on behalf of the President of India for a sum of Rs.
(Rupees.....)

The letters referred to below shall form part of this contract agreement:-

- (a)
- (b)
- (c)

For & on behalf of the President of India.
Signatures.....
Designation.....

Dated:



अपलोड की जाती है। यदि मैं/हम निर्धारित निष्पादन गारंटी को निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो मैं/हम यह मंजूर करते हैं कि भारत के उक्त राष्ट्रपति या उनके कार्यालय के उत्तराधिकारी किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त धरोहर राशि जब्त करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यदि मैं/हम विनिर्दिष्ट कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहते हैं, तो मैं/हम यह मंजूर करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति या उनके कार्यालय के उत्तराधिकारी कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त निष्पादन गारंटी जब्त करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होंगे। उक्त निष्पादन गारंटी निविदा कागजात के अनुसार उसमें निहित शर्तों व निबंधनों के अनुसार कार्यों के निष्पादन एवं आदिष्ट विचलनों को अनुसूची 'च' में वर्णित प्रतिशत से अनधिक व निविदा प्रपत्र के खंडों 12.2 व 12.3 में निहित प्रावधानों के अनुसार निश्चित की जाने वाली दरों पर उस सीमा से अधिक के विचलनों के करने के लिए उनके द्वारा गारंटी होगी।

इसके अतिरिक्त मैं/हम सहमत हैं कि उपर्युक्त बयाना राशि या निष्पादन गारंटी जब्त हो जाने के मामले में मुझे/हमें कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

मैं वचन देता हूँ तथा पुष्टि करता हूँ/हम वचन देते हैं तथा पुष्टि करते हैं कि पात्रता के लिए समान निर्माण कार्य को बैंक टू बैंक आधार पर एक अन्य ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया गया है। इसके अलावा यदि इस प्रकार का उल्लंघन विभाग की जानकारी में आता है तो मुझे/हमें भविष्य में केलोनिवि में निविदा देने से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही, यदि कार्य के प्रारंभ होने की तारीख से पहले इस प्रकार का उल्लंघन विभाग की जानकारी में आता है तो भारसाधक इंजीनियर को बयाना राशि जमा/कार्य निष्पादन गारंटी की समग्र राशि जब्त करने की स्वतंत्रता होगी।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा कागजातों, नक्शों और कार्य से संबंधित अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय कागजात के रूप में रखेंगे और उनसे प्राप्त/ली गई जानकारी किसी अन्य को, जिन्हें मैं/हम सूचित करने के लिए प्राधिकृत हों, से भिन्न किसी को, नहीं बताएंगे या जानकारी को किसी ऐसे रूप में प्रयोग नहीं करेंगे जो राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हो।

तारीख

ठेकेदार के हस्ताक्षर
डाक पता

साक्षी
पता
उपजीविका

Lohdfr

मैं भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए रु0 (रूपए

.....)

की राशि के लिए उपर्युक्त निविदा (अधोलिखित पत्रों के अनुसार परिवर्तित) स्वीकार करता हूँ।

नीचे दिए गए पत्र इस ठेका करार का हिस्सा होंगे।

(अ)

(ब)

(स)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख



GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

General Rules & Directions

1. All work proposed for execution by contract will be notified in a form of invitation to tender pasted in public places and signed by the officer inviting tender or by publication in News papers or posted on website as the case may be.

This form will state the work to be carried out, as well as the date for submitting and opening tenders and the time allowed for carrying out the work, also the amount of earnest money to be deposited with the tender, and the amount of the security deposit and Performance guarantee to be deposited by the successful tenderer and the percentage, if any, to be deducted from bills. Copies of the specifications, designs and drawings and any other documents required in connection with the work signed for the purpose of identification by the officer inviting tender shall also be open for inspection by the contractor at the office of officer inviting tender during office hours.

2. In the event of the tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each partner thereof or in the event of the absence of any partner, it must be signed on his behalf by a person holding a power-of attorney authorizing him to do so, such power of attorney to be produced with the tender, and it must disclose that the firm is duly registered under the Indian Partnership Act, 1952.
3. Receipts for payment made on account of work, when executed by a firm, must also be signed by all the partners, except where contractors are described in their tender as a firm, in which case the receipts must be signed in the name of the firm by one of the partners, or by some other person having due authority to give effectual receipts for the firm.

Applicable for Item Rate Tender only (CPWD - 8)

4. Any person who submits a tender shall fill up the usual printed form, stating at what rate he is willing to undertake each item of the work. Tenders, which propose any alteration in the work specified in the said form of invitation to tender, or in the time allowed for carrying out the work, or which contain any other conditions of any sort, including conditional rebates, will be summarily rejected. No single tender shall include more than one work, but contractors who wish to tender for two or more works shall submit separate tender for each. Tender shall have the name and number of the works to which they refer, written on the envelopes.

The rate(s) must be quoted in decimal coinage. Amounts must be quoted in full rupees by ignoring fifty paise and considering more than fifty paise as rupee one.

In case the lowest tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of Individual items) of two or more contractors is same, then such lowest contractors may be asked to submit sealed revised offer quoting rate of each item of the schedule of quantity for all sub sections/sub heads as the case may be, but the revised quoted rate of each item of schedule of quantity for all sub sections/sub heads should not be higher than their respective original rate quoted already at the time of submission of tender. The lowest tender shall be decided on the basis of revised offer.



सत्यमेव जयते

दृढता; यत्नपूर्वकता

1. ठेके द्वारा निष्पादन के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों की सूचना निविदा के लिए आमंत्रण के प्रारूप में दी जाएगी जो सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी और निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और समाचार पत्रों में प्रकाशित या वेबसाइट पर अपलोड जैसा भी मामला हो, की जाएगी। इस प्रारूप में किए जाने वाले कार्य विवरण के साथ ही निविदाओं को प्रस्तुत करने और उन्हें खोलने की तारीख का और कार्य किए जाने के लिए अनुमत समय का तथा आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले धरोहर धन की रकम का और सफल निविदाकारों द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति निक्षेप और निष्पादन गारंटी की रकम और बिलों में से जिस प्रतिशत से कटौती की जाएगी उसका भी विवरण होगा। पहचान के प्रयोजन के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी द्वारा डिजाइनों और आरेखों की प्रतियां तथा कार्य के संबंध में अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज भी निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान ठेकेदार द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।
2. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा दी जाती है तो वह उस फर्म के हर एक भागीदार द्वारा अलग-अलग हस्ताक्षरित की जानी चाहिए या किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए जिसके पास उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने वाला मुख्तारनामा हो। ऐसा मुख्तारनामा निविदा के साथ पेश किया जाएगा और उससे यह प्रकट होना चाहिए कि फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम 1952 के अधीन पंजीकृत है।
3. किसी फर्म द्वारा निष्पादित कार्य के बारे में किए गए संदायों की पावतियां भी सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए किन्तु जहां ठेकेदार अपनी निविदा में फर्म के रूप में वर्णित है, वहां पावतियां किसी एक भागीदार द्वारा या फर्म के लिए प्रभावी पावतियां देने के प्राधिकार रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।
4. कोई भी व्यक्ति जो निविदा देता है, साधरण मुद्रित प्रारूप को भरेगा, जिसमें वह यह बताएगा कि वह निविदा में दी गई प्रत्येक कार्य मदों को किस दर पर करने के लिए सहमत हैं। जिन निविदाओं में निविदा के लिए आमंत्रण के उक्त प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य में, या कार्य करने के लिए अनुमत्य समय में किसी परिवर्तन की प्रस्तावना की गई हो अथवा सशर्त छूट दिए जाने की शर्त सहित किसी भी प्रकार की कोई अन्य शर्त निहित हो, ऐसी निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी एकल निविदा के अन्तर्गत एक से अधिक कार्य नहीं होंगे किन्तु यदि ठेकेदार दो या अधिक कार्यों के लिए निविदा देना चाहें तो उन्हें प्रत्येक कार्य के लिए पृथक निविदा देनी होगी। लिफाफे के ऊपर निविदाओं से संबंधित कार्य का नाम और उसकी संख्या को लिखना होगा।

I kekl; fu; e ,oa
funzk

doy en ij
fufonk ds fy, ylxw
%ds yls fu fo & 8%

दर (दरें) दशमिक सिक्का प्रणाली में बताई जानी चाहिए। राशि रूपये में बताई जानी चाहिए पचास पैसे और उससे कम धनराशि छोड़ दी जाएगी और पचास पैसे से अधिक को एक रूपया माना जाएगा।

यदि दो या दो से अधिक ठेकेदारों की न्यूनतम निविदा राशि (व्यक्तिगत मदों की कोट की गई दर के आधार पर कार्य किया गया है) समान है, तो ऐसे ठेकेदारों से मामले के अनुसार सभी उप अनुभागों/उप शीर्षों के लिए मात्रा की सूची के प्रत्येक मद का संशोधित सीलबंद दर प्रस्ताव मांगा जा सकता है, लेकिन सभी उप खण्डों/उप शीर्षों के लिए मात्रा की सूची के प्रत्येक मद का संशोधित सीलबंद दर प्रस्ताव उनकी अपनी मूल दर से जो की पहले ही निविदा की प्रस्तुति के समय कोट की गई थी अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम निविदा का निर्णय संशोधित प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।



If the revised tendered amount (worked out on the basis of quoted rate of individual items) of two or more contractors received in revised offer is again found to be equal, then the lowest tender, among such contractors, shall be decided by draw of lots in the presence of SE of the circle, EE(s) in-charge of major & minor component(s) (also DDH in case Horticulture work is also included in the tender), EE(P) or EE(HQ) of the circle and the lowest contractors those have quoted equal amount of their tenders.

In case of any such lowest contractor in his revised offer quotes rate of any item more than their respective original rate quoted already at the time of submission of tender, then such revised offer shall be treated invalid. Such case of revised offer of the lowest contractor or case of refusal to submit revised offer by the lowest contractor shall be treated as withdrawal of his tender before acceptance and 50% of his earnest money shall be forfeited.

In case all the lowest contractors those have same tendered amount (as a result of their quoted rate of individual items), refuse to submit revised offers, then tenders are to be recalled after forfeiting 50% of EMD of each lowest contractors.

Contractor, whose earnest money is forfeited because of non-submission of revised offer, or quoting higher revised rate(s) of any item(s) than their respective original rate quoted already at the time of submission of his bid shall not be allowed to participate in the retendering process of the work.

**Applicable for
Percentage Rate
Tender only
(CPWD - 7)**

4 A. Applicable for Percentage Rate Tender only (CPWD-7)

In case of Percentage Rate Tenders, contractor shall fill up the usual printed form, stating at what percentage below/above (in figures as well as in words) the total estimated cost given in Schedule of Quantities at Schedule-A, he will be willing to execute the work. The tender submitted shall be treated as invalid if :-

1. The contractor does not quote percentage above/below on the total amount of tender or any section/sub head of the tender.
2. The percentage above/below is not quoted in figures & words both on the total amount of tender or any section/sub head of the tender.
3. The percentage quoted above/below is different in figures & words on the total amount of tender or any section/sub head of the tender.

Tenders, which propose any alteration in the work specified in the said form of invitation to tender, or in the time allowed for carrying out the work, or which contain any other conditions of any sort including conditional rebates, will be summarily rejected. No single tender shall include more than one work, but contractors who wish to tender for two or more works shall submit separate tender for each. Tender shall have the name and number of the works to which they refer, written on the envelopes.

4B. In case the lowest tendered amount (estimated cost \pm amount worked on the basis of percentage above/below) of two or more contractors is same, such lowest contractors will be asked to submit sealed revised offer in the form of letter mentioning percentage above/below on estimated cost of tender including all sub sections/sub heads as the case may be, but the revised percentage quoted above/below on tendered cost or on each sub section/sub head should not be higher than the percentage quoted at the time of submission of tender. The lowest tender shall be decided on the basis of revised offers.

In case any of such contractor refuses to submit revised offer, then it shall be treated as withdrawal of his tender before acceptance and 50% of earnest money shall be forfeited.

If the revised tendered amount of two more contractors received in revised offer is again found to be equal, the lowest tender, among such contractors, shall be decided by draw of lots in the presence of SE of the circle, EE(s) in-charge of major & minor component(s)



यदि दो और ठेकेदारों के संशोधित प्रस्ताव में प्राप्त संशोधित निवेदित राशि पुनः समान पाई जाती है तो ऐसे ठेकेदारों में न्यूनतम राशि वाली निविदा के बारे में निर्णय परिमंडल के अधीक्षण अभियंता, बड़े एवं छोटे संघटकों के प्रभारी कार्यपालक अभियंता (यदि उद्यान कार्य भी निविदा में शामिल हो तो उप निदेशक उद्यान भी), परिमंडल के कार्यपालक अभियंता (योजना) अथवा कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय) तथा न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदारों जिन्होंने अपनी निविदाओं की समान राशि कोट की हैं, की उपस्थिति में ड्रॉ निकाल कर किया जाएगा।

यदि ऐसा कोई न्यूनतम ठेकेदार अपने संशोधित प्रस्ताव में किसी मद की, अपनी मूल दर जो की पहले ही निविदा की प्रस्तुति के समय लिखी गई थी, से अधिक दर लिखता है, तो ऐसे संशोधित प्रस्ताव अवैध माने जाएंगे। न्यूनतम ठेकेदार के संशोधित प्रस्ताव के ऐसे मामले अथवा न्यूनतम ठेकेदार द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मना करने के मामले में स्वीकृति से पहले उसकी निविदा का प्रत्याहार तथा उसकी बयाना राशि का 50 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।

यदि सभी न्यूनतम ठेकेदार जिनकी निविदा राशि समान है (उनकी व्यक्तिगत मदों की कोट की गई दर के परिणामस्वरूप), संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मना कर देते हैं, तो प्रत्येक न्यूनतम ठेकेदार की बयाना राशि के 50 प्रतिशत जुर्माने के बाद निविदाएं पुनः आमंत्रित की जाएंगी।

ठेकेदार, संशोधित प्रस्ताव के अप्रस्तुतीकरण के कारण जिनकी बयाना राशि पर जुर्माना लगाया गया है, अथवा अपनी मूल दर जो की पहले ही बिड की प्रस्तुति के समय कोट की गई थी, से किसी मद (मदों) की उच्च संशोधित दर (दरों) लिखता है, उसे कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित करने की क्रियाविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4क. केवल प्रतिशत दर निविदा के लिए लागू (केलोनवि-7)

प्रतिशत दर निविदाओं के मामले में निविदाकार सामान्य मुद्रित प्रारूप भरेगा, जिसमें वह यह बताएगा कि वह अनुसूची 'क' में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दी गई कुल अनुमानित लागत से कितने कम/अधिक (अंकों और शब्दों दोनों में) प्रतिशत पर निर्माण कार्य संपन्न करना चाहेगा। प्रस्तुत निविदा को अमान्य माना जाएगा यदि:

1. ठेकेदार, निविदा की कुल राशि अथवा निविदा के किसी खण्ड/उप शीर्ष पर अधिक/न्यून प्रतिशत नहीं लिखता।
2. अधिक/न्यून प्रतिशत अंकों तथा शब्दों दोनों में निविदा की कुल राशि अथवा निविदा के किसी खण्ड/उप शीर्ष पर नहीं लिखा जाता।
3. निविदा की कुल राशि अथवा निविदा के किसी खण्ड/उप शीर्ष पर कोट किया गया अधिक/न्यून प्रतिशत, अंकों तथा शब्दों में भिन्न होता है।

जिन निविदाओं में उक्त निविदा आमंत्रण प्रारूप में उल्लिखित कार्य में या कार्य करने के लिए निर्धारित समय में किसी प्रकार परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया हो या जिसमें सशर्त छूट दिए जाने सहित किसी प्रकार की कोई अन्य भर्त निहित हो, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। किसी एक निविदा में एक से अधिक कार्य शामिल नहीं किया जाएगा, किन्तु जो ठेकेदार दो या अधिक कार्यों के लिए निविदा देना चाहता है, उसे प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग निविदा देनी होगी। निविदा में उन कार्यों के नाम और उन की संख्या लिफाफों पर लिखी जाएगी जिनसे वह सम्बंधित है।

4.ख यदि दो अथवा उससे अधिक ठेकेदारों की न्यूनतम निवेदित राशि (अधिक/कम प्रतिशत के आधार पर निकाली गई अनुमानित लागत राशि) एक ही हो, तो इस प्रकार न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदारों से सभी उप खण्डों/उप शीर्षों जैसी भी स्थिति हो, सहित निविदा की अनुमानित लागत पर अधिक/कम प्रतिशत का उल्लेख करते हुए पत्र के रूप में बंद संशोधित पेशकश प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा लेकिन निवेदित लागत पर अथवा प्रत्येक उप खण्ड/उप शीर्ष पर अधिक अथवा कम कोट किया गया संशोधित प्रतिशत निविदा प्रस्तुत करते समय कोट किए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम राशि वाली निविदा के बारे में निर्णय संशोधित प्रस्तावों के आधार पर लिया जाएगा।

यदि दो और ठेकेदारों के संशोधित प्रस्ताव में प्राप्त संशोधित निवेदित राशि पुनः समान पाई जाती है तो ऐसे ठेकेदारों में न्यूनतम राशि वाली निविदा के बारे में निर्णय परिमंडल के अधीक्षण अभियंता, बड़े एवं छोटे

दोय च्फ्र'क़रक न्ज
फुफोक दस फ्य, य्लख
१दस य्लस फु फो &7½



(also DDH in case Horticulture work is also included in the tender), EE(P) or EE(HQ) of the circle & the lowest contractors those have quoted equal amount of their tenders.

In case all the lowest contractors those have quoted same tendered amount, refuse to submit revised offers, then tenders are to be recalled after forfeiting 50% of EMD of each contractor.

Contractor(s), whose earnest money is forfeited because of non-submission of revised offer, shall not be allowed to participate in the re-tendering process of the work.

5. The officer inviting tender or his duly authorized assistant, will open tenders in the presence of any intending contractors who may be present at the time, and will enter the amounts of the several tenders in a comparative statement in a suitable form. In the event of a tender being accepted, a receipt for the earnest money shall thereupon be given to the contractor who shall thereupon for the purpose of identification sign copies of the specifications and other documents mentioned in Rule-I. In the event of a tender being rejected, the earnest money shall thereupon be returned to the contractor remitting the same, without any interest.
6. The officer inviting tenders shall have the right of rejecting all or any of the tenders and will not be bound to accept the lowest or any other tender.
7. The receipt of an accountant or clerk for any money paid by the contractor will not be considered as any acknowledgment or payment to the officer inviting tender and the contractor shall be responsible for seeing that he procures a receipt signed by the officer inviting tender or a duly authorized Cashier.
8. The memorandum of work tendered for and the schedule of materials to be supplied by the department and their issue-rates, shall be filled and completed in the office of the officer inviting tender before the tender form is issued. If a form is issued to an intending tenderer without having been so filled in and incomplete, he shall request the officer to have this done before he completes and delivers his tender.
9. The tenderers shall sign a declaration under the officials Secret Act 1923, for maintaining secrecy of the tender documents drawings or other records connected with the work given to them. The unsuccessful tenderers shall return all the drawings given to them.
- 9A Use of correcting fluid, anywhere in tender document is not permitted. Such tender is liable for rejection.
10. In the case of Item Rate Tenders, only rates quoted shall be considered. Any tender containing percentage below/above the rates quoted is liable to be rejected. Rates quoted by the contractor in item rate tender in figures and words shall be accurately filled in so that there is no discrepancy in the rates written in figures and words. However, if a discrepancy is found, the rates which correspond with the amount worked out by the contractor shall unless otherwise proved be taken as correct. If the amount of an item is not worked out by the contractor or it does not correspond with the rates written either in figures or in words, then the rates quoted by the contractor in words shall be taken as correct. Where the rates quoted by the contractor in figures and in words tally, but the amount is not worked out correctly, the rates quoted by the contractor will unless otherwise proved be taken as correct and not the amount. In event no rate has been quoted for any item(s), leaving space both in figure(s), word(s), and amount blank, it will be presumed that the contractor has included the cost of this/these item(s) in other items and rate for such item(s) will be considered as zero and work will be required to be executed accordingly.

**Applicable for Item
Rate Tender only
(CPWD - 8)**



संघटकों के प्रभारी कार्यपालक अभियंता (यदि उद्यान कार्य भी निविदा में शामिल हो तो उप निदेशक उद्यान भी), परिमंडल के कार्यपालक अभियंता (योजना) अथवा कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय) तथा न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदारों जिन्होंने अपनी निविदाओं की समान राशि कोट की है, की उपस्थिति में झों निकाल कर किया जाएगा।

यदि कोई ऐसा ठेकेदार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने से इंकार करता है तब इसे स्वीकृति के पूर्व अपनी निविदा वापस लेने के रूप में माना जाएगा तथा बयाना राशि का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जाएगा।

यदि न्यूनतम राशि कोट करने वाले ठेकेदार जिन्होंने समान निवेदित राशि कोट की है, संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से इंकार करता है तब प्रत्येक ठेकेदार की बयाना जमा राशि का 50 प्रतिशत जब्त कर निविदाएं वापस ली जा सकती हैं।

ठेकेदार जिसकी बयाना राशि संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण जब्त की जाती है को कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत सहायक निविदाओं को किन्हीं ऐसे ठेकेदारों की उपस्थिति में खोलेगा जो ठेका लेने का विचार रखते हों और उस समय वहां उपस्थित हों और पृथक-पृथक निविदाओं की रकम को उपयुक्त प्रारूप में एक तुलनात्मक विवरण में दर्ज करेगा। किसी निविदा के स्वीकार किए जाने की दशा में धरोहर धन की पावती ठेकेदार को दे दी जाएगी जो नियम-1 में उल्लिखित विनिर्देशों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों पर पहचान के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करेगा। किसी निविदा के अस्वीकार किए जाने की दशा में धरोहर धन उसको भेजने वाले ठेकेदार को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।
6. निविदाएं आमंत्रित करने वाले अधिकारी को सभी निविदाओं या उनमें से किन्हीं को अस्वीकार करने का अधिकार होगा और वह निम्नतम निविदा या किसी भी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।
7. ठेकेदार द्वारा संदत्त धन के लिए लेखापाल या लिपिक की पावती निविदा आमंत्रक अधिकारी को संदाय की अभिस्वीकृति नहीं मानी जाएगी और ठेकेदार की जिम्मदारी होगी कि वह निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी या सम्यक रूप से प्राधिकृत रोकड़ियों द्वारा हस्ताक्षरित पावती ले।
8. जिस कार्य के लिए निविदा दी जाती है उसका विज्ञापन विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री की अनुसूची और उनकी निर्गम दरें, निविदा प्रारूप जारी करने से पूर्व निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी के कार्यालय में पूरी तौर से भरी जाएगी। यदि निविदा करने का विचार रखने वाले किसी निविदाकार को इस प्रकार भरे एवं पूर्ण किए बिना प्रारूप जारी कर दिया जाए तो वह अपनी निविदा पूरी करने और उसे देने से पूर्व कार्यालय से ऐसा करवा लेने के लिए निवेदन करेगा।
9. निविदाकार 'आफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923' के तहत निविदा कागजात, ड्राइंग या उन्हें दिए गए कार्य से संबंधित अन्य अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। असफल निविदाकार उन्हें दी गई सभी ड्राइंगें वापस कर देगा।
- 9 क. निविदा दस्तावेज में कहीं भी करेक्टिंग फ्ल्यूड का प्रयोग वर्जित है। ऐसी निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
10. मद दर निविदाओं के मामले में केवल बताई गई दरों पर विचार किया जाएगा। बताई गई दरों से कम/अधिक प्रतिशतता वाली किसी भी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। मद दर निविदा में ठेकेदार दरें, अंकों एवं शब्दों में सावधानी से भरेगा ताकि अंकों एवं शब्दों में लिखी दरों में कोई अन्तर न रहे। फिर भी यदि अन्तर पाया जाता है तो ठेकेदार द्वारा आकलित दर के सदृश दरों को, यदि अन्यथा प्रमाणित न हो, सही माना जाएगा। यदि किसी मद की राशि ठेकेदार द्वारा आकलित नहीं की गई है या वह अंकों या शब्दों में लिखी गई दरों के सदृश नहीं है तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में लिखी गई दरों को सही माना जाएगा। जहां ठेकेदार द्वारा अंकों और शब्दों में लिखी गई दरें समान हों लेकिन राशि सही आकलित न की हो तो ठेकेदार द्वारा लिखी गई दरों को, जब तक अन्यथा प्रमाणित न हो, सही माना जाएगा, राशि को नहीं। ऐसी स्थिति में जब किसी मद(मदों) के लिए कोई दर न

दby en ij
fufonk ds fy, ykxw
½ds yks fu fo &8½



**Applicable for
percentage
Rate Tender only
(CPWD - 7)**

- 10 A. In case of Percentage Rate Tenders only percentage quoted shall be considered. Any tender containing item rates is liable to be rejected. Percentage quoted by the contractor in percentage rate tender shall be accurately filled in figures and words, so that there is no discrepancy.
11. In the case of any tender where unit rate of any item/items appear unrealistic, such tender will be considered as unbalanced and in case the tenderer is unable to provide satisfactory explanation, such a tender is liable to be disqualified and rejected.

**Applicable for Item
Rate Tender only
(CPWD - 8)**

12. All rates shall be quoted on the tender form. The amount for each item should be worked out and requisite totals given. Special care should be taken to write the rates in figures as well as in words and the amount in figures only, in such a way that interpolation is not possible. The total amount should be written both in figures and in words. In case of figures, the word 'Rs.' should be written before the figure of rupees and word 'P' after the decimal figures, e.g. 'Rs. 2.15 P' and in case of words, the word, 'Rupees' should precede and the word 'Paise' should be written at the end. Unless the rate is in whole rupees and followed by the word 'only' it should invariably be upto two decimal places. While quoting the rate in schedule of quantities, the word 'only' should be written closely following the amount and it should not be written in the next line.

**Applicable for
Percentage Rate
Tender only
(CPWD - 7)**

- 12 A. In Percentage Rate Tender, the tenderer shall quote percentage below/above (in figures as well as in words) at which he will be willing to execute the work. He shall also work out the total amount of his offer and the same should be written in figures as well as in words in such a way that no interpolation is possible. In case of figures, the word 'Rs.' should be written before the figure of rupees and word 'P' after the decimal figures, e.g. 'Rs. 2.15P' and in case of words, the word 'Rupees' should precede and the word 'Paisa' should be written at the end.
13. (i) The Contractor whose tender is accepted, will be required to furnish performance guarantee of 5% (Five Percent) of the tendered amount within the period specified in Schedule F. This guarantee shall be in the form of cash (in case guarantee amount is less than Rs. 10,000/-) or Deposit at call receipt of any scheduled bank/Banker's cheque of any scheduled bank/Demand Draft of any scheduled bank/Pay order of any scheduled bank (in case guarantee amount is less than Rs. 1,00,000/-) or Government Securities or Fixed Deposit Receipts or Guarantee Bonds of any Scheduled Bank or the State Bank of India in accordance with the prescribed form.
- (ii) The contractor whose tender is accepted will also be required to furnish by way of Security Deposit for the fulfillment of his contract, an amount equal to 2.5% of the tendered value of the work. The Security deposit will be collected by deductions from the running bills as well as final bill of the contractor at the rates mentioned above. The Security amount will also be accepted in cash or in the shape of Government Securities. Fixed Deposit Receipt of a Scheduled Bank or State Bank of India will also be accepted for this purpose provided confirmatory advice is enclosed.
14. On acceptance of the tender, the name of the accredited representative(s) of the contractor who would be responsible for taking instructions from the Engineer-in-Charge shall be communicated in writing to the Engineer-in-Charge.
15. Sales-tax/VAT (except service tax), purchase tax, turnover tax or any other tax applicable in respect of this contract shall be payable by the Contractor and Government will not entertain any claim whatsoever in respect of the same. However, in respect of service tax, same shall be paid by the contractor to the concerned department on demand and it will be reimbursed to him by the Engineer-in-Charge after satisfying that it has been actually and genuinely paid by the contractor.



बताई हो, अंको तथा शब्दों दोनों दोनों में जगह खाली छोड़ दी गई हो और राशि न भरी गई हो तो यह समझा जाएगा कि ठेकेदार ने इस मद/मदों की लागत अन्य मदों में सम्मिलित कर ली है तथा ऐसी मद(मदों) के लिए दर शून्य मानी जाएगी तथा कार्य का निष्पादन तदनुसार किया जाना अपेक्षित होगा।

10. (अ) प्रतिशतता दर निविदाओं के मामले में केवल उल्लिखित प्रतिशत पर ही विचार किया जाएगा। जिस निविदा में मद दरें दी गई होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्रतिशत दर निविदाओं में ठेकेदार द्वारा कथित प्रतिशत को सही सही अंकों और शब्दों में भरा जाएगा ताकि उसमें अंकों और शब्दों में लिखी गई प्रतिशतता में कोई विसंगति न होने पाए।
11. यदि किसी निविदा में किसी मद/मदों की इकाई दर अवास्तविक लगे तो ऐसी निविदा को असंतुलित माना जाएगा और यदि निविदाकार संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता तो ऐसी निविदा अमान्य और अस्वीकृत की जा सकती है।
12. सभी दरें निविदा फार्म में बताई जाएंगी, प्रत्येक मद के लिए राशि आकलित की जाएगी और अपेक्षित योग दिया जाएगा। दरें, अंकों के साथ-साथ शब्दों में और राशि केवल अंकों में लिखते समय विशेष ध्यान दिया जाए ताकि उनमें कोई भ्रम न हो। कुल राशि अंकों एवं शब्दों, दोनों में लिखी जानी चाहिए। अंको के मामले में रु. शब्द अंको से पहले और पैसे शब्द दशमलव अंको के बाद लिखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए रु. 2. 15 पै. और शब्दों के मामले में रूपए शब्द पहले और पैसे शब्द अंत में लिखा जाना चाहिए। यदि दर पूरे रूपए और बाद में 'केवल' शब्द सहित न हो तो उसे दशमलव के दो स्थानों तक लिखा जाएगा। मात्राओं की अनुसूची में दर लिखते समय 'केवल' शब्द राशि के बिल्कुल निकट लिखा जाना चाहिए और इसे अगली पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।
12. (अ) प्रतिशत दर निविदा में निविदाकर्ता उतनी कम/अधिक प्रतिशतता भरेगा (अंकों और शब्दों में) जिस पर वह कार्य करने का इच्छुक हो। वह अपनी पेशकश की कुल राशि की गणना भी करेगा और उसे अंकों और शब्दों में इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उनकी जगह कुछ लिखना संभव न हो। अंको के मामले में रूपए के अंको के पहले रूपए शब्द लिखा जाना चाहिए तथा दशमलव अंको के बाद पैसे शब्द अर्थात् रु. 2. 15 पै. और शब्दों के मामले में रूपए शब्द बाद में लिखा जाना चाहिए तथा शब्द पैसे सबसे अंत में लिखा जाना चाहिए।
- 13 (i) जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार कर ली जाएगी, वह अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निविदित राशि के 5 (पांच) प्रतिशत की निष्पादन गारंटी उपलब्ध कराएगा। यह गारंटी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार रोकड़ (यदि गारंटी राशि 10,000 रूपयों से कम हो) या किसी अनुसूचित बैंक की कॉल रसीद पर जमा/किसी अनुसूचित बैंक के बैंकर चैक/किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/किसी अनुसूचित बैंक के अदायगी आदेश (यदि गारंटी राशि 1,00,000 रूपयों से कम हो) या किसी भी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की सरकारी प्रतिभूति या सावधि जमा रसीद या गारंटी बंधपत्र के रूप में होगी।
- (ii) जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है उसे ठेका परिपूर्ण करने के लिए कार्य के निविदित मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर राशि, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में देनी होगी। प्रतिभूति निक्षेप को, ऊपर उल्लिखित दरों पर, ठेकेदार के चल बिलों से एवं अंतिम बिल से कटौतियां करके वसूला जाएगा। प्रतिभूति राशि नकद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। अनुसूचित बैंक या स्टेट बैंक आफ इंडिया की सावधि जमा रसीद भी इस प्रयोजन के लिए स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते 'कन्फर्मेटरी एडवाइस' संलग्न हो।
14. निवदा स्वीकार हो जाने पर ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों), जो भारसाधक इंजीनियर से अनुदेश लेने के लिए जिम्मेदार होगा, के नाम की लिखित सूचना भारसाधक इंजीनियर को दी जाएगी।
15. इस ठेके के संबंध में बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर (सेवा कर को छोड़ कर), क्रय कर, टर्नओवर कर या कोई भी अन्य कर ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा और सरकार उनके संबंध में किसी भी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगी। तथापि सेवा कर के संबंध में, मांग किये जाने पर, ठेकेदार इसका भुगतान संबंधित विभाग को करेगा तथा ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति भारसाधक इंजीनियर द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद की जायेगी कि ठेकेदार ने वास्तव में सेवा कर का भुगतान कर दिया है।

doy çfr'krnk nj
fufonk ds fy, ykxw
½ds yk fu fo &7½

doy en nj
fufonk ds fy, ykxw
½ds yk fu fo &8½

doy çfr'krnk nj
fufonk ds fy, ykxw
½ds yk fu fo &7½



16. The contractor shall give a list of both gazetted and non-gazetted C.P.W.D. employees related to him.
17. The tender for the work shall not be witnessed by a contractor or contractors who himself/ themselves has/have tendered or who may and has/have tendered for the same work. Failure to observe this condition would render, tenders of the contractors tendering, as well as witnessing the tender, liable to summary rejection.
18. The tender for composite work includes, in addition to building work, all other works such as sanitary and water supply installations drainage installation, electrical work, horticulture work, roads and paths etc. The tenderer apart from being a registered contractor (B&R) of appropriate class, must associate himself with agencies of appropriate class which are eligible to tender for sanitary and water supply drainage, electrical and horticulture works in the composite tender.
19. The contractor shall submit list of works which are in hand (progress) in the following form:-

Name of work	Name and particulars of Divn where work is being executed	Value of work	Position of works in progress	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.

20. The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act 1961, and the rules and orders issued thereunder from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Superintending Engineer/Executive Engineer may in his discretion, without prejudice to any other right or remedy available in law, cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.



16. ठेकेदार के. लो. नि. वि. में कार्यरत अपने रिश्तेदारों, राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों दोनों की, सूची देगा।
17. ठेकेदार या ठेकेदारों, जिसने/ जिन्होंने स्वयं निविदा दी हो या जिसने/ जिन्होंने उसी कार्य के लिए निविदा दी हो, वे कार्य के लिए निविदा में गवाह नहीं हो सकते। इस शर्त का पालन न करने पर निविदा देने के साथ-साथ निविदा का गवाह बनने वाले ठेकेदार की निविदा एकदम अस्वीकृत की जा सकती है।
18. संयुक्त कार्य के लिए निविदा में बिल्डिंग कार्य के अतिरिक्त सभी अन्य कार्य जैसे कि स्वच्छता और जल आपूर्ति संस्थापनाएं, जल निकासी, संस्थापनाएं, वैद्युत कार्य, उद्यान कार्य, सड़कें और रास्ते आदि सम्मिलित हैं। निविदाकार समुचित श्रेणी का पंजीकृत ठेकेदार (भवन एवं सड़क) होने के साथ-साथ स्वयं समुचित श्रेणी की ऐसी एजेंसियों के संपर्क में हो जो संयुक्त निविदा में स्वच्छता और जल आपूर्ति निकासी, वैद्युत और उद्यान कार्यों के लिए निविदा देने की पात्र हों।
19. ठेकेदार, निम्नलिखित फार्म में, निष्पादनाधीन कार्यों की सूची प्रस्तुत करेगा।

कार्य का नाम	मंडल का नाम व विवरण जहां कार्य निष्पादित किया जा रहा है।	कार्य का मूल्य	कार्यों की स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5

20. ठेकेदार, 'अप्रैन्टिस एक्ट' 1961 के उपबंधों और समय समय पर उसके तहत जारी किए गए नियमों और आदेशों का पालन करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसकी असफलता ठेके का उल्लंघन होगा। अधीक्षण इंजीनियर/ कार्यपालक इंजीनियर अपने विवेकानुसार, किसी अधिकार या कानून में उपलब्ध उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेके को रद्द कर सकता है। ठेकेदार द्वारा उक्त अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के कारण, उत्पन्न हुई किसी भी आर्थिक देयता के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।



CONDITIONS OF CONTRACT

Definitions

1. The **Contract** means the documents forming the tender and acceptance thereof and the formal agreement executed between the competent authority on behalf of the President of India and the Contractor, together with the documents referred to therein including these conditions, the specifications, designs, drawings and instructions issued from time to time by the Engineer-in- Charge and all these documents taken together, shall be deemed to form one contract and shall be complementary to one another.
2. In the contract, the following expressions shall, unless the context otherwise requires, have the meanings, hereby respectively assigned to them:-
 - (i) The expression **works or work** shall, unless there be something either in the subject or context repugnant to such construction, be construed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed whether temporary or permanent, and whether original, altered, substituted or additional.
 - (ii) The **Site** shall mean the land/or other places on, into or through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street which may be allotted or used for the purpose of carrying out the contract.
 - (iii) The **Contractor** shall mean the individual, firm or company, whether incorporated or not, undertaking the works and shall include the legal personal representative of such individual or the persons composing such firm or company, or the successors of such firm or company and the permitted assignees of such individual, firm or company.
 - (iv) The **President** means the President of India and his successors.
 - (v) The **Engineer-in-charge** means the Engineer Officer who shall supervise and be incharge of the work and who shall sign the contract on behalf of the President of India as mentioned in Schedule 'F' hereunder.
 - (vi) **Government or Government of India** shall mean the President of India.
 - (vii) The terms **Director General** includes Additional Director General and Chief Engineer of the Zone.
 - (viii) **Accepting Authority** shall mean the authority mentioned in Schedule 'F'.
 - (ix) **Excepted Risk** are risks due to riots (other than those on account of contractor's employees), war (whether declared or not) invasion, act of foreign enemies, hostilities, civil war, rebellion revolution, insurrection, military or usurped power, any acts of Government, damages from aircraft, acts of God, such as earthquake, lightening and unprecedented floods, and other causes over which the contractor has no control and accepted as such by the Accepting Authority or causes solely due to use or occupation by Government of the part of the works in respect of which a certificate of completion has been issued or a cause solely due to Government's faulty design of works.
 - (x) **Market Rate** shall be the rate as decided by the Engineer-in-Charge on the basis of the cost of materials and labour at the site where the work is to be executed plus the percentage mentioned in Schedule 'F' to cover, all overheads and profits.
 - (xi) **Schedule(s)** referred to in these conditions shall mean the relevant schedule(s) annexed to the tender papers or the standard Schedule of Rates of the government mentioned in Schedule 'F' hereunder, with the amendments thereto issued upto the date of receipt of the tender.



Bids dh 'krī

- (1) **Bids** से निविदा और उसकी स्वीकृति तथा भारत के राष्ट्रपति की ओर से सक्षम प्राधिकारी और ठेकेदार के बीच निष्पादित औपचारिक करार के दस्तावेजों और उसके साथ उसमें निर्दिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत ये शर्तें, निर्देश, डिजाइन, आरेख और भारसाधक इंजीनियर द्वारा समय पर दिए गए अनुदेश भी हैं और ये सभी दस्तावेज एक साथ मिलकर एक ठेका माने जाएंगे और एक दूसरे के पूरक होंगे।
- (2) ठेके में निम्नलिखित पदों के, जब तक कि संदर्भ से अन्य अपेक्षित न हो, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें इसके द्वारा क्रमशः दिए गए हैं:
- (i) **dk; l** पद का अर्थ, जब तक कि विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थ के विरुद्ध कोई बात न हो, किए गए ठेके द्वारा या उस आधार से किए जाने वाला कार्य होगा और माना जाएगा चाहे वे अस्थायी या स्थायी हों, और चाहे वे मूल, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अतिरिक्त हों।
 - (ii) **dk; LFky** से अभिप्रेत है वह भूमि/या अन्य स्थान जिस पर, जिसमें या जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जिसके माध्यम से ठेके के अधीन कार्य निष्पादित किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जो ठेके को कार्यान्वित करने के लिए आबंटित या प्रयुक्त किया जाए।
 - (iii) **Bdnkj** से ऐसा व्यक्ति या फर्म या कम्पनी, चाहे वह निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है जो कार्य का भार अपने ऊपर ले और इसके अन्तर्गत विधिक वैयक्तिक प्रतिनिधि या ऐसी फर्म या कम्पनी गठित करने वाले व्यक्ति या ऐसी फर्म या कम्पनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति या फर्म या फर्मों या कम्पनी के अनुज्ञात समनुदेशिनी भी होंगे।
 - (iv) **jkVif r** से भारत के राष्ट्रपति और उनके पदोत्तरवर्ती अभिप्रेत हैं।
 - (v) **Hkj l k/d batf; j** से वह, इंजीनियर अधिकारी अभिप्रेत है जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उसका भारसाधक होगा और जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से ठेके पर हस्ताक्षर करेगा और यहाँ नीचे अनुसूची 'च' में उल्लिखित हैं।
 - (vi) **l jdkj** या **Hkjr l jdkj** से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत हैं।
 - (vii) **egkfun's kd** पद के अंतर्गत अपर महानिदेशक और अंचल के मुख्य इंजीनियर भी हैं।
 - (viii) **Lohdkj drk/ ċk/kdkjh** से अनुसूची 'च' में उल्लिखित प्राधिकारी अभिप्रेत है।
 - (ix) **{k; tk[ke** वे जोखिम हैं जो दंगों, (ठेकेदार के कर्मचारियों के कारण से होने वालों को छोड़कर) युद्ध, (घोषित और अघोषित), आक्रमण, विदेशी दुश्मनों की कार्रवाई, युद्ध-स्थितियां, गृहयुद्ध, विद्रोह क्रान्ति, उपद्रव, सैन्य या हथियार्य गई सत्ता, कोई भी सरकारी कार्रवाई, वायुयान से क्षति, प्राकृतिक प्रकोप, जैसे भूकंप, तड़ित और अभूतपूर्व बाढ़ और अन्य कारणों, जिनपर ठेकेदार का नियंत्रण न हो और जो उसी रूप में स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाएं या जो पूरी तरह सरकार द्वारा कार्यों के भाग के प्रयोग या अधिगृहण के कारण हो, जिनके संबंध में कार्यसमापन प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया हो या जो सरकार द्वारा पूरी तरह कार्यों की डिजाइन में त्रुटि के कारण हो।
 - (x) **cktkj nj** वह दर होगी जो भारसाधक इंजीनियर, कार्यस्थल पर, जहां कार्य निष्पादित किया जाना है, सामग्रियों और श्रम की लागत और उसके सभी ऊपरी खर्चों व लाभों को पूरा करने के लिए अनुसूची 'च' में उल्लिखित प्रतिशतता को जोड़कर आई राशि के आधार पर निश्चित करे।



- (xii) **Department** means CPWD or any department of Government of India which invites tenders on behalf of President of India as specified in schedule 'F'.
- (xiii) **District Specifications** means the specifications followed by the State Government in the area where the work is to be executed.
- (xiv) **Tendered value** means the value of the entire work as stipulated in the letter of award.
- (xv) **Date of commencement of work:** The date of commencement of work shall be the date of start as specified in schedule 'F' or the first date of handing over of the site, whichever is later, in accordance with the phasing if any, as indicated in the tender document.

Scope and Performance

- 3. Where the context so requires, words imparting the singular only also include the plural and vice versa. Any reference to masculine gender shall whenever required include feminine gender and vice versa.
- 4. Headings and Marginal notes to these General Conditions of Contract shall not be deemed to form part thereof or be taken into consideration in the interpretation or construction thereof or of the contract.
- 5. The contractor shall be furnished, free of cost one certified copy of the contract documents except standard specifications, Schedule of Rates and such other printed and published documents, together with all drawings as may be forming part of the tender papers. None of these documents shall be used for any purpose other than that of this contract.

Works to be carried out

- 6. The work to be carried out under the Contract shall, except as otherwise provided in these conditions, include all labour, materials, tools, plants, equipment and transport which may be required in preparation of and for and in the full and entire execution and completion of the works. The descriptions given in the Schedule of Quantities (Schedule- A) shall, unless otherwise stated, be held to include wastage on materials, carriage and cartage, carrying and return of empties, hoisting, setting, fitting and fixing in position and all other labours necessary in and for the full and entire execution and completion of the work as aforesaid in accordance with good practice and recognized principles.

Sufficiency of Tender

- 7. The Contractor shall be deemed to have satisfied himself before tendering as to the correctness and sufficiency of his tender for the works and of the rates and prices quoted in the Schedule of Quantities, which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all his obligations under the Contract and all matters and things necessary for the proper completion and maintenance of the works.

Discrepancies and Adjustment of Errors

- 8. The several documents forming the Contract are to be taken as mutually explanatory of one another, detailed drawings being followed in preference to small scale drawing and figured dimensions in preference to scale and special conditions in preference to General Conditions.
- 8.1 In the case of discrepancy between the schedule of Quantities, the Specifications and/ or the Drawings, the following order of preference shall be observed:-
 - (i) Description of Schedule of Quantities.
 - (ii) Particular Specification and Special Condition, if any.
 - (iii) Drawings.
 - (iv) CPWD Specifications.
 - (v) Indian Standard Specifications of B.I.S.



CPWD
(xi)

इन शर्तों में उल्लिखित **vud ph %/ud ip; k%** का अर्थ, निविदा कागजात अथवा निविदा प्राप्त करने की तारीख तक किए गए संशोधनों सहित यहाँ नीचे अनुसूची 'च' में उल्लिखित सरकार की मानक दर अनुसूची के साथ लगी अनुसूची (अनुसूचियाँ) हैं।

(xii) **folkkx** का अर्थ के. लो. नि. वि. या भारत सरकार का कोई भी विभाग जो अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट अनुसार भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदाएं आमंत्रित करता है।

(xiii) **ftyk** विनिर्देशों का अभिप्राय उन विनिर्देशों से है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कार्य निष्पादन वाले क्षेत्र में अपनाया जाता है।

(xiv) **fufofnr eW;** का अर्थ, अर्वाह पत्र में निर्धारित अनुसार, पूरे कार्य का मूल्य है।

(xv) **dk; %vkj% djusdh rkjh[k%** कार्य आरंभ करने की तारीख वह तारीख होगी जैसा कि अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट किया गया है अथवा कार्य स्थल को सौंपे जाने की प्रथम तारीख होगी, जो भी बाद में हो, और यह चरणबद्धता यदि कोई हो, के अनुसार होगी जैसा कि निविदा दस्तावेज में दर्शाया गया है।

3. जहां संदर्भ में अपेक्षित हो वहां एकवचन (सिंगुलर) शब्दों में बहुवचन (प्लूरल) और विलोमतः सम्मिलित होंगे।
4. ठेके की इन सामान्य शर्तों के शीर्षकों और हाशिए की टिप्पणियों को उसका भाग नहीं माना जाएगा अथवा निर्माण या निर्वचन करते समय इन्हें ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
5. ठेकेदार को, मानक विनिर्देशों, दरों की अनुसूची और ऐसे अन्य मुद्रित और प्रकाशित कागजातों को छोड़कर, सभी आरेखों, जो निविदा कागजात के भाग हों, सहित ठेका कागजातों की एक प्रमाणित प्रति निःशुल्क दी जाएगी, इन कागजातों में से किसी भी कागजात को इस ठेके के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
6. इन शर्तों में किसी अन्यथा प्रावधान को छोड़कर, ठेके के तहत किए जाने वाले कार्य में सभी मजदूरी, सामग्रियां, औजार, संयंत्र, उपकरण और परिवहन सम्मिलित हैं जो कि कार्य की तैयारी में और उसके लिए और कार्य को पूर्ण और समूचे रूप से निष्पादन और पूरा करने के लिए आवश्यक हों। मात्राओं की अनुसूची (अनुसूची क) में दिए गए विवरणों को, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, यह माना जाएगा कि उनमें, सामग्रियों की छीजन, भाड़ा और ढुलाई, खाली चीजों को ले जाने और लौटाने, ऊँचे चढ़ाने, लगाने, यथा स्थान फिट करने और आबद्ध करने और अन्य मजदूरी जो पूर्वोक्त अनुसार कार्य को अच्छी विधि और मान्य सिद्धांतों के अनुसार पूर्ण और समूचे रूप से निष्पादन और पूरा करने में और पूरा करने के लिए आवश्यक हों, आदि सम्मिलित हैं।
7. यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए उसकी निविदा की सत्यता और पर्याप्तता और मात्राओं की अनुसूची में कथित दरों और मूल्यों को, जो दरें और मूल्य, यदि अन्यथा प्रावधान न हो तो, ठेके के तहत उसमें सभी दायित्वों और कार्यों के उचित प्रकार से समापन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को समाहित करते हैं; के संबंध में अपने आपको संतुष्ट कर लिया है।
8. ठेके का भाग बनने वाले सभी प्रकार के कागजातों के विषय में यह माना जाएगा कि वे एक-दूसरे के पूरक हैं, छोटे पैमाने के आरेखों की तुलना में विस्तृत आरेखों को और चित्र में लिखित मापों को पैमाने वाले मापों से और विशेष शर्तों को सामान्य शर्तों से अधिमान दिया जाएगा।
- 8.1 मात्राओं की अनुसूची, विनिर्देशों और/या आरेखों में कमियों के होने पर अधिमान का निम्नलिखित क्रम अपनाया जाएगा।
 - (i) मात्राओं की अनुसूची का विवरण
 - (ii) विशिष्ट विनिर्देश और विशेष शर्तें, यदि हों,
 - (iii) आरेख
 - (iv) के. लो. नि. वि. विनिर्देश
 - (v) भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश।

dk; % {ks= , oa
fu"i knu

fd, tkusokysdk; %

fufonk dh i ; k%rrk

fofu; ferrk, a v%g
=f%V; %ack % ek; k%tu

**Signing of Contract**

- 8.2 If there are varying or conflicting provisions made in any one document forming part of the contract, the Accepting Authority shall be the deciding authority with regard to the intention of the document and his decision shall be final and binding on the contractor.
- 8.3 Any error in description, quantity or rate in Schedule of Quantities or any omission therefrom shall not vitiate the Contract or release the Contractor from the execution of the whole or any part of the works comprised therein according to drawings and specifications or from any of his obligations under the contract.
9. The successful tenderer/contractor, on acceptance of his tender by the Accepting Authority, shall, within 15 days from the stipulated date of start of the work, sign the contract consisting of:-
- (i) the notice inviting tender, all the documents including drawings, if any, forming the tender as issued at the time of invitation of tender and acceptance thereof together with any correspondence leading thereto.
 - (ii) Standard C.P.W.D. Form as mentioned in Schedule 'F' consisting of:
 - (a) Various standard clauses with corrections up to the date stipulated in Schedule 'F' along with annexures thereto.
 - (b) C.P.W.D. Safety Code.
 - (c) Model Rules for the protection of health, sanitary arrangements for workers employed by CPWD or its contractors.
 - (d) CPWD Contractor's Labour Regulations.
 - (e) List of Acts and omissions for which fines can be imposed.
 - (iii) No payment for the work done will be made unless contract is signed by the contractor.



- 8.2 यदि टेके के भाग के किसी कागजात में अलग-अलग या विरोधाभासी उपबंध हों तो स्वीकारकर्ता प्राधिकारी ऐसे कागजातों के संबंध में विनिश्चयायक प्राधिकारी होगा और उसका निर्णय टेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 8.3 मात्राओं की अनुसूची में विवरण, मात्रा या दर में किसी त्रुटि या उनमें कोई विलोप होने से टेका निष्प्रभावी नहीं होगा या टेकेदार आरेखों और विनिर्देशों के अनुरूप उसमें निहित पूरे कार्य या उसके भाग को निष्पादित करने के दायित्व से मुक्त नहीं होगा या टेके के तहत अपने किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होगा।
9. स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर सफल निविदाकार/टेकेदार कार्य शुरू करने की तारीख के 15 दिन के भीतर टेके पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-
- निविदा आमंत्रण सूचना, आरेखों, यदि हों, सहित सभी कागजात, जो निविदा आमंत्रित करते समय निविदा के भाग हों, उससे संबंधित पत्राचार सहित उसकी स्वीकृति।
 - मानक के. लो. नि. वि. फार्म जैसा कि अनुसूची 'च' में उल्लिखित है जिसमें निम्नलिखित होंगे।
 - अनुसूची 'च' में निर्धारित तारीख तक के संशोधनों और उनके अनुबंधों सहित विभिन्न मानक खण्ड
 - के. लो. नि. वि. सुरक्षा संहिता
 - के. लो. नि. वि. या टेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा स्वच्छता व्यवस्था के लिए आदर्श नियम,
 - के. लो. नि. वि. के टेकेदारों के श्रमिक विनियमन
 - कृत्यों और अकृत्यों की सूची जिनके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
 - टेकेदार द्वारा टेके को हस्ताक्षरित न किए जाने की स्थिति में किए गए कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

Bids ij gLrk{kj
djuk



CLAUSES OF CONTRACT

CLAUSE 1

Performance Guarantee

- (i) The contractor shall submit an irrevocable Performance Guarantee of 5% (Five percent) of the tendered amount in addition to other deposits mentioned elsewhere in the contract for his proper performance of the contract agreement, (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract) within period specified in Schedule 'F' from the date of issue of letter of acceptance. This period can be further extended by the Engineer-in-Charge up to a maximum period as specified in schedule 'F' on written request of the contractor stating the reason for delays in procuring the Performance Guarantee, to the satisfaction of the Engineer-in-Charge. This guarantee shall be in the form of Cash (in case guarantee amount is less than Rs. 10,000/-) or Deposit at Call receipt of any scheduled bank/Banker's Cheque of any scheduled bank/Demand Draft of any scheduled bank/Pay Order of any scheduled bank (in case guarantee amount is less than Rs. 1,00,000/-) or Government Securities or Fixed Deposit Receipts or Guarantee Bonds of any Scheduled Bank or the State Bank of India in accordance with the form annexed hereto. In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the performance guarantee and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.
- (ii) The Performance Guarantee shall be initially valid up to the stipulated date of completion plus 60 days beyond that. In case the time for completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of Performance Guarantee extended to cover such enlarged time for completion of work. After recording of the completion certificate for the work by the competent authority, the performance guarantee shall be returned to the contractor, without any interest. However, in case of contracts involving maintenance of building and services/any other work after construction of same building and services/other work, then 50% of Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit. The same shall be returned yearwise proportionately.
- (iii) The Engineer-in-Charge shall not make a claim under the performance guarantee except for amounts to which the President of India is entitled under the contract (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract agreement) in the event of:
 - (a) Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described herein above, in which event the Engineer-in-Charge may claim the full amount of the Performance Guarantee.
 - (b) Failure by the contractor to pay President of India any amount due, either as agreed by the contractor or determined under any of the Clauses/Conditions of the agreement, within 30 days of the service of notice to this effect by Engineer-in-Charge.
- (iv) In the event of the contract being determined or rescinded under provision of any of the Clause/Condition of the agreement, the performance guarantee shall stand forfeited in full and shall be absolutely at the disposal of the President of India.

CLAUSE 1 A

Recovery of Security Deposit

The person/persons whose tender(s) may be accepted (hereinafter called the contractor) shall permit Government at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct a sum at the rate of 2.5% of the gross amount of each running and final bill till the sum deducted will amount to security deposit of 2.5% of the tendered value of the work. Such deductions will be made and held by Government by way of Security Deposit



Lkfonk ds [k.M

[k.M 1

- (i) ठेकेदार स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से प्रारम्भ अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने संविदा करार के समुचित निष्पादन के लिए, संविदा में अन्यत्र उल्लिखित अन्य निक्षेपों के साथ-साथ (संविदा के अन्य किसी प्रावधान के होते हुए भी और/या उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) निवेदित राशी के 5 (पांच) प्रतिशत के बराबर अप्रतिसंहरणीय निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेगा। इस अवधि को भार साधक अभियंता द्वारा ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर, जिसमें निष्पादन गारंटी के प्राप्त करने में हुए विलंब के कारणों को बताया गया हो, अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट अवधि तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि भारसाधक अभियंता की उन कारणों से संतुष्टि हो जाती है। यह गारंटी नकद (यदि गारंटी राशि 10,000 रु. से कम हो) या किसी अनुसूचित बैंक की कॉल रसीद दिए जाने पर जमा/किसी अनुसूचित बैंक के बैंकर्स चेक/किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/किसी अनुसूचित बैंक के पे-ऑर्डर (यदि गारंटी राशि 1,00,000 रु. से कम हो) या सरकारी प्रतिभूति या किसी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की सावधि जमा रसीद या गारंटी बॉण्ड के रूप में इसके साथ अनुबंधित फार्म के अनुसार होगी। यदि ठेकेदार निष्पादन गारंटी के भाग के रूप में सरकार को किसी बैंक की सावधि जमा रसीद प्रस्तुत करता है और बैंक उस सावधि जमा रसीद पर भुगतान न करे तो उससे हुई हानि के लिए ठेकेदार तत्काल घाटे की भरपाई के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रतिभूति देगा।
- (ii) प्रारंभ में निष्पादन गारंटी कार्य को पूरा करने की अनुबंधित तारीख तथ उसके पश्चात् साठ दिनों तक वैध होगी। यदि कार्य पूरा करने के समय में बढ़ोतरी हो जाती है तो ठेकेदार निष्पादन गारंटी की वैधता की अवधि को भी बढ़ावाएगा ताकि कार्य समापन के लिए समय में हुई बढ़ोतरी कवर हो सके। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण पत्र रिकार्ड करने के पश्चात् निष्पादन गारंटी, बिना किसी ब्याज के, ठेकेदार को लौटा दी जाएगी। तथापि, उस भवन के निर्माण और सेवाओं/अन्य कार्य के बाद सेवाओं/अन्य कार्य के अनुरक्षण को शामिल करने वाले ठेकों के मामले में, 50 प्रतिशत कार्य निष्पादन गारंटी प्रतिभूति राशि के रूप में रख ली जाएगी। उसे आनुपातिक रूप से वर्षवार लौटाया जाएगा।
- (iii) भारसाधक अभियंता उन राशियों को छोड़ कर जिनके लिए भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में संविदा के अंतर्गत पात्र है, (संविदा करार के अन्य किसी प्रावधान के होते हुए भी और/या उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना), निष्पादन गारंटी में किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा :-
- (क) जैसाकि इसमें ऊपर कहा गया है कि यदि ठेकेदार निष्पादन गारंटी की वैधता को बढ़ाने में असमर्थ रहता है तो उस परिस्थिति में भारसाधक अभियंता निष्पादन गारंटी की पूरी राशि का दावा कर सकता है।
- (ख) यदि ठेकेदार उसके द्वारा करार की गई अथवा करार के किसी खंड/शर्त के आधीन अवधारित किसी राशि का भुगतान, भारसाधक अभियंता द्वारा इस संबंध में दिए नोटिस के 30 दिन के भीतर, भारत के राष्ट्रपति को करने में असमर्थ रहता है।
- (iv) यदि संविदा करार के किसी खंड/शर्त के किसी प्रावधान के अंतर्गत अवधारित/मसूख हो जाती है तो उस स्थिति में निष्पादन गारंटी को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा तथा वह आत्यंतिक रूप से, भारत के राष्ट्रपति के व्ययन पर होगी।

fu"iknu xkj\h

[k.M&1 %d½

जिस व्यक्ति/व्यक्तियों की निविदा (एं) स्वीकार होंगी (जिसे इसके बाद ठेकेदार कहा जाएगा) वह ठेके के अन्तर्गत किए गए कार्य के लिए किए जा रहे भुगतान के समय सरकार को यह अधिकार देगा कि प्रत्येक चलबिल एवम् अंतिम बिल की कुल राशि के 2.5 प्रतिशत की दर से राशि की कटौती तब तक कर सके जब तक यह राशि कार्य के निवेदित मूल्य के 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप राशि के बराबर न हो जाए। ऐसी कटौतियां सरकार द्वारा की जाएंगी व प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखी जाएंगी बशर्ते उसने/उन्होंने उपर्युक्त दर से प्रतिभूति के रूप में नकद जमा न की हो। यदि ठेकेदार प्रतिभूति निक्षेप के भाग के रूप में सरकार को किसी बैंक की

çfrHkîr fu{ki dh
ol yh



unless he/they has/have deposited the amount of Security at the rate mentioned above in cash or in the form of Government Securities or fixed deposit receipts. In case a fixed deposit receipt of any Bank is furnished by the contractor to the Government as part of the security deposit and the Bank is unable to make payment against the said fixed deposit receipt, the loss caused thereby shall fall on the contractor and the contractor shall forthwith on demand furnish additional security to the Government to make good the deficit.

All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising therefrom, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by Government on any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in cash or fixed deposit receipt tendered by the State Bank of India or by Scheduled Banks or Government Securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favour of the Engineer-in-Charge, any sum or sums which may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills and the final bill of the contractor at the rates mentioned above.

The security deposit as deducted above can be released against bank guarantee issued by a scheduled bank, on its accumulations to a minimum of Rs. 5 lac subject to the condition that amount of such bank guarantee, except last one, shall not be less than Rs. 5 lac. Provided further that the validity of bank guarantee including the one given against the earnest money shall be in conformity with provisions contained in clause 17 which shall be extended from time to time depending upon extension of contract granted under provisions of clause 2 and clause 5.

In case of contracts involving maintenance of building and services/any other work after construction of same building and services/other work, then 50% of Performance Guarantee shall be retained as Security Deposit. The same shall be returned yearwise proportionately.

Note-1: Government papers tendered as security will be taken at 5% (five per cent) below its market price or at its face value, whichever is less. The market price of Government paper would be ascertained by the Divisional Officer at the time of collection of interest and the amount of interest to the extent of deficiency in value of the Government paper will be withheld if necessary.

Note-2: Government Securities will include all forms of Securities mentioned in Rule No. 274 of the G.F. Rules except fidelity bond. This will be subject to the observance of the condition mentioned under the rule against each form of security.

Note-3: Note 1 & 2 above shall be applicable for both clause 1 and 1A

CLAUSE 2

Compensation for Delay

If the contractor fails to maintain the required progress in terms of clause 5 or to complete the work and clear the site on or before the contract or extended date of completion, he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the Government on account of such breach, pay as agreed compensation the amount calculated at the rates stipulated below as the authority specified in schedule 'F' (whose decision in writing shall be final and binding) may decide on the amount of tendered value of the work for every completed day/month (as applicable) that the progress remains below that specified in Clause 5 or that the work remains incomplete.

This will also apply to items or group of items for which a separate period of completion has been specified.

- | | |
|------------------------------------|--|
| (i) Compensation for delay of work | @ 1.5 % per month of delay to be computed on per day basis |
|------------------------------------|--|



सावधि जमा रसीद प्रस्तुत करता है और बैंक उस सावधि जमा रसीद पर भुगतान न करे तो उससे हुई हानि के लिए ठेकेदार तत्काल घाटे की भरपाई के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रतिभूति देगा।

इस ठेके के निबंधनों के अधीन ठेकेदार द्वारा संदय सभी प्रतिकर या अन्य धन-राशियां उसके प्रतिभूति निक्षेप से या उससे होने वाले ब्याज से, या ऐसी राशियों से जो किसी भी कारण से सरकार द्वारा ठेकेदार को देय हों या हो जाएं, काटी जा सकेंगी या प्रतिभूति निक्षेप के पर्याप्त भाग के विक्रय द्वारा संदत्त की जा सकेंगी, और किन्हीं ऐसी कटौतियों या यथापूर्वोक्त विक्रय के कारण उसके प्रतिभूति निक्षेप के कम हो जाने की दशा में, ठेकेदार दस दिन के भीतर नकद या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या अनुसूचित बैंकों द्वारा निविदत्त सावधि निक्षेप पावती के रूप में या भारसाधक अभियंता के पक्ष में पृष्ठांकित सरकारी प्रतिभूतियों की दशा में रकम (यदि 12 मास से अधिक के लिए जमा की गई हों), किसी राशि या राशियों को, जो उसकी प्रतिभूति निक्षेप से या उसके किसी भाग से कटौती की गई हों या विक्रय से ली गई हों पूरी करेगा। प्रतिभूति निक्षेप ऊपर वर्णित दरों पर ठेकेदार के चालू बिलों एवं अंतिम बिल में से संग्रहित किया जाएगा।

उपर्युक्त कटौती के अनुसार प्रतिभूति निक्षेप को न्यूनतम 5 लाख रुपये के संचयन पर अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के बदले जारी किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी बैंक गारंटी की राशी, अंतिम एक को छोड़कर 5 लाख रुपये से कम नहीं होगी। इसमें आगे यह भी उपबंधित है कि अग्रिम धन के एवज में दी गई गारंटी सहित, बैंक गारंटी की वैधता, खंड 17 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी जिसे खंड 2 और खंड 5 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त संविदा की अवधि बढ़ाये जाने के आधार पर समय-समय पर बढ़ाई जायेगी।

उन भवन के निर्माण और सेवाओं/अन्य कार्य के बाद सेवाओं/अन्य कार्य के अनुरक्षण को शामिल करने वाले ठेकों के मामले में, 50 प्रतिशत कार्य निष्पादन गारंटी, प्रतिभूति राशि के रूप में रख ली जाएगी। उसे आनुपातिक रूप से वर्षवार लौटाया जाएगा।

VIi .kh 1 – प्रतिभूति के रूप में निविदत्त सरकारी कागज-पत्रों को उनके बाजार मूल्य अथवा उनके अंकित मूल्य में, जो भी कम हो 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) कम के रूप में लिया जाएगा। सरकारी कागज-पत्र का बाजार मूल्य मंडल अधिकारी द्वारा ब्याज के संग्रहण के समय अभिनिश्चित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो ब्याज की रकम सरकारी कागज-पत्र के मूल्य में कमी की सीमा तक रोक ली जाएगी।

VIi .kh 2 – सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत विश्वस्तता बंध-पत्रों को छोड़कर सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 274 में वर्णित सभी प्रारूप और प्रतिभूतियां होंगे। ऐसा इस नियम के अधीन प्रतिभूति के प्रत्येक प्रारूप के सामने वर्णित शर्तों के अनुपालन किए जाने के अध्यधीन होगा।

VIi .kh 3 & उपर्युक्त टिप्पणियां 1 एवं 2 खण्ड 1 तथा खण्ड 1 क दोनों पर लागू होंगी।

[k.M&2

यदि ठेकेदार खण्ड 5 के निबंधनों के अनुसार कार्य में अपेक्षित प्रगति रखने अथवा ठेका पूरा करने की तारीख या ठेका पूरा करने की बढ़ाई गई तारीख तक या उससे पहले कार्य पूरा करने और कार्यस्थल की सफाई करने में असमर्थ रहता है तो वह किसी अन्य अधिकार अथवा कानून के तहत उपलब्ध सहायता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार को नीचे निर्दिष्ट दरों पर आकलित सहमत प्रतिकर की राशि देगा जो अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसका लिखित निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा) खण्ड 5 में निर्दिष्ट प्रगति से नीचे रहने अथवा अपूर्ण शेष कार्य के संबंध में प्रत्येक संपूर्ण दिन/महीना, (जो लागू हो) के लिए कार्य की निविदत्त मूल्य की राशि पर निश्चित करेगा।

यह उन मद या मदों के समूह पर भी लागू होगा जिनके लिए कार्य पूरा करने की अलग अवधि निर्दिष्ट की गई हैं।

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| (i) | कार्य में विलम्ब के लिए प्रतिकर | 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब प्रति दिन के आधार पर परिकलित किया जाएगा। |
|-----|---------------------------------|---|

foya ds fy,
çfrdj



Provided always that the total amount of compensation for delay to be paid under this Condition shall not exceed 10% of the Tendered Value of work or of the Tendered Value of the item or group of items of work for which a separate period of completion is originally given.

The amount of compensation may be adjusted or set-off against any sum payable to the Contractor under this or any other contract with the Government. In case, the contractor does not achieve a particular milestone mentioned in schedule F, or the re-scheduled milestone(s) in terms of Clause 5.4, the amount shown against that milestone shall be withheld, to be adjusted against the compensation levied at the final grant of Extension of Time. With-holding of this amount on failure to achieve a milestone, shall be automatic without any notice to the contractor. However, if the contractor catches up with the progress of work on the subsequent milestone(s), the withheld amount shall be released. In case the contractor fails to make up for the delay in subsequent milestone(s), amount mentioned against each milestone missed subsequently also shall be withheld. However, no interest, whatsoever, shall be payable on such withheld amount.

CLAUSE 2A

Incentive for early completion

In case, the contractor completes the work ahead of updated stipulated date of completion considering the effect of extra work (to be calculated on pro-rata basis as cost of extra work X stipulated period/tendered cost), a bonus @ 1% (one per cent) of the tendered value per month computed on per day basis, shall be payable to the contractor, subject to a maximum limit of 5% (five per cent) of the tendered value. The amount of bonus, if payable, shall be paid along with final bill after completion of work. Provided always that provision of the Clause 2A shall be applicable only when so provided in 'Schedule F'.

CLAUSE 3

When Contract can be Determined

Subject to other provisions contained in this clause, the Engineer-in-Charge may, without prejudice to his any other rights or remedy against the contractor in respect of any delay, inferior workmanship, any claims for damages and/or any other provisions of this contract or otherwise, and whether the date of completion has or has not elapsed, by notice in writing absolutely determine the contract in any of the following cases:

- (i) If the contractor having been given by the Engineer-in-Charge a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in an inefficient or otherwise improper or unworkman like manner shall omit to comply with the requirement of such notice for a period of seven days thereafter.
- (ii) If the contractor has, without reasonable cause, suspended the progress of the work or has failed to proceed with the work with due diligence so that in the opinion of the Engineer-in-Charge (which shall be final and binding) he will be unable to secure completion of the work by the date for completion and continues to do so after a notice in writing of seven days from the Engineer-in-Charge.
- (iii) If the contractor fails to complete the work within the stipulated date or items of work with individual date of completion, if any stipulated, on or before such date(s) of completion and does not complete them within the period specified in a notice given in writing in that behalf by the Engineer-in-Charge.
- (iv) If the contractor persistently neglects to carry out his obligations under the contract and/ or commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf by the Engineer-in-Charge.
- (v) If the contractor shall offer or give or agree to give to any person in Government service or to any other person on his behalf any gift or consideration of any kind as an inducement



परन्तु संविदा की इस शर्त के अन्तर्गत विलंब के लिए भुगताई जाने वाली कुल प्रतिकर राशि कार्य के निविदत्त मूल्य अथवा कार्य की मद या मदों के समूह के, जिनके लिए कार्य समापन अवधि पहले से अलग दी गई हो, निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

प्रतिकर की राशि ठेकेदार को इस अथवा सरकार के साथ किसी भी अन्य ठेके के लिए देय धनराशि से समायोजित अथवा प्रतिपूरित की जा सकती है। यदि ठेकेदार, अनुसूची-च में उल्लिखित लक्ष्य विशेष या खण्ड 5.4 के अनुसार दोबारा अनुसूचित लक्ष्य (लक्ष्यो) को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस लक्ष्य के सामने उल्लिखित राशि को रोक लिया जाएगा और उस राशि का समायोजन, समय का अंतिम विस्तार प्रदान किए जाने पर लगाए गए प्रतिकर के अनुसार समायोजित किया जाना है। लक्ष्य के प्राप्त न होने की स्थिति में इस राशि को, ठेकेदार को कोई नोटिस दिए बिना, स्वतः ही रोक लिया जाएगा। तथापि यदि ठेकेदार, उत्तरवर्ती लक्ष्यों के साथ-साथ पिछले लक्ष्यों की कमी की भरपाई कर देता है तो रोकी गई राशि उन्मोचित कर दी जाएगी। यदि ठेकेदार विलम्ब को उत्तरवर्ती लक्ष्यों में ठीक नहीं कर पाता तो उत्तरवर्ती लक्ष्यों में हुई चूकों के लिए भी, प्रत्येक लक्ष्य के सामने उल्लिखित राशि को रोक लिया जाएगा। तथापि, इस प्रकार रोकी गई राशि के लिए किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।

[k.M 2 d

यदि ठेकेदार कार्य को अतिरिक्त कार्य के प्रभाव पर विचार करते हुए पूरा करने की अद्यतित निर्धारित तिथि (अतिरिक्त कार्य की लागत x निर्धारित अवधि/प्रस्तुत लागत के रूप में आनुपातिक आधार पर परिकलित की जाने वाली) से पहले पूरा कर लेता है तो ठेकेदार को निविदत्त मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह बोनस देय होगा जो प्रतिदिन के आधार पर परिकलित होगा किन्तु इसकी अधिकतम सीमा निविदत्त मूल्य की 5 प्रतिशत होगी। बोनस की राशि, यदि देय हो, कार्य के पूरा होने के बाद, का भुगतान अंतिम बिल के साथ किया जाएगा। बशर्ते हमेशा कि खण्ड 2 क का प्रावधान तभी लागू होगा जब 'अनुसूची च' में ऐसा प्रावधान किया हो।

dk; l tYnh ijk djus
ds fy, çk&l kgu

[k.M 3

इस खण्ड में दिए गए अन्य प्रावधानों के अध्यक्षीन भारसाधक इंजीनियर किसी विलंब या घटिया कारीगरी, क्षति के किन्ही दावों और/अथवा इस ठेके के किसी अन्य प्रावधान या अन्यथा और चाहे कार्य पूरा करने की तारीख समाप्त हो गई हो या नहीं, ठेकेदार के विरुद्ध अपने किसी भी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित सूचना द्वारा निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी ठेके को पूरे तौर पर अवसान कर सकेगा :-

tc l fonk jnn dh
tk l drh gS

- यदि ठेकेदार, भारसाधक इंजीनियर द्वारा उसे यह लिखित सूचना दिए जाने पर कि किसी त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक किया जाए, पुनः सन्निर्मित किया जाए या बदल दिया जाए या यह कि कार्य अकुशल या अन्यथा अनुसूचित या कर्मकोशल रहित रीति में किया जा रहा है, ऐसी सूचना दिए जाने के पश्चात् सात दिन की अवधि तक ऐसी सूचनाओं की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।
- यदि ठेकेदार बिना किसी तर्कसंगत कारण से कार्य की प्रगति रोक देता है या उचित परिश्रम से कार्य करने में इस सीमा तक विफल रहता है कि भारसाधक इंजीनियर की राय (जो अंतिम और बाध्यकारी होगी) में वह कार्य समाप्ति की तारीख तक कार्य पूरा करने में असफल रहेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा लिखित नोटिस देने के सात दिन बाद भी उसी स्थिति में रहे।
- यदि ठेकेदार अनुबद्ध तारीख के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है या कार्य की उन मदों को, जिनकी कार्य समापन की तारीखें, यदि अनुबद्ध हों, अलग-अलग हों, उस तारीख (तारीखों) तक या उससे पहले नहीं करता और भारसाधक इंजीनियर द्वारा उस आशय से दिए गए लिखित नोटिस में निर्धारित तारीख तक पूरा करने में असफल रहता है।
- यदि ठेकेदार ठेके के अन्तर्गत अपने दायित्वों को लगातार नहीं निभाता और/या ठेके की शर्तों व निबंधनों का अनुपालन करने में त्रुटियां करता है और उसमें सुधार नहीं करता या भारसाधक इंजीनियर द्वारा, दिए गए इस आशय के लिखित नोटिस देने के बाद सात दिन तक उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता।
- यदि ठेकेदार सरकारी सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से इस ठेके या किसी भी अन्य ठेके को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में कोई कार्य करने या



or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or execution of this or any other contract for Government.

- (vi) If the contractor shall enter into a contract with Government in connection with which commission has been paid or agreed to be paid by him or to his knowledge, unless the particulars of any such commission and the terms of payment thereof have been previously disclosed in writing to the Engineer-in-Charge.
- (vii) If the contractor had secured the contract with Government as a result of wrong tendering or other non-bonafide methods of competitive tendering or commits breach of Integrity Agreement.
- (viii) If the contractor being an individual, or if a firm, any partner thereof shall at any time be adjudged insolvent or have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for the purpose of amalgamation or reconstruction) under any Insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects or composition or arrangement for the benefit of his creditors or purport so to do, or if any application be made under any Insolvency Act for the time being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed be executed by him for benefit of his creditors.
- (ix) If the contractor being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of a creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entitle the court or the creditor to appoint a receiver or a manager or which entitle the court to make a winding up order.
- (x) If the contractor shall suffer an execution being levied on his goods and allow it to be continued for a period of 21 days.
- (xi) If the contractor assigns, transfers, sublets (engagement of labour on a piece-work basis or of labour with materials not to be incorporated in the work, shall not be deemed to be subletting) or otherwise parts with or attempts to assign, transfer, sublet or otherwise parts with the entire works or any portion thereof without the prior written approval of the Engineer-in-Charge.

When the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid, the Engineer-in-Charge on behalf of the President of India shall have powers:

- (a) To determine the contract as aforesaid (of which termination notice in writing to the contractor under the hand of the Engineer-in-Charge shall be conclusive evidence). Upon such determination, the Security Deposit already recovered and Performance Guarantee under the contract shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the Government
- (b) After giving notice to the contractor to measure up the work of the contractor and to take such whole, or the balance or part thereof, as shall be un-executed out of his hands and to give it to another contractor to complete the work. The contractor, whose contract is determined as above, shall not be allowed to participate in the tendering process for the balance work.

In the event of above courses being adopted by the Engineer-in-Charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reasons of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advances on account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract. And in case action is taken under any of the provision aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover or be paid any sum for any work thereof or actually performed under this



न करने या कर चुकने या न कर चुकने की एवज में प्रलोभन या इनाम स्वरूप किसी भी प्रकार की भेंट या प्रतिफल देने का प्रस्ताव रखता है या सहमत होता है।

- (vi) यदि ठेकेदार सरकार के साथ कोई ठेका करता है जिसके संबंध में उसके द्वारा या उसकी जानकारी में कमीशन का भुगतान किया जा चुका हो या भुगतान करने की सहमति दी जा चुकी हो, यदि ऐसी किसी भी कमीशन के विवरण या उसके भुगतान के निबंधन पहले से ही प्रभारी अभियंता को लिखित में प्रकट नहीं किए गए हों।
- (vii) यदि ठेकेदार सरकार से गलत निविदा द्वारा या प्रतियोगी निविदा करने के किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके द्वारा ठेका प्राप्त करता है या सत्यनिष्ठता अनुबंध को तोड़ता है।
- (viii) यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति है, या फर्म के रूप में है, तो यदि उसका कोई भागीदार किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जाए या आदान आदेश दिए जाए या उसकी सम्पदा के प्रशासन संबंधी आदेश उसके विरुद्ध हों जाए या किसी दिवालियापन अधिनियम, जो उस समय लागू हो, के अंतर्गत उसके द्वारा समापन या संयोजन संबंधी (सामेलन या पुनर्निर्माण के प्रयोजन से किए गए स्वैच्छिक समापन के अलावा) कारवाई आरंभ की जाए या अपने लेनदारों के लाभ हेतु या ऐसा करने के उद्देश्य से वह अपने प्रभावों को व्यक्त करता है या निर्धारित करता है या संयोजन या प्रबंध करता है, या अपनी सम्पदा के पृथक्करण के लिए किसी दिवालियापन अधिनियम जो उस समय लागू हो, के अंतर्गत उसने कोई आवेदन किया हो या अपने लेनदारों के लिए उसके द्वारा कोई न्यास विलेख निष्पादित किया गया हो।
- (ix) यदि ठेकेदार, जो कम्पनी हो, यह संकल्प पारित करता है या न्यायालय यह आदेश करता है कि कम्पनी का परिसमापन किया जाए या यदि किसी लेनदार की ओर से कोई रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है या यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो न्यायालय या लेनदार को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए हकदार बनाती हैं या जो न्यायालय को परिसमापन आदेश करने का हकदार बनाती हैं।
- (x) यदि ठेकेदार अपने माल पर कर लगने का नुकसान उठाता है और यह स्थिति 21 दिन की अवधि तक जारी रहती है।
- (xi) यदि ठेकेदार भारसाधक अभियंता के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना समस्त कार्य अथवा उस कार्य के किसी हिस्से को सौंपता है, हस्तांतरित करता है, आगे ठेके पर देता है (हिस्सों में कार्य आंबटन आधार पर श्रमिकों की नियुक्ति अथवा सामग्री के साथ श्रम को कार्य में सम्मिलित न किया जाना कार्य को आगे ठेके पर देना (सबलेटिंग) नहीं समझा जाएगा), अथवा अन्यथा कार्य से अलग होता है या इसे सौंपने, हस्तांतरित करने, आगे ठेके पर देने या अन्यथा कार्य से अलग होने का प्रयास करता है।

जब ठेकेदार ने पूर्वोक्त दशाओं में से किसी एक के अधीन स्वयं पर कार्रवाई किए जाने के दायित्वाधीन कर लिया हो तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारसाधक इंजीनियर को यह शक्तियां होंगी कि वह:

- (क) ठेके का पूर्वोक्त रूप से अवसान कर दे (जिस अवसान की ठेकेदार को भारसाधक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना निश्चयक साक्षी होगी)। ऐसे अवसान पर ठेके के तहत निष्पादन गारंटी, तथा पहले से वसूल प्रतिभूति निक्षेप जब्त किए जाने के दायित्वाधीन होगा और पूर्णतः सरकार के व्ययनाधीन होगा।
- (ख) ठेकेदार को सूचना देने के पश्चात् उसके कार्य की माप करें और उसके कार्य का वह पूरा या शेष या भाग जो अनिष्पादित रह जाए, उससे लेकर दूसरे ठेकेदार को उसे पूरा करने के लिए दे दिया जाए। जिस ठेकेदार के ठेके का उपर्युक्त के अनुसार अवसान कर दिया गया हो, उसे शेष कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारसाधक अभियंता द्वारा उपर्युक्त मार्ग अपनाए जाने की दशा में ऐसी कोई हानि जो ठेकेदार को ऐसी किसी



contract unless and until the Engineer-in-Charge has certified in writing the performance of such work and the value payable in respect thereof and he shall only be entitled to be paid the value so certified.

CLAUSE 3A

In case, the work cannot be started due to reasons not within the control of the contractor within 1/8th of the stipulated time for completion of work or one month whichever is higher, either party may close the contract. In case contractor wants to close the contract, he shall give notice to the department stating the failure on the part of department. In such eventuality, the Performance Guarantee of the contractor shall be refunded within following time limits :

- (i) If the Tendered value of work is up to Rs. 45 lac : 15 days.
- (ii) If the Tendered value of work is more than Rs. 45 lac and up to Rs. 2.5 Crore : 21 days.
- (iii) If the Tendered value of work exceeds Rs. 2.5 Crore : 30 days.

If Performance Guarantee is not released within prescribed time limit, then a simple interest @ 0.25% per month shall be payable on Performance Guarantee amount to the contractor from the date of expiry of prescribed time limit.

A compensation for such eventuality, on account of damages etc. shall be payable @ 0.25% of tendered amount subject to maximum limit of Rs. 10 lacs.

CLAUSE 4

In any case in which any of the powers conferred upon the Engineer-in-Charge by Clause-3 thereof, shall have become exercisable and the same are not exercised, the non-exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of any future case of default by the contractor and the liability of the contractor for compensation shall remain unaffected. In the event of the Engineer-in-Charge putting in force all or any of the powers vested in him under the preceding clause he may, if he so desires after giving a notice in writing to the contractor, take possession of (or at the sole discretion of the Engineer-in-Charge which shall be final and binding on the contractor) use as on hire (the amount of the hire money being also in the final determination of the Engineer-in-Charge) all or any tools, plant, materials and stores, in or upon the works, or the site thereof belonging to the contractor, or procured by the contractor and intended to be used for the execution of the work/or any part thereof, paying or allowing for the same in account at the contract rates, or, in the case of these not being applicable, at current market rates to be certified by the Engineer-in-Charge, whose certificate thereof shall be final, and binding on the contractor, clerk of the works, foreman or other authorized agent to remove such tools, plant, materials, or stores from the premises (within a time to be specified in such notice) in the event of the contractor failing to comply with any such requisition, the Engineer-in-Charge may remove them at the contractor's expense or sell them by auction or private sale on account of the contractor and his risk in all respects and the certificate of the Engineer-in-Charge as to the expenses of any such removal and the amount of the proceeds and expenses of any such sale shall be final and conclusive against the contractor.

CLAUSE 5

The time allowed for execution of the Works as specified in the Schedule 'F' or the extended time in accordance with these conditions shall be the essence of the Contract. The execution of the works shall commence from such time period as mentioned in schedule 'F' or from the date of handing over of the site whichever is later. If the Contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid, Government shall without prejudice to any other right or remedy available in law, be at liberty to forfeit the performance guarantee absolutely.

Contractor liable to pay Compensation even if action not taken under Clause 3

Time and Extension for Delay



सामग्री के खरीद लिए जाने या प्राप्त कर लिए जाने अथवा कोई वचन कर लिए जाने या कोई पेशगी दे दिए जाने के कारण उसे उठानी पड़ी हो और यदि पूर्वोक्त उपबन्धों में से किसी के अधीन कार्यवाही की जाती है तो ठेकेदार इस ठेके के अधीन वस्तुतः किए गए किसी कार्य के लिए कोई राशि वसूल करने या संदत्त किए जाने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि भारसाधक इंजीनियर ने ऐसे कार्य का निष्पादन और संदेय मूल्य लिखित रूप से प्रमाणित न कर दिया हो।

[k.M&3 d

यदि कार्य को कार्य समापन के अनुबंधित समय के 1/8वें समय के भीतर अथवा एक मास, जो भी अधिक हो, उन कारणों से शुरू नहीं किया जा सकता हो जो ठेकेदार के नियंत्रण से परे हों, तो कोई भी पक्ष ठेका समाप्त कर सकता है। यदि ठेकेदार ठेका समाप्त करना चाहता है तो भारसाधक इंजीनियर को नोटिस देगा कि कार्य शुरू न होने की जिम्मेदारी विभाग की हैं। ऐसी स्थिति में, ठेकेदार की निष्पादन गारंटी को निम्नलिखित समय सीमा के अंदर वापस कर दिया जाएगा;

- | | | |
|--|---|--------|
| i. यदि कार्य का निविदा मूल्य 45 लाख रु. तक है | : | 15 दिन |
| ii. यदि कार्य का निविदा मूल्य 45 लाख रु. से अधिक तथा 2.5 करोड़ रु. तक है | : | 21 दिन |
| iii. यदि कार्य का निविदा मूल्य 2.5 करोड़ रु. को पार कर जाता है | : | 30 दिन |

यदि लिखित समय सीमा के अन्दर कार्य निष्पादन गारंटी नहीं दी जाती है, तो लिखित समय सीमा समाप्ति की तारीख से ठेकेदार को कार्य निष्पादन गारंटी राशि पर प्रति मास 0.25 प्रतिशत पर सरल ब्याज अदा करना होगा। नुकसान इत्यादि के कारण ऐसी सम्भाव्यता के लिए मुआवजा 10 लाख रु.की अधिकतम सीमा के अधधीन निवेदित राशि का 0.25 प्रतिशत की दर से भुगतान योग्य होगा।

[k.M& 4

ऐसी किसी दशा में जिसमें इसके खण्ड 3 द्वारा भारसाधक इंजीनियर को प्रदत्त कोई शक्ति प्रयोग-योग्य हो जाए और उसका प्रयोग न किया जाए तो उसका प्रयोग न किया जाना इसकी किन्ही शर्तों का अधित्याग नहीं माना जाएगा और इसके होते हुए भी भविष्य में ठेकेदार द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में ऐसी शक्तियां प्रयोग की जा सकेंगी और प्रतिकर के लिए ठेकेदार का दायित्व अप्रभावित होगा। यदि भारसाधक इंजीनियर पूर्वगामी खण्ड के अधीन अपने में निहित सब शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग करे तो वह यदि चाहे तो ठेकेदार के या ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए गए और कार्य निष्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाने कि लिए आशयित उन सब या किन्हीं औजारों, संयंत्र सामान और सामग्री का, जो कार्य में अथवा उसके स्थल पर हों या उनके किसी भाग का उनके लिए ठेके की दरों पर या यदि ये लागू नहीं है तो भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित की जाने वाली चालू बाजार दरों पर, जिनके बारे में उसका प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा, संदाय करके या लेखे में अनुज्ञात करके ठेकेदार को लिखित सूचना देकर कब्जा ले सकेगा (या पूर्णतः भारसाधक इंजीनियर के विवेकानुसार, जो अन्तिम होगा) भाड़े पर प्रयुक्त कर सकेगा (भाड़ा धन की रकम भी अन्तिम रूप से भारसाधक इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाएगी) अन्यथा भारसाधक इंजीनियर लिखित सूचना द्वारा ठेकेदार को या कार्य पर उसके लिपिक को, फोरमैन को, या अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता को ऐसे औजार, संयंत्र, सामान या सामग्री को परिसर से (ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर) हटाने के लिए ओदश दे सकेगा और यदि ठेकेदार ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहे तो भारसाधक इंजीनियर उनको ठेकेदार के खर्च पर हटवा सकेगा या नीलाम द्वारा या ठेकेदार के लेखे और-सभी दृष्टियों से उनके जोखिम पर नीलाम करके बेच सकेगा और ऐसे किसी हटाए जाने के व्यय के और ऐसी बिक्री से प्राप्त रकम और व्यय के बारे में भारसाधक इंजीनियर का प्रमाण-पत्र ठेकेदार के विरुद्ध अन्तिम और निश्चयक होगा।

[k.M&5

अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट अनुसार कार्य निष्पादन के लिए अनुमत्य समय अथवा इन निबंधनों के अनुसार बढ़ाया गया समय ठेके के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस कार्य का निष्पादन, अनुसूची 'च' में उल्लिखित समयावधि या कार्यस्थल सौंपे जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, से आरम्भ किया जाएगा। यदि ठेकेदार उपर्युक्तानुसार कार्य निष्पादन प्रारंभ करने में त्रुटि करता है तो सरकार, अपने किसी भी अधिकार या कानून के तहत उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निष्पादन गारंटी पूरी तरह जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

[k.M 3 ds vlrxr
dkj bkbz u Hkh dh xbz
gks rks Hkh Bcdnkj
cfrdj ds Hkqrku
dk mUkjnk; h

foya ds fy, l e;
vkj l e; of)



5.1 As soon as possible after the Contract is concluded, the Contractor shall submit a Time and Progress Chart for each mile stone and get it approved by the Department. The Chart shall be prepared in direct relation to the time stated in the Contract documents for completion of items of the works. It shall indicate the forecast of the dates of commencement and completion of various trades of sections of the work and may be amended as necessary by agreement between the Engineer-in-Charge and the Contractor within the limitations of time imposed in the Contract documents, and further to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall in all cases in which the time allowed for any work, exceeds one month (save for special jobs for which a separate programme has been agreed upon) complete the work as per mile stones given in Schedule 'F'.

- (a) Project Management shall be done by using project management software for works costing more than Rs. 5 Crore.
- (b) The project management shall be done using M.S. Project software for works costing more than Rs. 5 Crore and up to Rs. 20 Crore.
For works costing more than Rs. 20 Crore, project management shall be done using Primavera Software.

PROGRAMME CHART

- (i) The Contractor shall prepare an integrated programme chart in MS Project/Primavera software for the execution of work, showing clearly all activities from the start of work to completion, with details of manpower, equipment and machinery required for the fulfillment of the programme within the stipulated period or earlier and submit the same for approval to the Engineer-in-Charge within ten days of award of the contract. A recovery of Rs. 2500/- (for works costing upto Rs. 20 Crores) / Rs. 5000/- (for works costing more than Rs. 20 Crores) shall be made on per day basis in case of delay in submission of the above programme.
- (ii) The programme chart should include the following:
 - (a) Descriptive note explaining sequence of the various activities.
 - (b) Network (PERT / CPM / BAR CHART).
 - (c) Programme for procurement of materials by the contractor.
Programme of procurement of machinery / equipments having adequate capacity, commensurate with the quantum of work to be done within the stipulated period, by the contractor. In addition to above, to achieve the progress of Work as per programme, the contractor must bring at site adequate shuttering material required for cement concrete and R.C.C. works etc. for three floors within one month from the date of start of work till the completion of RCC work as per requirement of work. The contractor shall submit shuttering schedule adequate to complete structure work within laid down physical milestone.
- (iii) If at any time, it appears to the Engineer-in-Charge that the actual progress of work does not conform to the approved programme referred above or after rescheduling of milestones, the contractor shall produce a revised programme within 7 (seven) days, showing the modifications to the approved programme to ensure timely completion of the work. The modified schedule of programme shall be approved by the Engineer in Charge. A recovery of Rs. 2500/- (for works costing upto Rs. 20 Crores) / Rs. 5000/- (for works costing more than Rs. 20 Crores) shall be made on per day basis in case of delay in submission of the modified programme.
- (iv) The submission for approval by the Engineer-in-Charge of such programme or such particulars shall not relieve the contractor of any of the duties or responsibilities under the contract. This is without prejudice to the right of Engineer-in-Charge to take action against the contractor as per terms and conditions of the agreement.



5-1 ठेके को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जितना जल्दी हो सके ठेकेदार प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक समय और प्रगति चार्ट प्रस्तुत करेगा और इसे विभाग से अनुमोदित कराएगा। ठेका कागजातों में कार्यमदों को पूरा करने के लिए दिए गए समय के सापेक्ष चार्ट तैयार किया जाएगा। इसमें पहले से ही कार्य प्रारंभ करने और कार्य के भागों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने की तारीखों का उल्लेख होगा और इन्हें ठेका कागजातों में बताई गई समय सीमाओं के अंदर आवश्यकतानुसार भारसाधक इंजीनियर और ठेकेदार के मध्य आपसी करार द्वारा संशोधित किया जा सकता है और आगे कार्य निष्पादन के दौरान अच्छी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार उन सभी मामलों में जिनमें किसी भी कार्य के लिए अनुमत्य समय एक माह से अधिक हो (उन विशेष कार्यों को छोड़ कर जिनके लिए विशेष कार्यक्रम तय किया गया है) उन्हें अनुसूची 'च' में दिए लक्ष्यों के अनुसार पूरा करेगा।

क. परियोजना का प्रबंधन 5 करोड़ रु. से अधिक की लागत के निर्माण कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर किया जाएगा।

ख. परियोजना का प्रबंधन 5 करोड़ रु. से अधिक तथा 20 करोड़ रु. तक की लागत के निर्माण कार्य के लिए एम एस परियोजना सॉफ्टवेयर का उपयोग कर किया जाएगा।

20 करोड़ रु. से अधिक लागत के निर्माण कार्य के लिए परियोजना का प्रबंधन प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर का उपयोग कर किया जाएगा।

कार्यक्रम तालिका

(i) ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर अथवा उससे पहले इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपेक्षित जन शक्ति, उपकरण और मशीनरी के विवरण के साथ कार्य के शुरू होने से पूरा होने तक के सभी क्रियाकलापों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए कार्य के कार्यान्वयन हेतु एम एस परियोजना/ प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर में एक एकीकृत कार्यक्रम तालिका बनाएगा तथा उसे संविदा देने के 10 दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। 2500/- रु. (20 करोड़ रु. तक की लागत के निर्माण कार्य के लिए)/5000/- रु. (20 करोड़ रु. से अधिक लागत के निर्माण कार्य के लिए) की वसूली उपर्युक्त कार्यक्रम की प्रस्तुति में विलंब के मामले में प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।

(ii) इस कार्यक्रम तालिका में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:-

क) विभिन्न क्रियाकलापों के क्रम का उल्लेख करते हुए विश्लेषणात्मक नोट

ख) नेटवर्क (पीईआरटी/सीपीएम/बार तालिका)

ग) ठेकेदार द्वारा सामग्री की खरीद के लिए कार्यक्रम:

ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किए जाने वाले कार्य की मात्रा के समानुपातिक एवं समुचित क्षमता वाले मशीनरी/उपकरणों की खरीद का कार्यक्रम। कार्यक्रम के अनुसार कार्य की प्रगति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त के अलावा ठेकेदार कार्य की आवश्यकता के अनुसार आरसीसी कार्य पूरा होने तक कार्य के शुरू होने की तिथि से एक महीने के भीतर 3 मंजिलों के लिए सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी कार्य आदि के लिए अपेक्षित समुचित शटरिंग सामग्री कार्यस्थल पर अवश्य लाए। ठेकेदार निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के भीतर ढांचा कार्य पूरा करने के लिए समुचित शटरिंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।

(iii) यदि किसी समय प्रभारी अभियंता को ऐसा लगता है कि कार्य की वास्तविक प्रगति ऊपर संदर्भित अनुमोदित कार्यक्रम अथवा लक्ष्यों के कार्यक्रम के पुनः निर्धारण के अनुरूप नहीं है तब ठेकेदार इस कार्य को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित कार्यक्रम में संशोधनों को दर्शाते हुए 7 (सात) दिनों के भीतर संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। कार्यक्रम का संशोधित समय कार्यक्रम का अनुमोदन प्रभारी अभियंता द्वारा किया जाएगा। 2500/- रु. (20 करोड़ रु. तक की लागत के निर्माण कार्य के लिए)/5000/- रु. (20 करोड़ रु. से अधिक लागत के निर्माण कार्य के लिए) की वसूली उपर्युक्त कार्यक्रम की प्रस्तुति में विलंब के मामले में प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।

(iv) ऐसे कार्यक्रम अथवा ऐसे विवरणों के प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुति से ठेकेदार इस संविदा के अंतर्गत किसी कर्तव्य अथवा जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा। यह प्रभारी अभियंता को करार



- (v) The contractor shall submit the progress report using MS Project/Primavira software with base line programme referred above for the work done during previous month to the Engineer-in-charge on or before 5th day of each month failing which a recovery Rs. 2500/- (for works costing upto Rs. 20 Crores) / Rs. 5000/- (for works costing more than Rs. 20 Crores) shall be made on per day basis in case of delay in submission of the monthly progress report.

5.2 If the work(s) be delayed by:-

- (i) force majeure, or
- (ii) abnormally bad weather, or
- (iii) serious loss or damage by fire, or
- (iv) civil commotion, local commotion of workmen, strike or lockout, affecting any of the trades employed on the work, or
- (v) delay on the part of other contractors or tradesmen engaged by Engineer-in- Charge in executing work not forming part of the Contract, or
- (vi) non-availability of stores, which are the responsibility of Government to supply or
- (vii) non-availability or break down of tools and Plant to be supplied or supplied by Government or
- (viii) any other cause which, in the absolute discretion of the Engineer-in-Charge is beyond the Contractor's control.

then upon the happening of any such event causing delay, the Contractor shall immediately give notice thereof in writing to the authority as indicated in Schedule 'F' but shall nevertheless use constantly his best endeavours to prevent or make good the delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the Engineer-in-Charge to proceed with the works.

- 5.3** Request for rescheduling of Mile stones and extension of time, to be eligible for consideration, shall be made by the Contractor in writing within fourteen days of the happening of the event causing delay on the prescribed form to the authority as indicated in Schedule 'F'. The Contractor may also, if practicable, indicate in such a request the period for which extension is desired.

- 5.4** In any such case the authority as indicated in Schedule 'F' may give a fair and reasonable extension of time and reschedule the mile stones for completion of work. Such extension or rescheduling of the milestones shall be communicated to the Contractor by the authority as indicated in Schedule 'F' in writing, within 3 months or 4 weeks of the date of receipt of such request respectively. Non application by the contractor for extension of time/ rescheduling of the milestones shall not be a bar for giving a fair and reasonable extension/ rescheduling of the milestones by the authority as indicated in Schedule 'F' and this shall be binding on the contractor.

CLAUSE 6

Measurements of Work Done

Engineer-in-Charge shall, except as otherwise provided, ascertain and determine by measurement, the value in accordance with the contract of work done.

All measurement of all items having financial value shall be entered in Measurement Book and/or level field book so that a complete record is obtained of all works performed under the contract.

All measurements and levels shall be taken jointly by the Engineer-in-Charge or his authorized representative and by the contractor or his authorized representative from time to time during the progress of the work and such measurements shall be signed and dated by the Engineer-



की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

- (v) ठेकेदार प्रत्येक माह की 5 तारीख को अथवा उसके पूर्व प्रभारी अभियंता को विगत माह के दौरान किए गए कार्य के लिए ऊपर संदर्भित बेस लाइन कार्यक्रम के साथ एम एस परियोजना/ प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके न किए जाने पर 2500/- रु. (20 करोड़ रु. तक की लागत के निर्माण कार्य के लिए)/5000/- रु. (20 करोड़ रु. से अधिक लागत के निर्माण कार्य के लिए) की वसूली मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति में विलंब के मामले में प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।

5-2 यदि कार्य/कार्यों में निम्नलिखित में से किसी कारण विलंब हो :-

- (i) अपरिहार्य घटना या
- (ii) बहुत खराब मौसम या
- (iii) आग के कारण हानि या क्षति या
- (iv) नागरिक अशान्ति, कर्मकारों की स्थानिक अशान्ति, हड़ताल या तालाबंदी जिसके कारण कार्य से संबंधित किसी भी कार्यकलाप पर प्रभाव पड़ता हो।
- (v) अन्य ठेकेदारों द्वारा किया गया विलंब या ठेके से अलग, कार्य निष्पादन के लिए भारसाधक इंजीनियर द्वारा लगाए गए कामगारों द्वारा किया गया विलंब
- (vi) भण्डार की अनुपलब्धता जिसकी आपूर्ति सरकार का दायित्व है।
- (vii) सरकार द्वारा दिए जाने वाले या दिए गए औजार एवं संयंत्र की अनुपलब्धता या विफलता या
- (viii) कोई भी अन्य कारण जो भारसाधक इंजीनियर के विचार में ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर हो।

ऐसी किसी घटना के कारण होने वाले विलंब पर ठेकेदार तत्काल अनुसूचि 'च' में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उसका लिखित नोटिस देगा और फिर भी लगातार यह भरसक प्रयास करेगा कि और विलंब न हो या विलंब की भरपाई हो और कार्य को जारी रखने के लिए जैसा भी अपेक्षित होगा वह सब भारसाधक इंजीनियर की संतुष्टि से करेगा।

5-3 विलंब करने वाली घटना होने के चौदह दिन के भीतर ठेकेदार द्वारा अनुसूचि 'च' में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में लक्ष्यों को दोबारा अनुसूचित करने तथा समय बढ़ाने के लिए लिखित अनुरोध किया जाएगा और तभी इस पर विचार किया जाएगा। यदि व्यवहार्य हो तो ठेकेदार ऐसे अनुरोध में उस अवधि का उल्लेख कर सकता है जिसके लिए बढ़त वांछित है।

5-4 ऐसे किसी भी मामले में अनुसूचि 'च' में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कार्य पूरा करने के लिए समय में उचित एवं औचित्यपूर्ण वृद्धि तथा लक्ष्यों को दोबारा अनुसूचित कर सकता है। अनुसूचि 'च' में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस आशय का अनुरोध प्राप्त करने की तारीख के 3 महीने अथवा 4 सप्ताह के भीतर ठेकेदार को ऐसी वृद्धि अथवा लक्ष्यों की समय सीमा का पुनर्निर्धारण क्रमशः की लिखित सूचना दी जाएगी। समय में वृद्धि अथवा लक्ष्यों की समय सीमा का पुनर्निर्धारण के लिए ठेकेदार द्वारा आवेदन न करने से अनुसूचि 'च' में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित और औचित्यपूर्ण वृद्धि देने पर रोक नहीं लगेगी और यह ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

[k.M&6

भारसाधक इंजीनियर, जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, ठेके के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य पैमाइश द्वारा सुनिश्चित और अवधारण करेगा।

वित्तीय मूल्य की सभी मदों की सभी पैमाइशों माप बही और या लेवल फील्ड बुक में दर्ज की जाएंगी ताकि ठेके के तहत किए गए सभी कार्यों का पूरा रिकार्ड तैयार हो जाए।

भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य की प्रगति के दौरान समय-समय पर सभी पैमाइशों और तल मापन संयुक्त रूप से ली जाएंगी और ऐसी पैमाइशों पर भार साधक इंजीनियर और ठेकेदार या उनके प्रतिनिधि अपनी स्वीकृति के रूप में दिनांक सहित हस्ताक्षर करेंगे; यदि ठेकेदार दर्ज की गई किसी पैमाइश के संबंध में आपत्ति उठाता है

fd, x, dk; l dh
eki



in-Charge and the contractor or their representatives in token of their acceptance. If the contractor objects to any of the measurements recorded, a note shall be made to that effect with reason and signed by both the parties.

If for any reason the contractor or his authorized representative is not available and the work of recording measurements is suspended by the Engineer-in-Charge or his representative, the Engineer-in-Charge and the Department shall not entertain any claim from contractor for any loss or damages on this account. If the contractor or his authorized representative does not remain present at the time of such measurements after the contractor or his authorized representative has been given a notice in writing three (3) days in advance or fails to countersign or to record objection within a week from the date of the measurement, then such measurements recorded in his absence by the Engineer-in-Charge or his representative shall be deemed to be accepted by the Contractor.

The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for measurements and recording levels.

Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the specifications notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of measurement or any general or local custom. In the case of items which are not covered by specifications, measurements shall be taken in accordance with the relevant standard method of measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available, then a mutually agreed method shall be followed.

The contractor shall give, not less than seven days' notice to the Engineer-in-Charge or his authorized representative in charge of the work, before covering up or otherwise placing beyond the reach of measurement any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-Charge or his authorized representative in charge of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered up or placed beyond the reach of measurements without such notice having been given or the Engineer-in-Charge's consent being obtained in writing, the same shall be uncovered at the Contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Engineer-in-Charge or his authorized representative may cause either themselves or through another officer of the department to check the measurements recorded jointly or otherwise as aforesaid and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels.

It is also a term of this contract that recording of measurements of any item of work in the measurement book and/or its payment in the interim, on account or final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.

CLAUSE 6A

Engineer-in-Charge shall, except as otherwise provided, ascertain and determine by measurement the value of work done in accordance with the contract.

All measurements of all items having financial value shall be entered by the contractor and compiled in the shape of the Computerized Measurement Book having pages of A-4 size as per the format of the department so that a complete record is obtained of all the items of works performed under the contract.



तो उस आशय की एक टिप्पणी कारणों सहित बनाई जाएगी और दोनों पक्ष उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

यदि किसी भी कारण से ठेकेदार या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध न हो और भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा माप दर्ज करने का कार्य रोक दिया जाता है तो इसके कारण होने वाली हानि या नुकसान के संबंध में ठेकेदार के किसी भी दावे को भारसाधक इंजीनियर और विभाग स्वीकार नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके प्राधिकृत को तीन दिन का अग्रिम लिखित नोटिस देने के बाद भी यदि ठेकेदार या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसी पैमाइश करते समय उपस्थित नहीं रहता या प्रतिहस्ताक्षर नहीं करता या पैमाइश के एक सप्ताह के भीतर आपत्ति दर्ज करने में असफल रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में भारसाधक इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा की गई ऐसी पैमाइशों को ठेकेदार द्वारा स्वीकृत माना जाएगा।

ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के पैमाइश और तल मापन के लिए प्रत्येक उपकरण, श्रम और अन्य आवश्यक चीजों के साथ समस्त सहायता उपलब्ध कराएगा।

जहां कार्य का कोई भी सामान्य या विस्तृत विवरण स्पष्ट : अलग दिया गया हो, उन्हें छोड़कर, पैमाइशें बताई गई पद्धति के अनुसार ली जाएंगी चाहे माप की संबंधित मानक विधि या किसी सामान्य या स्थानीय विधि में कोई भी प्रावधान क्यों न हो। ऐसी मदों के मामले में, जो विनिर्देशों के अन्तर्गत नहीं आती, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी की गई माप की संबंधित मानक विधि के अनुसार पैमाइश की जाएगी और यदि किसी मद के लिए ऐसा मानक उपलब्ध न हो तो आपस में तय की गई विधि अपनाई जाएगी।

ठेकेदार कोई भी ऐसा कार्य, जिसे ढकना हो या जिसे बाद में मापा न जा सके, करने से पहले कार्य के भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सात दिन से कम का नोटिस नहीं देगा ताकि उसे ढकने, या ऐसा कार्य जिसे बाद में मापा न जा सके, करने से पहले उसे मापा जा सके और सही माप ली जा सके और कार्य को भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की, जो उपर्युक्त सात दिन की अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा, लिखित सहमति के बिना नहीं ढकेगा या ऐसा कार्य, जिसे बाद में मापा न जा सके, नहीं करेगा। यदि ऐसा नोटिस दिए बगैर या भारसाधक इंजीनियर की लिखित सहमति लिए बिना कोई कार्य ढक दिया जाता है या ऐसा जिसे बाद में मापा न जा सके तो उसे ठेकेदार के खर्चे पर खोला जाएगा और इसके कारण आई खराबी में ऐसे कार्य या इसके निष्पादन में प्रयुक्त सामग्रियों के लिए उसे कोई छूट नहीं दी जाएगी या कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

भारसाधक इंजीनियर या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि संयुक्त या उपर्युक्तानुसार अन्य तरह से दर्ज की गई मापों की स्वयं या विभाग के अन्य अधिकारी द्वारा जांच करा सकते हैं और इसमें ऊपर निर्धारित सभी प्रावधान मापों या तल मापन की ऐसी जांच पर भी लागू होंगे।

इस ठेके में यह भी शर्त है कि माप बही में कार्य की किसी भी मद की माप दर्ज होने या अंतरिम, लेखागत अथवा अंतिम बिल में उसका भुगतान होना इस बात का एकमेव प्रमाण नहीं होगा कि उससे संबंधित कोई कार्य या सामग्री संतोषजनक है और इसके तहत ठेकेदार किसी अधिक पैमाइश या त्रुटि दायित्व अवधि समाप्त होने तक पाई गई त्रुटियों के दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

[kM6 d

भारसाधक इंजीनियर, बशर्ते कि अन्यथा प्रावधान न हो, ठेके के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य पैमाइश द्वारा सुनिश्चित / निर्धारित करेगा वित्तीय मूल्य की सभी मदों के सभी प्रकार के मूल्यांकन की प्रविष्टि ठेकेदार द्वारा की जाएगी और इसे विभाग के फॉरमेट के अनुरूप ए-4 आकार के पृष्ठों की कम्प्यूटरीकृत पैमाइश पुस्तक के रूप में संकलित किया जाएगा, ताकि ठेके के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों की सभी मदों से संबंधित पूरा रिकार्ड प्राप्त कर लिया जाए।

कार्य की प्रगति के दौरान ठेकेदार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर रिकार्ड किए गए ऐसी सभी पैमाइशों और लेवलों का भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से परामर्श करके निर्धारित समय-समय पर या कार्यक्रम के अनुसार

dEl; Wjhd'r eki
i qLrdk



All such measurements and levels recorded by the contractor or his authorized representative from time to time, during the progress of the work, shall be got checked by the contractor from the Engineer-in-Charge or his authorized representative as per interval or program fixed in consultation with Engineer-in-Charge or his authorized representative. After the necessary corrections made by the Engineer-in-Charge, the measurement sheets shall be returned to the contractor for incorporating the corrections and for resubmission to the Engineer-in-Charge for the dated signatures by the Engineer-in-Charge and the contractor or their representatives in token of their acceptance.

Whenever bill is due for payment, the contractor would initially submit draft computerized measurement sheets and these measurements would be got checked/test checked from the Engineer-in-Charge and/or his authorized representative. The contractor will, thereafter, incorporate such changes as may be done during these checks/test checks in his draft computerized measurements, and submit to the department a computerized measurement book, duly bound, and with its pages machine numbered. The Engineer-in-Charge and/or his authorized representative would thereafter check this MB, and record the necessary certificates for their checks/test checks.

The final, fair, computerized measurement book given by the contractor, duly bound, with its pages machine numbered, should be 100% correct, and no cutting or over-writing in the measurements would thereafter be allowed. If at all any error is noticed, the contractor shall have to submit a fresh computerized MB with its pages duly machine numbered and bound, after getting the earlier MB cancelled by the department. Thereafter, the MB shall be taken in the Divisional Office records, and allotted a number as per the Register of Computerised MBs. This should be done before the corresponding bill is submitted to the Division Office for payment. The contractor shall submit two spare copies of such computerized MB's for the purpose of reference and record by the various officers of the department.

The contractor shall also submit to the department separately his computerized Abstract of Cost and the bill based on these measurements, duly bound, and its pages machine numbered along with two spare copies of the "bill. Thereafter, this bill will be processed by the Division Office and allotted a number as per the computerized record in the same way as done for the measurement book meant for measurements.

The contractor shall, without extra charge, provide all assistance with every appliance, labour and other things necessary for checking of measurements/levels by the Engineer-in-Charge or his representative.

Except where any general or detailed description of the work expressly shows to the contrary, measurements shall be taken in accordance with the procedure set forth in the specifications notwithstanding any provision in the relevant Standard Method of measurement or any general or local custom. In the case of items which are not covered by specifications, measurements shall be taken in accordance with the relevant standard method of measurement issued by the Bureau of Indian Standards and if for any item no such standard is available then a mutually agreed method shall be followed.

The contractor shall give not less than seven days' notice to the Engineer-in-Charge or his authorized representative in charge of the work before covering up or otherwise placing beyond the reach of checking and/or test checking the measurement of any work in order that the same may be checked and/or test checked and correct dimensions thereof be taken before the same is covered up or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurement and shall not cover up and place beyond reach of measurement any work without consent in writing of the Engineer-in-Charge or his authorized representative in charge of the work who shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any



ठेकेदार द्वारा निरीक्षण कराया जाएगा। भारसाधक इंजीनियर द्वारा आवश्यक संशुद्धियों के बाद पैमाइश शीटों को ठेकेदार को लौटा दिया जाएगा ताकि संशुद्धियों को समाविष्ट किया जा सके और भारसाधक इंजीनियर और ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप उनके दिनांकित हस्ताक्षरों के लिए इन्हें भारसाधक इंजीनियर को पुनः प्रस्तुत किया जा सके।

जब बिल भुगतान के लिए देय होता है, ठेकेदार शुरू में प्रारूप कम्प्यूटरीकृत पैमाइश शीटों को प्रस्तुत करेगा और इन पैमाइश शीटों का भारसाधक इंजीनियर और अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से निरीक्षण/टेस्ट जांच कराया जाएगा। इसके बाद ठेकेदार इन जांच/परीक्षण जांच के दौरान किए जाने वाले ऐसे परिवर्तनों को अपनी कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन शीटों के प्रारूप में समाविष्ट करेगा और विधिवत् जिल्द बन्द, मशीनी नम्बरों के पृष्ठों वाली कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन पुस्तक विभाग को प्रस्तुत करेगा।

ठेकेदार द्वारा विधिवत् जिल्दबन्द, मशीनी नम्बरों के पृष्ठों से युक्त कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन पुस्तक की अंतिम, स्वच्छ प्रति शत-प्रतिशत सही होनी चाहिए और इसके बाद मूल्यांकन शीटों में कोई कांट छांट या अधिलेखन (ओवरराइटिंग) की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई त्रुटि देखने में आती है, तो ठेकेदार को विभाग से पूर्ववर्ती मूल्यांकन पुस्तक को रद्द कराने के बाद, विधिवत् जिल्द बन्द और मशीनी नम्बरों के पृष्ठों से युक्त नई कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन पुस्तक प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद, मूल्यांकन पुस्तक को मंडल कार्यालय के रिकार्डों में रखा जाएगा और मूल्यांकन पुस्तकों से संबंधित कम्प्यूटरीकृत रजिस्टर के अनुसार उचित नम्बर दिया जाएगा। मंडल कार्यालय में भुगतान के लिए तत्संबंधी बिल के प्रस्तुत होने से पहले यह हो जाना चाहिए। ठेकेदार विभाग के विभिन्न अधिकारियों के संदर्भ और रिकार्ड के प्रयोजन से इन कम्प्यूटरीकृत मूल्यांकन पुस्तकों की दो अतिरिक्त प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा।

ठेकेदार कम्प्यूटरीकृत लागत का सार तथा विधिवत् जिल्दबन्द और मशीनी नम्बरों से युक्त पृष्ठों वाली इन मूल्यांकन पुस्तकों पर आधारित बिल की भी दो अतिरिक्त प्रतियाँ सहित अलग से प्रस्तुत करेगा इसके उपरान्त इस बिल पर मंडल कार्यालय द्वारा कार्यवाई की जाएगी और मूल्यांकन के निमित्त मूल्यांकन पुस्तकों को दिए गए नम्बर की तर्ज पर कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार नम्बर दिया जाएगा।

ठेकेदार अतिरिक्त प्रभार लिए बिना भारसाधक इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा मूल्यांकनों/लेवलों की जांच किए जाने के लिए जरूरी हर उपकरण, श्रम और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करेगा।

मूल्यांकन की प्रासंगिक मानक पद्धति या किसी सामान्य अथवा स्थानीय पद्धति में कोई अन्यथा प्रावधान होने के बावजूद भी मूल्यांकनों को विनिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि कार्य के किसी सामान्य या विस्तृत विवरण में स्पष्टतया उक्त प्रक्रिया के विपरीत उल्लेख किया गया हो। उन मदों, जो विनिर्देशों के अन्तर्गत नहीं आती हैं, के मामले में मूल्यांकन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मूल्यांकन की प्रासंगिक मानक पद्धति के अनुसार किए जाएंगे और यदि किसी मद विशेष के लिए कोई मानक उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में आपसी सहमति से तय पद्धति को अपनाया जाएगा।

ठेकेदार किसी कार्य की पैमाइश को कवर अप करने या उसे चेकिंग (जांच) और अथवा टेस्ट चेकिंग से अन्यथा बाहर रखने से पहले भारसाधक इंजीनियर या उसके कार्य के प्रभारी प्राधिकृत प्रतिनिधि को कम से कम सात दिन का नोटिस देगा ताकि उसकी जांच और/टेस्ट चेकिंग की जा सके और कवर अप करने या पैमाइश की चेकिंग/टेस्ट चेकिंग करने से पहले उसका सही परिमाण लिया जा सके तथा वह ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर या उसके कार्य के प्राधिकृत प्रभारी प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना किसी कार्य की पैमाइश को कवर अप नहीं करेगा और पैमाइश से बाहर नहीं रखेगा और संबंधित भारसाधक इंजीनियर या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सात दिन की उपर्युक्त अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि भारसाधक इंजीनियर की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना कोई कार्य कवर अप किया जाएगा या पैमाइश की जांच/टेस्ट चेकिंग से बाहर रखा जाएगा तो इसे ठेकेदार के खर्च पर संसाधित किया जाएगा और खर्च न देने पर ऐसे निष्पादित कार्य या उसमें लगी सामग्री के लिए उसे कोई भुगतान या भत्ता नहीं दिया जाएगा।



work shall be covered up or placed beyond the reach of checking and/or test checking measurements without such notice having been given or the Engineer-in-Charge's consent being obtained in writing the same shall be uncovered at the Contractor's expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

Engineer-in-Charge or his authorized representative may cause either themselves or through another officer of the department to check the measurements recorded by contractor and all provisions stipulated herein above shall be applicable to such checking of measurements or levels.

It is also a term of this contract that checking and/or test checking the measurements of any item of work in the measurement book and/or its payment in the interim, on account of final bill shall not be considered as conclusive evidence as to the sufficiency of any work or material to which it relates nor shall it relieve the contractor from liabilities from any over measurement or defects noticed till completion of the defects liability period.

CLAUSE 7

Payment on Intermediate Certificate to be Regarded as Advances

No payment shall be made for work, estimated to cost Rs. Twenty thousand or less till after the whole of the work shall have been completed and certificate of completion given. For works estimated to cost over Rs. Twenty thousand, the interim or running account bills shall be submitted by the contractor for the work executed on the basis of such recorded measurements on the format of the Department in triplicate on or before the date of every month fixed for the same by the Engineer-in-Charge. The contractor shall not be entitled to be paid any such interim payment if the gross work done together with net payment/adjustment of advances for material collected, if any, since the last such payment is less than the amount specified in Schedule 'F', in which case the interim bill shall be prepared on the appointed date of the month after the requisite progress is achieved. Engineer-in-Charge shall arrange to have the bill verified by taking or causing to be taken, where necessary, the requisite measurements of the work. In the event of the failure of the contractor to submit the bills, Engineer-in-Charge shall prepare or cause to be prepared such bills in which event no claims whatsoever due to delays on payment including that of interest shall be payable to the contractor. Payment on account of amount admissible shall be made by the Engineer-in-Charge certifying the sum to which the contractor is considered entitled by way of interim payment at such rates as decided by the Engineer-in-Charge. The amount admissible shall be paid by 10th working day after the day of presentation of the bill by the Contractor to the Engineer-in-Charge or his Asstt. Engineer together with the account of the material issued by the department, or dismantled materials, if any. In the case of works outside the headquarters of the Engineer-in-Charge, the period of ten working days will be extended to fifteen working days. In case of delay in payment of intermediate bills after 45 days of submission of bill by the contractor provided the bill submitted by the contractor found to be in order, a simple interest @ 7.5% per annum shall be paid to the contractor from the date of expiry of prescribed time limit which will be compounded on yearly basis.

All such interim payments shall be regarded as payment by way of advances against final payment only and shall not preclude the requiring of bad, unsound and imperfect or unskilled work to be rejected, removed, taken away and reconstructed or re-erected. Any certificate given by the Engineer-in-Charge relating to the work done or materials delivered forming part of such payment, may be modified or corrected by any subsequent such certificate(s) or by the final certificate and shall not by itself be conclusive evidence that any work or materials to which it relates is/are in accordance with the contract and specifications. Any such interim payment, or any part thereof shall not in any respect conclude, determine or affect in any way powers of the Engineer-in-Charge under the contract or any of such payments be treated



भारसाधक इंजीनियर या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ठेकेदार द्वारा दर्ज की गई मापों की स्वयं या विभाग के अन्य अधिकारी द्वारा जांच करा सकते हैं और इसमें ऊपर निर्धारित सभी प्रावधान मापों या तल मापन की ऐसी जांच पर भी लागू होंगे।

इस ठेके में यह भी शर्त है कि माप बही में कार्य की किसी भी मद की चेकिंग / टेस्ट चेकिंग होने या अंतरिम, लेखागत अथवा अंतिम बिल में उसका भुगतान होना इस बात का एकमेव प्रमाण नहीं होगा कि उससे संबंधित कोई कार्य या सामग्री संतोषजनक है और इसके तहत ठेकेदार किसी अधिक पैमाइश या त्रुटि दायित्व अवधि समाप्त होने तक पाई गई त्रुटियों के दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

[k.M 7

बीस हजार रूपए अथवा इससे कम की प्राकलित लागत वाले कार्य के लिए कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संपूर्ण कार्य पूरा न हो जाए और पूरा होने का प्रमाण पत्र न दे दिया गया हो। बीस हजार रूपए से अधिक की प्राकलित लागत वाले कार्यों के लिए ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य के लिए इस प्रकार दर्ज मापों के आधार पर विभाग के प्रपत्र पर तीन प्रतियों में अंतरिम या चल लेखा बिल, भारसाधक इंजिनियर द्वारा, इस आशय के लिए निश्चित की गई प्रत्येक माह की तारीख तक या उससे पहले प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि, पिछले ऐसे भुगतान के बाद किए गए शुद्ध भुगतान / एकत्र की गई सामग्रियों यदि हों, के लिए अग्रिमों के समायोजन सहित कुल किया गया कार्य अनुसूची (च) में निर्दिष्ट राशि से कम हो तो ठेकेदार किसी भी अंतरिम भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा और ऐसे मामले में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने के बाद माह की निश्चित तारीख को अंतरिम बिल तैयार किया जाएगा। भारसाधक इंजीनियर, जहां आवश्यक हो कार्य की आवश्यक माप लेकर / या माप करवा के बिल सत्यापित करेगा। यदि ठेकेदार बिल प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो भारसाधक इंजीनियर बिल तैयार करेगा या करवाएगा और भुगतान में विलम्ब के कारण किसी भी दावे का, ब्याज के दावे सहित, ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। भारसाधक इंजीनियर द्वारा निश्चित की गई दरों पर अंतरिम भुगतान के रूप में ठेकेदार जितनी राशि का पात्र होगा उसे प्रमाणित करके अनुमत्य राशि का भुगतान भारसाधक इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा भारसाधक इंजीनियर या उसके सहायक इंजीनियर को विभाग द्वारा जारी सामग्री या तोड़ फोड़ से प्राप्त सामग्रियां, यदि कोई हों, के लेखा सहित बिल प्रस्तुत करने की तारीख के बाद 10वें कार्यदिवस तक अनुमत्य राशि का भुगतान किया जाएगा। भारसाधक इंजीनियर के मुख्यालय से बाहर के कार्यों के मामले में 10 कार्य दिवसों की अवधि को 15 कार्य दिवसों तक बढ़ाया जाएगा। ठेकेदार द्वारा बिल की प्रस्तुति के 45 दिनों के बाद अंतरिम बिलों के भुगतान में विलंब होने पर बशर्ते ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल सही पाया गया हो, ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने की तिथि से 7.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से सरल ब्याज देय होगा जो कि वार्षिक आधार पर बढ़कर देय होगा।

ऐसे सभी अंतरिम भुगतानों को केवल अंतिम भुगतान के प्रति अग्रिमों के रूप में भुगतान माना जाएगा और इससे खराब, दोषपूर्ण और अपूर्ण या अकुशल कार्य को अस्वीकृत / हटाने और ले जाने की और उसका पुनः सन्निर्माण करने या उसे फिर से स्थापित करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा। ऐसे भुगतान के भाग के रूप में किए गए कार्य या दी गई सामग्रियों के संबंध में भारसाधक इंजीनियर द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को बाद के किसी भी प्रमाण पत्र (पत्रों) या अंतिम प्रमाण पत्र द्वारा संशोधित या सुधार किया जा सकता है और यह अपने आप में इस बात का एकमेव प्रमाण नहीं होगा कि कोई कार्य या सामग्रियां, जिनसे वह संबंधित हो, ठेका और विनिर्देशों के अनुरूप हैं। ऐसा कोई भी अंतरिम भुगतान या उसका कोई भाग, ठेके के तहत भारसाधक इंजीनियर की शक्तियों को किसी भी रूप में पर्यवसित, समाप्त या प्रभावित नहीं करेगा और न ही ऐसे किसी भुगतान को लेखाओं का अंतिम परिनिर्धारण और समायोजन माना जाएगा या न किसी अन्य रूप में ठेके में फेरबदल या उसको प्रभावित करेगा।

कार्य समापन की तारीख में वृद्धि विचाराधीन होते हुए भी इसमें दिए गए अनुसार अंतरिम भुगतान किया जाता रहेगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य समापन की तारीख में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाती है तो कार्य समापन में विलंब के लिए इस ठेके की शर्तों के तहत कार्रवाई करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

eè; orh çek.k i = ij
fn, x, Hkqrku dks
vfxæ ekuk tk, xk



as final settlement and adjustment of accounts or in any way vary or affect the contract.

Pending consideration of extension of date of completion, interim payments shall continue to be made as herein provided without prejudice to the right of the department to take action under the terms of this contract for delay in the completion of work, if the extension of date of completion is not granted by the competent authority.

The Engineer-in-Charge in his sole discretion on the basis of a certificate from the Asstt. Engineer to the effect that the work has been completed up to the level in question make interim advance payments without detailed measurements for work done (other than foundations, items to be covered under finishing items) up to lintel level (including sunshade etc.) and slab level, for each floor working out at 75% of the assessed value. The advance payments so allowed shall be adjusted in the subsequent interim bill by taking detailed measurements thereof.

**Payments in
composite
Contracts**

In case of composite tenders, running payment for the major component shall be made by EE of major discipline to the main contractor. Running payment for minor component shall be made by the Engineer-in-Charge of the discipline of minor component directly to the main contractor.

In case main contractor fails to make the payment to the contractor associated by him within 15 days of receipt of each running account payment, then on the written complaint of contractor associated for such minor component, Engineer in charge of minor component shall serve the show cause to the main contractor and if reply of main contractor either not received or found unsatisfactory, he may make the payment directly to the contractor associated for minor component as per the terms and conditions of the agreement drawn between main contractor and associate contractor fixed by him. Such payment made to the associate contractor shall be recovered by Engineer-in-charge of major or minor component from the next R/A/ final bill due to main contractor as the case may be.

CLAUSE 8

**Completion
Certificate and
Completion Plans**

Within ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the Engineer-in-Charge and within thirty days of the receipt of such notice, the Engineer-in-Charge shall inspect the work and if there is no defect in the work, shall furnish the contractor with a final certificate of completion, otherwise a provisional certificate of physical completion indicating defects (a) to be rectified by the contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates, shall be issued. But no final certificate of completion shall be issued, nor shall the work be considered to be complete until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangements required for his/their work people on the site in connection with the execution of the works as shall have been erected or constructed by the contractor(s) and cleaned off the dirt from all wood work, doors, windows, walls, floor or other parts of the building, in, upon, or about which the work is to be executed or of which he may have had possession for the purpose of the execution; thereof, and not until the work shall have been measured by the Engineer-in-Charge. If the contractor shall fail to comply with the requirements of this Clause as to removal of scaffolding, surplus materials and rubbish and all huts and sanitary arrangements as aforesaid and cleaning off dirt on or before the date fixed for the completion of work, the Engineer-in-Charge may at the expense of the contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc., and dispose of the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid, and the contractor shall have no claim in respect of scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realized by the sale thereof.



सहायक इंजीनियर द्वारा दिए गए इस आशय के प्रमाणपत्र के आधार पर, कि प्रसंगाधीन कार्य अपेक्षित स्तर तक पूरा कर लिया गया है, भारसाधक इंजीनियर अपने स्वयं के निर्णयनुसार सरदल स्तर (सन शेड आदि सहित) और स्लैब स्तर तक किए गए कार्य (नींव और संपूर्ति मर्दों के अन्तर्गत आने वाली मर्दों को छोड़कर) की विस्तृत माप लिए बिना हर मंजिल के लिए आकलित मूल्य का 75 प्रतिशत अंतरिम अग्रिम भुगतान कर सकता है। इस प्रकार अनुमत्य अग्रिम भुगतान को उनकी विस्तृत माप लेकर बाद के अंतरिम बिल में समायोजित किया जाएगा।

संयुक्त निविदाओं के मामले में कार्य के बड़े हिस्से के लिए चालू भुगतान मुख्य हिस्से के कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्य ठेकेदार को किया जाएगा। लघु अवयवों के लिए चालू भुगतान लघु भाग के प्रभारी अभियंता द्वारा मुख्य ठेकेदार को सीधे ही कर दिया जाएगा।

यदि मुख्य ठेकेदार उसके द्वारा संबद्ध ठेकेदार को प्रत्येक चालू खाता भुगतान की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो कार्य के छोटे हिस्से के लिए संबद्ध ठेकेदार की लिखित शिकायत पर लघु भाग के प्रभारी अभियंता, मुख्य ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और यदि मुख्य ठेकेदार का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है या संतोष जनक नहीं पाया जाता है, तो वह लघु हिस्से के लिए सम्बद्ध ठेकेदार को उस करार की उन शर्तों और निबंधनों पर सीधे ही भुगतान कर सकता है जो मुख्य ठेकेदार और उसके द्वारा निर्धारित संबद्ध ठेकेदार के बीच तैयार की गई थी। संबद्ध ठेकेदार को किया गया यह भुगतान मुख्य या छोटे हिस्से के प्रभारी अभियंता द्वारा मुख्य ठेकेदार के अगले चालू खाता/अंतिम बिल, जैसा भी मामला हो, से वसूल लिया जाएगा।

[k.M 8

कार्य के पूरा होने के दस दिन के भीतर ठेकेदार ऐसे पूरे होने की सूचना भारसाधक इंजीनियर को देगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर भारसाधक इंजीनियर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई दोष न हो तो ठेकेदार को अंतिम समापन प्रमाण पत्र देगा अन्यथा ऐसे दोष (क) जो ठेकेदार द्वारा ठीक किए जाने हैं और या (ख) जिनके लिए संदाय घटी हुई दरों पर किया जाएगा, उपदर्शित करते हुए भौतिक रूप में कार्य पूरा होने का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, किन्तु जब तक ठेकेदार उस परिसर से, जिस पर कार्य निष्पादित किया गया है, सब पाड़, बचा हुआ सामान, कूड़ा-करकट और सभी झोपड़ियां तथा सफाई व्यवस्थाएं, जो ठेकेदार (रों) कर्मकारों के लिए स्थल पर कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में अपेक्षित हों और उसके/उनके द्वारा परिनिर्मित या सन्निर्मित हों, हटा न दे और जब तक सभी काष्ठ की चीजों, दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों, फर्शों या भवन के, जिसमें, जिस पर या जिसके निकट कार्य निष्पादित किया जाना है, या जिसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए वह उनके कब्जे में रहा हो, अन्य भागों से गन्दगी साफ न कर दे और जब तक भारसाधक इंजीनियर द्वारा कार्य की माप न करली गई हो तब तक पूरा होने का, अन्तिम प्रमाण-पत्र न तो जारी किया जाएगा और न कार्य ही पूरा हुआ माना जाएगा। यदि ठेकेदार कार्य के पूरा करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व यथापूर्वोक्त पाड़ तथा बचे हुए सामान और कूड़ा-करकट और सभी झोपड़ियों तथा सफाई व्यवस्था को हटाने के और गन्दगी साफ करने के सम्बन्ध में इस खण्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहेगा तो भारसाधक इंजीनियर ठेकेदार के व्यय पर ऐसे पाड़, बचे हुए सामान और कूड़ा-करकट आदि हटा सकेगा और जिस प्रकार वह उचित समझे उसका निपटान कर सकेगा और ऐसी गन्दगी की सफाई कर सकेगा और ठेकेदार का, यथापूर्वोक्त, ऐसे पाड़, बचे हुए सामान के बारे में, उसकी बिक्री द्वारा वस्तुतः प्राप्त किसी राशि के सिवाय कोई दावा नहीं होगा।

I a 0r fufonkvka
ea Hkqrku

I eki u çek.k i =
vlg I eki u
vk; kst uk, a

**CLAUSE 8A****Contractor to Keep Site Clean**

When the annual repairs and maintenance of works are carried out, the splashes and droppings from white washing, colour washing, painting etc., on walls, floor, windows, etc shall be removed and the surface cleaned simultaneously with the completion of these items of work in the individual rooms, quarters or premises etc. where the work is done: without waiting for the actual completion of all the other items of work in the contract. In case the contractor fails to comply with the requirements of this clause, the Engineer-in-Charge shall have the right to get this work done at the cost of the contractor either departmentally or through any other agency. Before taking such action, the Engineer-in-Charge shall give ten days notice in writing to the contractor.

CLAUSE 8B**Completion Plans to be Submitted by the Contractor**

The contractor shall submit completion plan as required vide General Specifications for Electrical works (Part-I internal) 2005 and (Part-II External) 1994 as applicable within thirty days of the completion of the work.

In case, the contractor fails to submit the completion plan as aforesaid, he shall be liable to pay a sum equivalent to 2.5% of the value of the work subject to a ceiling of Rs.15,000 (Rs. Fifteen thousand only) as may be fixed by the Superintending Engineer concerned and in this respect the decision of the Superintending Engineer shall be final and binding on the contractor.

The contractor shall submit completion plan for water, sewerage and drainage line plan within thirty days of the completion of the work.

In case, the contractor fails to submit the completion plan as aforesaid, , the department will get it done through other agency at his cost and actual expenses incurred plus Rs. 15,000/- for the same shall be recovered from the contractor.

CLAUSE 9**Payment of Final Bill**

The final bill shall be submitted by the contractor in the same manner as specified in interim bills within three months of physical completion of the work or within one month of the date of the final certificate of completion furnished by the Engineer-in-Charge whichever is earlier. No further claims shall be made by the contractor after submission of the final bill and these shall be deemed to have been waived and extinguished. Payments of those items of the bill in respect of which there is no dispute and of items in dispute, for quantities and rates as approved by Engineer-in-Charge, will, as far as possible be made within the period specified hereinunder, the period being reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer-in-Charge or his authorized Asstt. Engineer, complete with account of materials issued by the Department and dismantled materials.

- | | |
|---|----------|
| (i) If the Tendered value of work is up to Rs. 45 lac : | 2 months |
| (ii) If the Tendered value of work is more than Rs.45 lac and up to Rs. 2.5 Crore : | 3 months |
| (iii) If the Tendered value of work exceeds Rs. 2.5 Crore : | 6 months |

In case of delay in payment of final bills after prescribed time limit, a simple interest @ 7.5% per annum shall be paid to the contractor from the date of expiry of prescribed time limit which will be compounded on yearly basis, provided the final bill submitted by the contractor found to be in order.

CLAUSE 9A**Payment of Contractor's Bills to Banks**

Payments due to the contractor may, if so desired by him, be made to his bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions instead of direct to him provided that the contractor furnishes to the Engineer-in-Charge (1) an authorization in the form of a legally valid document such as a power of attorney conferring authority on the



CPWD
[k.M 8 d

संविदा खंड

Bdnlkj dk; LFky
LoPN j [ksk

जब वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य पूरा हो जाए तब दीवारों, फर्शों, खिड़कियों आदि पर गिरी हुई सफेदी, रंग रोगन आदि और उसके छींटों को हटाया जाएगा तथा ठेके के कार्य की अन्य सभी मदों का वास्तव में समापन किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना, अलग-अलग कमरों, क्वार्टरों अथवा परिसरों आदि में, जहां उक्त कार्य किया गया है, कार्य की इन मदों को पूरा करने के साथ-साथ सतह साफ की जाएगी। यदि ठेकेदार इस खण्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहेगा तो भारसाधक इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार के व्यय पर विभाग अथवा किसी भी अन्य अभिकरण के माध्यम से उस कार्य को करा ले। भारसाधक इंजीनियर ऐसी कार्यवाही करने से पूर्व ठेकेदार को दस दिन की लिखित सूचना देगा।

[k.M 8 [k

ठेकेदार विद्युत कार्यों के सामान्य विनिर्देश (भाग-1 आन्तरिक) 2005 तथा (भाग 2 बाह्य) 1994 में सूचित अनुसार कार्य समापन के तीस दिन के भीतर समापन तलचित्र प्रस्तुत करेगा।

पूर्वोक्त समापन तलचित्र को यदि ठेकेदार प्रस्तुत न करे, तो वह काम के मूल्य के 2.5 प्रतिशत लेकिन रु 15000 (पन्द्रह हजार मात्र) तक की रकम के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जोकि सम्बन्धित अधीक्षण इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इस विषय में अधीक्षण इंजीनियर का निर्णय अन्तिम माना जाएगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

ठेकेदार जल, मल एवम् निकास लाइनों के समापन तलचित्र कार्य समापन के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

यदि ठेकेदार उपरोक्त के अनुसार पूर्णता योजना प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, तो विभाग किसी अन्य एजेंसी द्वारा उसकी कीमत तथा वास्तविक खर्च पर इसे पूरा कराएगा तथा यही राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

Bdnlkj l eki u
ryfp= çLrç djxk

[k.M 9

ठेकेदार द्वारा अंतरिम बिलों में निर्दिष्ट अनुसार, कार्य के भौतिक समापन के तीन माह के भीतर या भारसाधक इंजीनियर द्वारा दिए गए कार्य समापन के अंतिम प्रमाण पत्र की तारीख के एक माह के भीतर, जो भी पहले हो, अंतिम बिल प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम बिल प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार कोई और दावा प्रस्तुत नहीं करेगा और सब दावों को निरस्त या समाप्त माना जाएगा। बिल की जिन मदों के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जो मर्दें विवादित हैं, भारसाधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित मात्राओं और दरों के अनुसार, उनका भुगतान जहां तक संभव हो, यहां नीचे निर्धारित अवधि में कर दिया जाएगा। विभाग से जारी की गई सामग्रियों और तोड़ फोड़ से प्राप्त सामग्रियों के लेखा सहित भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत सहायक इंजीनियर द्वारा बिल की प्राप्ति की तारीख से उक्त अवधि की गणना की जाएगी

- | | | |
|---|---|-------|
| (i) यदि कार्य का निविदा मूल्य 45 लाख रु. तक है | : | 2 मास |
| (ii) यदि कार्य का निविदा मूल्य 45 लाख रु. से अधिक तथा 2.5 करोड़ रु. तक है | : | 3 मास |
| (iii) यदि कार्य का निविदा मूल्य 2.5 करोड़ रु. को पार कर जाता है | : | 6 मास |

ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल की प्रस्तुति के बाद अंतिम बिल के भुगतान में विलंब होने पर, बशर्तें ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल सही पाया गया हो, ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने की तिथि से 7.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से सरल ब्याज देय होगा जो कि वार्षिक आधार पर बढ़कर देय होगा।

vfire fcy dk
Hkqrku

[k.M 9 d

ठेकेदार को देय भुगतान, यदि वह चाहे, तो सीधे उसको किए जाने की बजाय उसके बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिपट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को किए जा सकते हैं बशर्तें ठेकेदार, प्रभारी इंजीनियर को (1) मुख्तारनामा जैसा विधि मान्य दस्तावेज जिसमें बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिपट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानको भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया

Bdnlkj ds fcyka dk
çLrka ea Hkqrku



bank; registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions to receive payments and (2) his own acceptance of the correctness of the amount made out as being due to him by Government or his signature on the bill or other claim preferred against Government before settlement by the Engineer-in-Charge of the account or claim by payment to the bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions. While the receipt given by such banks; registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions shall constitute a full and sufficient discharge for the payment, the contractor shall whenever possible present his bills duly receipted and discharged through his bank, registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions.

Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank; registered financial, co-operative or thrift societies or recognized financial institutions any rights or equities vis-a-vis the President of India.

CLAUSE 10

Materials supplied by Government

Materials which Government will supply are shown in Schedule 'B' which also stipulates quantum, place of issue and rate(s) to be charged in respect thereof. The contractor shall be bound to procure them from the Engineer-in-Charge.

As soon as the work is awarded, the contractor shall finalise the programme for the completion of work as per clause 5 of this contract and shall give his estimates of materials required on the basis of drawings/or schedule of quantities of the work. The Contractor shall give in writing his requirement to the Engineer-in-Charge which shall be issued to him keeping in view the progress of work as assessed by the Engineer-in-Charge, in accordance with the agreed phased programme of work indicating monthly requirements of various materials. The contractor shall place his indent in writing for issue of such materials at least 7 days in advance of his requirement.

Such materials shall be supplied for the purpose of the contract only and the value of the materials so supplied at the rates specified in the aforesaid schedule shall be set off or deducted, as and when materials are consumed in items of work (including normal wastage) for which payment is being made to the contractor, from any sum then due or which may therefore become due to the contractor under the contract or otherwise or from the security deposit. At the time of submission of bills, the contractor shall certify that balance of materials supplied is available at site in original good condition.

The contractor shall submit along with every running bill (on account or interim bill) materialwise reconciliation statements supported by complete calculations reconciling total issue, total consumption and certified balance (diameter/section-wise in the case of steel) and resulting variations and reasons therefore. Engineer-in-Charge shall (whose decision shall be final and binding on the contractor) be within his rights to follow the procedure of recovery in clause 42 at any stage of the work if reconciliation is not found to be satisfactory.

The contractor shall bear the cost of getting the material issued, loading, transporting to site, unloading, storing under cover as required, cutting assembling and joining the several parts together as necessary. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other clause of the contract and (or the CPWA Code) all stores/materials so supplied to the contractor or procured with the assistance of the Government shall remain the absolute property of Government and the contractor shall be the trustee of the stores/materials, and the said stores/materials shall not be removed/disposed off from the site of the work on any account and shall be at all times open to inspection by the Engineer-in-Charge or his authorized agent. Any such stores/materials remaining unused shall be returned to the Engineer-in-Charge in as good a condition in which they were originally supplied at a place directed by him, at a place of issue or any other place specified by him as he shall require, but in case it is decided not to take back the stores/materials the contractor shall have no claim for



CPWD

गया हो और (2) उस राशि की सत्यता के बारे में अपनी स्वीकृति दे जो सरकार से उसको मिलने वाली राशि बताई गई है अथवा प्रभारी इंजीनियर द्वारा लेखे या दावे के बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिपट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान को संदाय करके निपटाए जाने से पहले सरकार को प्रस्तुत बिल या अन्य दावे पर अपने हस्ताक्षर दिखाए। यद्यपि ऐसे बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिपट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान द्वारा दी गई अभिस्वीकृति संदाय के लिए पूर्ण और पर्याप्त प्रमाण होगी तथापि ठेकेदार को, जहां तक संभव हो, विधिवत रूप से पावतीयुक्त और उन्मोचित बिल अपने बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिपट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान की मार्फत प्रस्तुत करना होगा।

इसमें सम्मिलित कोई बात भारत के राष्ट्रपति बनाम बैंक, पंजीकृत वित्तीय, सहकारी अथवा थ्रिपट सोसायटी अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान के पक्ष में कोई अधिकार या साम्या सूचित नहीं करेगी।

[k.M 10

जो सामग्रियां सरकार प्रदाय करेगी उन्हें अनुसूची (ख) में दिया गया है जिसमें मात्रा, जारी करने का स्थान और उनके लिए वसूली जाने वाली दर (दरें) अनुबद्ध हैं। ठेकेदार उन्हें भारसाधक इंजीनियर से प्राप्त करने के लिए बाध्य है।

जैसे ही कार्य प्रदान किया जाता है ठेकेदार इस ठेके के खण्ड 5 के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और कार्य के नक्शों/या मात्राओं की अनुसूची के आधार पर अपेक्षित सामग्रियों का प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार अपनी आवश्यकताएं लिखित रूप में भारसाधक इंजीनियर को देगा जो उसे विभिन्न सामग्रियों की मासिक आवश्यकताओं के उल्लेख वाले कार्य के पहले से तय किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, भारसाधक इंजीनियर द्वारा आकलित कार्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए जारी की जाएंगी। ठेकेदार सामग्रियां जारी करने के लिए अपनी आवश्यकता के कम से कम सात दिन पहले लिखित मांगपत्र प्रस्तुत करेगा।

ऐसी सामग्रियां केवल ठेके के प्रयोजन के लिए दी जाएंगी और पूर्वोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर इस प्रकार दी गई सामग्रियों का मूल्य, जब कभी ये सामग्रियां कार्य की ऐसी मदों (सामान्य टूट-फूट सहित) में प्रयुक्त हों जिनके लिए ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा हो, उसे देय किसी भी राशि से या जो ठेके के तहत ठेकेदार को देय होगी या अन्यथा या प्रतिभूमि निक्षेप में से मुजरा या काट लिया जाएगा। बिल प्रस्तुत करते समय ठेकेदार यह प्रमाणित करेगा कि दी गई शेष सामग्रियां कार्यस्थल पर मूल रूप एवं अच्छी दशा में उपलब्ध हैं।

ठेकेदार प्रत्येक चल बिल (लेखा या अंतरिम बिल में) के साथ सामग्रीवार समाधान विवरणी प्रस्तुत करेगा उसके पक्ष में कुल निर्गत, कुल खपत का समाधान करके पूरी गणना और प्रमाणित शेष (इस्पात के मामले में व्यास/काट वार) और इसमें घट-बढ़ और उनके कारण भी देगा। भारसाधक इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह कार्य के किसी भी स्तर पर खण्ड 42 में दी वसूली की प्रक्रिया अपना सकता है यदि समाधान संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

निर्गत सामग्री की लदाई, कार्यस्थल तक ले जाने, उतारने, अपेक्षानुसार ढककर भंडार करने, काटने, संयोजन और आवश्यकतानुसार अनेक भागों को जोड़ने की लागत ठेकेदार वहन करेगा। ठेके और (या के लो नि ले सहिता) के किसी भी खण्ड में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, ठेकेदार को इस प्रकार प्रदाय किया गया अथवा सरकार की सहायता से प्राप्त किया गया सारा भंडार/सामग्रियां पूर्णतः सरकार की संपत्ति बनी रहेगी और ठेकेदार भंडार/सागग्रियों का न्सासी होगा और उक्त भंडार/सामग्रियां कार्यस्थल से किसी भी कारण हटाई/अलग नहीं की जाएंगी और हर समय भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत एजेंट के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी। शेष बची अप्रयुक्त ऐसे भंडार/सामग्रियों को, वैसी ही अच्छी दशा जैसी वह दी गई थी, भारसाधक इंजीनियर को उनके बताए गए स्थान पर, निर्गत स्थान पर या जैसे वह चाहे किसी निर्दिष्ट स्थान पर लौटाई जाएंगी। लेकिन यदि ऐसे भंडार/सामग्रियों को वापस न लेने का फैसला किया जाता है तो पहले

I jdkj }kjk nh xbl
I kefxz; ka



compensation on any account of such stores/materials so supplied to him as aforesaid and not used by him or for any wastage in or damage to in such stores/materials.

On being required to return the stores/materials, the contractor shall hand over the stores/materials on being paid or credited such price as the Engineer-in-Charge shall determine, having due regard to the condition of the stores/materials. The price allowed for credit to the contractor, however, shall be at the prevailing market rate not exceeding the amount charged to him, excluding the storage charge, if any. The decision of the Engineer-in-Charge shall be final and conclusive. In the event of breach of the aforesaid condition, the contractor shall in addition to throwing himself open to account for contravention of the terms of the licences or permit and/or for criminal breach of trust, be liable to Government for all advantages or profits resulting or which in the usual course would have resulted to him by reason of such breach. Provided that the contractor shall in no case be entitled to any compensation or damages on account of any delay in supply or non-supply thereof all or any such materials and stores provided further that the contractor shall be bound to execute the entire work if the materials are supplied by the Government within the original scheduled time for completion of the work plus 50% thereof or schedule time plus 6 months whichever is more if the time of completion of work exceeds 12 months, but if a part of the materials only has been supplied within the aforesaid period, then the contractor shall be bound to do so much of the work as may be possible with the materials and stores supplied in the aforesaid period. For the completion of the rest of the work, the contractor shall be entitled to such extension of time as may be determined by the Engineer-in-Charge whose decision in this regard shall be final and binding on the contractor.

The contractor shall see that only the required quantities of materials are got issued. Any such material remaining unused and in perfectly good/original condition at the time of completion or determination of the contract shall be returned to the Engineer-in-Charge at the stores from which it was issued or at a place directed by him by a notice in writing. The contractor shall not be entitled for loading, transporting, unloading and stacking of such unused material except for the extra lead, if any involved, beyond the original place of issue.

CLAUSE 10A

The contractor shall, at his own expense, provide all materials, required for the works other than those which are stipulated to be supplied by the Government.

The contractor shall, at his own expense and without delay, supply to the Engineer-in-Charge samples of materials to be used on the work and shall get these approved in advance. All such materials to be provided by the Contractor shall be in conformity with the specifications laid down or referred to in the contract. The contractor shall, if requested by the Engineer-in-Charge furnish proof, to the satisfaction of the Engineer-in-Charge that the materials so comply. The Engineer-in-Charge shall within thirty days of supply of samples or within such further period as he may require intimate to the Contractor in writing whether samples are approved by him or not. If samples are not approved, the Contractor shall forthwith arrange to supply to the Engineer-in-Charge for his approval, fresh samples complying with the specifications laid down in the contract. When materials are required to be tested in accordance with specifications, approval of the Engineer-in-Charge shall be issued after the test results are received.

The Contractor shall at his risk and cost submit the samples of materials to be tested or analyzed and shall not make use of or incorporate in the work any materials represented by the samples until the required tests or analysis have been made and materials finally accepted by the Engineer-in-Charge. The Contractor shall not be eligible for any claim or compensation either arising out of any delay in the work or due to any corrective measures required to be taken on account of and as a result of testing of materials.

Materials to be provided by the Contractor



दिए गए ऐसे भंडार/सामग्रियों के बारे में जो उसके द्वारा प्रयुक्त न किया जा रहा हो, या ऐसी किसी सामान की छीजन या क्षति के लिए किसी भी कारण ठेकेदार प्रतिकर का दावा नहीं करेगा।

भंडार/सामग्रियां वापस मांगे जाने पर भारसाधक इंजीनियर द्वारा भंडार/सामग्रियों की दशा को देखते हुए निश्चित किए गए उनके मूल्य की अदायगी पर ठेकेदार भंडार/सामग्रियां सौंप देगा। किन्तु ठेकेदार को दिया जाने वाला मूल्य प्रचलित बाजार दर पर और भंडारण प्रभर को, यदि हों, छोड़कर उससे वसूल की गई राशि से अधिक नहीं होगा। भारसाधक इंजीनियर का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। पूर्वोक्त शर्त के भंग होने की स्थिति में ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट के निबंधनों को तोड़ने के लिए और/या आपराधिक विश्वास भंग के लिए कारण बताने/जवाबदेह होने के अतिरिक्त सभी लाभों या होने वाले फायदों या सामान्य स्थिति में ऐसी शर्त भंग होने पर जो उसे प्राप्त होते, उनके लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा और यह भी कि सभी या ऐसी कोई भी सामग्री या भंडार की आपूर्ति या अनापूर्ति में किसी भी विलंब के कारण ठेकेदार किसी भी प्रतिकर या क्षतिपूर्ति का दावेदार नहीं होगा। आगे यह भी कि यदि कार्य पूरा करने का समय 12 माह से अधिक हो तो सरकार द्वारा कार्य पूरा करने के लिए पूर्व निर्धारित समय में इस समय का 50 प्रतिशत समय जोड़कर या निर्धारित समय में 6 माह का समय जोड़कर, जो भी अधिक हो, इस समय के भीतर सामग्रियों की आपूर्ति कर दी जाती है तो ठेकेदार सम्पूर्ण कार्य निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन यदि पूर्वोक्त अवधि में सामग्रियों के केवल कुछ भाग की ही आपूर्ति की गई हो तो, पूर्वोक्त अवधि में दी गई सामग्रियों और भंडार से जितना कार्य करना संभव हो उतना कार्य करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर के निर्णय के अनुसार समयावधि में वृद्धि का हकदार होगा और इस संबंध में भारसाधक इंजीनियर का निर्णय ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

ठेकेदार इस बात का ध्यान रखेगा कि सामग्रियों की केवल अपेक्षित मात्राएं ही निर्गत कराई जाएं। कोई भी ऐसी सामग्री जो अप्रयुक्त रह जाए और ठेका समापन या अवसान के समय पूरी, अच्छी और मूलभूत हालत में हो उसे भंडार, जहां से उसे निर्गत किया गया था, या लिखित नोटिस में निर्दिष्ट स्थान पर भारसाधक इंजीनियर को वापिस लौटा दिया जाएगा। मूलभूत निर्गत स्थान से आगे अतिरिक्त दूरी को, यदि सन्निहित हो, छोड़कर ऐसी अप्रयुक्त सामग्रियों की लदाई, परिवहन, उतराई और चढ़े लगाने के लिए हकदार नहीं होगा।

[k.M 10 d

सरकार द्वारा प्रदाय करने के लिए निश्चय की गई सामग्रियों को छोड़कर कार्य के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां ठेकेदार अपने खर्च पर उपलब्ध कराएगा।

ठेकेदार अपने खर्च पर कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों के नमूने अविलंब भारसाधक इंजीनियर को भेजेगा और इन्हे पहले अनुमोदित कराएगा। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ये सभी सामग्रियां ठेके में दिए गए या उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप होंगी। यदि भारसाधक इंजीनियर चाहे तो ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर की संतुष्टि के अनुरूप, सामग्रियों के विनिर्देशों के अनुरूप होने का प्रमाण देगा। नमूने भेजने के तीस दिन या आगे की ऐसी अवधि जिसमें वह चाहे, के भीतर भारसाधक इंजीनियर लिखित रूप में ठेकेदार को सूचित करेगा कि नमूने अनुमोदित कर दिए गए हैं या नहीं? यदि नमूने अनुमोदित नहीं किए जाते हैं तो ठेकेदार तत्काल ठेके में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप नए नमूने भारसाधक इंजीनियर को अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा। जब सामग्रियों का परीक्षण विनिर्देशों के अनुरूप किया जाना हो तब परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के बाद भारसाधक इंजीनियर का अनुमोदन जारी किया जाएगा।

परीक्षण या विश्लेषण किए जाने वाली सामग्रियों के नमूने ठेकेदार अपने जोखिम और लागत पर प्रस्तुत करेगा और किसी भी सामग्री का, जिसका नमूना भेजा गया हो, प्रयोग या कार्य में शामिल तब तक नहीं करेगा जब तक अपेक्षित परीक्षण या विश्लेषण न कर लिया गया हो और भारसाधक इंजीनियर द्वारा उसे अंतिम रूप से स्वीकार न कर लिया गया हो। सामग्रियों के परीक्षण के कारण और उसके परिणामस्वरूप कार्य में किसी विलंब या किए जाने वाले अपेक्षित किसी सुधारात्मक उपाय के लिए ठेकेदार किसी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

Bdnlkj }kjk mi yCek
djkbz tkus okyh
I kefxz ka



The contractor shall, at his risk and cost, make all arrangements and shall provide all facilities as the Engineer-in-Charge may require for collecting, and preparing the required number of samples for such tests at such time and to such place or places as may be directed by the Engineer-in-Charge and bear all charges and cost of testing unless specifically provided for otherwise elsewhere in the contract or specifications. The Engineer-in-Charge or his authorized representative shall at all times have access to the works and to all workshops and places where work is being prepared or from where materials, manufactured articles or machinery are being obtained for the works and the contractor shall afford every facility and every assistance in obtaining the right to such access.

The Engineer-in-Charge shall have full powers to require the removal from the premises of all materials which in his opinion are not in accordance with the specifications and in case of default, the Engineer-in-Charge shall be at liberty to employ at the expense of the contractor, other persons to remove the same without being answerable or accountable for any loss or damage that may happen or arise to such materials. The Engineer-in-Charge shall also have full powers to require other proper materials to be substituted thereof and in case of default, the Engineer-in-Charge may cause the same to be supplied and all costs which may attend such removal and substitution shall be borne by the Contractor.

The contractor shall at his own expense, provide a material testing lab at the site for conducting routine field tests. The lab shall be equipped at least with the testing equipment as specified in schedule F.

CLAUSE 10B

Secured Advance on Non-perishable Materials

- (i) The contractor, on signing an indenture in the form to be specified by the Engineer-in-Charge, shall be entitled to be paid during the progress of the execution of the work up to 90% of the assessed value of any materials which are in the opinion of the Engineer-in-Charge non-perishable, non-fragile and non-combustible and are in accordance with the contract and which have been brought on the site in connection therewith and are adequately stored and/or protected against damage by weather or other causes but which have not at the time of advance been incorporated in the works. When materials on account of which an advance has been made under this sub-clause are incorporated in the work, the amount of such advance shall be recovered/deducted from the next payment made under any of the clause or clauses of this contract.

Such secured advance shall also be payable on other items of perishable nature, fragile and combustible with the approval of the Engineer-in-Charge provided the contractor provides a comprehensive insurance cover for the full cost of such materials. The decision of the Engineer-in-Charge shall be final and binding on the contractor in this matter. No secured advance, shall however, be paid on high-risk materials such as ordinary glass, sand, petrol, diesel etc.

Mobilisation Advance

- (ii) Mobilization advance not exceeding 10% of the tendered value may be given, if requested by the contractor in writing within one month of the order to commence the work. Such advance shall be in two or more installments to be determined by the Engineer-in-Charge at his sole discretion. The first installment of such advance shall be released by the Engineer-in-Charge to the contractor on a request made by the contractor to the Engineer-in-Charge in this behalf. The second and subsequent installments shall be released by the Engineer-in-Charge only after the contractor furnishes a proof of the satisfactory utilization of the earlier installment to the entire satisfaction of the Engineer-in-Charge.

Before any installment of advance is released, the contractor shall execute a Bank Guarantee Bond from Scheduled Bank for the amount equal to 110% of the amount of advance and valid for the contract period. This (Bank Guarantee from Scheduled Bank for the amount equal to 110% of the balance amount of advance) shall be kept renewed from time to time to cover the balance amount and likely period of complete recovery.



ऐसे परीक्षण, यथा—स्थान और यथा—समय या भारसाधक इंजीनियर द्वारा यथा निर्दिष्ट स्थान पर आवश्यक संख्या में नमूने एकत्रित करके व तैयार करने के लिए भारसाधक इंजीनियर द्वारा अपेक्षित सभी सुविधाओं की व्यवस्था ठेकेदार अपने जोखिम और लागत पर करेगा और परीक्षण के सभी प्रभार और सभी लागत वहन करेगा! यदि ठेका या विनिर्देशों में कहीं भी विशेष तौर पर अन्यथा उल्लेख न हो, भारसाधक इंजीनियर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार होगा कि वह कर्मशालाओं, सभी वर्कशापों और ऐसे स्थानों को, जहां कार्य तैयार किया जा रहा हो या जहां से कार्य के लिए सामग्रियों की निर्मित मर्दे या मशीनरी प्राप्त की जाती हैं, देख सकता है और ठेकेदार इस सम्बन्ध में हर सुविधा और सहायता उपलब्ध कराएगा।

भारसाधक इंजीनियर को पूरा अधिकार होगा कि वह उन सामग्रियों को जो उसकी राय में विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, कार्यस्थल से हटवा सकता है और यदि ऐसा नहीं होता तो भारसाधक इंजीनियर ठेकेदार के खर्च पर किसी अन्य व्यक्ति को इन्हें हटाने के लिए नियोजित कर सकता है और ऐसी सामग्रियों को यदि कोई हानि या क्षति होती है या होगी उसके लिए भारसाधक इंजीनियर जिम्मेदार नहीं होगा। भारसाधक इंजीनियर को उनके स्थान पर अन्य समुचित सामग्री प्रतिस्थापित कराने का पूरा अधिकार भी होगा और ऐसा न करने पर भारसाधक इंजीनियर स्वयं उसकी आपूर्ति करवा सकता है और सामग्री हटाने और प्रतिस्थापित करने की सभी लागतें ठेकेदार द्वारा वहन की जाएंगी।

ठेकेदार नेमी फील्ड परीक्षण करने के लिए कार्यस्थल पर अपने खर्च पर सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध कराएगा। प्रयोगशाला को अनुसूची 'च' में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण उपकरणों से अवश्य सुसज्जित किया जाएगा।

[k.M 10 [k

(i) ठेकेदार, भारसाधक इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट फार्म में मांगपत्र पर हस्ताक्षर करके कार्य की प्रगति के दौरान किन्हीं भी सामग्रियों के, जो भारसाधक इंजीनियर की राय में अनश्वर, मजबूत और अप्रज्वलनशील और ठेके के अनुरूप हों, और जो कार्यस्थल पर उसी निमित्त लाई गई हों और समुचित रूप से भंडारण और मौसम या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान से सुरक्षित हों लेकिन जिन्हें अग्रिम के समय कार्य में शामिल न किया गया हो, प्राक्कलित मूल्य का 90 प्रतिशत तक भुगतान पाने का हकदार होगा। इस उपखण्ड के तहत जिन सामग्रियों के लिए अग्रिम दिया गया हो, उन्हें जब कार्य में शामिल कर लिया गया हो तो ऐसे अग्रिम की राशि इस ठेके के किसी भी खण्ड या खण्डों के तहत किए गए अगले भुगतान से वसूल/काट ली जाएगी।

ऐसा प्रतिभूत अग्रिम भारसाधक इंजीनियर के अनुमोदन से अन्य नाशवान प्रकृति, कमजोर और प्रज्वलनशील मर्दों के लिए भी दिया जा सकेगा बशर्ते ठेकेदार ऐसी सामग्रियों की पूरी लागत के लिए व्यापक बीमा सुरक्षा दे। इस मामले में भारसाधक इंजीनियर का निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। फिर भी, अत्यंत जोखिम वाली सामग्रियों जैसे साधारण काँच, रेत, पेट्रोल, डीजल आदि के लिए कोई प्रतिभूत अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

(ii) कार्य शुरू करने के आदेश के एक माह के भीतर यदि ठेकेदार लिखित अनुरोध करे तो निविदत मूल्य का 10 प्रतिशत गतिशीलता अग्रिम दिया जा सकता है। ऐसा अग्रिम दो या अधिक किशतों में होगा जिनका निर्धारण केवल भारसाधक इंजीनियर करेगा। ऐसे अग्रिम की पहली किशत, भारसाधक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को उसके द्वारा भारसाधक इंजीनियर को इस संबंध में किए गए अनुरोध पर, जारी की जाएगी, दूसरी और बाद की किशतें भारसाधक इंजीनियर तभी जारी करेगा जब ठेकेदार भारसाधक की इंजीनियर संतुष्टि के अनुसार इस बात का प्रमाण दे दे कि पूर्ववर्ती किशत का उसने संतोषजनक उपयोग कर लिया है।

अग्रिम राशि की कोई भी किशत रिलीज करने से पहले ठेकेदार, ली जाने वाली अग्रिम राशि के 110 प्रतिशत के बराबर की राशि तथा संविदा अवधि के लिए वैध राशि हेतु अनुसूचित बैंक से एक बैंक गारंटी बॉण्ड करेगा। इसे (शेष अग्रिम राशि के 110 प्रतिशत के बराबर की राशि के लिए अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी) ठेके की अवधि हेतु वैधता के लिए निर्दिष्ट अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी बंधपत्र, निष्पादित करेगा। बकाया राशि के लिए और ब्याज सहित पूरी वसूली की संभावित अवधि हेतु, इसका समय समय पर नवीनीकरण किया जाता रहेगा।

vu'oj | kefxz ka
ij çfrllkr vfxe

xfr'khyrk vfxe



Provided always that provision of Clause 10 B (ii) shall be applicable only when so provided in 'Schedule F'.

Plant Machinery & Shuttering Material Advance

- (iii) An advance for plant, machinery & shuttering material required for the work and brought to site by the Contractor may be given if requested by the contractor in writing within one month of bringing such plant and machinery to site. Such advance shall be given on such plant and machinery which in the opinion of the Engineer-in-charge will add to the expeditious execution of work and improve the quality of work. The amount of advance shall be restricted to 5% percent of the tender value. In the case of new plant and equipment to be purchased for the work, the advance shall be restricted to 90% of the price of such new plant and equipment paid by the contractor for which the contractor shall produce evidence satisfactory to the Engineer-in-Charge. In the case of second hand and used plants and equipment, the amount of such advance shall be limited to 50% of the depreciated value of plant and equipment as may be decided by the Engineer-in-Charge. The contractor shall, if so required by the Engineer-in-Charge, submit the statement of value of such old plant and equipment duly approved by a Registered Valuer recognized by the Central Board of Direct Taxes under the Income- Tax Act, 1961. No such advance shall be paid on any plant and equipment of perishable nature and on any plant and equipment of a value less than Rs. 50,000/- Seventy five per cent of such amount of advance shall be paid after the plant & equipment is brought to site and balance twenty five percent on successfully commissioning the same.

Leasing of equipment shall be considered at par with purchase of equipment and shall be covered by tripartite agreement with the following:

1. Leasing company which gives certificate of agreeing to lease equipment to the contractor.
2. Engineer in Charge, and
3. The contractor.

This advance shall further be subject to the condition that such plant and equipment (a) are considered by the Engineer-in-Charge to be necessary for the works; (b) and are in working order and are maintained in working order; (c) hypothecated to the Government as specified by the Engineer-in-Charge before the payment of advance is released. The contractor shall not be permitted to remove from the site such hypothecated plant and equipment without the prior written permission of the Engineer-in-Charge. The contractor shall be responsible for maintaining such plant and equipment in good working order during the entire period of hypothecation failing which such advance shall be entirely recovered in lump sum. For this purpose, steel scaffolding and form work shall be treated as plant and equipment.

The contractor shall insure the Plant and Machinery for which mobilization advance is sought and given, for a sum sufficient to provide for their replacement at site. Any amounts not recovered from the insurer will be borne by the contractor.

Interest & Recovery

- (iv) The mobilization advance and plant and machinery advance in (ii) & (iii) above bear simple interest at the rate of 10 per cent per annum and shall be calculated from the date of payment to the date of recovery, both days inclusive, on the outstanding amount of advance. Recovery of such sums advanced shall be made by the deduction from the contractors bills commencing after first ten per cent of the gross value of the work is executed and paid, on pro-rata percentage basis to the gross value of the work billed beyond 10% in such a way that the entire advance is recovered by the time eighty per cent of the gross value of the contract is executed and paid, together with interest due on the entire outstanding amount up to the date of recovery of the installment.



बशर्ते कि खण्ड 10 ख (ii) का प्रावधान तभी लागू होगा जब 'अनुसूची च' में इसका प्रावधान किया गया होगा।

- (iii) ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर लाई गई कार्य के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी व तख्ताबंदी के लिए एक माह के भीतर लिखित अनुरोध करने पर उसे संयंत्र और मशीनरी के लिए अग्रिम दिया जा सकता है। ऐसा अग्रिम ऐसे संयंत्र और मशीनरी के लिए दिया जाएगा जो भारसाधक इंजीनियर की राय में कार्य में तेजी लाए और कार्य की गुणता में सुधार लाए। अग्रिम की राशि निविदत मूल्य के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी। कार्य के लिए खरीदे गए नए संयंत्र और उपस्कर के मामले में ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई ऐसे संयंत्र और उपस्कर की कीमत का 90 प्रतिशत तक अग्रिम दिया जाएगा और ठेकेदार इस संबंध में भारसाधक इंजीनियर को संतोषजनक प्रमाण देगा। पुराने और प्रयुक्त संयंत्र व उपस्कर के मामले में संयंत्र और उपस्कर के हिसित मूल्य के, जिसका विनिश्चय भारसाधक इंजीनियर करेगा, 50 प्रतिशत तक सीमित होगा। भारसाधक इंजीनियर चाहें तो ठेकेदार आयकर अधिनियम 1961 के तहत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत मूल्यांकक से ऐसे पुराने संयंत्र और उपस्कर के मूल्य का विवरण अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेगा। नश्वर प्रकृति के किसी भी संयंत्र और उपकरण और रु. 50, 000/- मूल्य से कम के किसी भी संयंत्र व उपकरण के लिए कोई ऐसा अग्रिम नहीं दिया जाएगा। ऐसे अग्रिम का 75 प्रतिशत भुगतान संयंत्र व उपस्कर को कार्यस्थल पर लाए जाने के बाद किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत का भुगतान उसके सफलतापूर्वक चालू होने के बाद किया जाएगा। उपस्करों की लीजिंग को उपस्कर की खरीद के समकक्ष माना जाएगा तथा इसे निम्नलिखित के साथ त्रिपक्षीय समझौते में कवर किया जाएगा :

1. लीजिंग कम्पनी, जो ठेकेदार को उपस्कर पट्टे पर देने की सहमति का प्रमाणपत्र देती है।
2. भारसाधक अभियंता
3. ठेकेदार

आगे, यह अग्रिम इन शर्तों के अधीन होगा कि ऐसे संयंत्र और उपस्कर (क) भारसाधक इंजीनियर द्वारा कार्यों के लिए आवश्यक समझे जाएं (ख) और चालू हालत में हों और उन्हें चालू हालत में रखा जाए; (ग) अग्रिम का भुगतान जारी करने से पहले भारसाधक इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट अनुसार सरकार के पास वे बंधक रखे जाएं। भारसाधक इंजीनियर की लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार इस प्रकार बंधक रखे गए संयंत्र व उपस्कर को कार्यस्थल से नहीं हटाएगा। ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे संयंत्र व उपस्कर को पूरी बंधक अवधि के दौरान अच्छी व चालू हालत में रखेगा। ऐसा न करने पर अग्रिम की पूरी राशि एकमुश्त वसूल की जाएगी। इस्यात की पाड़बन्दी और साँचा कार्य को इस प्रयोजन के लिए संयंत्र और उपस्कर माना जाएगा।

ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी का, जिनके लिए गतिशीलता अग्रिम मांगा जाता है और दिया जाता है, पर्याप्त राशि का बीमा कराएगा, जिससे कार्यस्थल पर उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सके। कोई भी धनराशि जो बीमा के अन्तर्गत नहीं होगी, उसे ठेकेदार वहन करेगा।

- (iv) उपर्युक्त (ii) व (iii) में गतिशीलता अग्रिम व संयंत्र और मशीनरी अग्रिम की बकाया राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगेगा और इसकी गणना भुगतान की तारीख से लेकर वसूली की तारीख तक की जाएगी जिसमें दोनों दिन सम्मिलित होंगे। ऐसे अग्रिमों की राशि की वसूली, कार्य के कुल मूल्य के पहले 10 प्रतिशत के बराबर कार्य निष्पादन और भुगतान कर लिए जाने के बाद, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत 10 प्रतिशत से अधिक के कार्य के कुल मूल्य के बिलों से आनुपातिक प्रतिशतता के आधार पर कटौती ऐसे की जाएगी कि ठेके के कुल मूल्य का 80 प्रतिशत निष्पादित होने और भुगताए जाने के समय तक अग्रिम की पूरी राशि, पूरी बकाया राशि पर किश्त की वसूली की तारीख तक के ब्याज सहित, वसूल हो जाए।

I q a v k j e ' k h u j h
r F k k r [r k c n h
I k e x h v f x e

C ; k t v k j o l w h



- (v) If the circumstances are considered reasonable by the Engineer-in-Charge, the period mentioned in (ii) and (iii) for request by the contractor in writing for grant of mobilization advance and plant and equipment advance may be extended in the discretion of the Engineer-in-Charge.

CLAUSE 10C

Payment on Account of Increase in Prices/Wages due to Statutory Order(s)

If after submission of the tender, the price of any material incorporated in the works (excluding the materials covered under Clause 10CA and not being a material supplied from the Engineer-in-Charge's stores in accordance with Clause 10 thereof) and/or wages of labour increases as a direct result of the coming into force of any fresh law, or statutory rule or order (but not due to any changes of rate in sales tax/VAT, Central/State Excise/Custom Duty) beyond the prices/wages prevailing at the time of the last stipulated date of receipt of tenders including extensions, if any, for the work during contract period including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2, then the amount of the contract shall accordingly be varied and provided further that any such increase shall be limited to the price/wages prevailing at the time of updated stipulated date of completion considering effect of extra work (extra time to be calculated on prorata basis only as cost of extra work x stipulated period/tendered amount).

If after submission of the tender, the price of any material incorporated in the works (excluding the materials covered under Clause 10CA and not being a material supplied from the Engineer-in-Charge's stores in accordance with Clause 10 thereof) and/or wages of labour as prevailing at the time of last stipulated date of receipt of tender including extensions, if any, is decreased as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rules or order (but not due to any changes of rate in sales tax/VAT, Central/State Excise/Custom Duty), Government shall in respect of materials incorporated in the works (excluding the materials covered under Clause 10CA and not being material supplied from the Engineer-in-Charge's stores in accordance with Clause 10 hereof) and/or labour engaged on the execution of the work after the date of coming into force of such law statutory rule or order be entitled to deduct from the dues of the contractor, such amount as shall be equivalent to the difference between the prices of the materials and/or wages as prevailed at the time of the last stipulated date for receipt of tenders including extensions if any for the work and the prices of materials and/or wages of labour on the coming into force of such law, statutory rule or order. This will be applicable for the contract period including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2.

Engineer-in-Charge may call books of account and other relevant documents from the contractor to satisfy himself about reasonability of increase in prices of materials and wages.

The contractor shall, within a reasonable time of his becoming aware of any alteration in the price of any such materials and/or wages of labour, give notice thereof to the Engineer-in-Charge stating that the same is given pursuant to this condition together with all information relating thereto which he may be in position to supply.

For this purpose, the labour component of the work executed during period under consideration shall be the percentage as specified in Schedule F, of the value of work done during that period and the increase/decrease in labour shall be considered on the minimum daily wages in rupees of any unskilled adult male mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order.

CLAUSE 10 CA

Payment due to variation in prices of materials after receipt of tender

If after submission of the tender, the price of materials specified in Schedule F increases/ decreases beyond the base price(s) as indicated in Schedule F for the work, then the amount of the contract shall accordingly be varied and provided further that any such variations shall be effected for stipulated period of Contract including the justified period extended under the provisions of Clause 5 of the Contract without any action under Clause 2.



(V) भारसाधक इंजीनियर परिस्थितियों का ओचित्य देख कर गतिशीलता अग्रिम और संयंत्र व उपस्कर अग्रिम के लिखित अनुरोध के लिए (ii) व (iii) में उल्लिखित अवधि अपने विवेकानुसार बढ़ा सकता है।

[k.M&10 x

यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद कार्यों में समाविष्ट किसी सामग्री (खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट सामग्री को छोड़ कर और जो उसके खण्ड 10 के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भण्डार में से प्रदाय की गई सामग्री नहीं हैं), मूल्य में और या श्रमिकों की मजदूरी में किसी नई विधि या कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप (किन्तु विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के दर में किसी तबदीली के कारण नहीं) वृद्धि हो जाती है और ऐसी वृद्धि कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के लिए अंतिम निर्धारित तारीख के समय विद्यमान मूल्य और/या मजदूरी से अधिक होती है जिसमें संविदा अविधि के दौरान काम के लिये की गई समय वृद्धि, यदि कोई हो, के साथ खंड 2 में बिना किसी कार्रवाई के, संविदा के खंड 5 के प्रावधानों के अधीन बढ़ाई गई तर्क संगत समय वृद्धि भी सम्मिलित है, तदनुसार, संविदा की राशि में परिवर्तन किया जाएगा और प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी वृद्धि को कार्य समापन की अघटित निर्धारित तारीख (अतिरिक्त कार्य के प्रभाव के आधार पर परिकल्पित की गई अवधि = अतिरिक्त कार्य की लागत x निर्धारित अवधि/प्रस्तुत लागत) तक सीमित कर दिया जाएगा।

यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद, कार्य में समाविष्ट किसी सामग्री (खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट सामग्री को छोड़कर और जो उसके खंड 10 के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भंडार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) और/अथवा श्रमिकों की मजदूरी निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तारीख जिसमें समय वृद्धि, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है किसी नई विधि, सांविधिक नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने के परिणाम स्वरूप (परन्तु विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के दर में परिवर्तनों के कारण नहीं) कम हो गई है, तो सरकार कार्य में समाविष्ट सामग्रियों (खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट सामग्रियों को छोड़कर और खंड 10 के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भंडार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) और/अथवा कार्य के निष्पादन में ऐसी विधि, सांविधिक नियम या आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् से, नियोजित श्रमिकों की बाबत ठेकेदार को देय रकमों में से ऐसी रकम काटने की हकदार होगी जो कार्य के लिए समय वृद्धि, यदि हो, सहित निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तारीख के समय विद्यमान सामग्री के मूल्य और/या मजदूरी ऐसी विधि, सांविधिक नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने पर सामग्रियों के मूल्य और/या श्रमिकों की मजदूरी के बीच अन्तर के बराबर होगी। यह खंड 2 के अंतर्गत कोई कार्रवाई किये बिना संविदा के खंड 5 के प्रावधानों के अंतर्गत बढ़ाई गई तर्कसंगत अवधि सहित संविदा अवधि पर लागू होगी।

भारसाधक अभियंता ठेकेदार से लेखा बहियों और अन्य संबद्ध दस्तावेजों की मांग कर सकता है ताकि वह सामग्री तथा मजदूरी में वृद्धि की तर्कसंगतता के संबंध में आश्वस्त हो सके।

ठेकेदार किसी ऐसी सामग्री के मूल्य और/या श्रमिक मजदूरी में किसी परिवर्तन के पता लगने के युक्तियुक्त समय के भीतर भारसाधक इंजीनियर को यह लिखते हुए नोटिस देगा कि वह उससे सम्बद्ध समस्त जानकारी, जो वह देने की स्थिति में है, इस शर्त के अनुरक्षण में दे रहा है।

इस प्रयोजन के लिए, विचाराधीन अवधि के दौरान निष्पादित कार्य का श्रम घटक उस अवधि के दौरान निष्पादित कार्य के मूल्य का वह प्रतिशत होगी जो 'अनुसूची च' में दर्शाई गई है तथा श्रम में वृद्धि/कमी पर विचार किसी कानून, सांविधिक नियम अथवा आदेश के अंतर्गत अकुशल व्यस्क पुरुष मजदूर की रूपयों में निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी के आधार पर किया जाएगा।

[k.M 10 x d

यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट सामग्री के मूल्य में तत्संबंधी कार्य के लिए निविदाएं प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तारीख के समय अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट सामग्री के आधार मूल्यों में वृद्धि/कमी होती है, तो तदनुसार संविदा की राशि को परिवर्तित कर दिया जाएगा, परन्तु यह कि मूल्यों में ऐसे कोई परिवर्तन संविदा की निर्धारित अवधि, जिसमें खण्ड 2 में किसी कार्यवाई के बिना संविदा के खण्ड 5 के प्रावधानों के अधीन बढ़ाई गई (न्यायसंगत) अवधि शामिल है, के लिए किए जाएंगे।

I kfof/kd vkn's kka ds
dkj.k eW; @etnjh
of) ds dkj.k
Hkqrku

dk; kã ds fy, fufonk
çklr gkaus ds ckn
I kexh ds eW; ka ea
of) @deh ds dkj.k
Hkqrku



However for work done/during the justified period extended as above, it will be limited to indices prevailing at the time of updated stipulated date of completion considering the effect of extra work (extra time to be calculated on pro-rata basis only as cost of extra work x stipulated period/tendered cost).

The increase/decrease in prices of cement, steel reinforcement, structural steel and POL shall be determined by the Price indices issued by the Director General, CPWD. For other items provided in the Schedule 'F', this shall be determined by the All India Wholesale Price Indices of materials as published by Economic Advisor to Government of India, Ministry of Commerce and Industry. Base price for cement, steel reinforcement, structural steel and POL shall be as issued under the authority of Director General CPWD applicable for Delhi including Noida, Gurgaon, Faridabad & Ghaziabad and for other places as issued under the authority of Zonal Chief Engineer, CPWD and base price of other materials issued by concerned Zonal chief Engineer and as indicated in Schedule 'F'. In case, price index of a particular material is not issued by Ministry of Commerce and Industry, then the price index of nearest similar material as indicated in Schedule 'F' shall be followed.

The amount of the contract shall accordingly be varied for all such materials and will be worked out as per the formula given below for individual material:-

Adjustment for component of individual material

$$V = P \times Q \times \frac{CI - CI_0}{CI_0}$$

where,

V = Variation in material cost i.e. increase or decrease in the amount of rupees to be paid or recovered.

P = Base Price of material as issued under authority of DG, CPWD or concerned Zonal Chief Engineer and as indicated in Schedule "F".

For Projects and Original Works

Q = Quantity of material brought at site for bonafide use in the works since previous bill excluding any such quantity consumed in the deviated quantity of items beyond deviation limit and extra /substituted item, paid/to be paid at rates derived on the basis of market rate under clause 12.2.

For Maintenance Works

Q = Quantity of material brought at site for bonafide use in the works since previous bill including any such quantity consumed in the deviated quantity of items beyond deviation limit paid at agreement rate and extra /substituted item being scheduled items, but excluding non schedule extra /substituted item paid/to be paid at market rate under clause 12.2.

CI = Price index for cement, steel reinforcement bars structural steel and POL as issued by the DG, CPWD and corresponding to the time of base price of respective material indicated in Schedule 'F'. For other items, if any, provided in Schedule 'F', All India Wholesale Price Index for the material as published by the Economic Advisor to Government of India, Ministry of Industry and Commerce and corresponding to the time of base price of respective material indicated in Schedule 'F'.



तथापि, उपर्युक्तानुसार बढ़ाई गई न्यायोचित अवधि के दौरान किए गए कार्य को अतिरिक्त कार्य के प्रभाव पर विचार करते हुए पूरा करने की अद्यतित निर्धारित तिथि (अतिरिक्त कार्य की लागत X निर्धारित अवधि / प्रस्तुत लागत के रूप में आनुपातिक आधार पर परिकलित की जाने वाली) के समय, मौजूद सूचकांकों तक सीमित कर दिया जाएगा।

सीमेंट, इस्पात, प्रबलन, ढांचागत इस्पात तथा पी ओ एल के मूल्यों से वृद्धि / कमी का निर्धारण, महानिदेशक, के. लो. नि. विभाग द्वारा जारी मूल्य सूचियों के तदनुरूप किया जायेगा। अनुसूची 'च' में दी गई अन्य मदों के लिये इनका निर्धारण अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक, जैसा कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया गया हो, के द्वारा किया जायेगा। महानिदेशक, के. लो. नि. विभाग के प्राधिकार से जारी सीमेंट, इस्पात प्रबलन, ढांचागत इस्पात तथा पी ओ एल की मूल कीमत, दिल्ली, जिसमें नोएडा, गुडगांव, फरीदाबाद तथा गाजियाबाद समाहित है, के लिये लागू होगी तथा अन्य स्थानों के लिये, अंचल मुख्य अभियंता, के. लो. नि. वि. के प्राधिकार के तहत जारी किये अनुसार तथा 'अनुसूची च' में दिखाया गया है। यदि, किसी मामले में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा किसी विशेष सामग्री की मूल्य सूची जारी नहीं की जाती है तो अनुसूची 'च' में दर्शाई गयी लगभग समरूप सामग्री की मूल्य सूची को अपनाया जायेगा।

ऐसी सभी सामग्री के संबंध में संविदा की राशी में तदनुसार, घट-बढ़ होगी और प्रत्येक सामग्री के लिए राशि की गणना नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार की जाएगी:

प्रत्येक सामग्री के घटकों का समायोजन

$$वी = पी \times क्यू \times \frac{सी आई - सी आई_0}{सी आई_0}$$

जहां,

वी = सामग्री की लागत में घट-बढ़ अर्थात् दी जाने वाली या वसूल की जाने वाली राशि के रूपों में वृद्धि या कमी।

पी = महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा संबंधित अंचल मुख्य अभियंता के प्राधिकार से जारी अनुसूची "च" में दर्शाई गई सामग्री का आधार मूल्य।

परियोजना एवं मूल निर्माण कार्य के लिए:

क्यू = पिछले बिल के पश्चात् कार्यों में स्थल पर वास्तविक उपयोग के लिये लाई गई सामग्री की मात्रा जिसमें सामग्री की वह मात्रा शामिल नहीं होगी, जिसकी खपत ठेका मदों के विचलन सीमा के पश्चात् एवम् अतिरिक्त / प्रतिस्थापित मदों में हुई है तथा खण्ड 12.2 के अनुसार बाजार दर पर भुगतान कर दिया गया है / किया जाएगा।

उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, जोड़ना / बदलना सहित अनुरक्षण कार्य के लिए:

क्यू = पिछले बिल के पश्चात् कार्यों में स्थल पर वास्तविक उपयोग के लिये लाई गई सामग्री की मात्रा जिसमें सामग्री की वह मात्रा भी शामिल होगी, जिसकी खपत ठेका मदों के विचलन सीमा के पश्चात् एवम् अतिरिक्त / प्रतिस्थापित मदों में हुई है तथा खण्ड 12.2 के अनुसार भुगतान कर दिया गया है / किया जाएगा परन्तु सामग्री की वह मात्रा शामिल नहीं होगी, जिसकी खपत उन गैर अनुसूची अतिरिक्त / प्रतिस्थापित मदों में हुई है तथा खण्ड 12.2 के अनुसार बाजार दर पर भुगतान कर दिया गया है / किया जाएगा।।

सी आई₀ = महानिदेशक, के. लो. नि. वि. के द्वारा जारी तथा अनुसूची "च" में दर्शाई गई संबंधित सामग्री के उस समय के आधार मूल्य के अनुसार सीमेंट, स्टील प्रबलन छड़ें, ढांचागत स्टील तथा पी ओ एल के मूल्य सूचकांक। अन्य मदें, यदि अनुसूची 'च' में दर्शाई गई हैं, के लिये सामग्री का अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक जैसा कि भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया गया हो तथा अनुसूची "च" में दर्शाई गई संबंधित सामग्री के उस समय के आधार मूल्य के अनुसार।



CI = Price index for cement, steel reinforcement bars, structural steel and POL as issued under the authority of DG, CPWD for period under consideration. For other items, if any, provided in Schedule 'F', All India Wholesale Price Index for the material for period under consideration as published by Economic Advisor to Government of India, Ministry of Industry and Commerce.

Note: (i) In respect of the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2, the index prevailing at the time of updated stipulated date of completion considering the effect of extra work (extra time to be calculated on prorata basis only as cost of extra work x stipulated period/ tendered cost) shall be considered.

Provided always that provisions of the preceding Clause 10 C shall not be applicable in respect of Materials covered in this Clause.

- (ii) If during progress of work or at the time of completion of work, it is noticed that any material brought at site is in excess of requirement, then amount of escalation if paid earlier on such excess quantity of material shall be recovered on the basis of cost indices as applied at the time of payment of escalation or as prevailing at the time of effecting recovery, whichever is higher.
- (iii) Cement mentioned wherever in this clause includes Cement component used in RMC brought at site from outside approved RMC plants, if any.
- (iv) The date wise record of ready mix concrete shall be kept in a register and the cement consumption for the same shall be calculated accordingly.
- (v) If built-up steel items are brought at site from workshop, then the variation shall be paid for the structural steel up to the period when the built up item/finished product is brought at site.

CLAUSE 10 CC

Payment due to Increase/Decrease in Prices/Wages (excluding materials covered under clause 10 CA) after Receipt of Tender for Works

If the prices of materials (not being materials supplied or services rendered at fixed prices by the department in accordance with clause 10 & 34 thereof) and/or wages of labour required for execution of the work increase, the contractor shall be compensated for such increase as per provisions detailed below and the amount of the contract shall accordingly be varied, subject to the condition that that such compensation for escalation in prices and wages shall be available only for the work done during the stipulated period of the contract including the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2. However, for the work done during the justified period extended as above, the compensation as detailed below will be limited to prices/wages prevailing at the time of updated stipulated date of completion considering the effect of extra work (extra time to be calculated on pro-rata basis only as cost of extra work x stipulated period/tendered cost). No such compensation shall be payable for a work for which the stipulated period of completion is equal to or less than the time as specified in Schedule F. Such compensation for escalation in the prices of materials and labour, when due, shall be worked out based on the following provisions:-

- (i) The base date for working out such escalation shall be the last stipulated date of receipt of tenders including extension, if any.



सी आई = महानिदेशक, के. लो. नि. वि. के प्रधिकार से विचारार्थ अवधि के दौरान, सीमेंट, स्टील प्रवलन छड़ें, ढांचागत स्टील तथा पी ओ एल के लिये मूल्य सूचकांक। अन्य मद यदि कोई अनुसूचि 'च' में दर्शाई गई हो,, के लिए गणना अवधि के लिए सामग्री का अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक जैसा कि, भारत सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा विचारधीन अवधि के लिए प्रकाशित किया गया हो।

नोट: (i) खंड 2 के अधीन किसी कार्रवाई के बिना संविदा के खंड 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत बढ़ाई गई न्यायोचित अवधि के संबंध में कार्य समापन की अद्यतित निर्धारित तारीख (अतिरिक्त कार्य के प्रभाव के आधार पर परिकलित की गई अवधि = अतिरिक्त कार्य की लागत x निर्धारित अवधि/प्रस्तुत लागत के समय विद्यमान सूचकांक।

बशर्त हमेशा कि पूर्ववर्ती खण्ड 10 ग के उपबन्ध इस खण्ड में प्रावधित सामग्री के संबंध में लागू नहीं होंगे।

- (ii) यदि कार्य की प्रगति अथवा कार्य समापन के समय यह पाया जाता है कि स्थल पर लाई गई कोई सामग्री, आवश्यकता से अधिक है, तो इस अधिक सामग्री की मात्रा पर पहले चुकाई गई अधिक राशि को वृद्धि की अदायगी के समय प्रयोज्य (लागू) लागत सूचियों अथवा वसूली करने के समय पर विद्यमान वृद्धि के मूल्य में से जो भी अधिक हो, के अनुसार वसूला जाएगा।
- (iii) इस खण्ड में जहां भी सीमेंट का उल्लेख किया गया है उसमें बाहर के अनुमोदित आरएमसी सयंत्रों, यदि कोई हो, से कार्यस्थल पर लाए गए आरएमसी में प्रयुक्त सीमेंट संघटक शामिल हैं।
- (iv) तिथिवार रेडिमिक्स कंक्रीट का रिकार्ड एक रजिस्टर में तिथिवार में रखा जाए तथा रेडिमिक्स कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा की खपत की गणना उसके आधार पर की जाएगी।
- (v) यदि स्टील के बने पूर्ण निर्मित मद वर्कशाप से कार्य स्थल पर लाए जाते हैं तब रेट का अंतर ढांचागत स्टील के लिए उस अवधि तक किया जाएगा जब वह पूर्ण निर्मित/पूर्ण मद कार्य स्थल पर लाया गया हों।

[k.M 10 xx

यदि सामग्री के (जो उसके खण्ड 10 और 34 के अनुसार विभाग द्वारा नियत मूल्यों पर प्रदाय की गई सामग्री या की गई सेवाएं नहीं हैं) मूल्यों और या कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हो जाती है तो नीचे बताए गए उपबन्धों के अनुसार ऐसी वृद्धि के लिए टेकेदार को प्रतिकर दिया जाएगा और संविदा की राशि में तदनुसार परिवर्तन कर दिया जाएगा। यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि मूल्यों तथा मजदूरी में वृद्धि के लिए ऐसा प्रतिकर केवल उस कार्य के लिए दिया जाएगा जो संविदा की अनुबद्ध अवधि के अन्तर्गत हो जिसमें खंड 2 के अनुसार कोई कार्रवाई किए बिना संविदा के खण्ड 5 के प्रावधानों के अंतर्गत बढ़ाई गई समंजित अवधि शामिल है। तथापि उपर्युक्त बढ़ाई गई समंजित अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए प्रतिपूर्ति अतिरिक्त कार्य के प्रभाव पर विचार करते हुए पूरा करने की अद्यतित निर्धारित तिथि (अतिरिक्त कार्य की लागत X निर्धारित अवधि/प्रस्तुत लागत के रूप में आनुपातिक आधार पर परिकलित की जाने वाली) के लिए विद्यमान मूल्यों/मजदूरी तक सीमित रहेगी। यह संविदा की बढ़ाई गई अवधि के लिए किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा चाहे समय की बढ़ोतरी खण्ड 2 के अंतर्गत बिना किसी कार्यवाही के की गई हो और यह इस शर्त के अधीन रहते हुए भी होगा, कि ऐसे किसी कार्य के लिए ऐसा कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा जिसके पूरा किए जाने की अनुबंधित अवधि अनुसूची 'च' में उल्लेखित के अनुसार या उससे कम हैं। सामग्री के मूल्यों और श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के लिए ऐसे प्रतिकर की संगणना देय होने पर निम्नलिखित उपबंधों के आधार पर की जाएगी।

- (i) ऐसी वृद्धि की संगणना करने के लिए जिस तारीख, को आधार माना जाएगा वह निविदा प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख, समय वृद्धि, यदि कोई हो, उसके सहित होगी।

dk; kã ds fy, fufonk
çklr gkus ds ckn
eW; k@etnjh ea
of) ds dkj.k
Hkqrku
¼kM 10 x d
ds vrxr l ekfo"V
l kexz; ka dks
NkM-elj ½



- (ii) The cost of work on which escalation will be payable shall be reckoned as below :
- (a) Gross value of work done up to this quarter : (A)
 - (b) Gross value of work done up to the last quarter : (B)
 - (c) Gross value of work done since previous quarter (A-B) (C)
 - (d) Full assessed value of Secured Advance (excluding materials Covered under Clause 10 CA) fresh paid in this quarter : (D)
 - (e) Full assessed value of Secured Advance (excluding materials Covered under Clause 10 CA) recovered in this quarter : (E)
 - (f) Full assessed value of Secured Advance for which escalation Payable in this quarter (D-E): (F)
 - (g) Advance payment made during this quarter: (G)
 - (h) Advance payment recovered during this quarter: (H)
 - (i) Advance payment for which escalation is payable in this Quarter(G-H): (I)
 - (j) Extra items/deviated quantities of items paid as per Clause 12 Based on prevailing market rates during this quarter: (J)
- Then, $M = C+F+I-J$
 $N = 0.85 M$
- (k) Less cost of material supplied by the department as per Clause 10 and recovered during the quarter (K)
 - (l) Less cost of services rendered at fixed charges as per Clause 34 and recovered during the quarter (L)

Cost of work for which escalation is applicable:

$$W = N - (K + L)$$

- (iii) Components for materials (except cement, reinforcement bars, structural steel, POL or other materials covered under clause 10 CA) labour, etc. shall be pre-determined for every work and incorporated in the conditions of contract attached to the tender papers included in Schedule 'F'. The decision of the Engineer-in-Charge in working out such percentage shall be binding on the contractors.
- (iv) The compensation for escalation for other materials (excluding cement, reinforcement bars, structural steel, POL or other materials covered under clause 10 CA) shall be worked as per the formula given below:-
- (a) Adjustment for civil component (except cement, structural steel, reinforcement bars, POL and other materials covered under clause 10CA) / electrical component of construction 'Materials'

$$V_m = W \times \frac{X_m}{100} \times \frac{MI - MI_0}{MI_0}$$

- V_m = Variation in material cost i.e. increase or decrease in the amount in rupees to be paid or recovered.
- W = Cost of Work done worked out as indicated in sub-para (ii) of Clause 10CC.
- X_m = Component of 'materials' (except cement, structural steel, reinforcement bars POL and other materials covered under clause 10CA) expressed as percent of the total value of work.
- MI = All India Wholesale Price Index for civil component/electrical component* of construction material as worked out on the basis of All India Wholesale



(ii) कार्य की लागत, जिस पर वृद्धि संदेय होगी, नियमानुसार मानी जाएगी—

- (क) इस तिमाही तक किए गए कार्य का सकल मूल्य (अ)
 (ख) पिछली तिमाही तक किए गए कार्य का सकल मूल्य (आ)
 (ग) पिछली तिमाही से लेकर अब तक किए गए कार्य का सकल मूल्य (क-ख) (इ)
 (घ) इस तिमाही में दिए गए सुरक्षित अग्रिम (इसमें खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट सामग्रियां शामिल नहीं हैं) का पूर्ण निर्धारित मूल्य (ई)
 (ङ.) इस तिमाही में वसूल किए गए सुरक्षित (इसमें खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट सामग्रियां शामिल नहीं हैं) का पूर्ण निर्धारित मूल्य (उ)
 (च) सुरक्षित अग्रिम का, जिसके लिए इस तिमाही में वृद्धि संदेय है पूर्ण निर्धारित मूल्य (घ-ङ.) (ऊ)
 (छ) इस तिमाही में की गई अग्रिम अदायगी (ए)
 (ज) इस तिमाही में वसूल की गई अग्रिम की राशी (ऐ)
 (झ) अग्रिम अदायगी, जिसके लिए इस तिमाही में वृद्धि संदेय है (ज-झ) (ओ)
 (ञ) इस तिमाही के दौरान बाजार की विद्यमान दरों पर खण्ड 12 के अनुसार अदा की गई अतिरिक्त मर्दों/मद की विचलित मात्राएं। (औ)
 तब एम = इ + ऊ + ओ-औ
 एन = 0.85 X एम
 (य) खण्ड 10 के अनुसार विभाग द्वारा दी गई सामग्री तथा तिमाही के दौरान वसूल की गई सामग्री की लागत को कम करें (अं)
 (र) खंड 34 के अनुसार नियत दरों पर मुहैया कराई गई सेवाओं तथा तिमाही के दौरान की गई वसूली को कम करें। (अः)

dk; l dh ykxr] ft l ds fy, of) ykxwgS

डब्ल्यू = एन-(अं+अः)

- (iii) सामग्री (सीमेंट, प्रबलन छड़ें, ढांचागत स्टील, पी.ओ.एल. या खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट अन्य सामग्रियों को छोड़ कर) श्रम आदि के घटक प्रत्येक कार्य के लिए पूर्व निश्चित किए जाएंगे और निविदा की अनुसूची 'ड' में सम्मिलित कागज-पत्रों के साथ लगी संविदा की शर्तों में सम्मिलित किए जाएंगे तथा ऐसी प्रतिशत की गणना करने में भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय ठेकेदारों पर बाध्यकारी होगा।
 (iv) अन्य सामग्रियों (सीमेंट, प्रबलन छड़ें, ढांचागत स्टील पी.ओ.एल. अथवा खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट अन्य सामग्रियों को छोड़कर) तथा पी. ओ. एल. की वृद्धि के लिए प्रति कर की नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार संगणना की जाएगी :

निर्माण कार्य **l kexh** के लिए सिविल घटक (सीमेंट, ढांचागत स्टील, प्रबलन छड़ें, पी ओ एल तथा खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट अन्य सामग्रियों को छोड़कर)/ वैद्युत घटक का समायोजन

$$\text{वी.एम.} = \text{डब्ल्यू} \times \frac{\text{एक्स एम}}{100} \times \frac{\text{एम आई}-\text{एम आई}_0}{\text{एम आई}_0}$$

- वी एम = सामग्री की लागत में घट-बढ़ अर्थात् दी जाने वाली या वसूल की जाने वाली रकम के रूपों में वृद्धि या कमी।
 डब्ल्यू = किए गए कार्य की लागत जिसकी संगणना खंड 10 ग क के उप-पैरा (ii) में बताए अनुसार की गई है।
 एक्स एम = कार्य के (सीमेंट, ढांचागत स्टील, प्रबलन छड़ें, पी ओ एल तथा खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट अन्य सामग्रियों को छोड़कर) कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त सामग्री का घटक है।
 एम आई = अलग-अलग वस्तुओं/समूह मदों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्माण कार्य सामग्री के सिविल घटक/वैद्युत घटक* के लिए निर्धारित अखिल भारतीय



Price Index for Individual Commodities/ Group Items for the period under consideration as published by Economic Advisor to Govt. of India, Ministry of Industry & Commerce and applying weightages to the Individual Commodities/Group Items. (In respect of the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2, the index prevailing at the time of updated stipulated date of completion considering the effect of extra work (extra time to be calculated on prorata basis only as cost of extra work x stipulated period/tendered cost, shall be considered.)

MI₀ = All India Wholesale Price Index for civil component/electrical component* of construction material as worked out on the basis of All India Wholesale Price Index for Individual Commodities/Group Items valid on the last stipulated date of receipt of tender including extension, if any, as published by the Economic Advisor to Govt. of India, Ministry of Industry & Commerce and applying weightages to the Individual Commodities/Group items.

***Note:** relevant component only will be applicable.

- (v) The following principles shall be followed while working out the indices mentioned in para (iv) above.
 - (a) The compensation for escalation shall be worked out at quarterly intervals and shall be with respect to the cost of work done as per bills paid during the three calendar months of the said quarter. The dates of preparation of bills as finally entered in the Measurement Book by the Assistant Engineer/ date of submission of bill finally by the contractor to the department in case of computerised measurement books shall be the guiding factor to decide the bills relevant to the quarterly interval. The first such payment shall be made at the end of three months after the month (excluding the month in which tender was accepted) and thereafter at three months' interval. At the time of completion of the work, the last period for payment might become less than 3 months, depending on the actual date of completion.
 - (b) The index (MI/FI etc.) relevant to any quarter/period for which such compensation is paid shall be the arithmetical average of the indices relevant to the three calendar months. If the period up to date of completion after the quarter covered by the last such installment of payment, is less than three months, the index MI and FI shall be the average of the indices for the months falling within that period.

- (vi) The compensation for escalation for labour shall be worked out as per the formula given below:-

$$VL = W \times \frac{Y}{100} \times \frac{LI - LI_0}{LI_0}$$

- VL : Variation in labour cost i.e. amount of increase or decrease in rupees to be paid or recovered.
- W : Value of work done, worked out as indicated in sub-para (ii) above.
- Y : Component of labour expressed as a percentage of the total value of the work.
- LI : Minimum wage in rupees of an unskilled adult male mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as applicable on the last date of the quarter previous to the one under consideration. (In respect of the justified period extended under the provisions of clause 5 of the contract without any action under clause 2, the minimum wage prevailing on the last date



थोक मूल्य सूचकांक जैसा कि भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा विचाराधीन अवधि के लिए प्रकाशित किया गया हो और अलग-अलग वस्तुओं/समूह मदों को महत्व दिया गया हो।

{(संविदा के खंड 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत बढ़ाई गई न्यायोचित अवधि के संबंध में खंड-2 के अंतर्गत कोई कार्यवाही न करते हुए, कार्य समापन की अघटित निर्धारित (अतिरिक्त कार्य की लागत x निर्धारित अवधि/प्रस्तुत लागत, के रूप में अनुपातिक आधार पर परिकलित की जाने वाली अवधि) को लागू सूचकांक अपनाया जाएगा।)}

एम आई₀ = अलग-अलग वस्तुओं/ समूह मदों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्माण कार्य सामग्री के सिविल घटक/वैद्युत घटक* के लिए निर्धारित अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक जैसा कि भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया गया हो और जैसा कि निविदाओं को प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख पर, समय वृद्धि सहित, यदि हो, विधिमाम्य हो और अलग-अलग वस्तुओं/समूह मदों को महत्व दिया गया हो।

***fVli.kh** % केवल सम्बंधित घटक लागू होगा।

(v) उपर्युक्त पैरा (iv) में उल्लिखित सूचकांक, निकालते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा :-

(क) वृद्धि के लिए प्रतिकर की संगणना त्रैमासिक अंतरालों पर की जाएगी और वह पिछले तीन मास के दौरान भुगतान किए गए बिलों के अनुसार किए गए कार्य की लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी। त्रैमासिक अंतराल के लिए प्रासंगिक बिल की तिथि माप पुस्तिका में सहायक इंजिनियर द्वारा अंतिम रूप से बिल बनाने की दर्ज की गई तिथि/ठेकेदार द्वारा विभाग को (कम्प्यूटराइस्ड माप पुस्तिका की दशा) में अंतरिम बिल जमा करने की तिथि के अनुसार मार्गदर्शक कारक होंगी। ऐसा पहला संदाय उस मास के (उस माह को छोड़कर जिसमें निविदा स्वीकार की गई थी) बाद, जो तीन मास के अन्त में और तत्पश्चात तीन मास के अन्तराल पर किया जाएगा। कार्य समापन के समय भुगतान के लिए अन्तिम अवधि तीन मास से कम हो सकती है, जो कि कार्य समापन की वास्तविक तारीख पर निर्भर करेगी।

(ख) सूचकांक (एम आई/एफ आई आदि) उस तिमाही/अवधि से संबंधित सूचकांक होगा जिस तिमाही के लिए प्रतिकर दिया जाता है उससे संबंधित सूचकांक, संबंधित तीन माह के सूचकांक का गणितीय औसत होगा। अन्तिम ऐसी किस्त के भुगतान के बाद यदि कार्य समापन की तारीख तक अवधि तीन माह से कम है तो सूचकांक एम आई और एफ आई उस अवधि में पड़ने वाले माह के सूचकांकों का औसत होंगे।

(vi) **Je** की वृद्धि के लिए प्रतिकर की नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार संगणना की जाएगी :

$$\text{वी एल} = \text{डब्ल्यू} \times \frac{\text{वाई}}{100} \times \frac{\text{एल आई}- \text{एल आई}_0}{\text{एल आई}_0}$$

वी एल = श्रम लागत में घट-बढ़ अर्थात् दी जाने वाली या वसूल की जाने वाली रकम की रूपयों में वृद्धि या कमी।

डब्ल्यू = किए गए कार्य की लागत जिसकी संगणना उपर्युक्त उप-पैरा (ii) में बताए अनुसार की गई है।

वाई = श्रम घटक जो कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया हो।

एल आई = विचाराधीन तिमाही के पहले की तिमाही में अन्तिम दिन लागू किसी भी कानून सांविधिक नियम या आदेश के तहत निश्चित की गई अकुशल वयस्क पुरुष मजदूर की रूपयों में न्यूनतम मजदूरी। (संविदा के खंड 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत बढ़ाई गई न्यायोचित अवधि के संबंध में खंड-2 के अंतर्गत कोई कार्यवाही न करते हुए, कार्य समापन की अघटित निर्धारित (अतिरिक्त कार्य की लागत x निर्धारित अवधि/प्रस्तुत लागत, के रूप में अनुपातिक आधार पर परिकलित की जाने वाली अवधि) की तिमाही से पहले की तिमाही में अंतिम दिन लागू न्यूनतम मजदूरी अपनाया जाएगा।)



of quarter previous to the quarter pertaining to updated stipulated date of Completion considering the effect of extra work (extra time to be calculated on prorata basis only as cost of extra work x stipulated period/tendered cost, shall be considered.)

L_0 : Minimum daily wage in rupees of an unskilled adult male mazdoor, fixed under any law, statutory rule or order as on the last stipulated date of receipt of tender including extension, if any.

- (vii) The following principles will be followed while working out the compensation as per sub-para (vi) above.
- (a) The minimum wage of an unskilled male mazdoor mentioned in sub-para (vi) above shall be the higher of the wage notified by Government of India, Ministry of Labour and that notified by the local administration both relevant to the place of work and the period of reckoning.
 - (b) The escalation for labour also shall be paid at the same quarterly intervals when escalation due to increase in cost of materials is paid under this clause. If such revision of minimum wages takes place during any such quarterly intervals, the escalation compensation shall be payable at revised rates only for work done in subsequent quarters;
 - (c) Irrespective of variations in minimum wages of any category of labour, for the purpose of this clause, the variation in the rate for an unskilled adult male mazdoor alone shall form the basis for working out the escalation compensation payable on the labour component.
- (viii) In the event the price of materials and/or wages of labour required for execution of the work decrease/s, there shall be a downward adjustment of the cost of work so that such price of materials and/or wages of labour shall be deductible from the cost of work under this contract and in this regard the formula herein before stated under this Clause 10CC shall mutatis mutandis apply, provided that:
- (a) no such adjustment for the decrease in the price of materials and/or wages of labour aforementioned would be made in case of contracts in which the stipulated period of completion of the work is equal to or less than the time as specified in Schedule 'F'.
 - (b) the Engineer-in-Charge shall otherwise be entitled to lay down the procedure by which the provision of this sub-clause shall be implemented from time to time and the decision of the Engineer-in-Charge in this behalf shall be final and binding on the contractor.
- (ix) Provided always that:-
- (a) Where provisions of clause 10CC are applicable, provisions of clause 10C will not be applicable but provisions of clause 10CA will be applicable.
 - (b) Where provisions of clause 10CC are not applicable, provisions of clause 10C and 10CA will become applicable.

Note: Updated stipulated date of completion (period of completion plus extra time for extra work for compensation under clause 10C, 10CA and 10CC, the factor of 1.25 taken into account for calculating the extra time under clause 12.1 for extra time shall not be considered while calculating the updated stipulated date of completion for this purpose in clause 10C, clause 10CA, and clause 10CC.

CLAUSE 10 D

The contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the site for a work, etc. as Government's property and such materials shall be disposed off to the best advantage of Government according to the instructions in writing issued by the Engineer-in-Charge.

Dismantled
Material Govt.
Property



एल आई₀ = निविदा स्वीकार करने की अन्तिम निर्धारित तारीख तक, समय वृद्धि सहित, यदि हो, किसी भी कानून सांविधिक नियम या आदेश के तहत निश्चित की गई अकुशल वयस्क पुरुष मजदूर की रूपों में न्यूनतम दैनिक मजदूरी।

(vii) उपर्युक्त उप पैरा—(vi) के अनुसार प्रतिकर की गणना के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया जाएगा—

(क) उपर्युक्त उप पैरा—(vi) में उल्लिखित, एक अकुशल पुरुष मजदूर की न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित मजदूरी हो, जो दोनों कार्य के स्थान एवं गणना अवधि से संगत हों, इन दोनों मजदूरियों में से उच्चतर होगी।

(ख) इस खण्ड के तहत सामग्रियों की लागत में वृद्धि के कारण किए गए भुगतान के अनुसार ही श्रमिकों को वृद्धि के लिए उन्हीं तिमाही अन्तरालों में भुगतान किया जाएगा। यदि ऐसी तिमाही अन्तराल में न्यूनतम मजदूरी में ऐसा कोई संशोधन होता है तो वृद्धि—प्रतिकर केवल संशोधित दरों पर उसके बाद की तिमाही में किए गए कार्य के लिए देय होगा।

(ग) श्रमिकों विभिन्न वर्गों की न्यूनतम मजदूरी में अन्तर होने के बावजूद, इस खण्ड के प्रयोजन से, श्रम घटक को दिए जाने वाले वृद्धि प्रतिकर की गणना, अकुशल, वयस्क पुरुष मजदूर की दरों के अंतर के आधार पर की जाएगी।

(viii) यदि सामग्री का मूल्य और/या कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की मजदूरियां, कम हो जाती हैं तो कार्य की लागत का अधोगामी समायोजन किया जाएगा जिससे सामग्री के ऐसे मूल्य और/या श्रमिकों की ऐसी मजदूरियों की इस संविदा के अधीन कार्य की लागत से कटौती की जाएगी और इस बारे में इस खण्ड 10 गग के अधीन यहां पहले बताया गया फार्मूला यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा परन्तु :

(क) उन संविदाओं की दशा में, जिनमें कार्य पूरा करने की नियत अवधि अनुसूची 'च' में उल्लेखित के अनुसार या इससे कम है, सामग्री का मूल्य और/या ऊपर वर्णित श्रमिकों की मजदूरियों में कमी के लिए ऐसा कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

(ख) भारसाधक इंजीनियर को अन्यथा अधिकार होगा कि वह ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें जिससे इस उपखण्ड का उपबंध समय—समय पर कार्यान्वित किया जाएगा और इस निमित्त भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(ix) (क) जहाँ खंड 10 ग ग के प्रावधान लागू होंगे वहां खंड 10 ग के प्रावधान लागू नहीं होंगे परन्तु खंड 10 ग क के प्रावधान लागू होंगे।

(ख) जहाँ खंड 10 ग ग के प्रावधान लागू नहीं होंगे वहां खंड 10 ग तथा खंड 10 ग क के प्रावधान लागू होंगे

[k.M 10 ?k

ढांचे को तोड़ने फोड़ने, कार्यस्थल की खुदाई आदि के दौरान प्राप्त सभी सामग्रियों को ठेकेदार सरकार की सम्पत्ति के रूप में मानेगा और ऐसी सामग्रियों को भारसाधक इंजीनियर के लिखित अनुदेशों के अनुसार सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए निपटाएगा।

rkM+ QkM+ l s çklr
l kexh l jdkj dh
l Ei fYk gS

**CLAUSE 11**

Work to be Executed in Accordance with Specifications, Drawings, Orders etc.

The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workmanlike manner both as regards materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also conform exactly, fully and faithfully to the design, drawings and instructions in writing in respect of the work signed by the Engineer-in-Charge and the contractor shall be furnished free of charge one copy of the contract documents together with specifications, designs, drawings and instructions as are not included in the standard specifications of Central Public Works Department specified in Schedule 'F' or in any Bureau of Indian Standard or any other, published standard or code or, Schedule of Rates or any other printed publication referred to elsewhere in the contract.

The contractor shall comply with the provisions of the contract and with the care and diligence execute and maintain the works and provide all labour and materials, tools and plants including for measurements and supervision of all works, structural plans and other things of temporary or permanent nature required for such execution and maintenance in so far as the necessity for providing these, is specified or is reasonably inferred from the contract. The Contractor shall take full responsibility for adequacy, suitability and safety of all the works and methods of construction.

CLAUSE 12 :

Deviations/ Variations Extent and Pricing

The Engineer-in-Charge shall have power (i) to make alteration in, omissions from, additions to, or substitutions for the original specifications, drawings, designs and instructions that may appear to him to be necessary or advisable during the progress of the work, and (ii) to omit a part of the works in case of non-availability of a portion of the site or for any other reasons and the contractor shall be bound to carry out the works in accordance with any instructions given to him in writing signed by the Engineer-in-Charge and such alterations, omissions, additions or substitutions shall form part of the contract as if originally provided therein and any altered, additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner specified above as part of the works, shall be carried out by the contractor on the same conditions in all respects including price on which he agreed to do the main work except as hereafter provided.

The completion cost of any agreement for Maintenance works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration shall not exceed 1.25 times of Tendered amount.

12.1 The time for completion of the works shall, in the event of any deviations resulting in additional cost over the tendered value sum being ordered, be extended, if requested by the contractor, as follows :

- (i) In the proportion which the additional cost of the altered, additional or substituted work, bears to the original tendered value plus
- (ii) 25% of the time calculated in (i) above or such further additional time as may be considered reasonable by the Engineer-in-Charge.

12.2 A. For Project and original works:

Deviation, Extra Items and Pricing

In the case of extra item(s) (items that are completely new, and are in addition to the items contained in the contract), the contractor may within fifteen days of receipt of order or occurrence of the item(s) claim rates, supported by proper analysis, for the work and the engineer-in-charge shall within prescribed time limit of the receipt of the claims supported by analysis, after giving consideration to the analysis of the rates submitted by the contractor, determine the rates on the basis of the market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so determined.

ठेकेदार सामग्रियों और अन्य हर तरह से पूरे कार्य और कार्य के प्रत्येक भाग को पूरी तरह विनिर्देशों के अनुरूप, सुदृढ़ और कारीगरीपूर्ण ढंग से निष्पादित करेगा। ठेकेदार अभिकल्प, आरेखों और भारसाधक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित कार्य के सम्बन्ध में लिखित अनुदेशों को सही तरह से, पूर्णतः और निष्ठा से पालन करेगा और ठेकेदार को ठेका कागजात की एक प्रति जिसमें विनिर्देश, अभिकल्प आरेख और ऐसे अनुदेश जो अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानक विनिर्देश में शामिल न हों या किसी भारतीय मानक ब्यूरो या किसी अन्य प्रकाशित मानक या संहिता या दर अनुसूची या ठेके में अन्यत्र उल्लिखित कोई अन्य मुद्रित प्रकाशन में न हों, उनके सहित बिना शुल्क दिए जाएंगे।

fofunʒ kʃ uD' kka
vkns' kka vkfn ds
vuq kj dk; 7 fu"i knu

ठेकेदार ठेके के प्रावधानों का पालन करेगा और कार्य का निष्पादन और अनुरक्षण पूरी सावधानी और परिश्रम से करेगा और सभी कार्यों को मापने और पर्यवेक्षण के लिए, श्रमिक और सामग्रियां, औजार एवं संयंत्रों, संरचनात्मक प्लान और निष्पादन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित स्थायी और अस्थायी प्रकृति की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराएगा यदि इन्हें उपलब्ध कराना निर्दिष्ट हो या ठेके में ऐसा समुचित अभिप्राय हो। ठेकेदार निर्माण की विधियों और सभी कार्यों की पर्याप्तता, उपयुक्तता और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा।

[k.M 12

भारसाधक इंजीनियर को अधिकार होगा कि वह (1) मूल विनिर्देशों, आरेखों, अभिकल्पों, और अनुदेशों में ऐसे परिवर्तन, विलोप, परिवर्द्धन, प्रतिस्थापन कर सकता है जो वह कार्य की प्रगति के दौरान आवश्यक अथवा उचित समझे। और (2) कार्यस्थल के किसी भाग के अनुपलब्धता या किन्हीं अन्य कारणों से कार्य के किसी भाग को छोड़ सकता है और ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित किसी भी अनुदेशों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा और ऐसे परिवर्तन, विलोप, परिवर्द्धन या प्रतिस्थापन ठेके के भाग होंगे और इन्हें यह माना जाएगा कि वे पहले से ही मूलतः ठेके में विद्यमान थे और किसी भी परिवर्तित, अतिरिक्त, प्रतिस्थापित कार्य को कार्य के भाग के रूप में उपयुक्त निर्दिष्ट अनुसार करने का ठेकेदार को निर्देश दिया गया हो तो, ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर मुख्य कार्य के लिए तय किए गए मूल्य सहित हर तरह से उन्हीं शर्तों पर किया जाएगा।

fopyu@vlrj l hek
rfkk dher fuekkj .k

उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, जोड़ना/बदलना सहित अनुरक्षण कार्य के लिए किसी करार की पूर्णता लागत निविदत्त राशि का 1.25 गुना से अधिक नहीं होगा।

12-1

यदि आदेश किए जा रहे विचलन के कारण, निविदित्त मूल्य राशि से अधिक, अतिरिक्त, लागत होती है तो ठेकेदार के अनुरोध करने पर कार्य पूरा करने का समय निम्नलिखित अनुसार बढ़ाया जाएगा :—

- परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की अतिरिक्त लागत का मूल निविदित्त मूल्य से जो अनुपात हो।
- उपर्युक्त (i) में निकाले गए समय का 25 प्रतिशत या ऐसा अतिरिक्त समय जो भारसाधक इंजीनियर उचित समझे।

12-2

क. परियोजना एवं मूल निर्माण कार्य के लिए:

अतिरिक्त मदों के मामले में (जो मदें पूर्णतया नई हैं तथा संविदा में निहित मदों के अतिरिक्त हैं) ठेकेदार आदेश प्राप्त होने या मदों के होने के 15 दिन के भीतर, विश्लेषण देकर दरों का दावा कर सकता है तथा भारसाधक अभियंता विश्लेषण सहित दावों की प्राप्ति की निर्धारित समय सीमा के भीतर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दर विश्लेषण पर विचार करने के पश्चात् बाजार दर के आधार पर दर निर्धारित करेगा तथा ठेकेदार को भुगतान इस प्रकार निर्धारित दर से अनुसार किया जाएगा। प्रतिस्थापित मदों के मामले में (वे मदें जिन्हें आंशिक प्रतिस्थापन के साथ अथवा संविदा में कार्य की मदों के स्थान पर अपनाया गया हो) करार मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) तथा प्रतिस्थापित मद के लिए भी दर को निम्नलिखित पैरा में उल्लिखित ढंग से निर्धारित किया जाएगा।

fopyu] vrfjDr ena
rfkk dher fuekkj .k



- B. For Maintenance works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration:

In the case of Extra Item(s) being the schedule items (Delhi Schedule of Rates items), these shall be paid as per the schedule rate plus cost index (at the time of tender) plus/minus percentage above/ below quoted contract amount.

Payment of Extra items in case of non-schedule items (Non-DSR items) shall be made as per the prevailing market rate.

- A. For Project and original works:

In the case of substituted items (items that are taken up with partial substitution or in lieu of items of work in the contract), the rate for the agreement item (to be substituted) and substituted item shall also be determined in the manner as mentioned in the following para.

- (a) If the market rate for the substituted item so determined is more than the market rate of the agreement item (to be substituted), the rate payable to the contractor for the substituted item shall be the rate for the agreement item (to be substituted) so increased to the extent of the difference between the market rates of substituted item and the agreement item (to be substituted).
- (b) If the market rate for the substituted item so determined is less than the market rate of the agreement item (to be substituted), the rate payable to the contractor for the substituted item shall be the rate for the agreement item (to be substituted) so decreased to the extent of the difference between the market rates of substituted item and the agreement item (to be substituted).

- B. For Maintenance works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration:

In the case of Substitute Item(s) being the schedule items (Delhi Schedule of Rates items), these shall be paid as per the schedule rate plus cost index (at the time of tender) plus/minus percentage above/ below quoted contract amount. Payment of Substitute in case of non-schedule items (Non-DSR items) shall be made as per the prevailing market rate.

- A. For Project and original works:

In the case of contract items, substituted items, contract cum substituted items, which exceed the limits laid down in schedule F, the contractor may within fifteen days of receipt of order or occurrence of the excess, claim revision of the rates, supported by proper analysis for the work in excess of the above mentioned limits, provided that if the rates so claimed are in excess of the rates specified in the schedule of quantities, the Engineer-in-Charge shall within prescribed time limit of receipt of the claims supported by analysis, after giving consideration to the analysis of the rates submitted by the contractor, determine the rates on the basis of the market rates and the contractor shall be paid in accordance with the rates so determined.

- B. For Maintenance works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration:

In the case of contract items, which exceed the limits laid down in schedule F, the contractor shall be paid rates specified in the schedule of quantities.

**Deviation,
Substituted Items,
Pricing**

**Deviation,
Deviated Quantities,
Pricing**



ख. उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, जोड़ना/बदलना सहित अनुरक्षण कार्य के लिए:

अतिरिक्त मद के अनुसूची मदें (दिल्ली दर अनुसूची मद) होने की स्थिति में इनका भुगतान अनुसूची दर जमा लागत सूचकांक (निविदा के समय) जमा/घटाव कोट की गई संविदा राशि से अधिक/कम प्रतिशत।

गैर अनुसूची मदों (गैर दिल्ली अनुसूची दर मदों) के मामले में अतिरिक्त मदों का भुगतान मौजूदा बाजार दर के अनुसार किया जाएगा।

क. परियोजना एवं मूल निर्माण कार्य के लिए:

प्रतिस्थापित मदों के मामले में (वे मदें जिन्हें आंशिक प्रतिस्थापन के साथ अथवा संविदा में कार्य की मदों के स्थान पर अपनाया गया हो) करार मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) तथा प्रतिस्थापित मद के लिए भी दर को निम्नलिखित पैरा में उल्लिखित ढंग से निर्धारित किया जाएगा।

(अ) यदि इस प्रकार निर्धारित मद की बाजार दर, करार मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) की बाजार दर से अधिक हो तो प्रतिस्थापित मद के लिए ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली दर करार मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) की वह दर होगी जिसे प्रतिस्थापित मद तथा करार मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) की बाजार दरों के अंतर की सीमा तक बढ़ाया गया हो।

(ब) यदि इस प्रकार निर्धारित प्रतिस्थापित मद की बाजार दर करार मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) की बाजार दर से कम हो तो प्रतिस्थापित मद के लिए ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली दर करार मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) की वह दर होगी जिसे प्रतिस्थापित मद तथा करार मद (प्रतिस्थापित की जाने वाली) की बाजार दरों के अंतर की सीमा तक घटाया गया हो।

ख. उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, जोड़ना/बदलना सहित अनुरक्षण कार्य के लिए:

प्रतिस्थानापन्न मद अनुसूची मदें (दिल्ली दर अनुसूची मद) होने की स्थिति में इनका भुगतान अनुसूची दर जमा लागत सूचकांक (निविदा के समय) जमा/घटाव कोट की गई संविदा राशि से अधिक/कम प्रतिशत। गैर अनुसूची मदों (गैर दिल्ली अनुसूची दर मदों) के मामले में प्रतिस्थानापन्न मदों का भुगतान मौजूदा बाजार दर के अनुसार किया जाएगा।

क. परियोजना एवं मूल निर्माण कार्य के लिए:

ठेका मदें, प्रतिस्थापित मदों, ठेका व प्रतिस्थापित मदें जो अनुसूची 'च' में दी गई सीमाओं से अधिक हों, उनके मामले में ठेकेदार आदेश प्राप्त होने या ऐसा आधिक्य होने के पन्द्रह दिन के भीतर, उपर्युक्त सीमाओं से अधिक के कार्य के लिए उपयुक्त विश्लेषण देकर दरों में संशोधन का दावा कर सकता है, यदि दावा की गई ऐसी दरें, मात्राओं की अनुसूची में निर्दिष्ट दर से अधिक हो तो भारसाधक इंजीनियर विश्लेषण सहित दावों की प्राप्ति के एक माह के भीतर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दर विश्लेषण पर विचार करने के पश्चात बाजार दर के आधार पर दर निर्धारित करेगा तथा ठेकेदार को भुगतान इस प्रकार निर्धारित दर के अनुसार किया जाएगा।

ख. उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, जोड़ना/बदलना सहित अनुरक्षण कार्य के लिए:

संविदा मदों जो अनुसूची 'च' में निर्धारित सीमाओं को पार कर जाते हैं, के मामले में ठेकेदार को मात्राओं की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

fopyu] çfrLFkfi r
en] dher dk
fuekkj .k

fopyu] fopfy r
ek=k] dher fuekkj .k



The prescribed time limits for finalising rates for Extra Item(s), Substitute Item(s) and Deviated Quantities of contract items are as under:

- | | |
|---|----------|
| (i) If the Tendered value of work is up to Rs. 45 lac : | 30 days. |
| (ii) If the Tendered value of work is more than Rs 45 lac and up to Rs. 2.5 Crore : | 45 days. |
| (iii) If the Tendered value of work exceeds Rs. 2.5 Crore : | 60 days. |

12.3 A. For Project and original works:

The provisions of the preceding paragraph shall also apply to the decrease in the rates of items for the work in excess of the limits laid down in Schedule F, and the Engineer-in-Charge shall after giving notice to the contractor within one month of occurrence of the excess and after taking into consideration any reply received from him within fifteen days of the receipt of the notice, revise the rates for the work in question within one month of the expiry of the said period of fifteen days having regard to the market rates.

B. For Maintenance works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration:

In case of decrease in the rates prevailing in the market of items for the work in excess of the limits laid down in Schedule F, the Engineer-in-Charge shall after giving notice to the contractor within one month of occurrence of the excess and after taking into consideration any reply received from him within fifteen days of the receipt of the notice, revise the rates for the work in question within one month of the expiry of the said period of fifteen days having regard to the market rates.

12.4 The contractor shall send to the Engineer-in-Charge once every three months, an up to date account giving complete details of all claims for additional payments to which the contractor may consider himself entitled and of all additional work ordered by the Engineer-in-Charge which he has executed during the preceding quarter failing which the contractor shall be deemed to have waived his right. However, the Superintending Engineer may authorise consideration of such claims on merits.

12.5 For the purpose of operation of Schedule "F", the following works shall be treated as works relating to foundation unless & otherwise defined in the contract:

- (i) For Buildings : All works up to 1.2 metres above ground level or up to floor 1 level whichever is lower.
- (ii) For abutments, piers and well staining : All works up to 1.2 m above the bed level.
- (iii) For retaining walls, wing walls, compound walls, chimneys, over head reservoirs/ tanks and other elevated structures : All works up to 1.2 metres above the ground level.
- (iv) For reservoirs/tanks (other than overhead reservoirs/tanks) : All works up to 1.2 metres above the ground level.
- (v) For basement: All works up to 1.2 m above ground level or up to floor 1 level whichever is lower.
- (vi) For Roads, all items of excavation and filling including treatment of sub base.

12.6 Any operation incidental to or necessarily has to be in contemplation of tenderer while filing. tender, or necessary for proper execution of the item included in the Schedule of quantities or in the schedule of rates mentioned above, whether or not, specifically indicated in the description of the item and the relevant specifications, shall be deemed to be included in the rates quoted by the tenderer or the rate given in the said schedule of rates, as the case may be. Nothing extra shall be admissible for such operations.



अतिरिक्त, प्रतिस्थापित एवम् ठेका (विचलन सीमा के पश्चात्) मदों की दरों का निर्धारण निम्नलिखित समय सीमाओं के भीतर किया जाएगा :

- (i) यदि कार्य का निविदा मूल्य 45 लाख रु. तक है : 30 दिन
- (ii) यदि कार्य का निविदा मूल्य 45 लाख रु. से अधिक तथा 2.5 करोड़ रु. तक है : 45 दिन
- (iii) यदि कार्य का निविदा मूल्य 2.5 करोड़ रु. को पार कर जाता है : 60 दिन

12-3 क. परियोजना एवं मूल निर्माण कार्य के लिए:

पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रावधान अनुसूची 'च' में दी गई सीमाओं से अधिक कार्य कराने के लिए मदों की दरों में कमी पर भी लागू होंगे तथा भारसाधक अभियंता ठेकेदार को नोटिस देने के बाद कार्य अधिक्य के एक माह के भीतर और उससे प्राप्त किसी उत्तर को ध्यान में रखते हुए नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर बाजार दर को ध्यान में रखते हुए उक्त पन्द्रह दिन की अवधि पूरा होने के एक माह के भीतर प्रसंगाधीन कार्य के लिए दरें संशोधित करेगा।

ख. उन्नयन, सौंदर्य, विशेष मरम्मत, जोड़ना/बदलना सहित अनुरक्षण कार्य के लिए:

अनुसूची 'च' में दी गई सीमाओं से अधिक कार्य कराने के लिए मदों की बाजार दरों में कमी होने की दशा में, भारसाधक अभियंता ठेकेदार को नोटिस देने के बाद कार्य अधिक्य के एक माह के भीतर और उससे प्राप्त किसी उत्तर को ध्यान में रखते हुए नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर बाजार दर को ध्यान में रखते हुए उक्त पन्द्रह दिन की अवधि पूरा होने के एक माह के भीतर प्रसंगाधीन कार्य के लिए दरें संशोधित करेगा।

12-4 ठेकेदार प्रत्येक तीन माह में एक बार भारसाधक इंजीनियर को अतिरिक्त भुगतानों के, जिनका ठेकेदार स्वयं को हकदार समझता हो, सभी दावों, और सभी अतिरिक्त कार्य के जिनका भारसाधक इंजीनियर द्वारा ओदश दिया गया और जो उसके द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान निष्पादित किए गए, पूर्ण विवरण सहित अद्यतन ब्यौरा देगा और ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने अपने अधिकार छोड़ दिए हैं। किन्तु, अधीक्षण इंजीनियर ऐसे दावों पर गुण दोष के आधार पर विचार के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

12-5 जब तक/अन्यथा ठेके में उल्लेखित न हो, अनुसूची 'च' के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्यों को नींव से संबंधित कार्य माना जाएगा :-

- (i) भवनों के लिए: भूमितल से 1.2 मीटर ऊपर या फर्श 1 तल, जो भी निचला हो, तक के सभी निर्माण कार्य।
- (ii) पील पायों, पायों पुलों तथा कूप भित्ति के लिए: पैदी तल से 1.2 मीटर ऊपर तक के सभी निर्माण कार्य।
- (iii) धारक दीवारों, पक्ष दीवारों, अहाता दीवारों, चिमनियों, शिशोपरि हौज/टंकी तथा अन्य उत्थापित संरचनाओं के लिए: भूमि तल से 1.2 मीटर ऊपर तक के सभी निर्माण कार्य।
- (iv) हौज/टंकियों के लिए (शिशोपरि हौज/टंकियों के अलावा): भूमितल से 1.2 मीटर ऊपर तक के सभी निर्माण कार्य।
- (v) तहरखाने के लिए: भूमितल से 1.2 मीटर ऊपर या फर्श 1 तल, जो भी निचला हो, तक के सभी निर्माण कार्य।
- (vi) सड़कों के लिये, उप-आधार के उपचार सहित खुदाई तथा भराई की सभी मदें।

12-6 मात्राओं की अनुसूची या उपर्युक्त दर अनुसूची में सम्मिलित मद के समुचित निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भी आकस्मिक या आवश्यक कार्यकलाप, निविदा भरते समय निविदाकार के ध्यान में होने चाहिए चाहे मदों के विवरण या संबंधित विनिर्देशों में उनका विशेष उल्लेख न भी किया गया हो, उनको निविदाकार द्वारा कथित दरों या उक्त दरों की अनुसूची में, जैसा भी मामला हों, सम्मिलित माना जाएगा। ऐसे कार्यकलापों के लिए कुछ भी अतिरिक्त अनुमत्य नहीं होगा।



Foreclosure of contract due to Abandonment or Reduction in Scope of Work

CLAUSE 13

If at any time after acceptance of the tender, Engineer-in-charge shall decide to abandon or reduce the scope of the works for any reason whatsoever and hence not require the whole or any part of the works to be carried out, the Engineer-in-Charge shall give notice in writing to that effect to the contractor and the contractor shall act accordingly in the matter. The contractor shall have no claim to any payment of compensation or otherwise whatsoever, on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the works in full but which he did not derive in consequence of the foreclosure of the whole or part of the works.

The contractor shall be paid at contract rates, full amount for works executed at site and, in addition, a reasonable amount as certified by the Engineer-in-Charge for the items hereunder mentioned which could not be utilized on the work to the full extent in view of the foreclosure;

- (i) Any expenditure incurred on preliminary site work, e.g. temporary access roads, temporary labour huts, staff quarters and site office; storage accommodation and water storage tanks.
- (ii) Government shall have the option to take over contractor's materials or any part thereof either brought to site or of which the contractor is legally bound to accept delivery from suppliers (for incorporation in or incidental to the work) provided, however Government shall be bound to take over the materials or such portions thereof as the contractor does not desire to retain. For materials taken over or to be taken over by Government, cost of such materials as detailed by Engineer-in-Charge shall be paid. The cost shall, however, take into account purchase price, cost of transportation and deterioration or damage which may have been caused to materials whilst in the custody of the contractor.
- (iii) If any materials supplied by Government are rendered surplus, the same except normal wastage shall be returned by the contractor to Government at rates not exceeding those at which these were originally issued, less allowance for any deterioration or damage which may have been caused whilst the materials were in the custody of the contractor. In addition, cost of transporting such materials from site to Government stores, if so required by Government, shall be paid.
- (iv) Reasonable compensation for transfer of T & P from site to contractor's permanent stores or to his other works, whichever is less. If T & P are not transported to either of the said places, no cost of transportation shall be payable.
- (v) Reasonable compensation for repatriation of contractor's site staff and imported labour to the extent necessary.

The contractor shall, if required by the Engineer-in-Charge, furnish to him, books of account, wage books, time sheets and other relevant documents and evidence as may be necessary to enable him to certify the reasonable amount payable under this condition.

The reasonable amount of items on (i), (iv) and (v) above shall not be in excess of 2% of the cost of the work remaining incomplete on the date of closure, i.e. total stipulated cost of the work as per accepted tender less the cost of work actually executed under the contract and less the cost of contractor's materials at site taken over by the Government as per item (ii) above. Provided always that against any payments due to the contractor on this account or otherwise, the Engineer-in-Charge shall be entitled to recover or be credited with any outstanding balances due from the contractor for advance paid in respect of any tool, plants and materials and any other sums which at the date of termination were recoverable by the Government from the contractor under the terms of the contract.

A compensation for such eventuality, on account of damages etc. shall be payable @ 0.5% of cost of work remaining incomplete on date of closure i.e. total stipulated cost of the work less the cost of work actually executed under the contract shall be payable.

यदि निविदा स्वीकार करने के बाद किसी भी समय भारसाधक इंजीनियर किसी भी कारण से कार्य का परित्याग या उस की व्याप्ति में कटौती करने का निर्णय लेती है और समुचे कार्य या उसके किसी भाग को निष्पादित नहीं कराना चाहती है तो भारसाधक इंजीनियर ठेकेदार को इस आशय का लिखित नोटिस देगा और ठेकेदार मामले में तदनुसार कार्रवाई करेगा। ठेकेदार, किसी भी प्रतिकर के भुगतान या अन्यथा कुछ भी, लाभ या फायदे का, जो उसे समूचा कार्य निष्पादित करने से होता लेकिन समूचे कार्य अथवा उसके भाग के पूर्व समाप्ति के कारण उसे नहीं हुआ, दावेदार नहीं होगा।

dk; / ds i fjr; kx ; k
dk; / dh 0; kflr ea
dVl&h ds dkj .k Bds
dks l e; i wZ cn
djuk

ठेकेदार को ठेका दरों पर कार्यस्थल पर निष्पादित कार्य के लिए पूरा भुगतान किया जाएगा और उसके अतिरिक्त, यहां नीचे उल्लिखित मदों के लिए, जिनका कार्य की पूर्व समाप्ति के कारण कार्य पर पूरा उपयोग नहीं हो सका, के लिए भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित उचित राशि का भुगतान किया जाएगा।

- (i) कार्यस्थल में प्रारम्भिक कार्य जैसे पहुंचने के लिए अस्थायी सड़के, श्रमिकों की अस्थायी झोपड़ियां, स्टाफ क्वार्टर, कार्यस्थल कार्यालय, भण्डार स्थान और जल भंडारण टंकियों पर किया गया खर्च।
 - (ii) कार्यस्थल पर लाई गई या जिन्हें ठेकेदार आपूर्तिकर्ता से स्वीकार करने के लिए विधित : बाध्य हो (कार्य में शामिल अथवा कार्य के लिए प्रासंगिक) ऐसी सामग्रियों या उसके किसी भाग के अधिग्रहण के लिए सरकार को छूट होगी, लेकिन फिर भी, ठेकेदार जिन सामग्रियों या उनके किसी भाग को नहीं रखना चाहता हो उनके अधिग्रहण के लिए सरकार बाध्य होगी। सरकार द्वारा ली गई या ली जाने वाली सामग्रियों की लागत का भुगतान भारसाधक इंजीनियर के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। लागत का निर्धारण, क्रय मूल्य, परिवहन लागत और ठेकेदार की अभिरक्षा में रहते हुए सामग्रियों के क्षरण और उनकी क्षति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
 - (iii) ठेकेदार, सरकार द्वारा दी गई किसी भी अधिशेष सामग्री को, सामान्य टूट-फूट छोड़कर, उनकी मूल निर्गत दर से अनधिक दरों पर, जिसमें से ठेकेदार के पास रहते हुए सामग्रियों को हुई क्षति या नुकसान के लिए राशि काट ली जाएगी, सरकार को लौटाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी सामग्रियों को सरकार के भण्डार में पहुंचाने की, यदि सरकार चाहे तो, परिवहन लागत का भुगतान किया जाएगा।
 - (iv) औजार एवं संयंत्रों को कार्यस्थल से ठेकेदार के स्थायी भण्डार तक या किसी अन्य कार्य पर, जो भी कम हो, ले जाने के लिए उचित प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।
 - (v) ठेकेदार के कार्यस्थल स्टाफ और बाहर से लाए गए श्रमिकों की वापसी के लिए यथा आवश्यक उचित प्रतिकर।
- यदि भारसाधक इंजीनियर चाहे तो ठेकेदार, उन्हें लेखा बहियां, मजदूरी बही, शीटें और अन्य संबंधित आवश्यक कागजात और प्रमाण प्रस्तुत करेगा ताकि इस शर्त के तहत दी जाने वाली उचित राशि को वह प्रमाणित कर सके।

उपर्युक्त (i), (iv) और (v) मदों की उचित राशि, ठेका बंद होने की तारीख को अपूर्ण शेष कार्य की लागत के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी अर्थात् स्वीकृत निविदा के अनुसार कार्य की निर्धारित लागत में से ठेका के तहत वास्तव में निष्पादित कार्य की लागत और उपर्युक्त (ii) मद के अनुसार सरकार द्वारा ली गई ठेकेदार की कार्यस्थल सामग्रियों की लागत को घटा दिया जाएगा। परन्तु सर्वदा यह कि ठेकेदार को इस निमित्त या अन्यथा देय कोई भी भुगतान करते समय, ठेकेदार को किसी भी औजार, संयंत्रों, और सामग्रियों के संबंध में दिए गए अग्रिम में से बकाया कोई भी शेष राशि और इस ठेके के निबंधनों के तहत ठेका बंद होने की तारीख को सरकार द्वारा ठेकेदार से वसूल की जाने वाली किसी भी अन्य राशि को वसूल करने का भारसाधक इंजीनियर को अधिकार होगा।

ऐसी स्थिति में, क्षति, आदि के कारण मुआवजे का, कार्य बंद होने की तिथि पर कार्य की अपूर्ण लागत का 0.5 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा अर्थात् कार्य की कुल निर्धारित लागत में से संविदा के अंतर्गत वास्तव में निष्पादित किए गए कार्य की लागत को घटाकर भुगतान किया जाएगा।



**Carrying out part
work at risk & cost
of contractor**

Clause 14

If contractor:

- (i) At any time makes default during currency of work or does not execute any part of the work with due diligence and continues to do so even after a notice in writing of 7 days in this respect from the Engineer-in-Charge; or
- (ii) Commits default in complying with any of the terms and conditions of the contract and does not remedy it or takes effective steps to remedy it within 7 days even after a notice in writing is given in that behalf by the Engineer-in-Charge; or

Fails to complete the work(s) or items of work with individual dates of completion, on or before the date(s) so determined, and does not complete them within the period specified in the notice given in writing in that behalf by the Engineer-in-Charge.

The Engineer- in-Charge without invoking action under clause 3 may, without prejudice to any other right or remedy against the contractor which have either accrued or accrue thereafter to Government, by a notice in writing to take the part work / part incomplete work of any item(s) out of his hands and shall have powers to:

- (a) Take possession of the site and any materials, constructional plant, implements, stores, etc., thereon; and/or
- (b) Carry out the part work / part incomplete work of any item(s) by any means at the risk and cost of the contractor.

The Engineer-in-Charge shall determine the amount, if any, is recoverable from the contractor for completion of the part work/ part incomplete work of any item(s) taken out of his hands and execute at the risk and cost of the contractor, the liability of contractor on account of loss or damage suffered by Government because of action under this clause shall not exceed 10% of the tendered value of the work.

In determining the amount, credit shall be given to the contractor with the value of work done in all respect in the same manner and at the same rate as if it had been carried out by the original contractor under the terms of his contract, the value of contractor's materials taken over and incorporated in the work and use of plant and machinery belonging to the contractor. The certificate of the Engineer-in-Charge as to the value of work done shall be final and conclusive against the contractor provided always that action under this clause shall only be taken after giving notice in writing to the contractor. Provided also that if the expenses incurred by the department are less than the amount payable to the contractor at his agreement rates, the difference shall not be payable to the contractor.

Any excess expenditure incurred or to be incurred by Government in completing the part work/ part incomplete work of any item(s) or the excess loss of damages suffered or may be suffered by Government as aforesaid after allowing such credit shall without prejudice to any other right or remedy available to Government in law or per as agreement be recovered from any money due to the contractor on any account, and if such money is insufficient, the contractor shall be called upon in writing and shall be liable to pay the same within 30 days.

If the contractor fails to pay the required sum within the aforesaid period of 30 days, the Engineer-in-Charge shall have the right to sell any or all of the contractors' unused materials, constructional plant, implements, temporary building at site etc. and adjust the proceeds of sale thereof towards the dues recoverable from the contractor under the contract and if thereafter there remains any balance outstanding, it shall be recovered in accordance with the provisions of the contract.

In the event of above course being adopted by the Engineer-in-Charge, the contractor shall have no claim to compensation for any loss sustained by him by reason of his having purchased or procured any materials or entered into any engagements or made any advance on any account or with a view to the execution of the work or the performance of the contract.

CPWD
[k.M 14

यदि ठेकेदार :

- 1) कार्य निष्पादन के दौरान किसी समय कोई चूक करता है या कार्य के किसी भाग को पूरी कर्मठता से निष्पादित नहीं करता है और इस संबंध में प्रभारी अभियंता के लिखित नोटिस के 7 दिन के बाद भी उसी स्थिति को जारी रखता है, या
- 2) संविदा की शर्तों और निबंधन का अनुपालन करने में चूक करता है तथा इस संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा दिए गए लिखित नोटिस के 7 दिन के भीतर भी इसमें सुधार नहीं करता है या इसमें सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय नहीं करता है, या
- 3) कार्य (कार्यों) या कार्य की मदों को कार्य निष्पादन की विभिन्न तारीखों के मद्देनजर निर्धारित उक्त तारीख (तारीखों) को या इससे पहले पूरा करने में असफल रहता है और इन्हें प्रभारी अभियंता द्वारा इस संबंध में दिए गए लिखित नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं करता है।

प्रभारी अभियंता खंड 3 के अधीन कार्रवाई का अवलम्ब लिए बिना ठेकेदार के विरुद्ध किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय जो या तो सरकार को प्रोद्भूत हो चुका है या इसके बाद प्रोद्भूत हुआ है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लिखित नोटिस द्वारा किसी मद (मदों) के कार्य के किसी भाग/अपूर्ण कार्य के भाग को ठेकेदार से ले लेगा और उसे निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होंगी:

- क) कार्यस्थल और किसी सामग्री, निर्माण संबंधी संयंत्र, उपकरण, स्टोर आदि को कब्जे में लेना, उसके आधार पर और/अथवा
- ख) किन्हीं मद (मदों) के कार्य के भाग/अपूर्ण कार्य के किसी भाग का ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी प्रकार से निष्पादन करना

प्रभारी अभियंता ठेकेदार से लिए गए मद (मदों) के कार्य के किसी भाग/अपूर्ण कार्य के भाग को पूरा करने के लिए ठेकेदार से वसूली योग्य राशि, यदि कोई है, का निर्धारण करेगा और इसे ठेकेदार के जोखिम और लागत पर निष्पादित करेगा, इस खंड के अधीन कार्रवाई के कारण सरकार द्वारा उठाई गई हानि या नुकसान के कारण ठेकेदार की देयता कार्य के निविदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

राशि के निर्धारण के लिए सभी प्रकार से उसी तर्ज पर और उसी दर निष्पादित कार्य, मानो की इसे मूल ठेकेदार द्वारा उसकी संविदा की शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया था, के मूल्य के साथ ली गई और कार्य में समाविष्ट ठेकेदार की सामग्री के मूल्य तथा ठेकेदार से संबंधित संयंत्र और मशीनरी के उपयोग के लिए धन राशि दी जाएगी। किये गए कार्य के मूल्य के लिए प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र ठेकेदार के लिए अंतिम और निर्णायक होगा, परंतु यह कि इस खंड के अधीन कार्रवाई ठेकेदार को लिखित नोटिस देने के बाद ही की जाएगी। परंतु यह भी कि यदि विभाग द्वारा किए गए खर्च ठेकेदार को उसके करार दरों पर देय धन राशि से कम हैं, तो इस राशि का अंतर ठेकेदार को देय नहीं होगा।

किन्हीं मदों के कार्य के भाग/अपूर्ण कार्य के भाग को पूरा करने में सरकार द्वारा किये गए या किए जाने वाले किसी अतिरिक्त खर्च या कानून में या करार के अनुसार सरकार के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचारी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या सुविधा देने के बाद जैसाकि ऊपर कहा गया है सरकार द्वारा उठाई गई अतिरिक्त हानि को ठेकेदार को देय या किसी अन्य कारण से धन राशि से वसूल किया जाएगा और यदि यह धनराशि अपर्याप्त है तो ठेकेदार को लिखित में बताया जाएगा और वह यह राशि 30 दिन के भीतर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

यदि ठेकेदार अपेक्षित धनराशि को 30 दिन के उक्त अवधि के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है, प्रभारी अभियंता को ठेकेदार की किसी अथवा सभी अप्रयुक्त सामग्री, निर्माण संबंधी संयंत्र, उपकरणों, कार्य स्थल पर अस्थायी भवन आदि को बेचने का अधिकार होगा तथा इस विक्रय से प्राप्त आगम राशि को संविदा के अंतर्गत ठेकेदार से वसूल करने संबंधी देय राशि के लिए समायोजित करने का अधिकार होगा और यदि इसके बाद धनराशि बकाया रहती है, इसे संविदा के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा।

प्रभारी अभियंता द्वारा अपनाई जा रही उपर्युक्त प्रक्रिया के कारण ठेकेदार को किसी सामग्री को खरीदने या प्राप्त करने या किसी कारण कोई करार करने या कोई अग्रिम मंजूर करने अथवा संविदा के निष्पादन या कार्य के निष्पादन के प्रयोजन से उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार का कोई दावा नहीं होगा।

Bdnkj ds tkf[ke
vkj ylxr ij dk;Z
ds Hkkx dk fu"i knu

**Suspension of Work****CLAUSE 15**

(i) The contractor shall, on receipt of the order in writing of the Engineer-in-Charge, (whose decision shall be final and binding on the contractor) suspend the progress of the works or any part thereof for such time and in such manner as the Engineer-in-Charge may consider necessary so as not to cause any damage or injury to the work already done or endanger the safety thereof for any of the following reasons:

- (a) on account of any default on the part of the contractor or;
- (b) for proper execution of the works or part thereof for reasons other than the default of the contractor; or
- (c) for safety of the works or part thereof.

The contractor shall, during such suspension, properly protect and secure the works to the extent necessary and carry out the instructions given in that behalf by the Engineer-in-Charge.

(ii) If the suspension is ordered for reasons (b) and (c) in sub-para (i) above:

- (a) the contractor shall be entitled to an extension of time equal to the period of every such suspension PLUS 25%, for completion of the item or group of items of work for which a separate period of completion is specified in the contract and of which the suspended work forms a part, and;
- (b) If the total period of all such suspensions in respect of an item or group of items or work for which a separate period of completion is specified in the contract exceeds thirty days, the contractor shall, in addition, be entitled to such compensation as the Engineer-in-Charge may consider reasonable in respect of salaries and/or wages paid by the contractor to his employees and labour at site, remaining idle during the period of suspension, adding thereto 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor submits his claim supported by details to the Engineer-in-Charge within fifteen days of the expiry of the period of 30 days.

(iii) If the works or part thereof is suspended on the orders of the Engineer-in-Charge for more than three months at a time, except when suspension is ordered for reason (a) in sub-para (i) above, the contractor may after receipt of such order serve a written notice on the Engineer-in-Charge requiring permission within fifteen days from receipt by the Engineer-in-Charge of the said notice, to proceed with the work or part thereof in regard to which progress has been suspended and if such permission is not granted within that time, the contractor, if he intends to treat the suspension, where it affects only a part of the works as an omission of such part by Government or where it affects whole of the works, as an abandonment of the works by Government, shall within ten days of expiry of such period of 15 days give notice in writing of his intention to the Engineer-in-Charge. In the event of the contractor treating the suspension as an abandonment of the contract by Government, he shall have no claim to payment of any compensation on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the work in full but which he could not derive in consequence of the abandonment. He shall, however, be entitled to such compensation, as the Engineer-in-Charge may consider reasonable, in respect of salaries and/or wages paid by him to his employees and labour at site, remaining idle in consequence adding to the total thereof 2% to cover indirect expenses of the contractor provided the contractor submits his claim supported by details to the Engineer-in-Charge within 30 days of the expiry of the period of 3 months.

dk; l dk Lfxu

(i) भारसाधक इंजीनियर से लिखित आदेश मिलते ही (जिसका निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा) ठेकेदार, कार्यों या उसके किसी भाग की कार्य प्रगति को उतने समय के लिए और उस स्थिति में रोक देगा जो भारसाधक इंजीनियर आवश्यक समझें ताकि किए गए कार्य को कोई क्षति या हानि न हो या निम्नलिखित में से किन्हीं कारणों से उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा न हो :-

(क) ठेकेदार द्वारा की गई किसी भी चूक के कारण या

(ख) ठेकेदार की चूक के अलावा अन्य कारणों से कार्यों या उसके भाग के उचित निष्पादन के लिए

(ग) कार्यों या उसके भाग की सुरक्षा के लिए

ऐसे स्थगन के दौरान ठेकेदार कार्यों को आवश्यकतानुसार उचित प्रकार से ढककर और सुरक्षित रखेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा इस संबंध में दिए गए अनुदेशों का पालन करेगा।

(ii) यदि स्थगन आदेश उपयुक्त उप-पैरा (i) में ख) व ग) कारणों से दिया गया हो तो

(क) ठेकेदार, कार्यमद या कार्यमदों के समूह को, जिनके लिए ठेके में कार्य समापन की अलग अवधि निर्दिष्ट की गई है और स्थगित कार्य भी उसी ठेके का भाग हो, पूरा करने के लिए, उतनी समय वृद्धि का हकदार होगा जितना ऐसी प्रत्येक स्थगन अवधि में 25 प्रतिशत जोड़कर आए।

(ख) यदि, किसी मद या मदों के समूह या कार्य के संबंध में, जिनके लिए कार्य समापन की अवधि ठेके में अलग से निर्दिष्ट की गई है, ऐसे सभी स्थगनों की अवधि 30 दिन से अधिक हो तो ठेकेदार अतिरिक्त रूप से ऐसे प्रतिकर का भी हकदार होगा जो भारसाधक इंजीनियर को ठेकेदार द्वारा स्थगन अवधि के दौरान कार्यस्थल में निष्क्रिय पड़े अपने कर्मचारियों के वेतन और/या श्रमिकों की मजदूरी पर किए गए भुगतान, ठेकेदार के परोक्ष खर्च के लिए 2 प्रतिशत जोड़कर, औचित्यपूर्ण समझे, बशर्ते ठेकेदार 30 दिन की अवधि-समाप्त होने के 15 दिन के भीतर भारसाधक इंजीनियर को विवरणों सहित अपने दावे प्रस्तुत करे।

(iii) उपर्युक्त उप पैरा (i) के क) में दिए गए कारणों के लिए स्थगन आदेश को छोड़कर, यदि कार्यों या उसके भाग को भारसाधक इंजीनियर के आदेश पर किसी समय तीन माह से अधिक के लिए स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार ऐसे आदेश प्राप्त करने पर भारसाधक इंजीनियर के उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् भारसाधक इंजीनियर को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर उन कार्यों या उनके भागों को, जिनके संबंध में स्थगन आदेश दिया गया है, करने की अनुमति मांगेगा और यदि ऐसी अनुमति उक्त समय के भीतर नहीं मिलती तो ठेकेदार 15 दिन की उस अवधि के समाप्त होने पर 10 दिन के भीतर भारसाधक इंजीनियर को लिखित नोटिस देगा कि वह स्थगन को, जहां स्थगन कार्यों के केवल भाग को प्रभावित करे वहां, सरकार द्वारा ऐसे भाग का विलोप मानेगा या जहां स्थगन पूरे कार्य को प्रभावित करे वहां, सरकार द्वारा कार्यों का परित्याग मानेगा। यदि ठेकेदार स्थगन को सरकार द्वारा ठेके का परित्याग मानता है तो ठेकेदार किसी भी लाभ या फायदे, जो उसे पूरे कार्य के निष्पादन से प्राप्त होते लेकिन जो उसे परित्याग के कारण नहीं मिले, के कारण किसी प्रतिकर के भुगतान का हकदार नहीं होगा। लेकिन वह ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो भारसाधक इंजीनियर को, ठेकेदार द्वारा, परित्याग के कारण कार्यस्थल पर निष्क्रिय पड़े अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन और/या मजदूरी के भुगतान के संबंध में, जिसमें ठेकेदार के परोक्ष खर्च के लिए कुल 2 प्रतिशत जोड़ा जाएगा, औचित्यपूर्ण लगे, बशर्ते कि ठेकेदार 3 माह की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर विवरणों के आधार पर अपने दावे भारसाधक इंजीनियर को प्रस्तुत करे।



Compensation in case of Delay of Supply of Material by Govt.

CLAUSE 15 A

The contractor shall not be entitled to claim any compensation from Government for the loss suffered by him on account of delay by Government in the supply of materials in schedule 'B' where such delay is covered by the difficulties relating to the supply of wagons, force majeure or any reasonable cause beyond the control of the Government.

This clause 15 A will not be applicable for works where no material is stipulated.

Action in case Work not done as per Specifications

CLAUSE 16

All works under or in course of execution or executed in pursuance of the contract, shall at all times be open and accessible to the inspection and supervision of the Engineer-Incharge, his authorized subordinates in charge of the work and all the superior officers, officer of the Quality Assurance Unit of the Department or any organization engaged by the Department for Quality Assurance and of the Chief Technical Examiner's Office, and the contractor shall, at all times, during the usual working hours and at all other times at which reasonable notice of the visit of such officers has been given to the contractor, either himself be present to receive orders and instructions or have a responsible agent duly accredited in writing, present for that purpose. Orders given to the Contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the contractor himself.

If it shall appear to the Engineer-in-charge or his authorized subordinates incharge of the work or to the Chief Engineer in charge of Quality Assurance or his subordinate officers or the officers of the organization engaged by the Department for Quality Assurance or to the Chief Technical Examiner or his subordinate officers, that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful workmanship, or with materials or articles provided by him for the execution of the work which are unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise not in accordance with the contract, the contractor shall, on demand in writing which shall be made within twelve months (six months in the case of work costing Rs. 10 Lac and below except road work) of the completion of the work from the Engineer-in-Charge specifying the work, materials or articles complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own charge and cost. In the event of the failing to do so within a period specified by the Engineer-in- Charge in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable to pay compensation at the same rate as under clause 2 of the contract (for non-completion of the work in time) for this default.

In such case the Engineer-in-Charge may not accept the item of work at the rates applicable under the contract but may accept such items at reduced rates as the authority specified in schedule 'F' may consider reasonable during the preparation of on account bills or final bill if the item is so acceptable without detriment to the safety and utility of the item and the structure or he may reject the work outright without any payment and/or get it and other connected and incidental items rectified, or removed and re-executed at the risk and cost of the contractor. Decision of the Engineer-in-Charge to be conveyed in writing in respect of the same will be final and binding on the contractor.

Contractor Liable for Damages, defects during defect liability period

CLAUSE 17

If the contractor or his working people or servants shall break, deface, injure or destroy any part of building in which they may be working, or any building, road, road kerb, fence, enclosure, water pipe, cables, drains, electric or telephone post or wires, trees, grass or grassland, or cultivated ground contiguous to the premises on which the work or any part is being executed, or if any damage shall happen to the work while in progress, from any cause whatever or if any defect, shrinkage or other faults appear in the work within twelve months (six months in the case of work costing Rs. Ten lacs and below except road work)

**[k.M 15 d**

ठेकेदार अनुसूची 'ख' में सामग्री की आपूर्ति में सरकार द्वारा विलंब के कारण उनके द्वारा उठाए गए दावों के लिए सरकार से किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा जहां इस प्रकार का विलंब वैगनों की आपूर्ति से संबंधित कठिनाइयों, अपरिहार्य घटनाक्रमों अथवा सरकार के नियंत्रण से परे किसी उचित कारण द्वारा कवर किया गया हो।

यह खण्ड 15 क उन निर्माण कार्यों के लिए लागू नहीं होगा जहां कोई सामग्री निर्धारित नहीं है।

I kexh dh vki frz ea
foya ds dkj .k
eykotk

[k.M 16

ठेके के अधीन अथवा उसके निष्पादन के अनुक्रम में अथवा उसके अनुसरण में निष्पादित सब कार्य, हर समय भारसाधक इंजीनियर और उसके प्राधिकृत/अधीनस्थ, जो कार्य के प्रभारी हैं, और विभाग के गुणवत्ता आश्वासन एकक या गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभाग द्वारा नियोजित किसी संगठन और मुख्य तकनीकी परीक्षक के कार्यालय के सभी उच्चतर अधिकारियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए खुले और सुगम्य रहेंगे तथा ठेकेदार सामान्य कार्य के घंटों के दौरान हर समय तथा अन्य ऐसे सभी समयों पर, जिसके बारे में ठेकेदार को यह उचित सूचना दी जा चुकी है कि ऐसे अधिकारी कार्य के देखने के लिए आने का इरादा रखते हैं, या तो स्वयं आदेशों और अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेगा अथवा वह उस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में सम्यक्तः प्रत्याशित किसी जिम्मेदार अभिकर्ता को उपस्थित रखेगा। ठेकेदार के अभिकर्ताओं को दिए गए आदेशों को उतना ही प्रभावी माना जाएगा मानों वे स्वयं ठेकेदार को ही दिए गए थे।

fofunz ka ds vuq i
dk; l u djus ij
dk; bkbz

यदि भारसाधक इंजीनियर अथवा उसके अधीनस्थ व्यक्ति को, जो काम का भारसाधक हो अथवा गुणवत्ता आश्वासन के प्रभारी मुख्य इंजीनियर या उसके अधीनस्थ अधिकारी गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभाग द्वारा नियोजित संगठन के अधिकारियों या मुख्य तकनीकी परीक्षक को प्रतीत हो कि कोई काम दोषयुक्त, अपूर्ण अथवा अकौशलपूर्ण कार्य कौशल से या यह कि काम के निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित कोई सामग्री अथवा वस्तु दोषयुक्त है या उस सामग्री अथवा वस्तु से घटिया क्वालिटी की है जिसके लिए ठेका हुआ है अथवा ठेके के अनुसार नहीं है, तो ठेकेदार लिखित रूप में मांग किए जाने पर, जिसे बारह माह के भीतर (सड़क कार्य को छोड़कर 10 लाख रुपये या कम के मामले में छह महीने किया जाएगा) जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा उस कार्य, सामग्री अथवा वस्तु को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाए, जिसके विरुद्ध शिकायत है, इस बात के होते हुए भी कि वह कार्य पास कर दिया गया हो, प्रमाणित कर दिया गया हो और उसके लिए संदाय कर दिया गया हो, ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य को तुरंत पूर्णतः या अंशतः जैसी उससे अपेक्षा की जाए, सुधारेगा या हटाएगा, और उसका पुनः निर्माण करेगा अथवा यथास्थिति, ऐसी विनिर्दिष्ट सामग्री या वस्तु को हटा देगा और अपने उचित निजी प्रभार और खर्च पर अन्य उचित और उपयुक्त सामग्री या वस्तुओं की व्यवस्था करेगा और भारसाधक इंजीनियर अपनी पूर्वोक्त मांग में जो कालावधि विनिर्दिष्ट करे उसके भीतर यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है तो वह इस चूक के लिए ठेके के खण्ड-2 (कार्य समय पर पूरा न करने के लिए) में दी गई दर से प्रतिकर देने के लिए जिम्मेदार होगा।

ऐसे मामले में भारसाधक इंजीनियर ठेके के तहत लागू दरों पर कार्य मद को अस्वीकार कर सकता है लेकिन ऐसी मदों को ऐसी घटी हुई दरों पर स्वीकार कर सकता है जो अनुसूची 'च' में उल्लिखित प्राधिकारी, लेखा बिल या अंतिम बिल तैयार करने के दौरान, औचित्यपूर्ण समझे, यदि मद की सुरक्षा और उपयोगिता समाप्त हुए बिना मद और संरचना स्वीकार्य हो या यह बिना किसी भुगतान के मद को सीधे अस्वीकार कर सकता है और/या ठेकेदार के जोखिम और लागत पर उसे और अन्य संबंधित और आवश्यक मदों के सुधारने या हटाने और पुनर्निष्पादन करा सकता है, भारसाधक इंजीनियर का निर्णय लिखित रूप से सूचित किया जाएगा और ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

[k.M 17

यदि ठेकेदार या उसके कर्मकार या सेवक किसी ऐसे भवन के, जिसमें वे काम कर रहे हों, किसी भाग को अथवा उस परिसर में जिसमें उसका कोई कार्य या कार्य का कोई भाग निष्पादित किया जा रहा हो, लगे हुए किसी भवन, सड़क, सड़क के किनारे (कब्र), बाड़ अहाते, पानी के नल, केबिल, नालियों, विद्युत या टेलीफोन के खम्बों या तारों, वृक्षों, घास या घास में मैदान या जोती गई भूमि को तोड़ेगा, क्षति पहुंचाएगा या नष्ट करेगा अथवा यदि कार्य में उसकी प्रगति के दौरान कोई क्षति किसी भी कारण से हो जाएगी या 12 महीने (सड़क

nk'k nkf; Ro vofek ds
nk'ku {kfr} nk'ka ds
fy, Bdsnkj ft'eenkj



after a certificate final or otherwise of its completion shall have been given by the Engineer-in-Charge as aforesaid arising out of defect or improper materials or workmanship the contractor shall upon receipt of a notice in writing on that behalf make the same good at his own expense or in default the Engineer-in-Charge cause the same to be made good by other workmen and deduct the expense from any sums that may be due or at any time thereafter may become due to the contractor, or from his security deposit or the proceeds of sale thereof or of a sufficient portion thereof. The security deposit of the contractor shall not be refunded before the expiry of twelve months (six months in the case of work costing Rs. Ten lacs and below except road work) after the issue of the certificate final or otherwise, of completion of work, or till the final bill has been prepared and passed whichever is later. Provided that in the case of road work, if in the opinion of the Engineer-in-Charge, half of the security deposit is sufficient, to meet all liabilities of the contractor under this contract, half of the security deposit will be refundable after six months and the remaining half after twelve months of the issue of the said certificate of completion or till the final bill has been prepared and passed whichever is later.

In case of Maintenance and Operation works of E&M services, the security deposit deducted from contractors shall be refunded within one month from the date of final payment or within one month from the date of completion of the maintenance contract whichever is earlier.

CLAUSE 18

Contractor to Supply Tools & Plants etc.

The contractor shall provide at his own cost all materials (except such special materials, if any, as may in accordance with the contract be supplied from the Engineer-in-Charge's stores), machinery, tools & plants as specified in schedule F. In addition to this, appliances, implements, other plants, ladders, cordage, tackle, scaffolding and temporary works required for the proper execution of the work, whether original, altered or substituted and whether included in the specifications or other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not, or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying with the requirements of the Engineer-in-Charge as to any matter as to which under these conditions he is entitled to be satisfied, or which he is entitled to require together with carriage therefore to and from the work. The contractor shall also supply without charge the requisite number of persons with the means and materials, necessary for the purpose of setting out works, and counting, weighing and assisting the measurement for examination at any time and from time to time of the work or materials. Failing his so doing, the same may be provided by the Engineer-in-Charge at the expense of the contractor and the expenses may be deducted, from any money due to the contractor, under this contract or otherwise and/or from his security deposit or the proceeds of sale thereof, or of a sufficient portions thereof.

CLAUSE 18 A

Recovery of Compensation paid to Workmen

In every case in which by virtue of the provisions sub-section (1) of Section 12, of the Workmen's Compensation Act, 1923, Government is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the works, Government will recover from the contractor, the amount of the compensation so paid; and, without prejudice to the rights of the Government under sub-section (2) of Section 12, of the said Act, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise. Government shall not be bound to contest any claim made against it under sub-section (1) of Section 12, of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to Government full security for all costs for which Government might become liable in consequence of contesting such claim.



कार्य को छोड़कर) दस लाख तथा उससे कम लागत के कार्य के लिए छः महीने) के भीतर कार्य में कोई खराबी, संकुचना या अन्य कोई दोष, प्रभारी इंजीनियर द्वारा उस कार्य के पूरा होने के अन्तिम या अन्यथा प्रमाण-पत्र के यथापूर्वत दे दिए जाने के पश्चात् प्रकट होते हैं जो त्रुटिपूर्ण या अनुचित सामग्री या कार्य-कौशल से पैदा हुए हों, तो ठेकेदार उस निमित्त लिखित रूप में सूचना प्राप्त होने पर उसे अपने खर्च पर ठीक करेगा अथवा व्यतिक्रम होने पर प्रभारी इंजीनियर उसे अपने अन्य कर्मकारों से ठीक करा सकेगा और उसके खर्च की कटौती किसी ऐसी राशि में से, जो उस समय या तत्पश्चात् किसी सक्षम ठेकेदार को देय हो जाए अथवा उसके प्रतिभूति निक्षेप में से अथवा उसके या पर्याप्त भाग के विक्रय आगम में से कर सकेगा। ठेकेदार का प्रतिभूति निक्षेप कार्य पूरा होने के अन्तिम या अन्यथा प्रमाण-पत्र के दिए जाने के पश्चात् 12 महीने (सड़क कार्य को छोड़कर दस लाख तथा उससे कम लागत के कार्य के लिए छः महीने) की समाप्ति से पूर्व अथवा जब तक अन्तिम बिल तैयार और पास न कर दिया जाए, इनमें से जो भी बाद में हो, लौटाया नहीं जाएगा। परन्तु सड़क कार्य की दशा में यदि प्रभारी इंजीनियर की राय में प्रतिभूति निक्षेप का आधा भाग ठेकेदार के ठेक के अधीन दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तो प्रतिभूति निक्षेप का आधा भाग कार्य पूरा होने के उक्त प्रमाण-पत्र के दिए जाने के 6 मास के पश्चात् और बाकी आधा भाग बारह महीने के पश्चात् अथवा अन्तिम बिल के तैयार और पास हो जाने के पश्चात् इनमें से जो भी बाद में हो, लौटाया जाएगा।

वैद्युत एवं यांत्रिकी सेवाओं के अनुरक्षण तथा प्रचालन कार्यों के मामलों में ठेकेदार से कटौती किए प्रतिभूति निक्षेप को अन्तिम भुगतान की तारीख से एक महीने के भीतर या अनुरक्षण संविदा को पूरा होने की तारीख से एक महीने के भीतर, जो भी पहले हो, वापिस कर दिया जाएगा।

[k.M 18

ठेकेदार कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपनी लागत पर सभी सामग्रियों (ऐसी विशेष सामग्रियों के, यदि कोई हो, सिवाय जिनकी आपूर्ति ठेके के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भण्डारों से की जानी हो), अनुसूची 'च' में यथा उल्लिखित मशीनरी, औजार तथा सयंत्र उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त साधित्रों, उपकरणों, अन्य संयंत्र, सीढ़ियों, रस्सों, घिरनियों, पाइपों तथा अस्थायी निर्माण की व्यवस्था करेगा। ये कार्य चाहे मूल, परिवर्तित अथवा प्रतिस्थापित हो और चाहे ठेके के भाग रूप में विनिर्देशों अथवा अन्य दस्तावेजों में सम्मिलित या इन शर्तों में निर्दिष्ट किए गए हो अथवा नहीं, या जो किसी नए मामले में भारसाधक इंजीनियर की अपेक्षाओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के प्रयोजन से आवश्यक हों, जिनके बारे में वह इन शर्तों के अधीन इस बात का हकदार है कि उसका समाधान होना चाहिए या जिनकी वह कार्य स्थल तक और उससे उनके लाने ले जाने समेत अपेक्षा करने का हकदार है। ठेकेदार साधनों और सामग्रियों सहित अपेक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था निःशुल्क करेगा, जो कार्यों को आरम्भ करने और किसी भी समय और समय-समय पर कार्य अथवा सामग्री की गणना, तोल और माप या परीक्षण में सहायता देने के लिए आवश्यक हो। उसके ऐसा करने में असफल रहने पर भारसाधक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार के खर्च पर उसकी व्यवस्था की जा सकेगी और जो भी खर्च होगा उसकी, इस ठेके या अन्यथा के अधीन ठेकेदार को शोध्य किसी धन से और/या उसके प्रतिभूति निक्षेप से या उसके पर्याप्त भाग की बिक्री से प्राप्त राशि में से कटौती करके की जा सकेगी।

vkStkj , oa l a a-
vkfn dh vki frZ
Bdlnkj djxkA

[k.M 18 d

ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 12 की उपधारा (i) के उपबंधों के आधार पर सरकार, ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियोजित कर्मकार को प्रतिकर का संदाय करने के लिए बाध्य है। सरकार, इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की रकम ठेकेदार से वसूल करेगी, और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (ii) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार चाहे इस ठेके के अधीन या अन्यथा, प्रतिभूति-निक्षेप में से या सरकार द्वारा ठेकेदार की शोध्य किसी राशि में से कटौती करके ऐसी रकम या उसका कोई भाग वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (i) के अधीन इसके खिलाफ किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए तभी बाध्य होगी जब ठेकेदार ने लिखित प्रार्थना की हो और सरकार को उन सभी खर्चों के लिए पूर्ण प्रतिभूति दे दी हो, जिनके लिए सरकार ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप जिम्मेदार होगी।

deBkjk dks fn,
x, cfrdj
dh ol wjh

**Ensuring
Payment and
Amenities to
Workers if
Contractor fails**

CLAUSE 18 B

In every case in which by virtue of the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, Government is obliged to pay any amounts of wages to a workman employed by the contractor in execution of the works, or to incur any expenditure in providing welfare and health amenities required to be provided under the above said Act and the rules under Clause 19H or under the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations, or under the Rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by C.P.W.D. Contractors, Government will recover from the contractor, the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred; and without prejudice to the rights of the Government under sub-section(2) of Section 20, and sub-section (4) of Section 21, of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise Government shall not be bound to contest any claim made against it under sub-section (1) of Section 20, sub-section (4) of Section 21, of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to the Government full security for all costs for which Government might become liable in contesting such claim.

**Labour Laws to
be complied by
the Contractor**

CLAUSE 19

The contractor shall obtain a valid licence under the Contract Labour (R&A) Act, 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, before the commencement of the work, and continue to have a valid license until the completion of the work. The contractor shall also abide by the provisions of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.

The contractor shall also comply with the provisions of the building and other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1996 and the building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996.

Any failure to fulfil these requirements shall attract the penal provisions of this contract arising out of the resultant non-execution of the work.

CLAUSE 19A

No labour below the age of fourteen years shall be employed on the work.

CLAUSE 19 B

Payment of Wages

Payment of wages:

- (i) The contractor shall pay to labour employed by him either directly or through subcontractors, wages not less than fair wages as defined in the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.
- (ii) The contractor shall, notwithstanding the provisions of any contract to the contrary, cause to be paid fair wage to labour indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work, as if the labour had been immediately employed by him.
- (iii) In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply with or cause to be complied with the Central Public Works Department contractor's Labour Regulations made by Government from time to time in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages recovery of wages not paid and deductions unauthorisedly made, maintenance of wage books or wage slips, publication of scale of wages and other terms of employment,

**[k.M 18 [k**

उन सभी मामलों में, जिनमें ठेका मजदूरी (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका मजदूरी (विनियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियम, 1971 के उपबंधों के कारण यदि सरकार को, निष्पादित कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा नियोजित मजदूरों को मजदूरी की कोई भी राशि अदा करने की या उक्त अधिनियम और खण्ड 19 ज के अंतर्गत नियम या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रम विनियमनों के अंतर्गत या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा नियोजित मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी प्रबंधों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध की जाने वाली कल्याण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने में किए गए किसी प्रकार के व्यय के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार अदा की गई मजदूरी की राशि को वह ठेकेदार से वसूल करेगी, तथा ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 20 की उप-धारा (2) तथा धारा 21 की उप-धारा (4) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी राशि या इसके किसी भाग को प्रतिभूति निक्षेप में से या ठेकेदार को सरकार द्वारा देय किसी भी राशि में से, चाहे वह इस ठेके के अंतर्गत आती हो या किसी अन्य प्रकार से हो, काट ले। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) तथा धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी दावे के विरुद्ध लड़ने को तभी बाध्य होगी, जब ठेकेदार लिखित रूप में अनुरोध करे तथा वह सरकार को समस्त खर्च के लिए पूर्ण प्रतिभूति दे जिसके लिए सरकार ऐसे दावों के विरुद्ध लड़ने पर जिम्मेदार हो सकती है।

deBkja dk Hkqrku
vkj l foekk, a
l fu'pr djuk ;fn
Bdnkj vl Qy gks

[k.M 19

ठेकेदार कार्य आरम्भ करने से पूर्व ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970, तथा ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन केन्द्रीय नियम 1971 के अधीन वैध अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा तथा कार्य के समाप्त होने तक वैध अनुज्ञा पत्र अपने पास बनाए रखेगा। ठेकेदार बाल श्रमिक (निषेध एवम् विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

Bdnkj }kjk Je
fofek dk ikyu

ठेकेदार, भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन भी करेगा।

इन अपेक्षाओं को पूरा न करने की स्थिति में ठेके के दण्ड संबंधी वे सभी उपबंध प्रभावी हो जाएंगे जो कार्य के निष्पादन न होने की स्थिति में होते हैं।

[k.M 19 d

कार्य पर 14 वर्ष से कम आयु का कोई श्रमिक नियोजित नहीं किया जाएगा।

[k.M 19 [k

मजदूरी का भुगतान:

- ठेकेदार अपने द्वारा सीधे ही नियोजित अथवा उप-ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को उचित मजदूरी से कम अदा नहीं करेगा जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक नियम या ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 और ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियम 1971, इन में जो भी लागू हो, के उपबन्धों में पारिभाषित किए गए हैं।
- ठेकेदार, ठेके के विपरीत कोई उपबन्ध होने के बावजूद भी, कार्य पर अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों को, जिनमें वे श्रमिक भी शामिल होंगे जो उक्त कार्य के संबंध में उसके उप-ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए हों, यह मानते हुए उचित मजदूरी का भुगतान करेगा मानों उसने श्रमिक हाल ही में कार्य के लिए नियोजित किए हैं।
- इस ठेके में ठेकेदार के भाग के निष्पादन के लिए कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के बारे में ठेकेदार, मजदूरी की अदायगी, मजदूरी की अवधि, मजदूरी से कटौती, अदा नहीं की गई मजदूरी की वसूली तथा अनधिकृत रूप से की गई कोई कटौतियों, मजदूरी पुस्तिका या मजदूरी की पर्चियों का अनुरक्षण, मजदूरी के वेतनमान तथा नौकरी की अन्य शर्तों का प्रकाशन, आवधिक विवरणों का निरीक्षण तथा प्रस्तुत करना तथा इस प्रकार के अन्य मामलों के संबंध में, सरकार द्वारा समय समय

etnjh dk Hkqrku



inspection and submission of periodical returns and all other matters of the like nature or as per the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, wherever applicable.

- (iv) (a) The Engineer-in-Charge concerned shall have the right to deduct from the moneys due to the contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reason of non-fulfilment of the conditions of the contract for the benefit of the workers, non-payment of wages or of deductions made from his or their wages which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the Regulations.
- (b) Under the provision of Minimum Wages (Central) Rules, 1950, the contractor is bound to allow to the labours directly or indirectly employed in the works one day rest for 6 days continuous work and pay wages at the same rate as for duty. In the event of default, the Engineer-in-Charge shall have the right to deduct the sum or sums not paid on account of wages for weekly holidays to any labours and pay the same to the persons entitled thereto from any money due to the contractor by the Engineer-in-Charge concerned.

In the case of Union Territory of Delhi, however, as the all inclusive minimum daily wages fixed under Notification of the Delhi Administration No.F.12(162)MWO/DAB/43884-91, dated 31-12-1979 as amended from time to time are inclusive of wages for the weekly day of rest, the question of extra payment for weekly holiday would not arise.

- (v) The contractor shall comply with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Employees Liability Act, 1938, Workmen's Compensation Act, 1923, Industrial Disputes Act, 1947, Maternity Benefits Act, 1961, and the Contractor's Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, or the modifications thereof or any other laws relating thereto and the rules made thereunder from time to time.
- (vi) The contractor shall indemnify and keep indemnified Government against payments to be made under and for the observance of the laws aforesaid and the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations without prejudice to his right to claim indemnity from his sub-contractors.
- (vii) The laws aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any breach thereof shall be deemed to be a breach of this contract.
- (viii) Whatever is the minimum wage for the time being, or if the wage payable is higher than such wage, such wage shall be paid by the contractor to the workmen directly without the intervention of Jamadar and that Jamadar shall not be entitled to deduct or recover any amount from the minimum wage payable to the workmen as and by way of commission or otherwise.
- (ix) The contractor shall ensure that no amount by way of commission or otherwise is deducted or recovered by the Jamadar from the wage of workmen.

CLAUSE 19C

In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for the performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall at his own expense arrange for the safety provisions as per C.P.W.D. Safety Code framed from time to time and shall at his own expense provide for all facilities in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and provide necessary facilities as aforesaid, he shall be liable to pay a penalty of Rs.200/- for each default and in addition, the Engineer-in-Charge shall be at liberty to make arrangement and provide facilities as aforesaid and recover the costs incurred in that behalf from the contractor.



पर बनाए गए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक नियम या जहां ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970, और ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय अधिनियम, 1971 लागू हो वहां उनमें दी हुई व्यवस्थाओं के अनुसार पालन करेगा या पालन कराने की व्यवस्था करेगा।

- (iv) (क) संबंधित भारसाधक इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को देय राशियों में से, कोई भी राशि काट सकता है जो कर्मकारों के हित संबंधी ठेके की शर्तों के पालन न करने के कारण मजदूरी की अदायगी नहीं किए जाने या उसकी अथवा उनकी मजदूरियों से ऐसी कटौतियां करने जो ठेके की शर्तों के अंतर्गत न्यायसंगत नहीं हो या विनियमों की अवहेलना के कारण, कर्मकार अथवा कर्मकारों, द्वारा उठाई गई क्षति को पूरा करने के लिए, अपेक्षित हो अथवा जिसके अपेक्षित होने का अनुमान लगाया गया हो।
- (ख) न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम 1950 के उपबंधों के अनुसार ठेकेदार कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों को छः दिन के लगातार कार्य करने के पश्चात् एक दिन का विश्राम देने और उसके लिए कार्य दिवसों की भांति ही मजदूरी देने के लिए बाध्य है। इसमें त्रुटि करने पर भारसाधक इंजीनियर को अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से उस धनराशि को काट ले, जो किसी भी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश की मजदूरी के कारण न दी गई हो और फिर उसका भुगतान हकदार व्यक्तियों को कर दे।
- तथापि, संघराज्य दिल्ली के मामले में दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना सं. एफ 12 (162) एम डब्लू ओ/डी ए बी/4388-91 दि. 31-12-1979, समय-समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत निर्धारित की गई संपूर्ण न्यूनतम दैनिक मजदूरी में चूंकि साप्ताहिक विश्राम के दिन की मजदूरी सम्मिलित है, इसलिए साप्ताहिक अवकाश के लिए अतिरिक्त भुगतान का प्रश्न पैदा नहीं होगा।
- (v) ठेकेदार, मजदूरी अदायगी अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी देयता अधिनियम 1938, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 तथा ठेकेदार श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 अथवा उनके आशोधनों अथवा उनसे संबंधित अन्य कानून तथा समय-समय पर उनके अन्तर्गत बने नियमों के उपबंधों का पालन करेगा।
- (vi) ठेकेदार, उपर्युक्त विधियों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक विनियमों के पालनार्थ तथा उनके अन्तर्गत की जाने वाली अदायगियों के लिए अपने उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति लेने के संबंध में उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षति से बचाए रखेगा।
- (vii) उक्त विधियाँ इस संविदा के भाग के रूप में समझी जाएंगी और उनका कोई भी भंग इस संविदा का भंग माना जाएगा।
- (viii) उस समय जो भी न्यूनतम मजदूरी है या यदि संदेय मजदूरी ऐसी मजदूरी से अधिक है, तो ऐसी मजदूरी जमादारों के हस्तक्षेप के बिना ठेकेदारों द्वारा सीधे ही कर्मकारों को संदत्त की जाएगी और यह कि जमादार कर्मकारों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में से दलाली के रूप में या अन्यथा किसी रकम की कटौती करने या वसूल करने के लिए हकदार नहीं होगा।
- (ix) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जमादार दलाली के रूप में या अन्यथा, कर्मकार की मजदूरी में से न कोई रकम काटे या वसूली करे।

[k.M 19 x

इस ठेके के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय समय पर तैयार सुरक्षा संहिता के अनुरूप अपने खर्चे पर सुरक्षा साधनों की व्यवस्था करेगा और वह उनके संबंध में सभी सुविधाओं की व्यवस्था भी अपने खर्चे पर करेगा। यदि ठेकेदार यथा उपर्युक्त व्यवस्था करने और आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में असफल रहेगा तो वह हर दोष के लिए 200 रुपए की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा और इसके अतिरिक्त भारसाधक इंजीनियर उपर्युक्त व्यवस्था करने और सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए और इस संबंध में किए गए खर्चे को ठेकेदार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

**CLAUSE 19 D**

The contractor shall submit by the 4th and 19th of every month, to the Engineer-in-Charge, a true statement showing in respect of the second half of the preceding month and the first half of the current month respectively:-

- (1) the number of labourers employed by him on the work,
- (2) their working hours,
- (3) the wages paid to them,
- (4) the accidents that occurred during the said fortnight showing the circumstances under which they happened and the extent of damage and injury caused by them, and
- (5) the number of female workers who have been allowed maternity benefit according to Clause 19F and the amount paid to them.

Failing which the contractor shall be liable to pay to Government, a sum not exceeding Rs.200/- for each default or materially incorrect statement. The decision of the Divisional Officer shall be final in deducting from any bill due to the contractor, the amount levied as fine and be binding on the contractor.

CLAUSE 19 E

In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance of the contractor's part of this contract, the contractor shall comply with or cause to be complied with all the rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by the Central Public Works Department and its contractors.

CLAUSE 19 F

Leave and pay during leave shall be regulated as follows:-

1. Leave :

- (i) in the case of delivery - maternity leave not exceeding 8 weeks, 4 weeks up to and including the day of delivery and 4 weeks following that day,
- (ii) in the case of miscarriage - upto 3 weeks from the date of miscarriage.

2. Pay :

- (i) in the case of delivery - leave pay during maternity leave will be at the rate of the women's average daily earnings, calculated on total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date on which she gives notice that she expects to be confined or at the rate of Rupee one only a day whichever is greater.
- (ii) in the case of miscarriage - leave pay at the rate of average daily earning calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date of such miscarriage.

3. Conditions for the grant of Maternity Leave:

No maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been employed for a total period of not less than six months immediately preceding the date on which she proceeds on leave.

4. The contractor shall maintain a register of Maternity (Benefit) in the Prescribed Form as shown in appendix -I and II, and the same shall be kept at the place of work.



[k.M 19 ?k

ठेकेदार प्रत्येक मास की चौथी और उन्नीसवीं तारीख तक भारसाधक इन्जीनियर को क्रमशः पूर्ववर्ती मास के उत्तरार्ध और चालू मास के पूर्वार्ध से संबंधित, निम्नलिखित को दर्शाते हुए, एक सही विवरण देगा:-

- (1) उसके द्वारा काम पर नियोजित श्रमिकों की संख्या,
- (2) उनके काम के घंटे
- (3) उनको संदत्त मजदूरी
- (4) उक्त पक्ष के दौरान हुई दुर्घटनाएं, जिन में उन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया जाए जिनके अधीन वे घटित हुई और उनके कारण कितना नुकसान हुआ तथा चोटें पहुँची, और
- (5) ऐसी महिला कर्मकारों की संख्या जिनको खण्ड 19-च के अनुसार प्रसूति-सुविधा दी गई हो और वह रकम जो उनको संदत्त की गई।

ऐसा न करने पर ठेकेदार सरकार को प्रत्येक दोष या तात्त्विक रूप से गलत विवरण के लिए 200 रु. से अनधिक राशि के संदाय का दायी होगा। मण्डल अधिकारी का ठेकेदार को शोध्य किसी बिल में से जुमाने के रूप में उदग्रहित रकम की कटौती करने की बाबत विनिश्चय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

[k.M 19 M-

इस ठेके में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य-संरक्षण और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विरचित सभी नियमों का पालन करेगा या कराएगा।

[k.M 19 p

छुट्टी के दौरान छुट्टी और वेतन निम्न प्रकार से विनियमित किए जाएंगे:

1. छुट्टी:

- (i) प्रसव की दशा में-8 सप्ताह से अनधिक की प्रसूति छुट्टी जिसमें 4 सप्ताह की छुट्टी प्रसव होने तक, जिसके अंतर्गत प्रसव दिन भी है, और 4 सप्ताह की छुट्टी उस दिन के पश्चात् होगी।
- (ii) गर्भस्त्राव की दशा में-गर्भस्त्राव की तारीख से 3 सप्ताह तक।

2. वेतन:

- (i) प्रसव की दशा में-प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन की दर उस तारीख से जिसको उस स्त्री ने इस बात की सूचना दी हो की वह प्रसवावस्था में होने की आशा करती है, ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के लिए जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से या एक रूपए प्रति दिन की दर से, उनमें से जो भी अधिक हो, होगी।
- (ii) गर्भस्त्राव की दशा में-छुट्टी वेतन की दर ऐसे गर्भस्त्राव होने की तारीख से ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के लिए, जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से होगी।

3. प्रसूति छुट्टी की मंजूरी के लिए शर्तें:

प्रसूति छुट्टी का लाभ किसी महिला को तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वह उस तारीख से, जिससे वह छुट्टी पर जा रही हो, ठीक पूर्व छः मास से अन्यून की कुल कालावधि के लिए नियोजित न रह चुकी हो।

4. ठेकेदार, प्रसूति (सुविधा) का एक रजिस्टर परिशिष्ट-I एवं II में दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में रखेगा और वह रजिस्टर कार्य के स्थान पर रखा जाएगा।

**CLAUSE 19 G**

In the event of the contractor(s) committing a default or breach of any of the provisions of the Central Public Works Department, Contractor's Labour Regulations and Model Rules for the protection of health and sanitary arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any information or submitting or filing any statement under the provisions of the above Regulations and' Rules which is materially incorrect, he/they shall, without prejudice to any other liability, pay to the Government a sum not exceeding Rs.200/- for every default, breach or furnishing, making, submitting, filing such materially incorrect statements and in the event of the contractor(s) defaulting continuously in this respect, the penalty may be enhanced to Rs.200/- per day for each day of default subject to a maximum of 5 per cent of the estimated cost of the work put to tender. The decision of the Engineer-in-Charge shall be final and binding on the parties.

Should it appear to the Engineer-in-Charge that the contractor(s) is/are not properly observing and complying with the provisions of the C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations and Model Rules and the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970, and the Contract Labour (R& A) Central Rules 1971, for the protection of health and sanitary arrangements for work-people employed by the contractor(s) (hereinafter referred as "the said Rules") the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said Rules be complied with and the amenities prescribed therein be provided to the work-people within a reasonable time to be specified in the notice. If the contractor(s) shall fail within the period specified in the notice to comply with and/observe the said Rules and to provide the amenities to the work-people as aforesaid, the Engineer-in-Charge shall have the power to provide the amenities hereinbefore mentioned at the cost of the contractor(s). The contractor(s) shall erect, make and maintain at his/their own expense and to approved standards all necessary huts and sanitary arrangements required for his/their work-people on the site in connection with the execution of the works, and if the same shall not have been erected or constructed, according to approved standards, the Engineer-in-Charge shall have power to give notice in writing to the contractor(s) requiring that the said huts and sanitary arrangements be remodelled and/or reconstructed according to approved standards, and if the contractor(s) shall fail to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards within the period specified in the notice, the Engineer-in-Charge shall have the power to remodel or reconstruct such huts and sanitary arrangements according to approved standards at the cost of the contractor(s).

CLAUSE 19 H

The contractor(s) shall at his/their own cost provide his/their labour with a sufficient number of huts (hereinafter referred to as the camp) of the following specifications on a suitable plot of land to be approved by the Engineer-in-Charge.

- (i) (a) The minimum height of each hut at the eaves level shall be 2.10m (7 ft.) and the floor area to be provided will be at the rate of 2.7 sq.m. (30 sq.ft.) for each member of the worker's family staying with the labourer.
- (b) The contractor(s) shall in addition construct suitable cooking places having a minimum area of 1.80m x 1.50m (6'x5') adjacent to the hut for each family.
- (c) The contractor(s) shall also construct temporary latrines and urinals for the use of the labourers each on the scale of not less than four per each one hundred of the total strength, separate latrines and urinals being provided for women.
- (d) The contractor(s) shall construct sufficient number of bathing and washing places, one unit for every 25 persons residing in the camp. These bathing and washing places shall be suitably screened.



CPWD
[k.M 19 N

यदि ठेकेदार, कर्मकारों के स्वास्थ्य-रक्षण एवं स्वच्छता संबंधी, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक विनियमों और आदर्श नियमों के उपबंधों में से किसी का व्यतिक्रम या भंग करेगा या उपर्युक्त विनियमों या नियमों के उपबंधों के अधीन कोई ऐसी जानकारी देगा या ऐसा कोई विवरण देगा या फाइल करेगा जो तात्त्विक रूप से गलत हो तो वह/वे किसी अन्य दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हर व्यतिक्रम, भंग के लिए या तात्त्विक रूप से ऐसे गलत विवरणों के देने, बनाने, प्रस्तुत करने, फाइल करने के लिए सरकार को 200 रुपए से अनधिक की राशि संदत्त करेगा और इस संबंध में ठेकेदार द्वारा लगातार व्यतिक्रम करने की दशा में शास्ति को बढ़ाकर व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपए किया जा सकेगा किन्तु उसकी अधिकतम राशि निविदत्त कार्य की प्रकलित लागत की 5 प्रतिशत होगी। भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

यदि भारसाधक इंजीनियर को यह प्रतीत हो कि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य रक्षा और स्वच्छता संबंधी व्यवस्था के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रम विनियम और आदर्श नियमों तथा ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1971 के उपबंधों का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) ठेकेदार उचित रूप से पालन और अनुवर्तन नहीं कर रहा है/कर रहे हैं, तो भारसाधक इंजीनियर को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार (ठेकेदारों) को लिखित सूचना देकर उससे/उनसे अपेक्षा करे कि उक्त नियमों का अनुपालन किया जाए और उसमें निर्धारित सूख सुविधाएं सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उचित समय के भीतर, कर्मकारों को दी जाए। यदि ठेकेदार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त नियमों का अनुवर्तन और अनुपालन करने में और पूर्वोक्त कर्मकारों को सुख-सुविधाएं देने में असफल रहेगा तो भारसाधक इंजीनियर को, ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर, इसमें पूर्व वर्णित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने की शक्ति होगी। ठेकेदार कार्य के निष्पादन के संबंध में कार्य स्थल पर अपने कर्मकारों के लिए अपेक्षित आवश्यक झोपड़ियों का निर्माण और स्वच्छता व्यवस्था का प्रबंध अपने खर्च पर और अनुमोदित मानकों के अनुरूप करेगा और उन्हें बनाए रखेगा तथा यदि अनुमोदित मानकों के अनुसार उनका निर्माण अथवा सन्निर्माण नहीं कराया गया तो भारसाधक इंजीनियर को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार (ठेकेदारों) को लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा करे कि अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का पुनःप्रतिरूपण और/या पुनर्निर्माण कराया जाए और यदि ठेकेदार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण अथवा पुनर्निर्माण करने में असफल रहेगा/रहेंगे तो भारसाधक इंजीनियर को ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोपड़ियों और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण अथवा पुनर्निर्माण कराने की शक्ति होगी।

[k.M 19 t

ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए अपने खर्च पर, भूमि के यथोचित खंड पर जिसे भारसाधक इंजीनियर अनुमोदित करेगा, पर्याप्त संख्या में निम्नलिखित विनिर्देशों वाली झोपड़ियाँ (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कैम्प कहा गया है) व्यवस्था करेगा/करेंगे।

- (i) (क) प्रत्येक झोपड़ी की ओलती तल पर ऊंचाई 2.10 मीटर (7 फुट) होगी और फर्श का क्षेत्रफल श्रमिक के साथ रहने वाले उनके कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य के लिए 2.7 वर्ग मीटर (30 वर्ग फुट) के हिसाब से होगा।
- (ख) इसके अतिरिक्त ठेकेदार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए झोपड़ी की बगल में उपयुक्त रसोईघर बनाएगा जिसका क्षेत्रफल कम से कम 1.80 मीटर X 1.50 मीटर (6 फुट X 5 फुट) होगा।
- (ग) ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए अस्थायी शौचालयों और मूत्रालयों का भी सन्निर्माण कराएगा/कराएंगे जो उनकी कुल संख्या के प्रत्येक सौ के लिए चार से कम न होंगे। स्त्रियों के लिए अलग शौचालय और मूत्रालय होंगे।
- (घ) ठेकेदार पर्याप्त संख्या में स्नानगृहों और धुलाई के स्थानों का सन्निर्माण कराएगा/कराएंगे जो कैम्प में निवास करने वाले प्रत्येक 25 व्यक्तियों के लिए एक के हिसाब से होंगे। इन स्नानगृहों और धुलाई के स्थानों पर यथोचित बाड़ होगी।



- (ii) (a) All the huts shall have walls of sun-dried or burnt-bricks laid in mud mortar or other suitable local materials as may be approved by the Engineer-in-Charge. In case of sun-dried bricks, the walls should be plastered with mud gobi on both sides. The floor may be kutcha but plastered with mud gobi and shall be at least 15 cm (6") above the surrounding ground. The roofs shall be laid with thatch or any other materials as may be approved by the Engineer-in-Charge and the contractor shall ensure that throughout the period of their occupation, the roofs remain water-tight.
- (b) The contractor(s) shall provide each hut with proper ventilation.
- (c) All doors, windows, and ventilators shall be provided with suitable leaves for security purposes.
- (d) There shall be kept an open space of at least 7.2m (8 yards) between the rows of huts which may be reduced to 6m (20 ft.) according to the availability of site with the approval of the Engineer-in-Charge. Back to back construction will be allowed.
- (iii) **Water Supply** - The contractor(s) shall provide adequate supply of water for the use of labourers. The provisions shall not be less than two gallons of pure and wholesome water per head per day for drinking purposes and three gallons of clean water per head per day for bathing and washing purposes. Where piped water supply is available, supply shall be at stand posts and where the supply is from wells or river, tanks which may be of metal or masonry, shall be provided. The contractor(s) shall also at his/ their own cost make arrangements for laying pipe lines for water supply to his/ their labour camp from the existing mains wherever available, and shall pay all fees and charges therefore.
- (iv) The site selected for the camp shall be high ground, removed from jungle.
- (v) **Disposal of Excreta** - The contractor(s) shall make necessary arrangements for the disposal of excreta from the latrines by trenching or incineration which shall be according to the requirements laid down by the Local Health Authorities. If trenching or incineration is not allowed, the contractor(s) shall make arrangements for the removal of the excreta through the Municipal Committee/authority and inform it about the number of labourers employed so that arrangements may be made by such Committee/authority for the removal of the excreta. All charges on this account shall be borne by the contractor and paid direct by him to the Municipality/authority. The contractor shall provide one sweeper for every eight seats in case of dry system.
- (vi) **Drainage** - The contractor(s) shall provide efficient arrangements for draining away sullage water so as to keep the camp neat and tidy.
- (vii) The contractor(s) shall make necessary arrangements for keeping the camp area sufficiently lighted to avoid accidents to the workers.
- (viii) **Sanitation** - The contractor(s) shall make arrangements for conservancy and sanitation in the labour camps according to the rules of the Local Public Health and Medical Authorities.

CLAUSE 19 I

The Engineer-in-Charge may require the contractor to dismiss or remove from the site of the work any person or persons in the contractors' employ upon the work who may be incompetent or misconduct himself and the contractor shall forthwith comply with such requirements. In respect of maintenance/repair or renovation works etc. where the labour have an easy access to the individual houses, the contractor shall issue identity cards to the labourers, whether temporary or permanent and he shall be responsible for any untoward action on the part of such labour. AE/JE will display a list of contractors working in the colony/Blocks on the notice board in the colony and also at the service centre, to apprise the residents about the same.



- (ii) (क) सभी झोपड़ियों की दीवारें धूप में पकाई गई अथवा चटका ईंटों की होंगी जो गारे या अन्य ऐसी स्थानीय यथोचित सामग्री से, जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित, चिनी गई होंगी। धूप में पकाई गई ईंटों के मामले में दीवारों पर दोनों तरफ मडगोबरी से प्लस्तर किया जाएगा। तल कच्चा हो सकता है लेकिन इसमें मडगोबरी से प्लस्तर किया जाएगा और यह, आस-पास की सतह से कम से कम 15 सेमी (6 इंच) ऊंचा होगा। छत फूस या भारसाधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किसी अन्य सामग्री की होगी और ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक इन झोपड़ियों में रहा जाता है तब तक छतें टपकें नहीं।
- (ख) ठेकेदार प्रत्येक झोपड़ी में उचित संवातन की व्यवस्था करेगा।
- (ग) सुरक्षा की दृष्टि से सभी दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदानों में उपयुक्त किवाड़ लगे होंगे।
- (घ) झोपड़ियों की कतारों के बीच कम से कम 7.2 मीटर (8 गज) की खुली जगह रखी जाएगी जो स्थान की उपलब्धता के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के अनुमोदन से घटाकर 6 मीटर (20 फुट) की जा सकती हैं। सटे पिछवाड़ों के निर्माण की अनुमति होगी।
- (iii) **ty vkifr** ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति की व्यवस्था करेगा/करेंगे। पीने के प्रयोजनों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 2 गैलन शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल और स्नान और धुलाई के प्रयोजनों के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति कम से कम 3 गैलन स्वच्छ जल की व्यवस्था होगी। जहां नल द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध हो वहां जल आपूर्ति स्टैन्ड पोस्टों पर होगा और जहां जल आपूर्ति कुंओं या नदी से हो वहां ऐसी टंकियों की व्यवस्था होगी जो धातु की बनी हो या चिनाई की हों। ठेकेदार विद्यमान पानी की मुख्य लाइन से जहाँ कहीं वे उपलब्ध हो, अपने खर्चे पर अपने श्रमिक कैम्प को जल आपूर्ति के लिए पाईप विछाने की व्यवस्था करेगा/करेंगे और उसके लिए सभी प्रकार के शुल्कों और प्रभारों का संदाय करेगा/करेंगे।
- (iv) कैम्प के लिए चुना गया स्थान, जंगल को हटाकर ऊंची भूमि पर होगा।
- (v) **ey&ew- dk fui Vku** ठेकेदार शौचालयों के मल-मूत्र के निपटाने के लिए खाइयां खोदकर अथवा भस्मीकरण द्वारा ऐसे आवश्यक प्रबंध करेगा/करेंगे जो स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार होंगे। यदि खाइयों को खोदना या भस्मीकरण अनुज्ञात न हो तो ठेकेदार नगरपालिका समिति/प्राधिकारी के माध्यम से मल-मूत्र को हटवाने का प्रबंध करेगा/करेंगे और उसे नियोजित श्रमिकों की संख्या संबंधी जानकारी देगा/देगें जिससे कि ऐसे समिति/प्राधिकारी द्वारा मल-मूत्र के हटवाने का प्रबंध किया जा सके। इससे संबंधित सभी प्रभार ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे और उनका संदाय उसके द्वारा सीधे नगरपालिका/प्राधिकारी को किया जाएगा। शुष्क शौचालयों की दशा में ठेकेदार प्रति आठ सीटों के लिए एक झाड़ूकश की व्यवस्था करेगा।
- (vi) **ty fuckl &** ठेकेदार गंदे पानी की निकास के लिए कारगर व्यवस्था करेगा ताकि कैम्प साफ सुथरा रहें।
- (vii) ठेकेदार दुर्घटनाओं से कर्मकारों के बचाव के लिए कैम्प क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करेगा/करेंगे।
- (viii) **LoPNrk** ठेकेदार स्थानीय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्राधिकारियों के नियमों के अनुसार श्रमिक कैम्पो में मल वहन और स्वच्छता के लिए व्यवस्था करेगा/करेंगे।

[k.M 19 >

भारसाधक इंजीनियर ठेकेदार से उसके द्वारा काम पर नियोजित ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, जो अक्षम हों अथवा अवचार करते हों, पदच्युत करने या कार्यस्थल से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा और ठेकेदार ऐसी अपेक्षाओं का तुरन्त अनुपालन करेगा। ऐसे अनुरक्षण/मरम्मत या नवीकरण कार्यों के संबंध में, जहाँ मजदूर किसी भी घर में आसानी से आ जा सकते हों, वहाँ ठेकेदार ऐसे सभी मजदूरों, चाहें वे स्थाई हों या अस्थायी, को पहचान पत्र जारी करेगा तथा इन मजदूरों द्वारा कोई भी अप्रिय कर्वाई करने पर इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस संबंध में आवासियों को सूचित करने हेतु सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता संबंधित कालोनी/ब्लॉक में कार्यरत ठेकेदारों की सूची कालोनी के नोटिस बोर्ड तथा सेवा केन्द्र पर भी लगाएंगे।

**CLAUSE 19J**

It shall be the responsibility of the contractor to see that the building under construction is not occupied by any body unauthorizedly during construction, and is handed over to the Engineer-in-Charge with vacant possession of complete building. If such building though completed is occupied illegally, then the Engineer-in-Charge shall have the option to refuse to accept the said building/buildings in that position. Any delay in acceptance on this account will be treated as the delay in completion and for such delay, a levy upto 5% of tendered value of work may be imposed by the Superintending Engineer whose decision shall be final both with regard to the justification and quantum and be binding on the contractor.

However, the Superintending Engineer, through a notice, may require the contractor to remove the illegal occupation any time on or before construction and delivery.

CLAUSE 19K

Employment of skilled/semi skilled workers

The contractor shall, at all stages of work, deploy skilled/semi skilled tradesmen who are qualified and possess certificate in particular trade from CPWD Training Institute/Industrial Training Institute/National Institute of construction Management and Research (NICMAR)/ National Academy of Construction, CIDC or any similar reputed and recognized Institute managed/ certified by State/Central Government. The number of such qualified tradesmen shall not be less than 20% of total skilled/semi skilled workers required in each trade at any stage of work. The contractor shall submit number of man days required in respect of each trade, its scheduling and the list of qualified tradesmen along with requisite certificate from recognized Institute to Engineer in charge for approval. Notwithstanding such approval, if the tradesmen are found to have inadequate skill to execute the work of respective trade, the contractor shall substitute such tradesmen within two days of written notice from Engineer-in-Charge. Failure on the part of contractor to obtain approval of Engineer-in-Charge or failure to deploy qualified tradesmen will attract a compensation to be paid by contractor at the rate of Rs. 100 per such tradesman per day. Decision of Engineer in Charge as to whether particular tradesman possesses requisite skill and amount of compensation in case of default shall be final and binding.

Provided always, that the provisions of this clause, shall not be applicable for works with estimated cost put to tender being less than Rs. 5 crores.

CLAUSE 19L

Contribution of EPF and ESI

The ESI and EPF contributions on the part of employer in respect of this contract shall be paid by the contractor. These contributions on the part of the employer paid by the contractor shall be reimbursed by the Engineer-in-charge to the contractor on actual basis.

CLAUSE 20

Minimum Wages Act to be Complied with

The contractor shall comply with all the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, and Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, amended from time to time and rules framed thereunder and other labour laws affecting contract labour that may be brought into force from time to time.

CLAUSE 21

Work not to be sublet. Action in case of insolvency

The contract shall not be assigned or sublet without the written approval of the Engineer-in-Charge. And if the contractor shall assign or sublet his contract, or attempt to do so, or become insolvent or commence any insolvency proceedings or make any composition with his creditors or attempt to do so, or if any bribe, gratuity, gift, loan, perquisite, reward or advantage pecuniary or otherwise, shall either directly or indirectly, be given, promised or offered by the contractor, or any of his servants or agent to any public officer or person in the employ of Government in any way relating to his office or employment, or if any such officer



CPWD
[k.M 19 ₹

ठेकेदार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस बात पर ध्यान रखे कि निर्माणाधीन भवनों में कोई अनधिकृत रूप से कब्जा न करें और वह खाली तथा पूरा भवन प्रभारी इंजीनियर को सुपुर्द करें। यदि ऐसा भवन पूर्ण होने पर भी अनधिकृत रूप में किसी अन्य के कब्जे में हो तो प्रभारी इंजीनियर को यह विकल्प होगा कि वह ऐसे भवन/भवनों को उस स्थिति में स्वीकार करने से मना कर दे और इस कारण से स्वीकार करने में होने वाले बिलम्ब को निर्माणकालीन विलम्ब के रूप में माना जाएगा जिसके लिए अधीक्षण इंजीनियर द्वारा कार्य के निविदित मूल्य के 5 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है और इनका निर्णय औचित्य और परिमाण दोनों दृष्टि से अन्तिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। किन्तु, अधीक्षण इंजीनियर सूचना द्वारा ठेकेदार से अनधिकृत कब्जे को, भवन सुपुर्द करने से पहले, हटाने की अपेक्षा कर सकता है।

[k.M 19 V

ठेकेदार उन कुशल/अर्धकुशल ट्रेडमैन, जो योग्य हैं तथा जो के.लो.नि.वि. प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई सी एम ए आर)/राष्ट्रीय निर्माण अकादमी, सी आई डी सी या किसी समान प्रतिष्ठित तथा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधित/प्रमाणित मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष ट्रेड में अर्हता प्राप्त है और प्रमाण पत्र धारक है, को कार्य के सभी चरणों में कार्य में लगायेगा। ऐसे योग्य ट्रेडमैन की संख्या किसी कार्य के चरण में प्रत्येक ट्रेड में अपेक्षित कुल कुशल/अर्धकुशल कर्मियों का 20 प्रतिशत से कम नहीं होगी। ठेकेदार प्रत्येक ट्रेड के संबंध में अपेक्षित मानव दिवस की संख्या, इसके भोड्यूलिंग, मान्यताप्राप्त संस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र सहित योग्य ट्रेडमैन की सूची प्रभारी अभियंता को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा। ऐसे अनुमोदन के बावजूद यदि ट्रेडमैन के पास संबंधित ट्रेड का कार्य निष्पादित करने की अपर्याप्त कुशलता पाई जाती है तो प्रभारी अभियंता से लिखित सूचना मिलने के दो दिनों के भीतर ठेकेदार ऐसे ट्रेडमैन को बदलेगा। ठेकेदार को प्रभारी अभियंता से अनुमोदन नहीं प्राप्त करने पर या योग्य ट्रेडमैन को काम पर नहीं लगाने पर ठेकेदार से प्रतिदिन 100/- रुपये प्रति ट्रेडमैन की दर से मुआवजा लिया जाएगा। अपेक्षित कुशलता रखने तथा चूक के मामले में मुआवजा की राशि के संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

çekf.kr
dđky@vekđđky
deđkjka dk fu; kst u

बशर्ते हमेशा कि इस खंड के प्रावधान, 5 करोड़ रुपये से कम निविदा करने की अनुमानित लागत वाले कार्यों पर लागू नहीं होंगे।

[k.M 19 <

इस संविदा के संबंध में रोजगार दाता की ओर से ईएसआई और ईपीएफ अंशदान का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा रोजगार दाता की ओर से भुगतान किए गए इन अंशदानों की प्रतिपूर्ति भारसाधक इंजिनियर द्वारा ठेकेदार को वास्तविक आधार पर की जाएगी।

bā h, Q rFk
bž, l vkbž dk vāknku

[k.M 20

ठेकेदार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन), अधिनियम 1970 समय-समय पर यथा संशोधित तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम तथा ठेका श्रम को प्रभावित करने वाले अन्य श्रम विधियाँ जिन्हें समय-समय पर लागू किया जा सकता है, का पालन करेगा।

U; wre etnjh
vfekfu; e ikykFkZ

[k.M 21

भारसाधक अभियंता के लिखित अनुमोदन के बिना ठेका समनुदेशित अथवा उपपट्टे पर नहीं दिया जाएगा और, यदि ठेकेदार अपने ठेके को समनुदेशित करेगा या उप-पट्टे पर देगा अथवा ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा दिवालिया हो जाएगा या दिवाला विषयक कार्यवाहियां प्रारम्भ करेगा अथवा अपने लेनदारों के कोई प्रशमन करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा यदि ठेकेदार या उसका कोई सेवक या अभिकर्ता किसी सरकारी अधिकारी या सरकार के नियोजन में व्यक्ति को किसी भी रूप से उसके पद अथवा नियोजन के संबंध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत, उपदान, दान उधार, परिलब्धि, इनाम या धनीय अथवा अन्यथा फायदा पहुंचाएगा, देने का वायदा करेगा या प्रस्थापना करेगा अथवा यदि ऐसा अधिकारी या व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्ष ठेके में हितबद्ध होगा

dk; Z vU; dks u
l kš uk] fnokfy; k
gkus ij dh tkus
okyh dkjđkbž



or person shall become in any way directly or indirectly interested in the contract, the Engineer-in-Charge on behalf of the President of India shall have power to adopt the course specified in Clause 3 hereof in the interest of Government and in the event of such course being adopted, the consequences specified in the said Clause 3 shall ensue.

CLAUSE 22

All sums payable by way of compensation under any of these conditions shall be considered as reasonable compensation to be applied to the use of Government without reference to the actual loss or damage sustained and whether or not any damage shall have been sustained.

CLAUSE 23

Changes in firm's Constitution to be intimated

Where the contractor is a partnership firm, the previous approval in writing of the Engineer-in-Charge shall be obtained before any change is made in the constitution of the firm. Where the contractor is an individual or a Hindu undivided family business concern, such approval as aforesaid shall likewise be obtained before the contractor enters into any partnership agreement where under the partnership firm would have the right to carry out the works hereby undertaken by the contractor. If previous approval as aforesaid is not obtained, the contract shall be deemed to have been assigned in contravention of Clause 21 hereof and the same action may be taken, and the same consequences shall ensue as provided in the said Clause 21.

CLAUSE 24

All works to be executed under the contract shall be executed under the direction and subject to the approval in all respects of the Engineer-in-Charge who shall be entitled to direct at what point or points and in what manner they are to be commenced, and from time to time carried on.

CLAUSE 25

Settlement of Disputes & Arbitration

Except where otherwise provided in the contract, all questions and disputes relating to the meaning of the specifications, design, drawings and instructions here-in before mentioned and as to the quality of workmanship or materials used on the work or as to any other question, claim, right, matter or thing whatsoever in any way arising out of or relating to the contract, designs, drawings, specifications, estimates, instructions, orders or these conditions or otherwise concerning the works or the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of the work or after the cancellation, termination, completion or abandonment thereof shall be dealt with as mentioned hereinafter:

- (i) If the contractor considers any work demanded of him to be outside the requirements of the contract, or disputes any drawings, record or decision given in writing by the Engineer-in-Charge on any matter in connection with or arising out of the contract or carrying out of the work, to be unacceptable, he shall promptly within 15 days request the Superintending Engineer in writing for written instruction or decision. Thereupon, the Superintending Engineer shall give his written instructions or decision within a period of one month from the receipt of the contractor's letter.

If the Superintending Engineer fails to give his instructions or decision in writing within the aforesaid period or if the contractor is dissatisfied with the instructions or decision of the Superintending Engineer, the contractor may, within 15 days of the receipt of Superintending Engineer's decision, appeal to the Chief Engineer who shall afford an opportunity to the contractor to be heard, if the latter so desires, and to offer evidence in support of his appeal. The Chief Engineer shall give his decision within 30 days of receipt of contractor's appeal. If the contractor is dissatisfied with the decision of the



तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारसाधक अभियंता को इसके खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट कार्यवाही, जो सरकार के हित में हो, करने की शक्ति होगी और यदि ऐसी कार्यवाही की जाती है तो उसके उक्त खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट परिणाम होंगे।

[k.M 22

इन शर्तों में से किसी के अधीन प्रतिकर के तौर पर संदेय सभी राशियां वास्तविक रूप से हुई हानि या नुकसान के प्रति निर्देश के बिना, और चाहे कोई नुकसान हुआ हो अथवा नहीं, सरकार के उपयोग में लाए जाने के लिए उचित प्रतिकर समझी जाएंगी।

[k.M 23

यदि ठेकेदार कोई भागीदारी फर्म है तो फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व भारसाधक इंजीनियर का लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कारवारी फर्म हो तो इसी प्रकार से ठेकेदार के किसी ऐसे भागीदारी करार को करने से पूर्व यथा पूर्वोक्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा जिसके अधीन भागीदारी फर्म को उस कार्य को करने का अधिकार होगा जिसके करने का भार ठेकेदार ने एतद्वारा अपने ऊपर लिया हो। यदि यथा पूर्वोक्त पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो ठेका इसके खण्ड 21 के उल्लंघन में समनुदेशित किया गया समझा जाएगा और उस पर वही कार्रवाई की जा सकेगी और उसके वही परिणाम होंगे जो उक्त खण्ड 21 में उपबंधित हैं।

QeZ ds xBu ea
ifjoRu dh l puk

[k.M 24

ठेके के अधीन किया जाने वाला सब कार्य, हर प्रकार से, भारसाधक इंजीनियर के निदेशाधीन और उसके अनुमोदन के अधीन निष्पादित किया जाएगा और उस भारसाधक इंजीनियर को यह निर्देश करने का हक होगा कि वे कार्य किस स्थान या किन स्थानों पर और किस प्रकार से आरम्भ किए जाने और समय-समय पर चलाए जाने हैं।

[k.M 25

यहां उल्लिखित को छोड़कर जहां ठेके में अन्यथा उप-बंधित हों, इसमें पूर्व वर्णित विनिर्देशों, डिजाइनों, आरेखों और अनुदेशों, के अर्थ से संबंधित और कार्य में प्रयुक्त कार्य कौशल या सामग्री की क्वालिटी के संबंध में या किसी अन्य प्रश्न, दावा, अधिकार बातों या चीज के संबंध में वह चाहे जो भी हों, जो ठेके, डिजाइनों, आरेखों, विनिर्देशों, प्राकलनों, अनुदेशों या इन शर्तों में किसी प्रकार उद्भूत हुई हो तो उससे संबंधित के या अन्यथा कार्यों के संबंध में हो अथवा उनके निष्पादन या निष्पादन में असफलता से जुड़े हों, सभी प्रश्न और विवाद, चाहें वे कार्य की प्रगति के दौरान या रद्द करने, पूरा करने या उसके परित्याग करने के बाद, उत्पन्न हुए हों, उन्हें यहां इसके बाद उल्लिखित अनुसार निपटाया जाएगा।

fookna dk fui Vjkj
vkj ekè; LFke

(i) यदि ठेकेदार से अपेक्षित किसी कार्य को ठेकेदार ठेके के अंतर्गत नहीं मानता या किसी नक्शे, रिकार्ड या ठेके से संबंधित या उससे उत्पन्न किसी भी मामले में भारसाधक इंजीनियर द्वारा दिए गए लिखित निर्णय या किए गए कार्य का अस्वीकार्य होने पर विवाद करता है तो वह 15 दिन के अंदर अधीक्षण इंजीनियर को लिखित अनुदेश या निर्णय के लिए लिखित रूप से अनुरोध करेगा, उसके बाद ठेकेदार से पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अंदर अधीक्षण इंजीनियर अपने लिखित अनुदेश या निर्णय देगा।

यदि अधीक्षण इंजीनियर पूर्वोक्त अवधि के अंदर अपने अनुदेश या निर्णय देने में असफल रहता है या यदि ठेकेदार अधीक्षण इंजीनियर के अनुदेश या निर्णय से असंतुष्ट हो तो ठेकेदार अधीक्षण इंजीनियर के निर्णय की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर मुख्य इंजीनियर को अपील कर सकता है जो कि ठेकेदार को, यदि वह चाहे तो, अपनी बात कहने और अपने बात के पक्ष में प्रमाण देने का अवसर देगा। मुख्य इंजीनियर अपना निर्णय ठेकेदार की अपील प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर देगा। यदि ठेकेदार इस



Chief Engineer, the contractor may within 30 days from the receipt of the Chief Engineer decision, appeal before the Dispute Redressal Committee (DRC) along with a list of disputes with amounts claimed in respect of each such dispute and giving reference to the rejection of his disputes by the Chief Engineer. The Dispute Redressal Committee (DRC) shall give his decision within a period of 90 days from the receipt of Contractor's appeal. The constitution of Dispute Redressal Committee (DRC) shall be as indicated in Schedule 'F'. If the Dispute Redressal Committee (DRC) fails to give his decision within the aforesaid period or any party is dissatisfied with the decision of Dispute Redressal Committee (DRC), then either party may within a period of 30 days from the receipt of the decision of Dispute Redressal Committee (DRC), give notice to the Chief Engineer for appointment of arbitrator on prescribed proforma as per Appendix XV, failing which the said decision shall be final binding and conclusive and not referable to adjudication by the arbitrator.

It is a term of contract that each party invoking arbitration must exhaust the aforesaid mechanism of settlement of claims/disputes prior to invoking arbitration.

- (ii) Except where the decision has become final, binding and conclusive in terms of Sub Para (i) above, disputes or difference shall be referred for adjudication through arbitration by a sole arbitrator appointed by the Chief Engineer, CPWD, in charge of the work or if there be no Chief Engineer, the Additional Director General of the concerned region of CPWD or if there be no Additional Director General, the Director General, CPWD. If the arbitrator so appointed is unable or unwilling to act or resigns his appointment or vacates his office due to any reason whatsoever, another sole arbitrator shall be appointed in the manner aforesaid. Such person shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor.

It is a term of this contract that the party invoking arbitration shall give a list of disputes with amounts claimed in respect of each such dispute along with the notice for appointment of arbitrator and giving reference to the rejection by the Chief Engineer of the appeal.

It is also a term of this contract that no person, other than a person appointed by such Chief Engineer CPWD or Additional Director General or Director General, CPWD, as aforesaid, should act as arbitrator and if for any reason that is not possible, the matter shall not be referred to arbitration at all.

It is also a term of this contract that if the contractor does not make any demand for appointment of arbitrator in respect of any claims in writing as aforesaid within 120 days of receiving the intimation from the Engineer-in-charge that the final bill is ready for payment, the claim of the contractor shall be deemed to have been waived and absolutely barred and the Government shall be discharged and released of all liabilities under the contract in respect of these claims.

The arbitration shall be conducted in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) or any statutory modifications or re-enactment thereof and the rules made thereunder and for the time being in force shall apply to the arbitration proceeding under this clause.

It is also a term of this contract that the arbitrator shall adjudicate on only such disputes as are referred to him by the appointing authority and give separate award against each dispute and claim referred to him and in all cases where the total amount of the claims by any party exceeds Rs. 1,00,000/-, the arbitrator shall give reasons for the award.

It is also a term of the contract that if any fees are payable to the arbitrator, these shall be paid equally by both the parties.

निर्णय से असंतुष्ट हो तो ठेकेदार मुख्य अभियंता के निर्णय के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर विवाद निपटान समिति (डीआरसी) के समक्ष प्रत्येक ऐसे विवाद के संबंध में दावा की गई राशि के साथ विवादों की सूची तथा मुख्य अभियंता द्वारा उनके विवादों को अस्वीकार किए जाने संबंधी पत्र संलग्न करते हुए अपील करेगा। विवाद निपटान समिति (डीआरसी), ठेकेदार के अपील के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर अपने निर्णय देगी। विवाद निपटान समिति (डीआरसी) का गठन अनुसूची 'च' में दर्शाए गए अनुसार होगा। यदि विवाद निपटान समिति (डीआरसी) अपना निर्णय उपर्युक्त अवधि के भीतर अथवा कोई पक्ष विवाद निपटान समिति (डीआरसी) के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तब कोई भी पक्ष विवाद निपटान समिति (डीआरसी) के निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर मुख्य इंजीनियर को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए परिशिष्ट XV में निर्दिष्ट प्रोफारमा में नोटिस देगा और ऐसा न करने पर उक्त निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और एकमेव होगा और मध्यस्थ द्वारा न्यायाधीन नहीं किया जा सकेगा।

यह संविदा की शर्त है कि प्रत्येक पक्ष जो मध्यस्थता का उपयोग करना चाहता है, मध्यस्थता का उपयोग किए जाने के पूर्व दावों/विवादों के निपटान के लिए उपर्युक्त तंत्र का पालन करेगा।

- (ii) जहां निर्णय अंतिम, बाध्यकारी हो जाए उसे छोड़कर उपर्युक्त उप पैरा (i) के निबंधनों के अनुसार विवादों या मतभेदों को, कार्य के प्रभारी मुख्य इंजीनियर, के. लो. नि. वि. द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम से न्यायाधीन किया जाएगा या यदि कोई मुख्य इंजीनियर न हो तो के. लो. नि. वि. के संबंधित क्षेत्र का अपर महानिदेशक या यदि कोई अपर महानिदेशक नहीं हो तो महानिदेशक, के.लो.नि.वि.। यदि इस प्रकार नियुक्त किया गया माध्यस्थ, चाहे किन्हीं भी कारणों से कार्रवाई करने के लिए अक्षम या अनिच्छुक हो या अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है या कार्यालय छोड़ देता है तो पूर्वोक्त विधि अनुसार एक दूसरा मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह संदर्भ लेकर उस स्तर से कार्रवाई शुरू करेगा जहां उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था।

इस ठेके का एक निबंधन यह है कि माध्यस्थम की याचना करने वाला पक्षकार विवादों की सूची, ऐसे प्रत्येक विवाद के लिए दावाकृत राशि सहित देगा और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस और मुख्य इंजीनियर द्वारा अपील अस्वीकृत किए जाने का संदर्भ भी देगा।

इस ठेके का यह भी एक निबंधन है कि पूर्वोक्त अनुसार मुख्य इंजीनियर, के. लो. नि. वि. या अपर महानिदेशक या महानिदेशक, के लो नि वि द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किन्हीं कारणों से यह संभव न हो तो मामला माध्यस्थम को सौंपा ही नहीं जाएगा।

इस ठेके का यह भी एक निबंधन है कि यदि ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर से यह सूचना मिलने पर, कि बिल भुगतान के लिए तैयार है, 120 दिन के अंदर पूर्वोक्त अनुसार लिखित रूप में किन्हीं दावों के संबंध में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई मांग नहीं करता है तो ठेकेदार का दावा अधित्यक्त और पूर्ण रूप से वर्जित माना जाएगा और सरकार ठेके के अधीन उन दावों के संबंध में सब दायित्वों से उन्मोचित और निर्मुक्त हो जाएगी।

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996, (1996 का 26) या उसके किसी कानूनी संशोधन या पुनराधिनियमित और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों, जो तत्समय प्रवृत्त हों, इस खंड के अधीन माध्यस्थम कार्यवाही को लागू हों, के अनुसार माध्यस्थम कार्यवाही की जाएगी।

इस ठेके का यह भी निबंधन है कि मध्यस्थ केवल ऐसे विवादों पर निर्णय देगा जो उसे नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा सौंपा जाए और सौंपे गए प्रत्येक विवाद और दावे के लिए अलग से अधिनिर्णय देगा और सभी मामलों में जहां किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए दावों की राशि 1,00,000/- रुपए से अधिक हो वहां मध्यस्थ अधिनिर्णय के लिए कारण बताएगा।

ठेके का यह भी एक निबंधन है कि यदि मध्यस्थ को कोई भी फीस दी जानी हो तो वह दोनों पक्षों द्वारा बराबर बांट के दी जाएगी।



It is also a term of the contract that the arbitrator shall be deemed to have entered on the reference on the date he issues notice to both the parties calling them to submit their statement of claims and counter statement of claims. The venue of the arbitration shall be such place as may be fixed by the arbitrator in his sole discretion. The fees, if any, of the arbitrator shall, if required to be paid before the award is made and published, be paid half and half by each of the parties. The cost of the reference and of the award (including the fees, if any, of the arbitrator) shall be in the discretion of the arbitrator who may direct to any by whom and in what manner, such costs or any part thereof shall be paid and fix or settle the amount of costs to be so paid.

Contractor to indemnify Govt. against Patent Rights

CLAUSE 26

The contractor shall fully indemnify and keep indemnified the President of India against any action, claim or proceeding relating to infringement or use of any patent or design or any alleged patent or design rights and shall pay any royalties which may be payable in respect of any article or part thereof included in the contract. In the event of any claims made under or action brought against Government in respect of any such matters as aforesaid, the contractor shall be immediately notified thereof and the contractor shall be at liberty, at his own expense, to settle any dispute or to conduct any litigation that may arise therefrom, provided that the contractor shall not be liable to indemnify the President of India if the infringement of the patent or design or any alleged patent or design right is the direct result of an order passed by the Engineer-in-Charge in this behalf.

Lumpsum Provisions in Tender

CLAUSE 27

When the estimate on which a tender is made includes lump sum in respect of parts of the work, the contractor shall be entitled to payment in respect of the items of work involved or the part of the work in question at the same rates as are payable under this contract for such items, or if the part of the work in question is not, in the opinion of the Engineer-in-Charge payable of measurement, the Engineer-in-Charge may at his discretion pay the lump-sum amount entered in the estimate, and the certificate in writing of the Engineer-in-Charge shall be final and conclusive against the contractor with regard to any sum or sums payable to him under the provisions of the clause.

Action where no Specifications are specified

CLAUSE 28

In the case of any class of work for which there is no such specifications as referred to in Clause 11, such work shall be carried out in accordance with the Bureau of Indian Standards Specifications. In case there are no such specifications in Bureau of Indian Standards, the work shall be carried out as per manufacturers' specifications, if not available then as per District Specifications. In case there are no such specifications as required above, the work shall be carried out in all respects in accordance with the instructions and requirements of the Engineer-in-Charge.

Withholding and lien in respect of sum due from contractor

CLAUSE 29

(i) Whenever any claim or claims for payment of a sum of money arises out of or under the contract or against the contractor, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain such sum or sums in whole or in part from the security, if any deposited by the contractor and for the purpose aforesaid, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold the security deposit, if any, furnished as the case may be and also have a lien over the same pending finalisation or adjudication of any such claim. In the event of the security being insufficient to cover the claimed amount or amounts or if no security has been taken from the contractor, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold and have a lien to retain to the extent of such claimed amount or amounts referred to above, from any sum or sums found payable or which may at any time thereafter become



ठेके का यह भी निबंधन है कि मध्यस्थ को मामले में प्रवृत्त उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख को वह दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके अपने-अपने दावों और प्रतिदावों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए आदेश देता है। माध्यस्थल का स्थान वही होगा जो मध्यस्थ पूरी तरह अपने विवेक से निश्चित करे। मध्यस्थ की फीस, यदि हो, यदि अधिनिर्णय देने या प्रकाशित करने से पहले दी जानी हो तो दोनों पक्ष बांट कर आधा-आधा देंगे। संदर्भ और अधिनिर्णय की लागत (मध्यस्थ की फीस, यदि कोई हो, सहित) का विनिश्चय मध्यस्थ अपने विवेक के अनुसार करेगा और किसी को भी यह निर्देश दे सकता है कि कौन और किस विधि से ऐसी लागतों या उसके अंश का भुगतान करेगा और इस तरह भुगतान की जाने वाली लागतों की राशि निश्चित कर सकता है या निपटा सकता है।

[k.M&26

ठेकेदार पेटेन्ट या डिजाइन या किन्हीं अधिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकारों के अतिलंघन या उपयोग से संबंध किसी अनुयोग, दावा या कार्यवाही के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति की क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे किन्हीं स्वामित्वों का संदाय करेगा जो संविदा में सम्मिलित किसी वस्तु या उसके भाग की बाबत संदेय हो। यथापूर्वोक्त विषयों में से किसी की बाबत सरकार के अधीन किए गए किन्हीं दावों या उसके खिलाफ किए गए किसी अनुयोग की दशा में ठेकेदार को उसकी तरुन्त अधिसूचना दी जाएगी और ठेकेदार, अपने खर्चे पर, कोई विवाद तय करने या उससे उत्पन्न होने वाली मुकदमेबाजी का संचालन करने के लिए स्वतन्त्र होगा। परन्तु ठेकेदार भारत के राष्ट्रपति को क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी नहीं होगा, यदि पेटेन्ट या डिजाइन अथवा अभिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकार का अतिलंघन भार साधक इंजीनियर द्वारा इस निमित्त पारित किसी आदेश का सीधा परिणाम हैं।

i V/v v f e k d k j k a d s
c f r B d n k j l j d k j
d h c f r i r r z d j s k

[k.M 27

जब कि उस प्राक्कलन के अंतर्गत, जिस पर निविदा की जाती है, कार्य के भागों की बाबत एकमुश्त राशियां हो, तब ठेकेदार अन्तर्वलित कार्य या प्रश्नगत कार्य के भाग की मदों की बाबत उन्हीं दरों पर संदाय के लिए हकदार होगा, जो ऐसी मदों के लिए इस ठेके के अधीन संदेय हो, और यदि प्रश्नगत, कार्य का भाग भारसाधक इंजीनियर की राय में माप के योग्य न हो तो भारसाधक इंजीनियर प्राक्कलन में दर्ज एकमुश्त रकम स्वविवेक पर संदेय कर सकेगा और भारसाधक इंजीनियर का प्रमाणपत्र ठेकेदार के विरुद्ध इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन उसे संदेय किसी राशि या राशियों की बाबत अन्तिम और निश्चयक होगा।

f u f o n k e a , d e f r
c k o e k k u

[k.M 28

किसी ऐसे कार्य वर्ग, जिसके लिए खण्ड 11 में यथावर्णित कोई विनिर्देश नहीं हैं, की दशा में ऐसा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि भारतीय मानक ब्यूरो में ऐसे कोई विनिर्देश नहीं हैं तो कार्य को निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, यदि ये भी उपलब्ध न हो तो जिला विनिर्देशों के अनुसार। यदि ऐसे विनिर्देश न हों तो कार्य के हर तरह से भारसाधक इंजीनियर के अनुदेशों और अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा।

f o f u n z k f u f n z V u
g k u s i j d k ; b k g h

[k.M 29

- (i) जब भी ठेके से या उसके अधीन ठेकेदार के खिलाफ किसी धनराशि के भुगतान के लिए दावा या दावे हो, भारसाधक इंजीनियर या सरकार को, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति में से ऐसी राशि या राशियों को पूर्णतः या अंशतः रोकने का तथा उसका धारणाधिकार होगा। भारसाधक इंजीनियर या सरकार को जमा प्रतिभूति निक्षेप, यदि कोई हो, को यथास्थिति रोकने का अधिकार होगा और इस पर, ऐसे मामलों के निपटारे या निर्णय होने तक धारणाधिकार होगा। यदि प्रतिभूति, दावा की गई राशि या राशियों से कम हो या ठेकेदार से कोई प्रतिभूति न ली गई हो तो भारसाधक इंजीनियर या सरकार को उपरिनिर्दिष्ट प्रकार से दावा की गई राशि या राशियां किसी भी ऐसी राशि में से

B d n k j l s y h t k u s
o k y h j k f ' k ; k a d s
l z a k e a j k d u k v k j
e k k j . k f e k d k j



payable to the contractor under the same contract or any other contract with the Engineer-in-Charge of the Government or any contracting person through the Engineer-in-Charge pending finalization of adjudication of any such claim.

It is an agreed term of the contract that the sum of money or moneys so withheld or retained under the lien referred to above by the Engineer-in-Charge or Government will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-Charge or Government till the claim arising out of or under the contract is determined by the arbitrator (if the contract is governed by the arbitration clause) by the competent court, as the case may be and that the contractor will have no claim for interest or damages whatsoever on any account in respect of such withholding or retention under the lien referred to above and duly notified as such to the contractor. For the purpose of this clause, where the contractor is a partnership firm or a limited company, the Engineer-in-Charge or the Government shall be entitled to withhold and also have a lien to retain towards such claimed amount or amounts in whole or in part from any sum found payable to any partner/limited company as the case may be, whether in his individual capacity or otherwise.

- (ii) Government shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the final bills of the contractor including all supporting vouchers, abstract, etc., to be made after payment of the final bill and if as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been overpaid in respect of any work done by the contractor under the contract or any work claimed to have been done by him under the contract and found not to have been executed, the contractor shall be liable to refund the amount of over-payment and it shall be lawful for Government to recover the same from him in the manner prescribed in sub-clause (i) of this clause or in any other manner legally permissible; and if it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be duly paid by Government to the contractor, without any interest thereon whatsoever.

Provided that the Government shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Superintending Engineer or Executive Engineer on the one hand and the contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the Superintending Engineer or the Executive Engineer.

CLAUSE 29A

Lien in respect of claims in other Contracts

Any sum of money due and payable to the contractor (including the security deposit returnable to him) under the contract may be withheld or retained by way of lien by the Engineer-in-Charge or the Government or any other contracting person or persons through Engineer-in-Charge against any claim of the Engineer-in-Charge or Government or such other person or persons in respect of payment of a sum of money arising out of or under any other contract made by the contractor with the Engineer-in-Charge or the Government or with such other person or persons.

It is an agreed term of the contract that the sum of money so withheld or retained under this clause by the Engineer-in-Charge or the Government will be kept withheld or retained as such by the Engineer-in-Charge or the Government or till his claim arising out of the same contract or any other contract is either mutually settled or determined by the arbitration clause or by the competent court, as the case may be and that the contractor shall have no claim for interest or damages whatsoever on this account or on any other ground in respect of any sum of money withheld or retained under this clause and duly notified as such to the contractor.



रोकने का तथा धारणाधिकार होगा जो कि ठेकेदार को भुगतान योग्य हो या जो बाद में इसी ठेके में ठेकेदार को तथा भारसाधक इंजीनियर या सरकार के भारसाधक इंजीनियर के माध्यम से किसी अन्य ठेके के अधीन किसी भी ऐसे दावे के निर्णय पर लंबित निपटारे में भुगतान योग्य होने वाली हो।

ठेके की यह मान्य शर्त है कि उपरिनिर्दिष्ट धारणाधिकार के अधीन भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा इस प्रकार रोकी गई धनराशि या राशियां तब तक रोकी जाएंगी जब तक ठेके या उसके अधीन दावा मध्यस्थ (यदि ठेके में मध्यस्थता खण्ड हो) या सक्षम न्यायालय द्वारा निश्चित न कर लिया जाए, जैसी भी स्थिति हो, और ठेकेदार किसी भी कारण से उपरिनिर्दिष्ट धारणाधिकार के अधीन रोकी गई किसी ऐसी धनराशि जिसकी सूचना यथाविधि ठेकेदार को दी गई हो, के लिए किसी प्रकार के ब्याज या क्षति का दावा नहीं करेगा। जब ठेकेदार कोई सहभागी फर्म या लिमिटेड कम्पनी हो तो इस खण्ड के प्रयोजन के लिए भारसाधक इंजीनियर या सरकार को इस प्रकार दावा की गई राशि या राशियों को पूर्णतः या अंशतः किसी भी ऐसी राशि में से रोकने का प्रतिबन्ध या धारणाधिकार होगा जो किसी सहभागी फर्म लिमिटेड कम्पनी जैसी भी स्थिति हो, को उसके व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा भुगतान योग्य हो।

- (ii) सरकार को यह अधिकार होगा कि कार्यों और ठेकेदार के अंतिम बिलों की, जिनके अंतर्गत सभी समर्थक वाउचर, सार आदि आते हैं, अंतिम बिलों के संदाय के पश्चात् संपरीक्षा और तकनीकी परीक्षा करवाए और यदि ऐसी संपरीक्षा या तकनीकी परीक्षा के परिणामस्वरूप यह पाया जाए कि ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा किए गए किसी कार्य या किसी ऐसे कार्य की बावत, जिसके संबंध में उसने दावा किया है, कि ठेके के अधीन उसके द्वारा कार्य किया गया है किन्तु जो निष्पादित किया गया नहीं पाया गया है, किसी राशि का अतिसंदाय किया गया है, तो ठेकेदार अतिसंदाय की रकम का प्रतिदाय करने के लिए दायी होगा और सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उससे उसकी वसूली उपखण्ड (1) में विहित रीति में या वैध रूप से अनुज्ञेय किसी अन्य रीति में करे और यदि यह पाया जाए कि ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी कार्य के बावत उसे उससे कम संदाय किया गया है जो ठेके के अधीन उसे शोध्य था, तो ऐसे न्यून संदाय की रकम सरकार द्वारा बिना किसी भी तरह के ब्याज के ठेकेदार को सम्यक रूप से संदत्त की जाएगी।

परन्तु सरकार अतिसंदत्त किसी राशि को वसूल करने के लिए हकदार न होगी और न ठेकेदार न्यून संदत्त किसी राशि के संदाय के लिए हकदार होगा, यदि ठेके के किसी ऐसे निबन्धन के अधीन जो अधीक्षण इंजीनियर या कार्यपालक इंजीनियर द्वारा निर्धारण के पश्चात् कार्य के लिए संदाय अनुज्ञात करता हो, ऐसे संदाय के संबंध में एक पक्ष की ओर से अधीक्षण इंजीनियर या कार्यपालक इंजीनियर और दूसरी ओर से ठेकेदार के बीच सहमति हो गई है।

[k.M 29 v

ठेके के अधीन ठेकेदार को देय और भुगतान योग्य कोई धनराशि (जिसमें उसको लौटाया जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप भी सम्मिलित है) भारसाधक इंजीनियर या सरकार या भारसाधक इंजीनियर के माध्यम से ठेका करने वाला कोई दूसरा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भारसाधक इंजीनियर या सरकार या ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के किसी दावे के मद्दे रोकली अथवा धारित करली जाएगी जो भारसाधक इंजीनियर या सरकार या ऐसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ ठेकेदार द्वारा किए गए किसी अन्य ठेके के अन्तर्गत उससे निकल रही हो अथवा जिसका भुगतान उसके द्वारा किया जाना हो।

ठेके की यह मान्य शर्त होगी कि इस खण्ड के अधीन भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा रोकी या धारित गई धनराशि भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा तब तक रोकी जायेगी जब तक उसी ठेके या किसी अन्य ठेके में उसका दावे पर या तो परस्पर निर्णय हो जाए या मध्यस्थता के खण्ड के द्वारा या सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्णत हो जाए, जैसी भी स्थिति हो, और ठेकेदार इस कारण या किसी अन्य कारण से इस खण्ड के अधीन रोकी गई किसी ऐसी धनराशि जिनकी सूचना यथाविधि ठेकेदार को दी गई हो, के लिए किसी प्रकार के ब्याज या क्षति का दावा नहीं करेगा।

vU; Bxka ea nkoka
ds l xak ea
ekkj . kfkckkj

**CLAUSE 30**

Employment of coal mining or controlled area labour not permissible

The contractor shall not employ coal mining or controlled area labour falling under any category whatsoever on or in connection with the work or recruit labour from area within a radius of 32 km (20 miles) of the controlled area. Subject as above the contractor shall employ imported labour only i.e., deposit imported labour or labour imported by contractors from area, from which import is permitted.

Where ceiling price for imported labour has been fixed by State or Regional Labour Committees not more than that ceiling price shall be paid to the labour by the contractor.

The contractor shall immediately remove any labourer who may be pointed out by the Engineer-in-Charge as being a coal mining or controlled area labourer. Failure to do so shall render the contractor liable to pay to Government a sum calculated at the rate of Rs.10/- per day per labourer. The certificate of the Engineer-in-Charge about the number of coal mining or controlled area labourer and the number of days for which they worked shall be final and binding upon all parties to this contract.

It is declared and agreed between the parties that the aforesaid stipulation in this clause is one in which the public are interested within the meaning of the exception in Section 74 of Indian Contract Act, 1872.

Explanation:- Controlled Area means the following areas:

Districts of Dhanbad, Hazaribagh, Jamtara - a Sub-Division under Santhal Pargana Commissionery, Districts of Bankuara, Birbhum, Burdwan, District of Bilaspur.

Any other area which may be declared a Controlled Area by or with the approval of the Central Government.

CLAUSE 31

Unfiltered water supply

The contractor(s) shall make his/their own arrangements for water required for the work and nothing extra will be paid for the same. This will be subject to the following conditions.

- (i) That the water used by the contractor(s) shall be fit for construction purposes to the satisfaction of the Engineer-in-Charge.
- (ii) The Engineer-in-Charge shall make alternative arrangements for supply of water at the risk and cost of contractor(s) if the arrangements made by the contractor(s) for procurement of water are in the opinion of the Engineer-in-Charge, unsatisfactory.

CLAUSE 31 A

Departmental water supply, if available

Water if available may be supplied to the contractor by the department subject to the following conditions:-

- (i) The water charges @ 1 % shall be recovered on gross amount of the work done.
- (ii) The contractor(s) shall make his/their own arrangement of water connection and laying of pipelines from existing main of source of supply.
- (iii) The Department do not guarantee to maintain uninterrupted supply of water and it will be incumbent on the contractor(s) to make alternative arrangements for water at his/ their own cost in the event of any temporary break down in the Government water main so that the progress of his/their work is not held up for want of water. No claim of damage or refund of water charges will be entertained on account of such break down.

ठेकेदार किसी भी श्रेणी के अधीन आने वाले कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र के श्रमिकों को कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित नहीं करेगा या नियंत्रित क्षेत्र के 32 किलोमीटर (20 मील) के घेरे के भीतर के क्षेत्र से श्रमिकों की भर्ती नहीं करेगा। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए ठेकेदार केवल आयातित अर्थात् डिपॉजिट आयातित श्रमिकों या ऐसे श्रेणियों से जिससे आयात अनुज्ञप्त है, ठेकेदार द्वारा आयातित श्रमिकों को ही नियोजित करेगा।

dkş yk [kuu% ; k
fu; f=r {ks= ds
etnija dk
fu; kstu oftr

जहां आयातित श्रमिकों के लिए राज्य या प्रादेशिक श्रम समितियों द्वारा अधिकतम मजदूरी नियम कर दी गई है वहां ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को अधिकतम मजदूरी से अधिक मजदूरी संदत नहीं की जाएगी।

ठेकेदार किसी ऐसे श्रमिक को तुरन्त हटाएगा, जिसका कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिक होना भारसाधक इंजीनियर द्वारा इंगित किये गए। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहेगा तो वह प्रतिदिन प्रति श्रमिक 10 रुपए की दर से संगणित राशि सरकार को संदत्त करने के लिए दायी होगा। कोयला खनन या नियंत्रित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या और उन दिनों की संख्या के विषय में जब उन्होंने कार्य किया हो, भार साधक इंजीनियर का प्रमाणपत्र अंतिम और इस ठेके के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

यह घोषित किया जाता है और पक्षकारों के बीच इस संबंध में सहमति है कि इस खण्ड में पूर्वोक्त अनुबंध ऐसा है, जिसमें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 74 के अपवाद के अर्थ के भीतर जनता हितबद्ध हैं।

Li "Vhdj .k % नियंत्रित क्षेत्र से निम्नलिखित क्षेत्र अधिप्रेत है:

धनबाद, हजारी बाग जिले, संधालपरगना कमीशनरी का जमतारा उपखण्ड। बांकुरा, वीरभूमि बर्दमान जिले। विलासपुर जिला,

कोई अन्य क्षेत्र जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके अनुमोदन से नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया जाए।

[k.M 31

ठेकेदार कार्य के लिए अपेक्षित जल के लिए अपना निजी इंतजाम करेगा / करेंगे और उसके लिए कुछ भी अतिरिक्त संदाय नहीं किया जाएगा। ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा:

v'kkfkr ty vki frl

- ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल, भारसाधक इंजीनियर की संतुष्टी के अनुसार निर्माण प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होगा।
- यदि भारसाधक इंजीनियर की राय में ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा जल की प्राप्ति के लिए किया गया इंतजाम संतोषप्रद न हो तो भारसाधक इंजीनियर जलआपूर्ति के लिए ठेकेदार (ठेकेदारों) के जोखिम और व्यय पर वैकल्पिक इंतजाम करेगा।

[k.M 31 v

यदि जल उपलब्ध हो तो विभाग द्वारा उसकी आपूर्ति निम्नलिखित शर्तों पर की जा सकती है:

folkkxh; ty vki frl
; fn mi yček gks

- निष्पादित कार्य की सकल राशी पर 1 प्रतिशत की दर से जल प्रभार वसूल किया जाएगा।
- ठेकेदार को जल आपूर्ति के विद्यमान मुख्य स्रोत से जल कनेक्शन तथा पाईप लाईन डालने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- अविच्छिन्न जल आपूर्ति बनाए रखने के संबंध में विभाग की कोई गारन्टी नहीं है और ठेकेदार के लिए यह आवश्यक होगा कि वहां वे सरकारी जलभंडार में आई किसी अस्थाई रुकावट की स्थिति में अपनी लागत पर जल की वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि जल की वजह से उसके कार्य में रुकावट न आए। इस प्रकार की रुकावट के संबंध में जल प्रभार संबंधी प्रभारों की वापसी अथवा क्षति संबंधी दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**Alternate water arrangements****CLAUSE 32**

- (i) Where there is no piped water supply arrangement and the water is taken by the contractor from the wells or hand pump constructed by the Government, no charge shall be recovered from the contractor on that account. The contractor shall, however, draw water at such hours of the day that it does not interfere with the normal use for which the hand pumps and wells are intended. He will also be responsible for all damage and abnormal repairs arising out of his use, the cost of which shall be recoverable from him. The Engineer-in-Charge shall be the final authority to determine the cost recoverable from the contractor on this account and his decision shall be binding on the contractor.
- (ii) The contractor shall be allowed to construct temporary wells in Government land for taking water for construction purposes only after he has got permission of the Engineer-in-Charge in writing. No charges shall be recovered from the contractor on this account, but the contractor shall be required to provide necessary safety arrangements to avoid any accidents or damage to adjacent buildings, roads and service lines. He shall be responsible for any accidents or damage caused due to construction and subsequent maintenance of the wells and shall restore the ground to its original condition after the wells are dismantled on completion of the work.

Return of Surplus materials**CLAUSE 33**

Notwithstanding anything contained to the contrary in this contract, where any materials for the execution of the contract are procured with the assistance of Government either by issue from Government stocks or purchase made under orders or permits or licences issued by Government, the contractor shall hold the said materials economically and solely for the purpose of the contract and not dispose of them without the written permission of the Government and return, if required by the Engineer-in-Charge, all surplus or unserviceable materials that may be left with him after the completion of the contract or at its termination for any reason whatsoever on being paid or credited such price as the Engineer-in-Charge shall determine having due regard to the condition of the materials. The price allowed to the contractor however shall not exceed the amount charged to him excluding the element of storage charges. The decision of the Engineer-in-Charge shall be final and conclusive. In the event of breach of the aforesaid condition, the contractor shall in addition to throwing himself open to action for contravention of the terms of the licence or permit and/or for criminal breach of trust, be liable to Government for all moneys, advantages or profits resulting or which in the usual course would have resulted to him by reason of such breach.

Hire of Plant & Machinery**CLAUSE 34**

- (i) The contractor shall arrange at his own expense all tools, plant, machinery and equipment (hereinafter referred to as T&P) required for execution of the work except for the Plant & Machinery listed in Schedule 'C' and stipulated for issue to the contractor. If the contractor requires any item of T&P on hire from the T&P available with the Government over and above the T&P stipulated for issue, the Government will, if such item is available, hire it to the contractor at rates to be agreed upon between him and the Engineer-in-Charge. In such a case, all the conditions hereunder for issue of T&P shall also be applicable to such T&P as is agreed to be issued.
- (ii) Plant and Machinery when supplied on hire charges shown in Schedule 'C' shall be made over and taken back at the departmental equipment yard/shed shown in Schedule 'C' and the contractor shall bear the cost of carriage from the place of issue to the site of work and back. The contractor shall be responsible to return the plant and machinery with condition in which it was handed over to him, and he shall be responsible for all damage caused to the said plant and machinery at the site of work or elsewhere in

- (i) जहां नल जल आपूर्ति का कोई इंतजाम नहीं है और ठेकेदार सरकार द्वारा बनाए गए कूपों या हेंडपम्पों से जल लेता है, वहां उसके लिए ठेकेदार से कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे। किन्तु ठेकेदार दिन के ऐसे घंटों में पानी लेगा कि उससे उस सामान्य उपयोग में कोई विघ्न न पड़े, जिसके लिए हैण्डपम्प और कुएं बनाए गए हैं। वह अपने उपयोग से उदभूत होने वाले सभी नुकसानों और अप्रसामान्य या मरम्मतों के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसकी लागत उससे वसूल की जा सकेगी। भारसाधक इंजीनियर इसके लिए ठेकेदार से वसूल की जा सकने वाली लागत अवधारित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा और उसका निर्णय ठेकेदार के लिए बाध्य होगा।
- (ii) ठेकेदार द्वारा भारसाधक इंजीनियर से लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर लेने पर ही, उसे निर्माण प्रयोजनों हेतु जल लेने के लिए सरकारी भूमि पर अस्थायी कुओं का निर्माण करने की अनुमति होगी। ठेकेदार से इसके लिए कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे किन्तु ठेकेदार से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह दुर्घटनाओं से बचने या समीपवर्ती भवनों, सड़कों और सेवा लाइनों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करे। वह कुओं के बनवाने और तत्पश्चात उनके अनुरक्षण के कारण हुई दुर्घटनाओं या नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा और कार्य के पूर्ण हो जाने पर कुओं को तोड़ने के पश्चात् भूमि को मूल रूप प्रदान करेगा।

o&fYid ty 0; oLFk

[k.M 33]

इस ठेके में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां ठेके के निष्पादन के लिए सामग्री सरकार की सहायता से, चाहे वह सरकारी स्टाकों से जारी किए जाने के द्वारा हो या चाहे सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों, अनुज्ञा-पत्रों या अनुज्ञापतियों के अधीन क्रय करके प्राप्त की जाए, वहां ठेकेदार उक्त सामग्री को किफायत से और एक मात्र ठेके के प्रयोजन के लिए ही धारण करेगा और सरकार की लिखित अनुज्ञा के बिना उस का निपटान नहीं करेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा यदि अपेक्षा की जाए तो ऐसी सभी अधिशेष या काम में न आ सकने वाली सामग्री को, जो ठेका पूरा होने के पश्चात् या उसके पर्यवसान पर वह चाहे किसी भी कारणवश हो, उसके पास बची रहे उसकी ऐसी कीमत जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा ऐसी सामग्री की दशा को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाये, संदत्त कर दिए जाने या उसके खाते में जमा कर दिए जाने पर, लौटा देगा किन्तु ठेकेदार को अनुज्ञात कीमत उससे प्रभारित रकम से, भंडारण के प्रभारों को छोड़कर, अधिक न होगी। भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अन्तिम और निश्चायक होगा। यदि पूर्वोक्त शर्त हो भंग किया जायेगा तो ठेकेदार अनुज्ञापतियों या अनुज्ञा-पत्रों के निबन्धनों के उल्लंघन और/या अपराधिक विश्वास भंग के लिए की जाने वाली कार्यवाही के लिए दायी तो होगा ही किन्तु इसके अलावा वह सरकार को उस सभी धन, फायदे या लाभ के लिए भी दायित्वाधीन होगा जो ऐसे भंग के कारण उसे प्राप्त हुए हों या सामान्य अनुक्रम में प्राप्त होते।

vfek'k'k I kexh dh
oki I h

[k.M 34]

- (i) अनुसूची 'ग' में सूचिबद्ध संयंत्र और मशीनरी, जो ठेकेदार को दिए जाने के लिए निर्धारित है को छोड़कर, कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी औजार, संयंत्र, मशीनरी और उपकरण (जिन्हें इसके बाद औजार एवं संयंत्र कहा गया है) की व्यवस्था ठेकेदार अपने खर्चे पर करेगा। यदि ठेकेदार, जारी किए जाने के लिए निर्धारित औजार एवं संयंत्रों के अतिरिक्त सरकार के पास उपलब्ध औजार एवं संयंत्रों में से कोई औजार एवं संयंत्र भाड़े पर लेना चाहता हो तो सरकार ऐसे औजार एवं संयंत्र, यदि उपलब्ध हों, को भारसाधक इंजीनियर और ठेकेदार के बीच तय हुई दरों पर ठेकेदार को देगी। ऐसे मामले में औजार एवं संयंत्र जारी करने के लिए यहां नीचे दी गई सभी शर्तें, जारी करने के लिए हुई सहमति के अनुसार, ऐसे सभी औजार एवं संयंत्रों पर भी लागू होगी।
- (ii) अनुसूची 'ग' में बताई गई दरों पर आपूरित संयंत्र और मशीनरी अनुसूची 'ग' में बताए गए विभागीय उपस्कर यार्ड/शेड में ही सौंपी जायगी और वहीं पर उन्हें वापस लिया जायेगा और ठेकेदार निर्गम स्थल से कार्यस्थल तक उनको लाने और वहां से वापस ले जाने का व्यय वहन करेगा। ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को उसी दशा में जिसमें वे उसे सुपुर्द की गई थी, लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा और वह उक्त संयंत्र और मशीनरी को, कार्य स्थल पर अथवा अन्यत्र प्रचालन के समय या अन्यथा या अभिवहन के दौरान, हुए सभी नुकसानों के लिए जिसमें उसके पूर्जों का नुकसान या हानि भी सम्मिलित है, और

I a a: vlg e' khujh H&Mk



operation and otherwise during transit including damage to or loss of plant and for all losses due to his failure to return the same soon after the completion of the work for which it was issued. The Divisional Engineer shall be the sole judge to determine the liability of the contractor and its extent in this regard and his decision shall be final and binding on the contractor.

- (iii) The plant and machinery as stipulated above will be issued as and when available and if required by the contractor. The contractor shall arrange his programme of work according to the availability of the plant and machinery and no claim, whatsoever, will be entertained from him for any delay in supply by the Department.
- (iv) The hire charges shall be recovered at the prescribed rates from and inclusive of the date the plant and machinery made over upto and inclusive of the date of the return in good order even though the same may not have been working for any cause except major breakdown due to no fault of the contractor or faulty use requiring more than three working days continuously (excluding intervening holidays and Sundays) for bringing the plant in order. The contractor shall immediately intimate in writing to the Engineer-in-Charge when any plant or machinery gets out of order requiring major repairs as aforesaid. The Engineer-in-Charge shall record the date and time of receipt of such intimation in the log sheet of the plant or machinery. Based on this if the breakdown before lunch period or major breakdown will be computed considering half a day's breakdown on the day of complaint. If the breakdown occurs in the post lunch period of major breakdown will be computed starting from the next working day. In case of any dispute under this clause, the decision of the Superintending Engineer shall be final and binding on the contractor.
- (v) The hire charges shown above are for each day of 8 hours (inclusive of the one hour lunch break) or part thereof.
- (vi) Hire charges will include service of operating staff as required and also supply of lubricating oil and stores for cleaning purposes. Power fuel of approved type, firewood, kerosene oil etc. for running the plant and machinery and also the full time chowkidar for guarding the plant and machinery against any loss or damage shall be arranged by the contractor who shall be fully responsible for the safeguard and security of plant and machinery. The contractor shall on or before the supply of plant and machinery sign an agreement indemnifying the Department against any loss or damage caused to the plant and machinery either during transit or at site of work.
- (vii) Ordinarily, no plant and machinery shall work for more than 8 hours a day inclusive of one hour lunch break. In case of an urgent work however, the Engineer-in-Charge may, at his discretion, allow the plant and machinery to be worked for more than normal period of 8 hours a day. In that case, the hourly hire charges for overtime to be borne by the contractor shall be 50% more than the normal proportionate hourly charges (1/8th of the daily charges) subject to a minimum of half day's normal charges on any particular day. For working out hire charges for over time, a period of half an hour and above will be charged as one hour and a period of less than half an hour will be ignored.
- (viii) The contractor shall release the plant and machinery every seventh day for periodical servicing and/or wash out which may take about three to four hours or more. Hire charges for full day shall be recovered from the contractor for the day of servicing/ wash out irrespective of the period employed in servicing.
- (ix) The plant and machinery once issued to the contractor shall not be returned by him on account of lack of arrangements of labour and materials, etc. on his part, the same will be returned only when they are required for major repairs or when in the opinion of the Engineer-in-Charge, the work or a portion of work for which the same was issued is completed.



उसकी (ठेकेदार की) असफलता के कारण हुई सभी हानियों के लिए उत्तरदायी होगा तथा उस कार्य के, जिसके लिए वह दी गई थी, पूर्ण हो जाने के तुरन्त पश्चात् उन्हें वापस करेगा, ठेकेदार के दायित्व और इस संबंध में उसकी सीमा को अवधारित करने के लिए मंडल इंजीनियर एक मात्र निर्णायक होगा और उसका विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

- (iii) यथा ऊपर अनुबद्ध संयंत्र और मशीनरी जैसे ही और जब उपलब्ध होगी और यदि ठेकेदार द्वारा अपेक्षा की जायेगी तब वे दी जाएगी। ठेकेदार अपने कार्य के प्रोग्राम की व्यवस्था संयंत्र और मशीनरी की उपलब्धता के अनुसार करेगा और विभाग द्वारा आपूर्ति में हुई किसी देरी के कारण उसका (ठेकेदार का) कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iv) संयंत्र और मशीनरी के किराए की वसूली निर्धारित दरों पर की जाएगी जिसमें संयंत्र और मशीनरी सौंपने तथा इनके अच्छी हालत में वापिस करने की तिथियां भी शामिल होंगी चाहे किसी कारणवश इनका प्रयोग न भी किया गया हो, किसी बड़ी खराबी को छोड़कर जिसमें ठेकेदार का कोई दोष न हो और जिसमें निरन्तर तीन कार्य दिवसों से अधिक समय उस संयंत्र को ठीक करवाने में लगा हो (इस अवधि के बीच में आने वाली छुट्टियों तथा रविवार को शामिल नहीं किया जाएगा)। जब भी कोई संयंत्र या मशीनरी खराब हो और पूर्वोक्त अनुसार जिसमें अधिक मरम्मत की आवश्यकता हो, ठेकेदार उसकी लिखित सूचना भारसाधक इंजीनियर को शीघ्र देगा। भारसाधक इंजीनियर ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि तथा समय संयंत्र और मशीनरी की लॉग-बुक में दर्ज करेगा। इसी आधार पर यदि भोजन समय से पूर्व खराबी हो तो बड़ी खराबी की अवधि शिकायत की तिथि को आधे दिन की खराबी मानकार गिनी जाएगी। यदि खराबी शिकायत की तिथि को भोजन-समय के बाद होती है तो बड़ी खराबी की अवधि अगले कार्य दिवस से आरम्भ कर गिनी जाएगी। इस खण्ड के अन्तर्गत किसी भी मामले में अधीक्षण इंजीनियर का निर्णय अन्तिम और ठेकेदार के लिए बाध्य होगा।
- (v) ऊपर दर्शाए गए भाड़े प्रभार 8 घन्टे के (जिसमें एक घन्टा बीच में लंच के लिए सम्मिलित है) प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए है।
- (vi) भाड़ा प्रभारों के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रचालक स्टाफ सेवाएं और स्नेहक तेल और सफाई प्रयोजनों के लिए सामान भी शामिल होगा। ठेकेदार जो संयंत्र और मशीनरी की हिफाजत और सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा, संयंत्र और मशीनरी को चलाने के लिए अनुमोदित प्रकार के शक्ति-ईंधन, जलाने की लकड़ी, मिट्टी के तेल आदि की तथा संयंत्र मशीनरी की हानि या नुकसान से बचाव करने के लिए पूर्णकालिक चौकीदार की व्यवस्था करेगा। संयंत्र और मशीनरी का प्रदाय किए जाने पर या उसके पूर्व ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को परिवहन के दौरान या कार्यस्थल पर होने वाली हानि या नुकसान के संबंध में विभाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।
- (vii) सामान्यतः कोई भी संयंत्र और मशीनरी एक दिन में 8 घंटे से, जिसमें मध्याह्न भोजन के लिए एक घन्टे का समय भी शामिल है, अधिक काम नहीं करेगी। किन्तु अति आवश्यक कार्य की दशा में, भारसाधक इंजीनियर अपने विवेक से संयंत्र और मशीनरी को दिन में 8 घन्टे की सामान्य कार्यावधि से अधिक चलाने की अनुमति दे सकेगा। उस दशा में ठेकेदार द्वारा वहन किया जाने वाला समयोपरि का प्रति-घंटा भाड़ा प्रभार सामान्य रूप से अनुपातिक प्रति घन्टा प्रभार (दैनिक प्रभार का आठवां भाग) से 50 प्रतिशत अधिक होगा किन्तु किसी विशिष्ट दिन का ऐसा प्रभार कम से कम उतना होगा जो आधे दिन का प्रसामान्य प्रभार होता है। समयोपरि का भाड़ा प्रभार निकालने के लिए आधा घन्टा और उसके ऊपर की अवधि को घन्टे के रूप में प्रभारित किया जाएगा और आधा घन्टे से कम समय की उपेक्षा कर दी जाएगी।
- (viii) ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को हर सातवें दिन नियतकालिक सफाई और/या धुलाई के लिए छोड़ देगा जिसमें लगभग तीन से चार घन्टे तक का या इससे अधिक समय लग सकेगा। इस बात का विचार किए बिना की सफाई/धुलाई करने में, कितना समय लगा है, ठेकेदार से सफाई/धुलाई करने वाले दिन के लिए पूरे दिन का भाड़ा प्रभार वसूल किया जाएगा।
- (ix) ठेकेदार को संयंत्र और मशीनरी एक बार जारी हो जाने पर उन्हें वह अपनी ओर से श्रमिक और सामग्री आदि की व्यवस्था में कमी होने के कारण वापिस नहीं करेगा। उन्हें तभी वापिस किया जाएगा जब कि या तो उनमें भारी मरम्मत की आवश्यकता हो अथवा जब भारसाधक इंजीनियर की राय में वह कार्य या उसका वह भाग, जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था, पूरा हो चुका हो।



- (x) Log Book for recording the hours of daily work for each of the plant and machinery supplied to the contractor will be maintained by the Department and will be countersigned by the contractor or his authorized agent daily. In case the contractor contests the correctness of the entries and/or fails to sign the Log Book, the decision of the Engineer-in-Charge shall be final and binding on him. Hire charges will be calculated according to the entries in the Log Book and will be binding on the contractor. Recovery on account of hire charges for road rollers shall be made for the minimum number of days worked out on the assumption that a roller can consolidate per day and maximum quantity of materials or area surfacing as noted against each in the annexed statement (see attached annexure).
- (xi) In the case of concrete mixers, the contractors shall arrange to get the hopper cleaned and the drum washed at the close of the work each day or each occasion.
 - (a) In case rollers for consolidation are employed by the contractor himself, log book for such rollers shall be maintained in the same manner as is done in case of departmental rollers, maximum quantity of any items to be consolidated for each roller-day shall also be same as in Annexure to Clause 34(x). For less use of rollers, recovery for the less roller days shall be made at the stipulated issue rate.
- (xii) The contractor shall be responsible to return the plant and machinery in the condition in which it was handed over to him and he shall be responsible for all damage caused to the said plant and machinery at the site of work or elsewhere in operation or otherwise or during transit including damage to or loss of parts, and for all losses due to his failure to return the same soon after the completion of the work for which it was issued. The Divisional Engineer shall be the sole judge to determine the liability of the contractor and its extent in this regard and his decision shall be final and binding on the contractor.
- (xiii) The contractor will be exempted from levy of any hire charges for the number of days he is called upon in writing by the Engineer-in-Charge to suspend execution of the work, provided Government plant and machinery in question have, in fact, remained idle with the contractor because of the suspension
- (xiv) In the event of the contractor not requiring any item of plant and machinery issued by Government though not stipulated for issue in Schedule 'C' any time after taking delivery at the place of issue, he may return it after two days written notice or at any time without notice if he agrees to pay hire charges for two additional days without, in any way, affecting the right of the Engineer-in-Charge to use the said plant and machinery during the said period of two days as he likes including hiring out to a third party.

CLAUSE 35

Condition relating to use of asphaltic materials

- (i) The contractor undertakes to make arrangement for the supervision of the work by the firm supplying the tar or bitumen used.
- (ii) The contractor shall collect the total quantity of tar or bitumen required for the work as per standard formula, before the process of painting is started and shall hypothecate it to the Engineer-in-Charge. If any bitumen or tar remains unused on completion of the work on account of lesser use of materials in actual execution for reasons other than authorized changes of specifications and abandonment of portion of work, a corresponding deduction equivalent to the cost of unused materials as determined by the Engineer-in-Charge shall be made and the material return to the contractors. Although the materials are hypothecated to Government, the contractor undertakes the responsibility for their proper watch, safe custody and protection against all risks. The materials shall not be removed from site of work without the consent of the Engineer-in-Charge in writing.



- (x) ठेकेदार को प्रदाय किए गए प्रत्येक संयंत्र और मशीनरी के दैनिक कार्य के समय का अभिलेख रखने के लिए विभाग द्वारा लॉग बुक रखी जाएगी और वह रोजाना ठेकेदार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी। यदि ठेकेदार यह आपत्ति करता है कि उसकी प्रविष्टियां सही नहीं हैं और/या लॉग बुक पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अन्तिम और उस पर बाध्यकर होगा। लॉग बुक की प्रविष्टियों के अनुसार भाड़ा प्रभार परिकलित किया जाएगा और वह ठेकेदार पर बाध्यकर होगा। सड़क-रोलरों के भाड़े प्रभार के मुद्दे वसूली उतनी न्यूनतम दिनों के लिए की जाएगी जो इस धारणा के आधार पर निकलते हो कि एक रोलर प्रतिदिन उतनी अधिकतम सामग्री या अपृष्ठन क्षेत्र की कुटाई कर सकता है जो संलग्न विवरण में प्रत्येक के सामने लिखी है (संलग्न अनुबंध देखिए)।
- (xi) कंक्रीट मिश्रक की दशा में, ठेकेदार प्रतिदिन या प्रत्येक अवसर पर काम की समाप्ति पर हॉपर को साफ कराने और ड्रमको धुलवाने की व्यवस्था करेगा।
- (क) यदि संपिड़न के लिए रोड रोलर ठेकेदार द्वारा स्वयं लगाए जाते हैं तो ऐसे रोलरों की लॉग बुक भी सरकारी रोलरों की भांती रखी जाएगी। रोलर द्वारा प्रत्येक रोलर दिवस को किसी मद को संपिड़ित करने की अधिकतम प्रमात्रा भी खंड 34 (X) के अनुबंध के अनुसार ही होगी। रोलर के कम प्रयोग के लिए न्यून रोलर दिवसों की कटौती अनुबंधित निर्गम दरों पर की जाएगी।
- (xii) ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को उसी हालत में वापिस करने के लिए जिम्मेदार है जिस हालत में वह उसे सौंपी गई थी और वह उन संयंत्र और मशीनरी में कार्यस्थल पर या अन्यत्र काम करते हुए या अन्य दशा में या लाते ले जाते हुए जो कोई क्षति होगी उसके लिए, जिसमें उसके किन्हीं अवयवों को हुई क्षति या उनका खो जाना भी शामिल है, और जिस काम के लिए वह दी गई थी उसके पूरे होने के तुरंत बाद उसके वापस न करने के कारण होने वाली सभी हानियों के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में ठेकेदार की देयता और उसका परिमाण निश्चित करने के लिए मण्डल इंजीनियर एक मात्र निर्णायक होगा। और उसका निर्णय अन्तिम तथा ठेकेदार पर बाध्यकर होगा।
- (xiii) भार साधक इंजीनियर कार्य निष्पादन को जितने दिन तक स्थगित रखने का लिखित आदेश देगा उतने दिन के लिए ठेकेदार से कोई भाड़ा प्रभार नहीं लिया जाएगा। बशर्ते सरकार के उक्त संयंत्र और मशीनरी स्थगन के कारण ठेकेदार के पास वास्तव में निष्क्रिय पड़े रहे।
- (xiv) सरकार द्वारा जारी संयंत्र और मशीनरी की किसी मद, यद्यपि जारी करने के लिए अनुसूची 'ग' में अनुबंधित न हो, को ठेकेदार जारी किए जाने वाले स्थान पर उसकी सुपुर्दगी लेने के बाद किसी भी समय जब आवश्यक नहीं समझता तो वह दो दिन का लिखित नोटिस देने के बाद या दो दिन का अतिरिक्त भाड़ा प्रभार का भुगतान करने के लिए सहमत होने पर, और उक्त संयंत्र और मशीनरी को उक्त दो दिन की अवधि के लिए किसी तीसरे पक्ष को भाड़े पर देने और उन्हें जैसे चाहे वैसे प्रयोग करने के भारसाधक इंजीनियर के अधिकार पर कोई प्रभाव डाले बिना, वापस कर सकता है।

[k.M 35

- (i) ठेकेदार उपयोग किए जाने वाले टार या बिटूमेन की आपूर्ति करने वाली फर्म द्वारा कार्य के पर्यवेक्षण के लिए व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है।
- (ii) ठेकेदार डामर लगाने की प्रक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व मानक सूत्र के अनुसार कार्य के लिए अपेक्षित टार या बिटूमेन की कुल मात्रा संग्रहीत करेगा और उसे भारसाधक इंजीनियर के पास दुष्टिबंधक रखेगा। यदि कार्य पूरा हो जाने पर, विनिर्देशों की प्राधिकृत तब्दीलियों और कार्य भाग के त्याग से भिन्न अन्य कारणों के लिए वास्तविक निष्पादन में सामग्री के कम उपयोग के कारण कोई बिटूमेन या टार बिना काम में आए बचा रहता है तो भारसाधक इंजीनियर द्वारा यथा अवधारित अप्रयुक्त सामग्री की लागत के समतुल्य तत्सम कटौती की जाएगी और सामग्री ठेकेदारों को वापस लौटा दी जाएगी। यद्यपि सामग्री सरकार के पास दृष्टिबंधक रखी जाती है, तथापि ठेकेदार सभी जोखिमों से उनकी समुचित रखवाली, सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। सामग्री भारसाधक इंजीनियर की लिखित सम्मति के बिना कार्यस्थल से नहीं हटाई जाएगी।

, LQRV | kefxz; ka ds
ç; kx | EclUkh 'krā



- (iii) The contractor shall be responsible for rectifying defects noticed within a year from the date of completion of the work and the portion of the security deposit relating to asphaltic work shall be refunded after the expiry of this period.

CLAUSE 36

Contractors Superintendence, Supervision, Technical Staff & Employees

Employment of Technical Staff and employees

- (i) The contractor shall provide all necessary superintendence during execution of the work and all along thereafter as may be necessary for proper fulfilling of the obligations under the contract.

The contractor shall immediately after receiving letter of acceptance of the tender and before commencement of the work, intimate in writing to the Engineer-in-Charge, the name(s), qualifications, experience, age, address(s) and other particulars along with certificates, of the principal technical representative to be in charge of the work and other technical representative(s) who will be supervising the work. Minimum requirement of such technical representative(s) and their qualifications and experience shall not be lower than specified in Schedule 'F'. The Engineer-in-Charge shall within 3 days of receipt of such communication intimate in writing his approval or otherwise of such a representative(s) to the contractor. Any such approval may at any time be withdrawn and in case of such withdrawal, the contractor shall appoint another such representative(s) according to the provisions of this clause. Decision of the tender accepting authority shall be final and binding on the contractor in this respect. Such a principal technical representative and other technical representative(s) shall be appointed by the contractor soon after receipt of the approval from Engineer-in-charge and shall be available at site before start of work.

All the provisions applicable to the principal technical representative under the Clause will also be applicable to other technical representative(s) The principal technical representative and other technical representative(s) shall be present at the site of work for supervision at all times when any construction activity is in progress and also present himself/themselves, as required, to the Engineer-in-Charge and/or his designated representative to take instructions. Instructions given to the principal technical representative or other technical representative(s) shall be deemed to have the same force as if these have been given to the contractor. The principal technical representative and other technical representative(s) shall be actually available at site fully during all stages of execution of work, during recording/checking/test checking of measurements of works and whenever so required by the Engineer-in-Charge and shall also note down instructions conveyed by the Engineer-in- Charge or his designated representative(s) in the site order book and shall affix his/their signature in token of noting down the instructions and in token of acceptance of measurements/ checked measurements/ test checked measurements. The representative(s) shall not look after any other work. Substitutes, duly approved by Engineer-in-Charge of the work in similar manner as aforesaid shall be provided in event of absence of any of the representative(s) by more than two days.

If the Engineer-in-Charge, whose decision in this respect is final and binding on the contractor, is convinced that no such technical representative(s) is/are effectively appointed or is/are effectively attending or fulfilling the provision of this clause, a recovery (non-refundable) shall be effected from the contractor as specified in Schedule 'F' and the decision of the Engineer-In-Charge as recorded in the site order book and measurement recorded checked/test checked in Measurement Books shall be final and binding on the contractor. Further if the contractor fails to appoint suitable technical Principal technical representative and/or other technical representative(s) and if such appointed persons are not effectively present or are absent by more than two days without duly approved



- (iii) ठेकेदार कार्य पूरा हो जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पता लगने वाली त्रुटियों को ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा और एस्फाल्टी कार्य से संबंधित प्रतिभूति निक्षेप के भाग का इस कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रतिदाय कर दिया जाएगा।

[k.M 36

ठेकेदार द्वारा अधीक्षण, पर्यवेक्षण, तकनीकी स्टाफ और कर्मचारीगण

rduhdh LVkQ vkj
deþkfj ; ka dk
fu ; kst u

- (i) ठेकेदार कार्य निष्पादन के दौरान और उसके बाद भी ठेके के तहत दायित्वों को समुचित ढंग से निभाने के लिए सभी आवश्यक अधीक्षण की व्यवस्था करेगा।

ठेकेदार निविदा स्वीकृति के पत्र की प्राप्ति के तत्काल बाद और कार्य प्रारंभ होने से पूर्व, कार्य के प्रभारी प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि (यों) तथा कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) का/के नाम, अर्हताओं, अनुभव, आयु, पता और प्रमाणपत्रों सहित अन्य विवरणों की लिखित सूचना भारसाधक इंजीनियर को देगा। ये अर्हताएं और अनुभव, अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट से कम नहीं होंगी। भारसाधक इंजीनियर ऐसी सूचना मिलने के 3 दिन के भीतर ठेकेदार के ऐसे प्रतिनिधि (यों) के संबंध में अपने अनुमोदन या अन्यथा की लिखित सूचना देगा। ऐसा अनुमोदन किसी भी समय वापिस लिया जा सकता है और वापिस लेने पर ठेकेदार इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। इस संबंध में निविदा स्वीकार करने वाली प्राधिकारी का निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। भारसाधक इंजीनियर से ऐसा अनुमोदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद ठेकेदार एक प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) को नियुक्त करेगा और वह कार्य प्रारंभ होने से पूर्व कार्यस्थल पर उपलब्ध रहेगा।

ऐसे मामले में खण्ड के तहत प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि पर लागू सभी उपबंध अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) पर भी लागू होंगे। जब कोई निर्माण कार्य चल रहा हो तो प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि हर समय कार्यस्थल पर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए उपस्थित रहेंगे तथा वह/वे भारसाधक इंजीनियर तथा/या उसके जिम्मेदार अभिकर्ता की आवश्यकतानुसार अनुदेश लेने के लिए उपस्थित रहेंगे। प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (यों) को दिए गए अनुदेश उतने ही प्रभावी माने जाएंगे जितने यदि वे ठेकेदार को दिए जाने पर होते। प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि तथा अन्य तकनीकी प्रतिनिधि कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण चरणों तथा, कार्य की माप दर्ज करने/जांच/परीक्षा जांच के दौरान और भारसाधक इंजीनियर की आवश्यकतानुसार अनुदेश लेने के लिए हर समय कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे। वे भारसाधक इंजीनियर या उसके अभिनामित प्रतिनिधि द्वारा दिए गए अनुदेशों को कार्यस्थल आदेश बही में नोट करेंगे और साथ ही अनुदेशों को नोट किए जाने के प्रमाण स्वरूप और माप/माप की जांच/माप की परीक्षण जांच स्वीकार करने के प्रमाणस्वरूप उसमें हस्ताक्षर करेगा/करेंगे। प्रतिनिधि (यों) द्वारा किसी अन्य कार्य की देख-रेख नहीं की जाएगी। किसी प्रतिनिधि के दो से अधिक दिन तक अनुपस्थित होने की स्थिति में, उपर्युक्त विधि के समान ही, कार्य के भार-साधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रतिस्थानी की व्यवस्था की जाएगी।

यदि भारसाधक इंजीनियर, जिसका निर्णय इस संबंध में ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा, यह समझे कि ऐसा/ऐसे तकनीकी प्रतिनिधि को प्रभावपूर्ण ढंग से नियुक्त नहीं किया गया है या प्रभावपूर्ण ढंग से देखभाल नहीं कर रहा है या इस खण्ड के उपबंधों का पालन नहीं कर रहा है तो ठेकेदार से अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट अनुसार वसूली की जाएगी (जिसे लौटाया नहीं जाएगा) और भारसाधक इंजीनियर का निर्णय कार्यस्थल बही में दर्ज अनुसार और माप बही में दर्ज जांचे गए/परीक्षण जांच किए गए माप ठेकेदार के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे। आगे यह भी कि यदि ठेकेदार उपयुक्त प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि तथा/या अन्य तकनीकी प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त करने में असफल रहता है या यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता या किसी अनुमोदित प्रस्थानी के बिना दो से अधिक दिन तक अनुपस्थित हो या संतोषजनक ढंग से दायित्वों का निर्वाह नहीं करता तो जब तक ऐसे उपयुक्त अन्य प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त



substitute or do not discharge their responsibilities satisfactorily, the Engineer-in-Charge shall have full powers to suspend the execution of the work until such date as suitable other technical representative(s) is/are appointed and the contractor shall be held responsible for the delay so caused to the work. The contractor shall submit a certificate of employment of the technical representative(s) (in the form of copy of Form-16 or CPF deduction issued to the Engineers employed by him) alongwith every on account bill final bill and shall produce evidence if at any time so required by the Engineer-in-Charge.

- (ii) The contractor shall provide and employ on the site only such technical assistants as are skilled and experienced in their respective fields and such foremen and supervisory staff as are competent to give proper supervision to the work.

The contractor shall provide and employ skilled, semiskilled and unskilled labour as is necessary for proper and timely execution of the work.

The Engineer-in-Charge shall be at liberty to object to and require the contractor to remove from the works any person who in his opinion misconducts himself, or is incompetent or negligent in the performance of his duties or whose employment is otherwise considered by the Engineer-in-Charge to be undesirable. Such person shall not be employed again at works site without the written permission of the Engineer-in-Charge and the persons so removed shall be replaced as soon as possible by competent substitutes.

CLAUSE 37

Levy/Taxes payable by Contractor

- (i) Sales Tax/VAT (except Service Tax), Building and other Construction Workers Welfare Cess or any other tax or Cess in respect of this contract shall be payable by the contractor and Government shall not entertain any claim whatsoever in this respect. However, in respect of service tax, same shall be paid by the contractor to the concerned department on demand and it will be reimbursed to him by the Engineer-in-Charge after satisfying that it has been actually and genuinely paid by the contractor.
- (ii) The contractor shall deposit royalty and obtain necessary permit for supply of the red bajri, stone, kankar, etc. from local authorities.

If pursuant to or under any law, notification or order any royalty, cess or the like becomes payable by the Government of India and does not any time become payable by the contractor to the State Government, Local authorities in respect of any material used by the contractor in the works, then in such a case, it shall be lawful to the Government of India and it will have the right and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from dues of the contractor.

CLAUSE 38

Conditions for reimbursement of levy/taxes if levied after receipt of tenders

- (i) All tendered rates shall be inclusive of all taxes and levies (except Service Tax) payable under respective statutes. However, if any further tax or levy or cess is imposed by Statute, after the last stipulated date for the receipt of tender including extensions if any and the contractor thereupon necessarily and properly pays such taxes/levies/cess, the contractor shall be reimbursed the amount so paid, provided such payments, if any, is not, in the opinion of the Superintending engineer (whose decision shall be final and binding on the contractor) attributable to delay in execution of work within the control of the contractor.
- (ii) The contractor shall keep necessary books of accounts and other documents for the purpose of this condition as may be necessary and shall allow inspection of the same by a duly authorized representative of the Government and/or the Engineer-in-Charge and shall also furnish such other information/document as the Engineer-in-Charge may require from time to time.



नहीं कर लिया जाता, तब तक के लिए कार्य निष्पादन को स्थगित करने का भारसाधक इंजीनियर को पूरा अधिकार होगा और इसके कारण कार्य में विलंब के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठेकेदार प्रत्येक लेखा बिल/निश्चित बिल के साथ तकनीकी प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रमाण (फार्म-16 की प्रति अथवा उनके द्वारा नियुक्त अभियंताओं को जारी सीपीएफ कटौती के रूप में) पत्र प्रस्तुत करेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा किसी भी समय अपेक्षित हो तो वह प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

- (ii) ठेकेदार कार्यस्थल पर केवल ऐसे तकनीकी सहायको, जो कुशल और अपने संबंधित क्षेत्र में अनुभवी हों और ऐसे फोरमैन और पर्यवेक्षक स्टाफ, जो कार्य के उचित पर्यवेक्षण में सक्षम हों, की व्यवस्था और नियोजन करेगा।

कार्य के उचित और समय पर निष्पादन के लिए ठेकेदार यथा आवश्यक कुशल, अर्धकुशल, और अकुशल श्रमिकों की व्यवस्था और नियोजन करेगा।

भारसाधक इंजीनियर, किसी भी संबंध में आपत्ति करने के लिए स्वतंत्र होगा और किसी भी व्यक्ति, जो उसकी राय में दुर्व्यवहार करता हो, या अक्षम या अपने कर्तव्य को निभाने में लापरवाह हो, या जिसका नियोजन भारसाधक इंजीनियर अन्यथा अनावश्यक समझें, को कार्य से हटाने के लिए ठेकेदार को निर्देश दे सकता है। भारसाधक इंजीनियर की अनुमति के बिना ऐसा व्यक्ति पुनः कार्यस्थल पर नहीं लगाया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए व्यक्तियों के स्थान पर यथाशीघ्र सक्षम व्यक्ति लगाए जाएंगे।

[k.M 37

- (i) इस ठेके की बाबत विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर (सेवा कर को छोड़कर), भवन निर्माण या निर्माण से जुड़े कामगारों के कल्याण हेतु अन्य उपकर या कोई अन्य कर या उपकर ठेकेदार द्वारा संदेय होगा और सरकार इस संबंध में कोई भी दावा ग्रहण नहीं करेगी। तथापि सेवा कर के संबंध में, संबंधित विभाग द्वारा मांगे जाने पर इसका भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा और ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति प्रभारी इंजीनियर द्वारा, इस बात की संतुष्टि हो जाने पर कि यह कर ठेकेदार द्वारा वास्तव में और उचित तरीके से दिया गया है, तदुपरान्त की जाएगी।
- (ii) ठेकेदार रायल्टी जमा करेगा और लाल बजरी, पत्थर कंकर आदि की आपूर्ति के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेगा।
- (iii) यदि किसी विधि, अधिसूचना या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन कोई रायल्टी, उपकर, या इसी प्रकार की कोई रकम ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त किसी सामग्री के बारे में राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारियों को भारत सरकार द्वारा संदेय हो जाती है और किसी समय ठेकेदार द्वारा संदेय नहीं होती है, तो ऐसी दशा में भारत सरकार के लिए यह विधियुक्त होगा और उसका यह अधिकार होगा तथा वह इस बात के लिए हकदार होगी कि वह यथापूर्वोक्त परिस्थितियों में संदत्त की गई रकम ठेकेदार को देय राशि में से वसूल कर लें।

ysh@dj Bdnkj
}kjk l ns

[k.M 38

- (i) सभी निविदित दरों में संबंधित विधानों के तहत देय (सेवा कर के अतिरिक्त) सभी कर और लेवियां सम्मिलित है। फिर भी विधान द्वारा आगे कोई और कर या लेवी या उपकर लगाया जाता है, जो निविदा स्वीकार करने की अंतिम निर्धारित तारीख के बाद जिसमें समय वृद्धि, यदि हो, शामिल है, में हो और ठेकेदार अनिवार्य रूप से और उचित प्रकार से ऐसे करों/लेवियों का भुगतान करता है तो ठेकेदार द्वारा इस प्रकार दी गई राशि उसे वापस भुगतान कर दी जाएगी बशर्ते अधीक्षण इंजीनियर (जिसका निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा) की राय में ऐसे भुगतान, यदि हो, ठेकेदार के नियंत्रणाधीन कार्य के निष्पादन में विलंब के कारण न हो।
- (ii) ठेकेदार इस शर्त के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक, आवश्यक लेखा बहियां और अन्य कागजात रखेगा और सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि और/या भारसाधक इंजीनियर को उसका निरीक्षण करने देगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा मांगे जाने पर समय-समय पर यथा अपेक्षित अन्य सूचना/कागजात देगा।

fufonk çkflr ds ckn
ysh@dj yxk, x,
gks rks mudh oki l h
dh 'krâ



- (iii) The contractor shall, within a period of 30 days of the imposition of any such further tax or levy or cess, give a written notice thereof to the Engineer-in-charge that the same is given pursuant to this condition, together with all necessary information relating thereto.

CLAUSE 39

Termination of Contract on death of contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor dies, the Divisional Officer on behalf of the President of India shall have the option of terminating the contract without compensation to the contractor.

CLAUSE 40

If relative working in CPWD then the contractor not allowed to tender

The contractor shall not be permitted to tender for works in the CPWD circle (Division in case of contractors of Horticulture/Nursery categories) responsible for award and execution of contracts in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Junior Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any Gazetted Officer in the C.P.W.D. or in the Ministry of Urban Development. Any breach of this condition by the contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of this Department. If however the contractor is registered in any other department, he shall be debarred from tendering in CPWD for any breach of this condition.

NOTE: By the term "near relatives" is meant wife, husband, parents and grand parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles, aunts and cousins and their corresponding in-laws.

CLAUSE 41

No Gazetted Engineer to work as Contractor within one year of retirement

No engineer of gazetted rank or other gazetted officer employed in engineering or administrative duties in an engineering department of the Government of India shall work as a contractor or employee of a contractor for a period of one year after his retirement from government service without the previous permission of Government of India in writing. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found at any time to be such a person who had not obtained the permission of Government of India as aforesaid, before submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.

CLAUSE 42

Return of material & recovery for excess material issued.

- (i) After completion of the work and also at any intermediate stage in the event of nonreconciliation of materials issued, consumed and in balance - (see Clause 10), theoretical quantity of materials issued by the Government for use in the work shall be calculated on the basis and method given hereunder:-

- (a) Quantity of cement & bitumen shall be calculated on the basis of quantity of cement & bitumen required for different items of work as shown in the Schedule of Rates mentioned in Schedule 'F'. In case any item is executed for which standard constants for the consumption of cement or bitumen are not available in the above mentioned schedule/statement or cannot be derived from the same shall be calculated on the basis of standard formula to be laid down by the Engineer-in-Charge.
- (b) Theoretical quantity of steel reinforcement or structural steel sections shall be taken as the quantity required as per design or as authorized by Engineer-in-Charge, including authorized lappages, chairs etc. plus 3% wastage due to cutting into pieces, such theoretical quantity being determined and compared with the actual issues each diameter wise, section wise and category wise separately.



- (iii) ऐसे किसी और कर या लेवी या उपकर के लगने के 30 दिन के भीतर ठेकेदार, भारसाधक इंजीनियर को उसका लिखित नोटिस देगा कि इस शर्त के अनुपालन में उसने वह राशि और उससे संबंधित सभी संबंधित जानकारी दे दी है।

[k.M 39]

इस ठेके के अधीन या उपचारों में से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार मर जाता है तो मंडल अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति को ओर से यह विकल्प होगा कि वह ठेकेदार को प्रतिकर दिए बिना ठेके को समाप्त कर दे।

Bdnlkj dh eR; q i j
Bdk l eklr

[k.M 40]

ठेकेदार को ठेके दिए जाने और निष्पादन के लिए के. लो. नि. वि. परिमंडल (उद्यान/नर्सरी श्रेणियों के ठेकेदारों के मामले में मंडल) में जिसमें उसका निकट नातेदार मण्डल लेखापाल या अधीक्षण इंजीनियर और कनिष्ठ इंजीनियर (दोनों को सम्मिलित करते हुए) की श्रेणियों के बीच किसी हैसियत में कोई अधिकारी है, कार्यों के लिए निविदा, करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। वह ऐसे व्यक्तियों के नाम भी प्रज्ञापित करेगा जो उसके साथ किसी भी हैसियत से कार्य कर रहे हैं या तत्पश्चात् नियोजित किए जाते हैं और जो के.लो.नि. विभाग में या शहरी विकास मंत्रालय के किसी राजपत्रित अधिकारी के निकट नातेदार है। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का कोई भंग उसे इस विभाग के ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से हटाए जाने के लिए दायी बनाएगा। फिर भी, यदि ठेकेदार किसी अन्य विभाग में पंजीकृत है तो वह इस शर्त के उल्लंघन के लिए के.लो.नि.वि में निविदा देने का पात्र नहीं रहेगा।

; fn dkbz l æakh
ds yls fu fo ea
dk; jr gka rks
Bdnlkj fufonk ugha
ns l drk

fVli .kh^m निकट नातेदार” शब्द से पत्नी, पति, माता-पिता और पितामह-पितामही, संतति और पौत्र-पौत्रियाँ, भाई और बहनें, चाचा -चाची ओर चचेरे, ममेरे भाई तथा उनके तत्संबंधी ससुराली नातेदार अभिप्रेत है।

[k.M 41]

भारत सरकार के इंजीनियरी विभाग में इंजीनियर या प्रशासनिक कर्तव्यों में नियोजित राजपत्रित श्रेणी का कोई इंजीनियर या अन्य राजपत्रित अधिकारी भारत सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी निवृत्ति के एक वर्ष की कालावधि तक ठेकेदार/ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह ठेका रद्द किया जा सकता है, यदि किसी समय यह पाया कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिससे यथास्थिति निविदा या ठेकेदार की सेवा में लगने से पूर्व भारत सरकार से यथापूर्वोक्त अनुज्ञा अधिप्राप्त नहीं कर ली थी।

l ok&fuofr ds ,d
o"lz rd dkbz Hkh
jktif=r bathfu; j
Bdnlkj ds : i ea
dk; l ugha djsxkA

[k.M 42]

- (i) कार्य पूरा होने के बाद और उसके मध्यवर्ती किसी भी स्तर पर निर्गत, प्रयुक्त और शेष सामग्रियां (खण्ड 10 देखें) का समाशोधन न होने की दशा में कार्य में प्रयोग के लिए सरकार द्वारा निर्गत सामग्रियों की अनुमान मूलक मात्रा की गणना यहां नीचे दिए गए आधार पर और विधि से की जाएगी:-

l kefxz; ka dh okfi l h
fuxr vfekd
l kefxz; ka ds fy,
ol yjh

(क) सीमेन्ट और बिटुमन की मात्रा की गणना अनुसूची "च" में उल्लिखित दरों की अनुसूची में बताए अनुसार कार्य की विभिन्न मदों के लिए अपेक्षित सीमेन्ट और बिटुमन की मात्रा के आधार पर की जाएगी, यदि कोई ऐसी मद निष्पादित की जाती है जिसमें सीमेन्ट और बिटुमन की खपत के लिए मानक स्थिरक उपर्युक्त अनुसूची/विवरणी में नहीं है या उनसे परिकलित नहीं की जा सकती तो ऐसे मामले में भारसाधक इंजीनियर द्वारा दिए जाने वाले मानक सूत्र के आधार पर गणना की जाएगी।

(ख) इस्पात पुनर्बलन या संरचनात्मक इस्पात काटों की सैद्धान्तिक मात्रा को यह माना जाएगा कि वह अभिकल्प के अनुसार या भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्राधिकृत अनुसार अपेक्षित मात्रा है। इसमें प्राधिकृत लैपेजेज, कुर्सियां आदि और टुकड़ों में काटने के कारण 3 प्रतिशत छीजन सम्मिलित है। ऐसी सैद्धान्तिक मात्रा का निर्धारण और तुलना व्यास अनुसार, काट अनुसार और श्रेणी अनुसार प्रत्येक अलग-अलग वास्तविक निर्गत से किया जाएगा।



- (c) Theoretical quantity of G.I. & C.I. or other pipes, conduits, wires and cables, pig lead and G.I./M.S. sheets shall be taken as quantity actually required and measured plus 5% for wastage due to cutting into pieces (except in the case of G.I./M.S. sheets it shall be 10%), such determination & comparison being made diameter wise & category wise.
- (d) For any other material as per actual requirements.
- (ii) Over the theoretical quantities of materials so computed a variation shall be allowed as specified in Schedule 'F'. The difference in the net quantities of material actually issued to the contractor and the theoretical quantities including such authorized variation, if not returned by the contractor or if not fully reconciled to the satisfaction of the Engineer-in-Charge within fifteen days of the issue of written notice by the Engineer-in-charge to this effect shall be recovered at the rates specified in Schedule 'F', without prejudice to the provision of the relevant conditions regarding return of materials governing the contract. Decision of Engineer-in-Charge in regard to theoretical quantities of materials, which should have been actually used as per the Annexure of the standard schedule of rates and recovery at rates specified in Schedule 'F', shall be final & binding on the contractor.
- For non scheduled items, the decision of the Superintending Engineer regarding theoretical quantities of materials which should have been actually used, shall be final and binding on the contractor.
- (iii) The said action under this clause is without prejudice to the right of the Government to take action against the contractor under any other conditions of contract for not doing the work according to the prescribed specifications.

CLAUSE 43

The work (whether fully constructed or not) and all materials, machines, tools and plants, scaffolding, temporary buildings and other things connected therewith shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer-in-Charge and a certificate from him to that effect obtained. In the event of the work or any materials properly brought to the site for incorporation in the work being damaged or destroyed in consequence of hostilities or warlike operation, the contractor shall when ordered (in writing) by the Engineer-in-Charge to remove any debris from the site, collect and properly stack or remove in store all serviceable materials salvaged from the damaged work and shall be paid at the contract rates in accordance with the provision of this agreement for the work of clearing the site of debris, stacking or removal of serviceable material and for reconstruction of all works ordered by the Engineer-in-Charge, such payments being in addition to compensation upto the value of the work originally executed before being damaged or destroyed and not paid for. In case of works damaged or destroyed but not already measured and paid for, the compensation shall be assessed by the Divisional Officer upto Rs.5,000/- and by the Superintending Engineer concerned for a higher amount. The contractor shall be paid for the damages/destruction suffered and for restoring the material at the rate based on analysis of rates tendered for in accordance with the provision of the contract. The certificate of the Engineer-in-Charge regarding the quality and quantity of materials and the purpose for which they were collected shall be final and binding on all parties to this contract.

Provided always that no compensation shall be payable for any loss in consequence of hostilities or warlike operations (a) unless the contractor had taken all such precautions against air raid as are deemed necessary by the A.R.P. Officers or the Engineer-in-Charge (b) for any material etc. not on the site of the work or for any tools, plant, machinery, scaffolding, temporary building and other things not intended for the work.

Compensation during warlike situations



(ग) जस्ती, लोहा और ढलवां लोहा या अन्य नलों, कंड्यूट, तारों और केबलों, पिग लैड और जस्ती, लोहा/मृदु इस्पात सीटों की सैद्धान्तिक मात्रा को वास्तव में अपेक्षित और मापी गई मात्रा माना जाएगा। इसमें टुकड़ों में काटने के कारण 5 प्रतिशत छीजन के लिए जोड़ा जाएगा (जस्ता, लोहा/मृदु इस्पात सीटों के मामले में 10 प्रतिशत) ऐसा निर्धारण और तुलना व्यास अनुसार और श्रेणी अनुसार होगी।

(घ) किसी भी अन्य सामग्री के लिए वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार।

(ii) इस प्रकार परिकलित सामग्रियों की सैद्धान्तिक मात्राओं में अनुसूची "च" में निर्दिष्ट अनुसार विचलन अनुमत्य होगा। ठेकेदार को वास्तव में निर्गत की गई सामग्रियों की कुल मात्रा और ऐसे प्राधिकृत विचलन सहित सैद्धान्तिक मात्राओं का अन्तर यदि ठेकेदार द्वारा वापिस 'नहीं' किया जाता है या भारसाधक इंजीनियर द्वारा इस आशय के लिखित नोटिस के जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर भारसाधक इंजीनियर की पूर्ण सन्तुष्टि अनुसार पूरी तरह समाशोधित नहीं किया गया है तो सामग्रियों की वापसी के संबंध में ठेका शासित करने वाली संबंधित शर्तों के उपबंधों पर बिना कोई प्रभाव डाले उसे अनुसूची "च" में निर्दिष्ट दरों के अनुसार वसूल किया जाएगा। सामग्रियों की सैद्धान्तिक मात्राओं, जिन्हें अनुसूची 'च' में निर्दिष्ट दरों पर दरों और वसूली की मानक अनुसूची के अनुलग्नक के अनुसार वास्तव में प्रयुक्त कर लिया जाना चाहिए था, के संबंध में भारसाधक इंजीनियर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

गैर अनुसूचित मदों के लिए सामग्रियों की सैद्धान्तिक मात्राओं, जिन्हें वास्तव में प्रयुक्त किया जाना चाहिए था, के संबंध में अधीक्षण इंजीनियर का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) इस खण्ड के तहत उक्त कार्रवाई से ठेकेदार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप कार्य न करने के लिए ठेके की किसी भी अन्य शर्त के तहत ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[k.M 43

जब तक कार्य, भारसाधक इंजीनियर को कार्य परिदत्त नहीं कर दिया जाता और उससे उस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक कार्य (चाहे पूर्णतः निर्मित हो अथवा नहीं) और उससे सम्बन्धित सब मशीनें, औजार और संयंत्र, पाइ, अस्थाई भवन और अन्य वस्तुएं ठेकेदार के जोखिम पर रहेंगी। कार्य या उसमें लगाने के लिए स्थल पर उचित रूप से लाई गई किसी सामग्री को संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियाओं के परिणामस्वरूप क्षति होने अथवा उसके नष्ट होने की दशा में ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर द्वारा लिखित आदेश दिए जाने पर कार्यस्थल से मलवे को हटाएगा और क्षतिग्रस्त कार्य से उद्धारित काम में आने लायक सारी सामग्री इकट्ठी करेगा और उसका उचित रूप से ढेर लगाएगा अथवा उसे भण्डार में ले जाएगा तथा मलवे को कार्यस्थल से साफ करने के काम में आने लायक सामग्री का ढेर लगाने या उसे हटाने के कार्य के लिए और भारसाधक इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट समस्त कार्यों को फिर से पूरा करने के लिए इस करार के उपबन्ध के अनुसार ठेके की दरों पर संदाय किया जाएगा और इस प्रकार का संदाय क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के पूर्व मूलतः निष्पादित किए गए किन्तु संदाय न किए हुए कार्य के मूल्य तक, क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा। क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए ऐसे कार्यों की दशा में जिनकी माप न हुई हो और जिनके लिए संदाय न किया गया हो का निर्धारण 5000/- रु तक मंडल अधिकारी द्वारा और अधिक राशि के लिए संबंधित अधीक्षण इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को कार्य में हुए नुकसान, उसके नष्ट हो जाने और सामग्रियों के प्रत्यास्थापन संदाय इस ठेके के उपबंधों के अनुसार निविदत दरों के विश्लेषण पर आधारित दरों पर किया जाएगा। सामग्री की क्वालिटी और मात्रा और किस प्रयोजन से उसे संग्रहीत किया गया था उसके बारे में भारसाधक इंजीनियर का प्रमाण पत्र अंतिम और इस ठेके के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

परंतु सर्वदा यह कि संघर्षों या युद्ध जैसी सक्रियाओं के परिणामस्वरूप किसी हानि के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति (क) तब तक संदेय नहीं होगी जब तक कि ठेकेदार ने हवाई हमले के विरुद्ध ऐसे सभी पूर्वोपाय

; ११ ह ११११११ दस
नक्षत्र चंद्रज



In the event of the contractor having to carry out reconstruction as aforesaid, he shall be allowed such extension of time for its completion as is considered reasonable by the Divisional Officer.

Apprentices Act provisions to be complied with

CLAUSE 44

The contractor shall comply with the provisions of the Apprentices Act, 1961 and the rules and orders issued thereunder from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of the contract and the Superintending Engineer may, in his discretion, cancel the contract. The contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Release of Security deposit after labour clearance

CLAUSE 45

Release of Security Deposit of the work shall not be refunded till the contractor produces a clearance deposit after labour certificate from the Labour Officer. As soon as the work is virtually complete the contractor shall apply for the clearance certificate to the Labour Officer under intimation to the Engineer-in-Charge. The Engineer-in-Charge, on receipt of the said communication, shall write to the Labour Officer to intimate if any complaint is pending against the contractor in respect of the work. If no complaint is pending, on record till after 3 months after completion of the work and/or no communication is received from the Labour Officer to this effect till six months after the date of completion, it will be deemed to have received the clearance certificate and the Security Deposit will be released if otherwise due.

NOTE:

In case of difference or ambiguity in Hindi and English version, the English version will prevail.



न किए हों, जो हवाई हमला सुरक्षा अधिकारी या भारसाधक इंजीनियर द्वारा आवश्यक समझे जाते हों, और (ख) किसी ऐसी सामग्री आदि के लिए जो कार्यस्थल पर नहीं है या किसी ऐसे औजार, संयंत्र, मशीनरी, पाइ, अस्थाई भवन और अन्य वस्तुओं के उस कार्य के लिए आशयित नहीं है, संदेय नहीं होगी। ठेकेदार द्वारा, यथापूर्वोक्त पूनर्निर्माण किए जाने की दशा में, उसे उसको पूरा करने के लिए उतना और समय दिया जाएगा जितना मण्डल अधिकारी द्वारा उचित समझा जाए।

[k.M 44

ठेकेदार शिक्षु अधिनियम, 1961 और समय समय पर उसके अधीन जारी किए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों का अनुपालन करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो उसकी असफलता ठेके का भंग होगी और अधीक्षक इंजीनियर अपने विवेकाधिकार से ठेका रद्द कर सकेगा। ठेकेदार उक्त अधिनियम के उपबंधों के अपने द्वारा किसी अधिक्रमण के कारण उद्धभूत किन्हीं धन देयताओं के लिए भी जिम्मेदार होगा।

f'k{kq vfeifu; e ds
mi cUekka dk ikyu

[k.M& 45

जमा की गई राशि तब तक वापिस नहीं की जाएगी जब तक ठेकेदार श्रम अधिकारी से क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करता। जैसे ही कार्य वास्तव में पूरा होता है ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर को सूचित करते हुए क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट के लिए श्रम अधिकारी को आवेदन भेजेगा। भारसाधक इंजीनियर ऐसी सूचना मिलने पर श्रम अधिकारी से लिखित रूप में जानकारी मांगेगा कि क्या कार्य के संबंध में ठेकेदार के संबंध में कोई शिकायत तो नहीं है? यदि, कार्य समाप्त होने के बाद 3 माह तक रिकार्ड में कोई शिकायत लंबित न हो और/या इस संबंध में श्रम अधिकारी से कार्य पूरा होने की तारीख के छः माह बाद तक कोई सूचना न मिले तो यह माना जाएगा कि क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट मिल गया है और प्रतिभूति निक्षेप यदि अन्यथा देय हो, दे दिया जाएगा।

Jfed cckdh ds
i 'pkr- cfrHkkr
fu{ki oki l h

fVli .kh

इसके हिन्दी पाठ में कोई अन्तर या द्विधार्थकता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।



INTEGRITY PACT

To,

.....,
.....,
.....

Sub: NIT No. for the work

Dear Sir,

It is here by declared that CPWD is committed to follow the principle of transparency, equity and competitiveness in public procurement.

The subject Notice Inviting Tender (NIT) is an invitation to offer made on the condition that the Bidder will sign the integrity Agreement, which is an integral part of tender/bid documents, failing which the tenderer/bidder will stand disqualified from the tendering process and the bid of the bidder would be summarily rejected.

This declaration shall form part and parcel of the Integrity Agreement and signing of the same shall be deemed as acceptance and signing of the Integrity Agreement on behalf of the CPWD.

Yours faithfully

Executive Engineer



I R; fu"Bk I ६/k

I ok ea

fo"k; % ----- dk;Zdsfy, , u vkbZVh I a-----

egkn;]

, rn-}kjk ; g ?kkSk.kk dh tkrh gSfd dSykfufo I koZtfud [kjh ea i kJnf'kkrk] fu"i {krk rFkk çfrLi) kRedrk ds fl)kar dk ikyus djus ds fy, çfrc) gA

fufonk vkef=r djus ds fy, I puk ¼ uvkbZVh½ fo"k; bl 'krZ ij dh xbZ i'kd'k ds fy, vke=k gSfd ckyhdkrk I R; fu"Bk djkj ij gLrk{kj djks tks fufonk@ckyh nLrkostka dk vfHkUu fgLI k gA vU; Fkk fufonkdrk@ckyhdkrk fufonk çfØ;k I s v; kX; gks tk; sk rFkk ckyhdkrk dh ckyh dks I h/s rkj ij vLohdkj dj fn; k tk; skA

; g ?kkSk.kk I R; fu"Bk djkj dk vfHkUu fgLI k gLok vkj ml ij gLrk{kj djuk dSykfufo dh vkj I s I R; fu"Bk djkj dks Lohdr djuk vkj gLrk{kj djuk ekuk tk; skA

Hkonh;

dk; i kyd vfHk; rk



INTEGRITY PACT

To,

Executive Engineer,
.....
.....

Sub: Submission of Tender for the work of

Dear Sir,

I/We acknowledge that CPWD is committed to follow the principles thereof as enumerated in the Integrity Agreement enclosed with the tender/bid document.

I/We agree that the Notice Inviting Tender (NIT) is an invitation to offer made on the condition that I/We will sign the enclosed integrity Agreement, which is an integral part of tender documents, failing which I/We will stand disqualified from the tendering process. I/We acknowledge that **THE MAKING OF THE BID SHALL BE REGARDED AS AN UNCONDITIONAL AND ABSOLUTE ACCEPTANCE** of this condition of the NIT.

I/We confirm acceptance and compliance with the Integrity Agreement in letter and spirit and further agree that execution of the said Integrity Agreement shall be separate and distinct from the main contract, which will come into existence when tender/bid is finally accepted by CPWD. I/We acknowledge and accept the duration of the Integrity Agreement, which shall be in the line with Article 1 of the enclosed Integrity Agreement.

I/We acknowledge that in the event of my/our failure to sign and accept the Integrity Agreement, while submitting the tender/bid, CPWD shall have unqualified, absolute and unfettered right to disqualify the tenderer/bidder and reject the tender/bid in accordance with terms and conditions of the tender/bid.

Yours faithfully

(Duly authorized signatory of the Bidder)



I R; fu"Bk I 1/k

I ok e3

dk; 1kyd vflk; arkj

fo"k; % -----dk; ldsfy, fufonk 4Lr4 djukA

f4; egkn;

e3@ge Lohdkj djrs gS fd dskfufo fufonk@ckyh nLrkost ds I kfk I 1yXu I R; fu"Bk djkj ea ; Fkk mfYyf([kr ml ds fl) kark ds dk ikyu djus ds fy, 4frc) gA

e3@ge I ger gS fd fufonk vkef=r djus ds fy, I puk 1/4 uvkb/h 1/2 bl 'krZ ij dh xbl i'skd'k ds fy, vkef.k gS fd e3@ge I 1yXu I R; fu"Bk djkj ij gLrk{kj djks tks fufonk@ckyh nLrkost k adk vflklu fgLI k gS vl; Fkk e3@ge fufonk 4f0; k I sv; k4; gks tk; sA e3@ge Lohdkj djrs gS fd ckyh yxkuk , uvkb/h dh bl 'krZ dks fcuk fd I h 'krZ rFkk iwZ #i I s Lohdkj djus ds #i ea ekuk tk; sA

e3@ge I R; fu"Bk djkj dks v{kj'k% Lohdkj , oa vuqkyu djus rFkk vks bl ckr ij I ger gkus dh i'V djrs gS fd mDr I R; fu"Bk djkj dk dk; k4o; u e4; djkj I s vyx v4s flklu gksk tks dskfufo }kjk fufonk@ckyh dks v4re #i I s Lohdkj fd; s tkus ij ykxwgkskA e3@ge I R; fu"Bk djkj fd vof/k dks Lohdkj djrs gS tks I 1yXu I R; fu"Bk djkj ds vuqNn&1 ds vu#i gkskA

e3@ge Lohdkj djrs gS fd fufonk@ckyh 4Lr4 djrs I e; ejs vFkok gekjs }kjk I R; fu"Bk djkj ij gLrk{kj rFkk ml s Lohdkj u fd; s tkus dh fLFkr e3 ds yk fu fo ds ikl fufonkdrkZ@ckyhdrkZ dks v; k4; Bgjkus dk iwZ vf/kdkj gksk rFkk fufonk@ckyh fd 'krk ds vu#i fufonk@ckyh dks vLohdkj djus dk vf/kdkj gkskA

Hkonh;]

1ckyhdrkZ ds fof/kor~ vf/kdr gLrk{kjdrkZ



**To be signed by the bidder and same signatory competent / authorized to sign
the relevant contract on behalf of CPWD.**

INTEGRITY AGREEMENT

This Integrity Agreement is made at on this day of 20.....

BETWEEN

President of India represented through Executive Engineer,

.....,
(Name of Division)

CPWD,, (Hereinafter referred as the
(Address of Division)

'Principal/Owner', which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof include its successors and permitted assigns)

AND

.....
(Name and Address of the Individual/firm/Company)

through (Hereinafter referred to as the
(Details of duly authorized signatory)

"Bidder/Contractor" and which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof include its successors and permitted assigns)

Preamble

WHEREAS the Principal / Owner has floated the Tender (NIT No.) (hereinafter referred to as "Tender/Bid") and intends to award, under laid down organizational procedure, contract for
(Name of work)

hereinafter referred to as the "Contract".

AND WHEREAS the Principal/Owner values full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness/transparency in its relation with its Bidder(s) and Contractor(s).

AND WHEREAS to meet the purpose aforesaid both the parties have agreed to enter into this Integrity Agreement (hereinafter referred to as "Integrity Pact" or "Pact"), the terms and conditions of which shall also be read as integral part and parcel of the Tender/Bid documents and Contract between the parties.

NOW, THEREFORE, in consideration of mutual covenants contained in this Pact, the parties hereby agree as follows and this Pact witnesses as under:

Article 1: Commitment of the Principal/Owner

(1) The Principal/Owner commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:

- (a) No employee of the Principal/Owner, personally or through any of his/her family members, will in connection with the Tender, or the execution of the Contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
- (b) The Principal/Owner will, during the Tender process, treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal/Owner will, in particular, before and during the Tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential / additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the Tender process or the Contract execution.



सत्यनिष्ठा करार दिनांक को201..... में किया जाता है।

ds chp

भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हुए

कार्यपालक अभियंता (मंडल का नाम) केलोनिवि, (मंडल का पता) (इसके बाद

के रूप में उल्लेख किया जायेगा जो अभिव्यक्ति इसके तात्पर्य अथवा संदर्भ इस का वारिस अथवा अनुमेय कार्य को शामिल करता हो)

rFkk

के द्वारा (व्यक्ति/प्रतिष्ठान/कंपनी का नाम एवं पता)

के रूप में उल्लेख किया जायेगा और जो अभिव्यक्ति इसके तात्पर्य अथवा संदर्भ इस का वारिस अथवा अनुमेय कार्य को शामिल करता हो)

çLrkouk

जबकि प्रमुख/मालिक ने निविदा निकाला है (एनआईटी संख्या.....) (इस में बाद में के रूप में उल्लेख किया जायेगा) तथा (कार्य का नाम)

बाद में इसका उल्लेख के रूप में किया जायेगा, हेतु निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया, ठेका का कार्य देने का उद्देश्य रखता हो।

और जबकि प्रमुख/मालिक देश के सभी संगत कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों का किफायती उपयोग तथा अपने बोलीकर्ता तथा ठेकेदार की तुलना में अच्छाई/पारदर्शिता के पूरे अनुपालन का महत्व समझता हो।

और जबकि उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा करार (इसके बाद के अथवा के रूप में व्यक्त किया जायेगा) करार करने पर सहमत हो गये हैं, जिनकी शर्तें भी दोनों पक्षों के बीच निविदा/बोली दस्तावेज तथा ठेके के अभिन्न हिस्से के रूप में पढ़ा जायेगा।

इसलिए अब इस संधि में निहित आपसी प्रतिज्ञा पत्र पर विचार करते हुए यह पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखितानुसार सहमत है तथा इस संधि में निम्नलिखित परिकल्पना है:

वुंन&1% के रूप में किया जायेगा)

1) प्रमुख/मालिक स्वयं भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए वचन देता है:

(क) प्रमुख/मालिक का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से निविदा अथवा निविदा के कार्यान्वयन के संबंध में किसी सामग्री अथवा भौतिक प्रभाव जिसके लिए वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है, स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए मांग नहीं करेगा, स्वीकार करने का वादा या स्वीकार नहीं करेगा।

(ख) निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रमुख/मालिक सभी बोलीकर्ताओं के साथ समानता एवं तर्क के साथ व्यवहार करेगा। विशेष रूप से प्रमुख/मालिक निविदा प्रक्रिया के दौरान और उससे पूर्व सभी बोलीकर्ताओं को एक जैसी सूचना देगा और किसी भी बोलीकर्ता को गोपीनीय/अतिरिक्त सूचना जिसके माध्यम से बोलीकर्ता को निविदा की प्रक्रिया अथवा ठेका को कार्यान्वित करने के संबंध में कोई लाभ प्राप्त हो सके, प्रदान नहीं करेगा।



- (c) The Principal/Owner shall endeavour to exclude from the Tender process any person, whose conduct in the past has been of biased nature.
- (2) If the Principal/Owner obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the Indian Penal code (IPC)/Prevention of Corruption Act, 1988 (PC Act) or is in violation of the principles herein mentioned or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal/Owner will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can also initiate disciplinary actions as per its internal laid down policies and procedures.

Article 2: Commitment of the Bidder(s)/Contractor(s)

- (1) It is required that each Bidder/Contractor (including their respective officers, employees and agents) adhere to the highest ethical standards, and report to the Government / Department all suspected acts of fraud or corruption or Coercion or Collusion of which it has knowledge or becomes aware, during the tendering process and throughout the negotiation or award of a contract.
- (2) The Bidder(s)/Contractor(s) commits himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the Tender process and during the Contract execution:
- (a) The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the Principal/Owner's employees involved in the Tender process or execution of the Contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the Tender process or during the execution of the Contract.
 - (b) The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidder(s) into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to cartelize in the bidding process.
 - (c) The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act. Further the Bidder(s)/Contractor(s) will not use improperly, (for the purpose of competition or personal gain), or pass on to others, any information or documents provided by the Principal/Owner as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
 - (d) The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the names and addresses of agents/representatives in India, if any. Similarly Bidder(s)/Contractor(s) of Indian Nationality shall disclose names and addresses of foreign agents/representatives, if any. Either the Indian agent on behalf of the foreign principal or the foreign principal directly could bid in a tender but not both. Further, in cases where an agent participate in a tender on behalf of one manufacturer, he shall not be allowed to quote on behalf of another manufacturer along with the first manufacturer in a subsequent/parallel tender for the same item.
 - (d) The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the Contract.
- (3) The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.
- (4) The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm indulge in fraudulent practice means a willful misrepresentation or omission of facts or submission of fake/forged documents in order to induce public official to act in reliance thereof, with the purpose of obtaining unjust advantage by or causing damage to justified interest of others and/or to influence the procurement process to the detriment of the Government interests.
- (5) The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm use Coercive Practices (means the act of obtaining something, compelling an action or influencing a decision through intimidation, threat or the use of force directly or indirectly, where potential or actual injury may befall upon a person, his/her reputation or property to influence their participation in the tendering process).



(ग) प्रमुख/मालिक जैसे किसी व्यक्ति जिसका विगत में आचरण पक्षपातपूर्ण प्रकृति का रहा है, को निविदा प्रक्रिया से बाहर निकालने का प्रयास करेगा।

- 2) यदि प्रमुख/मालिक को अपने किसी कर्मचारी के किसी आचरण जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 (पीसी अधिनियम) के अंतर्गत कोई आपराधिक मामला हो अथवा इसमें उल्लेखित सिद्धांतों का उल्लंघन हो अथवा इस संबंध में कोई ठोस संदेह हो के बारे में सूचना प्राप्त हो तब प्रमुख/मालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना देगा और इसके अलावा इसकी आन्तरिक निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

वृत्त 2% कस्यहर्कत@डेकेदार धि फरक) रक

- 1) यह अपेक्षित है कि प्रत्येक बोलीकर्ता/डेकेदार (अपने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित) उच्चतम नैतिक मानदण्डों का पालन करता है और सरकार/विभाग को जालसाजी अथवा भ्रष्टाचार अथवा डराना धमकाना अथवा टकराव की सभी संदेहास्पद क्रियाकलापों जिसकी इसे जानकारी हो अथवा पता चलता हों निविदा प्रक्रिया के दौरान और समझौता अथवा ठेका देने के दौरान सूचना देगा।
2. सभी बोलीकर्ता/डेकेदार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सारे मानदण्ड मानने हेतु वचनबद्ध है। निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान तथा निविदा कार्यान्वयन के दौरान वह निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध होता है:
- क) बोलीकर्ता/डेकेदार सीधी तौर पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से निविदा प्रक्रिया या निविदा कार्यान्वयन में शामिल किसी मुखिया/मालिक के कर्मचारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई सामग्री अथवा अन्य लाभ जिसके लिए वह कानून रूप से हकदार नहीं है, को निविदा प्रक्रिया के दौरान या निविदा कार्यान्वयन के दौरान किसी भी प्रकार इस उद्देश्य से पेशकश नहीं करेगा, वचन नहीं देगा या नहीं देगा।
- ख) बोलीकर्ता/डेकेदार किसी गुप्त अनुबंध या समझौते में, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक, किसी अन्य बोलीकर्ता को शामिल नहीं करेगा। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशन, प्रमाणीकरण, सहायक ठेकों, बोलियों के अनुदेश या गैर अनुदेश अथवा प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए कोई अन्य कार्य या बोली प्रक्रिया में उत्पादक संघ के लिए लागू होता है।
- ग) बोलीकर्ता/डेकेदार संबद्ध आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई गलत कार्य नहीं करेगा इसके अतिरिक्त बोलीकर्ता/डेकेदार (प्रतिस्पर्धा के लिए या निजी लाभ हेतु) व्यवसायिक रिश्ते, सम्बन्धित योजनाएँ, तकनीकी प्रस्ताव तथा इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रोषित या प्राप्त सूचना सहित भाग के रूप में मुखिया/मालिक द्वारा प्रदत्त किसी सूचना या दस्तावेज, का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा अथवा किसी अन्य को नहीं देगा।
- घ) विदेशी मूल का कोई बोलीकर्ता/डेकेदार भारत में अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों के नाम तथा पते बताएगा, यदि कोई हो। इसी प्रकार भारतीय मूल का बोलीकर्ता/डेकेदार विदेशी अभिकर्ताओं/ प्रतिनिधियों के नाम तथा पते बताएगा यदि कोई हो। या तो विदेशी मुखिया की ओर से भारतीय अभिकर्ता या विदेशी मुखिया निविदा में सीधे ही बोली लगा सकता है लेकिन दोनो नहीं। इसके अतिरिक्त उन मामलों में जहाँ एक अभिकर्ता एक निर्माता की ओर से निविदा में भाग लेता है तो उसी मद के लिए समान निविदा में पहले निर्माता के साथ-साथ उसे अन्य निर्माता की ओर से कोट करने की अनुमति नहीं होगी।
- च) बोलीकर्ता/डेकेदार बोली लगाते समय, अपने सभी किये हुए भुगतान बताएगा, वह जो उसने इस निविदा को प्राप्त करने के लिए अभिकर्ताओं, दलालों या अन्य मध्यस्थ को देने की मंशा रखता हो या देने का वादा किया हो।
- 3) बोलीकर्ता/डेकेदार किसी अन्य व्यक्ति को ऊपरलिखित किसी भी गलत कार्य करने हेतु नहीं उकसाएगा और न ही उसमें भागीदार होगा।
- 4) बोलीकर्ता/डेकेदार, झूठे लाभ को प्राप्त करना या किसी और के न्यायपूर्ण हित को क्षति पहुंचाना या सरकारी हित के अहित की अधिप्राप्ति कार्यविधि को प्रभावित करने के उद्देश्य से सीधे ही किसी व्यक्ति अथवा फर्म के माध्यम से जो कि गैर कानूनी गतिविधि यानि जन अधिकारी को प्रेरित करने के लिए जानबूझ कर किसी तथ्य की गलत प्रस्तुति या उसका लोप करना या फर्जी/झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि में शामिल नहीं होगा।
- 5) बोलीकर्ता/डेकेदार सीधे तौर पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से दवाब नहीं डालेगा (मतलब कुछ प्राप्त करना, मजबूर करना या डरा धमका कर निर्णय को प्रभावित करना, धमकाना या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल प्रयोग करना, जहाँ एक व्यक्ति पर या वास्तविक क्षति आ सकती है, उनकी प्रतिष्ठा/सम्पति तथा निविदा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करना)।



Article 3: Consequences of Breach

Without prejudice to any rights that may be available to the Principal/Owner under law or the Contract or its established policies and laid down procedures, the Principal/Owner shall have the following rights in case of breach of this Integrity Pact by the Bidder(s)/Contractor(s) and the Bidder/ Contractor accepts and undertakes to respect and uphold the Principal/Owner's absolute right:

- (1) If the Bidder(s)/Contractor(s), either before award or during execution of Contract has committed a transgression through a violation of Article 2 above or in any other form, such as to put his reliability or credibility in question, the Principal/Owner after giving 14 days notice to the contractor shall have powers to disqualify the Bidder(s)/Contractor(s) from the Tender process or terminate/determine the Contract, if already executed or exclude the Bidder/Contractor from future contract award processes. The imposition and duration of the exclusion will be determined by the severity of transgression and determined by the Principal/Owner. Such exclusion may be forever or for a limited period as decided by the Principal/Owner.
- (2) Forfeiture of EMD/Performance Guarantee/Security Deposit: If the Principal/Owner has disqualified the Bidder(s) from the Tender process prior to the award of the Contract or terminated/determined the Contract or has accrued the right to terminate/determine the Contract according to Article 3(1), the Principal/Owner apart from exercising any legal rights that may have accrued to the Principal/Owner, may in its considered opinion forfeit the entire amount of Earnest Money Deposit, Performance Guarantee and Security Deposit of the Bidder/Contractor.
- (3) Criminal Liability: If the Principal/Owner obtains knowledge of conduct of a Bidder or Contractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder or Contractor which constitutes corruption within the meaning of IPC Act, or if the Principal/Owner has substantive suspicion in this regard, the Principal/Owner will inform the same to law enforcing agencies for further investigation.

Article 4: Previous Transgression

- (1) The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last 5 years with any other Company in any country confirming to the anticorruption approach or with Central Government or State Government or any other Central/State Public Sector Enterprises in India that could justify his exclusion from the Tender process.
- (2) If the Bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the Tender process or action can be taken for banning of business dealings/ holiday listing of the Bidder/Contractor as deemed fit by the Principal/ Owner.
- (3) If the Bidder/Contractor can prove that he has resorted / recouped the damage caused by him and has installed a suitable corruption prevention system, the Principal/Owner may, at its own discretion, revoke the exclusion prematurely.

Article 5: Equal Treatment of all Bidders/Contractors/Subcontractors

- (1) The Bidder(s)/Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact. The Bidder/Contractor shall be responsible for any violation(s) of the principles laid down in this agreement/Pact by any of its Subcontractors/sub-vendors.
- (2) The Principal/Owner will enter into Pacts on identical terms as this one with all Bidders and Contractors.
- (3) The Principal/Owner will disqualify Bidders, who do not submit, the duly signed Pact between the Principal/ Owner and the bidder, along with the Tender or violate its provisions at any stage of the Tender process, from the Tender process.



वृत्त 3 मय्युक्तु दक इज.के

किसी भी अधिकार जो कि कानून या ठेके या उसमें स्थापित नीतियों और दी गई गतिविधियों के अधीन मुखिया/मालिक को उपलब्ध हों, के पूर्वग्रह के बिना बोलीकर्ता/ठेकेदार के द्वारा यदि इस सत्यनिष्ठा संधि का उल्लंघन होता है तो मुखिया/मालिक को निम्नलिखित अधिकार होंगे और बोलीकर्ता/ठेकेदार उसे स्वीकार करेगा तथा मुखिया/मालिक के आत्यंतिक अधिकार का सम्मान करेगा और उसकी मर्यादा बनाए रखेगा:-

- 1.) यदि बोलीकर्ता/ठेकेदार ने ऊपर दिए गए अनुच्छेद-2 के उल्लंघन या किसी अन्य रूप में निविदा प्राप्त करने से पूर्व या उसके कार्यान्वयन के दौरान कोई उल्लंघन किया हो, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा हो, यदि पहले ही कार्यान्वित हो चुका है तो मुखिया/मालिक को निविदाकार को 14 दिनों का नोटिस देने के बाद उसे अयोग्य ठहराने का अधिकार है भविष्य में निविदा प्रदान प्रणाली से बहिष्कृत करने का अधिकार है। मुखिया/मालिक द्वारा उल्लंघन और निर्धारण के त्रुटि-स्तर के आधार पर बहिष्कार का अधिरोपण तथा इसकी अवधि निर्धारित की जाएगी। ऐसा बहिष्कार हमेशा के लिए हो सकता है या मुखिया/मालिक द्वारा निर्धारित सीमित समय-सीमा के अन्दर।
- 2.) बयाना जमा राशि/निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति की जब्ती यदि निविदा प्रदान करने से पूर्व ही बोली लगाने वाले को अयोग्य ठहरा दिया गया है; निविदा का रद्द/निर्धारित कर दिया गया है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार निविदा को रद्द/निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है तो मुखिया/मालिक को प्राप्त कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा उसके विवेकानुसार बोलीकर्ता/ठेकेदार की समस्त बयाना राशि, निष्पादन गारंटी तथा प्रतिभूति जमा को जब्त कर सकता है।
- 3) **वकी जफेकद नः रक** यदि मुखिया/मालिक को यह जानकारी प्राप्त होती है कि बोलीकर्ता या ठेकेदार का आचरण या उसका कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि या किसी साथी का आचरण आईपीसी अधिनियम के अर्थ के तहत भ्रष्ट है या मुखिया/मालिक को इस सम्बन्ध में मूल संदेह हो तो मुखिया/मालिक इस बात को कानून लागू करने वाली एंजेंसी को आगे की जांच-पड़ताल के लिए सूचित करेगा।

वृत्त 4 इ इ मय्युक्तु

- 1) बोलीकर्ता घोषणा करता है कि पिछले 5 वर्षों में किसी देश या अन्य कम्पनी के साथ ऐसे कोई पूर्व उल्लंघन नहीं हुए हैं जिससे उनके भ्रष्टाचार निरोधक उपमार्ग सिद्ध हुए हों और न ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत के किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम के साथ उल्लंघन हुआ है जिससे इन्हें निविदा कार्यविधि से न्यायिक तौर पर हटाया जा सके।
- 2) यदि बोलीकर्ता इस विषय पर गलत विवरण देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है अथवा मुखिया/मालिक द्वारा जो सही समझा जाए बोलीकर्ता/ठेकेदार के व्यवसायिक लेनदेन/अवकाश सूचीकरण पर रोक लगाने का कदम उठाया जा सकता है।
- 3) यदि बोलीकर्ता/ठेकेदार साबित कर सकता है कि उसने अपने द्वारा हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति कर दी है तथा एक उचित अपने निवारण प्रणाली स्थापित कर दी है, तो मुखिया/मालिक, स्वयं के विवेक से समय से पहले ही बहिष्कार रद्द कर सकता है।

वृत्त 5: इ इ क्लयडरिक्तु @ बदनक्या @ मि बदनक्या दक इ एकु 0; ओगkj

- 1) बोलीकर्ता/ठेकेदार इस सत्यनिष्ठा संधि में उप-ठेकेदारों से अनुरूपता की प्रतिबद्धता की मांग का बीड़ा उठाता है। उप-ठेकेदार/उप-विक्रेताओं द्वारा इस करार/संधि में हुए नियमों के अतिक्रमण के लिए बोलीकर्ता/ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
- 2) मुखिया/मालिक सभी बोलीकर्ताओं तथा ठेकेदारों के साथ तदरूप निबन्धन पर इस संधि में शामिल होंगे।
- 3) मुखिया/मालिक उन बोलीकर्ताओं को अयोग्य घोषित कर देंगे जो निविदा या निविदा प्रक्रिया से निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण पर इसके उपबंधों को अनदेखा करने के साथ ही मुखिया/मालिक तथा बोलीकर्ता की हस्ताक्षरित संधि जमा नहीं कराता हैं।



Article 6- Duration of the Pact

This Pact begins when both the parties have legally signed it. It expires for the Contractor/Vendor 12 months after the completion of work under the contract or till the continuation of defect liability period, whichever is more and for all other bidders, till the Contract has been awarded.

If any claim is made/lodged during the time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this Pacts as specified above, unless it is discharged/determined by the Competent Authority, CPWD.

Article 7- Other Provisions

- (1) This Pact is subject to Indian Law, place of performance and jurisdiction is the Head quarters of the Division of the Principal/Owner, who has floated the Tender.
- (2) Changes and supplements need to be made in writing. Side agreements have not been made.
- (3) If the Contractor is a partnership or a consortium, this Pact must be signed by all the partners or by one or more partner holding power of attorney signed by all partners and consortium members. In case of a Company, the Pact must be signed by a representative duly authorized by board resolution.
- (4) Should one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intensions.
- (5) It is agreed term and condition that any dispute or difference arising between the parties with regard to the terms of this Integrity Agreement / Pact, any action taken by the Owner/Principal in accordance with this Integrity Agreement/ Pact or interpretation thereof shall not be subject to arbitration.

Article 8- LEGAL AND PRIOR RIGHTS

All rights and remedies of the parties hereto shall be in addition to all the other legal rights and remedies belonging to such parties under the Contract and/or law and the same shall be deemed to be cumulative and not alternative to such legal rights and remedies aforesaid. For the sake of brevity, both the Parties agree that this Integrity Pact will have precedence over the Tender/Contact documents with regard any of the provisions covered under this Integrity Pact.

IN WITNESS WHEREOF the parties have signed and executed this Integrity Pact at the place and date first above mentioned in the presence of following witnesses:

.....
 (For and on behalf of Principal/Owner)

.....
 (For and on behalf of Bidder/Contractor)

WITNESSES:

1.
 (signature, name and address)

2.
 (signature, name and address)

Place:

Dated :

**वृत्तन 6% I fiek dh vofek**

दोनों गुटों द्वारा संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ यह संधि प्रारंभ होती है। ठेकेदार/विक्रेता के लिए इस ठेके के अधीन कार्य पूरा होने के 12 महीने बाद या दोष दायित्व अवधि के क्रम में जो भी अधिक है तथा सभी अन्य बोलीकर्ताओं के लिए जब तक ठेका दिया गया है, यह समाप्त होती है।

इस अवधि के दौरान यदि कोई दावा किया जाता है/प्रस्तुत किया जाता है तो उपरोक्तानुसार इसके समाप्त होने के बाद भी वह बाध्य तथा मान्य रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी, केलोनिवि द्वारा इसका निर्वहन नहीं किया जाता।

वृत्तन 7% vU; mi cllek

- 1) यह संधि भारतीय कानून के अधीन है, तथा इसके निष्पादन का स्थान एवं क्षेत्राधिकार मुखिया/मालिक जिसने यह निविदा जारी की है, के मण्डल का मुख्यालय होगा।
- 2) बदलाव तथा संशोधन लिखित तौर पर दर्शाना अनिवार्य है।
- 3) यदि ठेकेदार एक हिस्सेदारी या सहायता संघ है तो इस संधि पर सभी हिस्सेदारों के या सभी हिस्सेदारों अथवा संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए हुए मुख्तारनामा रखने वाले एक या एक से अधिक हिस्सेदारों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।
- 4) इस संधि के एक या विभिन्न उपबंध यदि अमान्य हो जाते हैं; तो शेष मान्य रहेंगे। इस मामले में इस करार के मूल कार्य को करने हेतु सभी दल परिश्रम करेंगे।
- 5) यह सहमत नियम और शर्त है कि इस सत्यनिष्ठा समझौता/संधि के नियमों के संबंध में यदि दोनों दलों के बीच कोई अनबन या भिन्नता होती है, मालिक/मुखिया के द्वारा सत्यनिष्ठा समझौता/संधि या उसके स्पष्टीकरण के अनुसार की गई कार्रवाई मध्यस्थता का विषय नहीं होगा।

वृत्तन 8 dkuwh rFk i mZ vfeckkj

दलों के सभी अधिकारों/उपचारों के अलावा निविदा और/या कानून के अधीन ऐसे दलों से सम्बन्धित अन्य कानूनी अधिकार तथा उपचार भी होंगे और उन्हें ऊपरलिखित ऐसे ही कानूनी अधिकारों और उपचारों का संचयी माना जाएगा वैकल्पिक नहीं। संक्षिप्तता के लिए, दोनों दल सहमत हैं कि इस सत्यनिष्ठा संधि के तहत किसी भी उपबंध से सम्बन्धित निविदा/ठेके के दस्तावेजों पर इस संधि को वरीयता दी जाएगी।

निम्नलिखित गवाह की उपस्थिति में उपरोक्त स्थान और दिनांक में जहां साक्ष्य के रूप में दलों ने इस सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं एवं उसे कार्यान्वित किया है:-

.....
(मुखिया/मालिक की ओर से)

.....
(बोलीकर्ता/ठेकेदार की ओर से)

गवाह

1.....
(हस्ताक्षर, नाम और पता)

2.....
(हस्ताक्षर, नाम और पता)

स्थान :

दिनांक



C.P.W.D. SAFETY CODE

1. Suitable scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground, or from solid construction except such short period work as can be done safely from ladders. When a ladder is used, an extra mazdoor shall be engaged for holding the ladder and if the ladder is used for carrying materials as well suitable footholds and hand-hold shall be provided on the ladder and the ladder shall be given an inclination not steeper than $\frac{1}{4}$ to 1 ($\frac{1}{4}$ horizontal and 1 vertical.)
2. Scaffolding of staging more than 3.6 m (12ft.) above the ground or floor, swung or suspended from an overhead support or erected with stationary support shall have a guard rail properly attached or bolted, braced and otherwise secured at least 90 cm. (3ft.) high above the floor or platform of such scaffolding or staging and extending along the entire length of the outside and ends there of with only such opening as may be necessary for the delivery of materials. Such scaffolding or staging shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure.
3. Working platforms, gangways and stairways should be so constructed that they should not sag unduly or unequally, and if the height of the platform or the gangway or the stairway is more than 3.6 m (12ft.) above ground level or floor level, they should be closely boarded, should have adequate width and should be suitably fastened as described in (2) above.
4. Every opening in the floor of a building or in a working platform shall be provided with suitable means to prevent the fall of person or materials by providing suitable fencing or railing whose minimum height shall be 90 cm. (3ft.)
5. Safe means of access shall be provided to all working platforms and other working places. Every ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 9m. (30ft.) in length while the width between side rails in rung ladder shall in no case be less than 29 cm. (11½") for ladder upto and including 3 m. (10 ft.) in length. For longer ladders, this width should be increased at least $\frac{1}{4}$ " for each additional 30 cm. (1 foot) of length. Uniform step spacing of not more than 30 cm shall be kept. Adequate precautions shall be taken to prevent danger from electrical equipment. No materials on any of the sites or work shall be so stacked or placed as to cause danger or inconvenience to any person or the public. The contractor shall provide all necessary fencing and lights to protect the public from accident and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedings at law that may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and cost which may be awarded in any such suit; action or proceedings to any such person or which may, with the consent of the contractor, be paid to compensate any claim by any such person.
6. (a) Excavation and Trenching - All trenches 1.2 m. (4ft.) or more in depth, shall at all times be supplied with at least one ladder for each 30 m. (100 ft.) in length or fraction thereof, Ladder shall extend from bottom of the trench to at least 90 cm. (3ft.) above the surface of the ground. The side of the trenches which are 1.5 m. (5ft.) or more in depth shall be stepped back to give suitable slope or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger of sides collapsing. The excavated materials shall not be placed within 1.5 m. (5ft.) of the edges of the trench or half of the depth of the trench whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Under no circumstances, undermining or undercutting shall be done.
(b) Safety Measures for digging bore holes:-
 - (i). If the bore well is successful, it should be safely capped to avoid caving and collapse of the bore well. The failed and the abandoned ones should be completely refilled to avoid caving and collapse;
 - (ii). During drilling, Sign boards should be erected near the site with the address of the drilling contractor and the Engineer in-charge of the work;



ds yks fu- fo- l j {kk l fgrk

1. कर्मकारों के लिए ऐसे छोटी कालावधि वाले कार्यों को छोड़कर, जिनको सीढ़ियों से निरापद रूप से किया जा सकता हो, उन सभी कार्यों के लिए, जिनको जमीन से या ठोस-निर्माण से निरापद रूप से नहीं किया जा सकता हो, यथोचित पाड़ का उपबन्ध करना चाहिए। जब सीढ़ी का प्रयोग किया जाए तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए अतिरिक्त मजदूर नियुक्त किया जाएगा और यदि सीढ़ी सामान ले जाने के लिए भी उपयोग में लाई जाए तो सीढ़ी पर यथोचित पायदानों और हाथ के लिए सहारों की व्यवस्था होगी और सीढ़ी की आनति 1 पर 1/4 के अनुपात (1/4 क्षेतिज और 1 उर्ध्वार्धद्ध से अधिक ढालू न होगी।)
2. भूमि या फर्श से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंची पाड़ या मंच पर जो उर्ध्वस्थ आधार से झूलता हुआ या लटकता हुआ हो, या स्थिर आधार से खड़ा किया गया हो, समुचित रूप से सम्ब, वोल्टयुक्त, कसी हुई और अन्यथा मजबूती से बंधी हुई बचाव रोक होगी, जो ऐसे पाड़ या मंच के फर्श या प्लेटफार्म से कम से कम 90 से.मी. (3 फुट) ऊंची होगी और उसके बाहर और सिरों पर सम्पूर्ण लम्बाई पर लगी होगी और जिसमें ऐसे द्वार होंगे जो सामग्री के परिवहन के लिए आवश्यक हो, ऐसे पाड़ या मंच को ऐसे बांधा जायेगा कि वह भवन या संरचना से झूले नहीं।
3. कार्य-प्लेटफार्मों, गलियारों और जीनों को ऐसे सन्निर्मित किया जाना चाहिए कि उन पर अनावश्यक या असमान रूप से झोल न पड़े और यदि प्लेटफार्म, गलियारा या जीना, भूमि या फर्श स्तर से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंचा हो तो उसमें तख्ते पास पास लगे होने चाहिए, उसकी पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए, और उसको ऊपर पैरा (2) में वर्णित यथोचित रूप से बाँधा जाना चाहिए।
4. भवन या कार्य-प्लेटफार्मों में हर द्वार को व्यक्तियों या सामग्री को गिरने से बचाने के लिए यथोचित बाड़ या जंगले द्वारा, जिसकी न्यूनतम ऊचाई 90 से.मी. (3 फुट) होगी यथोचित रूप से घिरा होना चाहिए।
5. सभी कार्य-प्लेटफार्मों और अन्य कार्य-स्थानों तक पहुंचने के लिए निरापद साधनों का उपबन्ध होगा। हर सीढ़ी मजबूती से लगी होनी चाहिए। कोई भी सुवाहय अकेली सीढ़ी लम्बाई में 9 मीटर (30 फुट) से अधिक न होगी जब कि डण्डो वाली सीढ़ी में खड़ी रेलों के बीच चौड़ाई 3 मीटर (10 फुट) तक लम्बी सीढ़ी में किसी भी दशा में 29 से.मी. (11 1/2") से कम न होगी। अधिक लम्बी सीढ़ियों में इस चौड़ाई में लम्बाई के हर एक अतिरिक्त 30 से.मी. (1 फुट) के 1/4" वृद्धि होनी चाहिए। इकसार पैड़ियों के मध्य जगह 30 से.मी.(12 इंच) से अधिक न होगी। विद्युत उपस्कर से होने वाले खतरे के निवारण के लिए यथायोग्य पूर्वावधानियां रखी जाएगी। किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी सामग्री इस प्रकार नहीं जमा की या रखी जाएगी कि वह किसी व्यक्ति या जनता के लिए खतरा या असुविधा उत्पन्न करे। जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार सभी आवश्यक बाड़ों और प्रकाश की व्यवस्था करेगा। और उक्त पूर्वावधानियों की उपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए किन्हीं व्यक्तियों द्वारा विधि के अधीन लाए गए हर वाद, अनुयोग या अन्य कार्यवाहियों में प्रतिरक्षा के व्ययों का भार उठाने के लिए और ऐसी किसी नुकसानी या खर्चों का संदाय करने के लिए आम होगा जो ऐसे किन्ही व्यक्तियों को ऐसे किसी वाद अनुयोग या कार्यवाही में अधिनिर्णीत किया जाए या जो, ठेकेदार की सहमति से, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे किसी दावे में समझौता करने के लिए संदत्त किया जाए।
- 6 (क). उत्खनन और खाई खोदना—1.2 मीटर (4 फुट) या अधिक गहरी सभी खाईयों के लिए सभी समयों पर लम्बाई के हर एक 30 मीटर (100 फुट) या उसके किसी भाग के लिए कम से कम एक सीढ़ी प्रदाय की जाएगी। सीढ़ी खाई की तली से लेकर भूमि की सतह से कम से कम 90 से.मी. (3 फुट) ऊपर तक की होगी। 1.5 मीटर (5 फुट) या अधिक गहरी खाईयों की दीवारें यथोचित ढलान देने के लिए समतल (पक्की) होंगी या उन पर काष्ठ के तख्तों की मजबूत रोक लगी होगी ताकि दीवारों के ढहने का खतरा न रहे। खोदी गई सामग्री खाई के किनारों से 1.5 मीटर (5 फुट) के भीतर या खाई की गहराई के आधे के बराबर दूरी के भीतर, उनमें जो भी अधिक हो, नहीं रखी जाएगी। कटाई शीर्ष से तली तक की जाएगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में तलोच्छेदन या कम कटाई न की जाएगी।
- 6 (ख). वेध-छिद्रों की खुदाई के लिए सुरक्षा उपाय:
 1. यदि वेध-कूप सफल हो जाता है, तो इसे वेध-कूप के गुफा बनने तथा इसके ढहने से बचने के लिए सुरक्षित रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। असफल और परित्यक्त वेध-कूपों को गुफा बनने तथा ढहने से बचने के लिए पूर्ण रूप से भर देना चाहिए।
 2. छेद करने के दौरान कार्य स्थल के निकट साइन बोर्डों को छेद करने वाले ठेकेदार तथा कार्य के प्रभारी अभियंता के पते के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।
 3. उपयुक्त चारदीवारी छेद करने के दौरान कूप के पास बनाई जानी चाहिए तथा छिद्रस्थल पर रिग की संस्थापना के बाद लोगों के प्रवेश से बचने के लिए छिद्रस्थल के 50 मीटर के घेरे में झंडे लगाए जाने चाहिए।



- (iii). Suitable fencing should be erected around the well during the drilling and after the installation of the rig on the point of drilling, flags shall be put 50m around the point of drilling to avoid entry of people;
 - (iv). After drilling the borewell, a cement platform (0.50m x 0.50m x 1.20m) 0.60m above ground level and 0.60m below ground level should be constructed around the well casing;
 - (v). After the completion of the borewell, the contractor should cap the bore well properly by welding steel plate, cover the bore well with the drilled wet soil and fix thorny shrubs over the soil. This should be done even while repairing the pump;
 - (vi). After the borewell is drilled the entire site should be brought to the ground level.
7. Demolition - Before any demolition work is commenced and also during the progress of the work,
- (i) All roads and open areas adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected.
 - (ii) No electric cable or apparatus which is liable to be a source of danger or a cable or apparatus used by the operator shall remain electrically charged.
 - (iii) All practical steps shall be taken to prevent danger to persons employed from risk of fire or explosion or flooding. No floor, roof or other part of the building shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe.
8. All necessary personal safety equipment as considered adequate by the Engineer-in-Charge should be kept available for the use of the person employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use, and the contractor should take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned:- The following safety equipment shall invariably be provided.
- (i) Workers employed on mixing asphaltic materials, cement and lime mortars shall be provided with protective footwear and protective goggles.
 - (ii) Those engaged in white washing and mixing or stacking of cement bags or any material which is injurious to the eyes, shall be provided with protective goggles.
 - (iii) Those engaged in welding works shall be provided with welder's protective eyeshields.
 - (iv) Stone breaker shall be provided with protective goggles and protective clothing and seated at sufficiently safe intervals.
 - (v) When workers are employed in sewers and manholes, which are in active use, the contractors shall ensure that the manhole covers are opened and ventilated atleast for an hour before the workers are allowed to get into the manholes, and the manholes so opened shall be cordoned off with suitable railing and provided with warning signals or boards to prevent accident to the public. In addition, the contractor shall ensure that the following safety measure are adhered to :-
 - (a) Entry for workers into the line shall not be allowed except under supervision of the JE or any other higher officer.
 - (b) At least 5 to 6 manholes upstream and downstream should be kept open for at least 2 to 3 hours before any man is allowed to enter into the manhole for working inside.
 - (c) Before entry, presence of Toxic gases should be tested by inserting wet lead acetate paper which changes colour in the presence of such gases and gives indication of their presence.
 - (d) Presence of Oxygen should be verified by lowering a detector lamp into the manhole. In case, no Oxygen is found inside the sewer line, workers should be sent only with Oxygen kit.
 - (e) Safety belt with rope should be provided to the workers. While working inside the manholes, such rope should be handled by two men standing outside to enable him to be pulled out during emergency.
 - (f) The area should be barricaded or cordoned off by suitable means to avoid mishaps of any kind. Proper warning signs should be displayed for the safety of the public whenever cleaning works are undertaken during night or day.



4. वेध-कूप की खुदाई करने के बाद जमीनस्तर से 0.60 मीटर ऊपर (0.50 मी X 0.50 मी X 1.20मी) तथा जमीनस्तर से 0.60 मी नीचे कूप के चारों ओर एक सीमेंट का चबूतरा बनाया जाना चाहिए।
 5. वेध-कूप के कार्य के समाप्त होने के बाद, स्टील प्लेट को वेल्ड करके ठेकेदार को उचित रूप से वेध-कूप को ढक देना चाहिए, वेध-कूप को खुदी हुई गीली मिट्टी से ढककर उसे कांटेदार झाड़ियों से ढक देना चाहिए। पम्प की मरम्मत के समय पर भी यह सब किया जाना चाहिए।
 6. वेध-कूप की खुदाई के बाद पूरे कार्यस्थल को जमीनीस्तर पर लाना चाहिए।
7. ढाना-ढाने का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य की प्रक्रिया के दौरान भी-
- (i) कार्यस्थल के पार्श्वस्थ सभी सड़के और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएंगे या उनमें बचाव की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
 - (ii) ऐसा कोई भी विद्युत केबिल या साधित्र जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता हो या आपरेटर द्वारा प्रयुक्त होने वाला केबिल या साधित्र विद्युत आवेशित नहीं होगा।
 - (iii) नियोजित व्यक्तियों को अग्नि या विस्फोट बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जायेंगे। भवन के किसी भी फर्श, छत या भाग, को मलबे या सामग्री से इतना अतिभारित न किया जायेगा कि वह असुरक्षित हो जाए।
8. कार्यस्थल पर नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसे सभी आवश्यक वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध रखे जाने चाहिए जो भारसाधक इन्जीनियर पर्याप्त समझे और उनको ऐसी हालत में अनुरक्षित रखा जाना चाहिए कि वे तुरन्त उपयोग के लिए उपयुक्त हो, तथा ठेकेदार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यथायोग्य कदम उठाएगा।
- (i) ऐसफाल्टिक सामग्री, सीमेंट, और चूने का मसाला मिलाने के लिए नियोजित कर्मकारों को बचाव जूते और बचाव-चश्में दिए जाएंगे।
 - (ii) सफेदी करने और सीमेंट के बोरों को या ऐसी सामग्री को, जो आँखों के लिए हानिकारक हो, मिलाने के लिए या उनके ढेर लगाने के काम में नियोजित व्यक्तियों को बचाव-चश्में दिए जाएंगे।
 - (iii) झलाई कार्य में नियोजित व्यक्तियों को झलाईगारों की आँखों की रोशनी के बचाव के लिए काम में आने वाले ढक्कन दिए जाएंगे।
 - (iv) पत्थर तोड़ने वालों के लिए बचाव-चश्मे और बचाव-वस्त्रों और पर्याप्त रूप से सुरक्षित दूरी पर बैठाने की व्यवस्था होगी।
 - (v) जब कर्मकार ऐसी मल-नालियों और मैन-होलों में नियोजित किए जाएं जो काम में लाए जा रहे हों, तब ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मैन-होलों में कर्मकारों के प्रवेश करने के कम से कम एक घंटे पूर्व उनके ढक्कन खोल दिए जाएं और उन्हें संवातित कर दिया जाए तथा ऐसे खोले गए मैन-होलों को, जनता को खतरे से बचाने के लिए यथोचित जंगलों से घेर दिया जाना चाहिए और उन पर चेतावनी सिग्नल या बोर्ड लगा दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाता है।
- (क) लाइन में कर्मचारियों का प्रवेश कनिष्ठ इंजीनियर तथा किसी अन्य उच्च अधिकारी के पर्यवेक्षाधीन के अलावा अनुमेष नहीं किया जाए।
 - (ख) सिर के साथ नीचे के कम-से-कम 5 से 6 तक मेनहोल किसी कर्मचारी को भीतर काम करने के लिए मेनहोल में प्रवेश की अनुमति देने से पहले कम से कम 2 से 3 घण्टे तक खुले रखे जाएं।
 - (ग) प्रवेश से पहले भीगा लैंडएसीटेड पेपर डालकर विषैली गैसों की उपस्थिति की जांच की जाए जो ऐसी गैसों की उपस्थिति से रंग परिवर्तन कर लेता है, तथा उनकी उपस्थिति को सूचित कर देता है।
 - (घ) मेनहोल में अन्वेषी लैम्प डालकर आक्सीजन की विद्यमानता का सत्यापन कर लिया जाए। यदि सीवर लाइन के भीतर आक्सीजन नहीं पाया जाता है तो कर्मचारियों को आक्सीजन किट सहित भेजा जाए।
 - (ङ) कर्मचारियों को रज्जु सहित सुरक्षा पेटी मुहैया की जाये। मेनहोल के भीतर काम करते समय ऐसी रज्जु बाहर खड़े दो व्यक्ति पकड़े रहें ताकि आपातकाल के दौरान उसे खींचा जा सके।
 - (च) उपयुक्त माध्यमों द्वारा क्षेत्र को घेर दिया जाए अथवा रस्सी का बाड़ा बना दिया जाय ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को दूर किया जा सके। रात्रि अथवा दिन के दौरान जब भी सफाई कार्य किए जाएं, उचित चेतावनी संकेत जनता की सुरक्षा हेतु प्रदर्शित किए जाएं।
 - (छ) सफाई किए जा रहे बन्द मेनहोल के पास धूम्रपान अथवा अग्नि जलाना अनुमेष न किया जाए।



- (g) No smoking or open flames shall be allowed near the blocked manhole being cleaned.
 - (h) The malba obtained on account of cleaning of blocked manholes and sewer lines should be immediately removed to avoid accidents on account of slippery nature of the malba.
 - (i) Workers should not be allowed to work inside the manhole continuously. He should be given rest intermittently. The Engineer-in-Charge may decide the time up to which a worker may be allowed to work continuously inside the manhole.
 - (j) Gas masks with Oxygen Cylinder should be kept at site for use in emergency.
 - (k) Air-blowers should be used for flow of fresh air through the manholes. Whenever called for, portable air blowers are recommended for ventilating the manholes. The Motors for these shall be vapour proof and of totally enclosed type. Non sparking gas engines also could be used but they should be placed at least 2 metres away from the opening and on the leeward side protected from wind so that they will not be a source of friction on any inflammable gas that might be present.
 - (l) The workers engaged for cleaning the manholes/sewers should be properly trained before allowing to work in the manhole.
 - (m) The workers shall be provided with Gumboots or non sparking shoes bump helmets and gloves non sparking tools safety lights and gas masks and portable air blowers (when necessary). They must be supplied with barrier cream for anointing the limbs before working inside the sewer lines.
 - (n) Workmen descending a manhole shall try each ladder stop or rung carefully before putting his full weight on it to guard against insecure fastening due to corrosion of the rung fixed to manhole well.
 - (o) If a man has received a physical injury, he should be brought out of the sewer immediately and adequate medical aid should be provided to him.
 - (p) The extent to which these precautions are to be taken depend on individual situation but the decision of the Engineer-in-Charge regarding the steps to be taken in this regard in an individual case will be final.
- (vi) The Contractor shall not employ men and women below the age of 18 years on the work of painting with products containing lead in any form. Wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting, the following precaution should be taken:-
- (a) No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or ready made paint.
 - (b) Suitable face masks should be supplied for use by the workers when paint is applied in the form of spray or a surface having lead paint is dry rubbed and scrapped.
 - (c) Overalls shall be supplied by the contractors to the workmen and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to wash during and on the cessation of work.
9. An additional clause (viii)(i) of Central Public Works Department Safety Code (iv) the Contractor shall not employ women and men below the age of 18 on the work of painting with product containing lead in any form, wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting, the following principles must be observed for such use :
- (i) White lead, sulphate of lead or product containing these pigment, shall not be used in painting operation except in the form of pastes or paint ready for use.
 - (ii) Measures shall be taken, wherever required in order to prevent danger arising from the application of a paint in the form of spray.
 - (iii) Measures shall be taken, wherever practicable, to prevent danger arising out of from dust caused by dry rubbing down and scraping.
 - (iv) Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work.
 - (v) Overall shall be worn by working painters during the whole of working period.



- (ज) बन्द मैनहोल अथवा सीवर लाइन की सफाई के कारण प्राप्त मलबे को मलबे की फिसलन के कारण दुर्घटना रोकने के लिए तुरन्त ही हटा दिया जाए।
- (झ) कर्मचारियों को मैनहोल के भीतर लगातार काम करने की अनुमति न दी जाए। उसे अन्तरायिक रूप से विश्राम दिया जाये। प्रभारी इंजीनियर वह समय नियत करे जिस तक कि किसी कर्मचारी को मैनहोल के भीतर लगातार काम करने के लिए अनुमति दिया जाए।
- (ञ) आपातकाल मे प्रयोग में लाने के लिए स्थल पर आक्सीजन सिलेण्डरों सहित गैस मास्क रखे जाएं।
- (ट) मैनहोल में शुद्ध वायु प्रवाह हेतु जब भी अपेक्षित हो, वायु प्रवाहक उपयोग में लाए जाएं। मैनहोल के वातायनन हेतु सुवहनन वायु प्रवाहकों की सिफारिश की जाती है। इनकी मोटरें वाष्परोधी होनी चाहिए तथा पूर्णतया बन्द होनी चाहिए। चिंगारी विहीन गैस इंजिन भी उपयोग में लाए जा सकते हैं परन्तु वे मुहाने से कम से कम 2 मीटर दूर रखे जाने चाहिए तथा निचली तरफ वायु से सुरक्षित हो ताकि वे विद्यमान किसी भी ज्वलनशील गैस के घर्षण का सोत्र न बन सके।
- (ठ) मैनहोल/सीवरों की सफाई के लिए लगाए गए कर्मचारी मैनहोल में काम करने की अनुमति दिए जाने से पहले उचित रूप से प्रशिक्षित किए जाएं।
- (ड) कर्मचारियों को गमबूट अथवा अग्निरोधी जूते, लैम्प, हेलमेट तथा दस्तानें अग्निरोधी अवजार सुरक्षा लाइट एवं गैसे मास्क तथा सुवाहन वायु प्रवाहक (जब कभी आवश्यक हो) मुहैया किए जाए। सीवर लाइनो के भीतर काम करने से पहले उन्हें अवयवों पर लगाने के लिए बैरीयर क्रीम दी जानी चाहिए।
- (ढ) मैनहोल के नीचे उतरते हुए कर्मचारी को सीड़ी के प्रत्येक डण्डे की सावधानीपूर्वक अपना पूरा वजन रखने से पहले जांच कर लेनी चाहिए ताकि मैनहोल भित्ति में लगे डण्डे के जंग के कारण असुरक्षित फिसलन से बचा जा सके।
- (ण) यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगी हो तो उसे सीवर से तुरन्त ही बाहर निकाला जाए तथा उसे पर्याप्त चिकित्सा सहायता मुहैया की जाए।
- (त) एहतियातें किस सीमा तक बर्ती जाएं पृथक-पृथक परिस्थिति पर निर्भर करता है परन्तु प्रभारी इंजीनियर का किसी विशेष मामले में इस विषय में किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय अन्तिम होगा।
- (vi) ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों और स्त्रियों को ऐसे उत्पादों द्वारा रंगने के कार्य पर, जिनमें किसी भी रूप में सीसा अन्तर्विष्ट हो, नियोजित नहीं करेगा। जहां कहीं 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्ति सीसा द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएं वहां निम्नलिखित पूर्वावधानियां रखी जायेंगी:
- (क) सीसा या सीसा उत्पादों को अन्तर्विष्ट करने वाला कोई भी पेन्ट जब तक कि, पेस्ट या तैयार पेन्ट के रूप में न हो उपयोग में नहीं लाया जाएगा।
- (ख) जब पेन्ट फुहार द्वारा या ऐसी जगह पर किया जाना हो जिस पर से सीसे का पेन्ट शुष्क रगड़ा या खुरचा गया हो, कर्मकारों के उपयोग के लिए यथोचित मुखपट का प्रदाय किया जाना चाहिए।
- (ग) ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को प्रदत्त किए जाएंगे और कार्य करने वाले पेंटरो के लिए ऐसी यथायोग्य सुविधाओं का उपबंध होना चाहिए कि वे उन वस्त्रों को कार्य बंद रहने के समय धो सकें।
9. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सुरक्षा संहिता (iv) का अतिरिक्त खण्ड (vii) (i) ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों और पुरुषों को ऐसे उत्पादों द्वारा रंगने के कार्य पर, जिनमें किसी भी रूप में सीसा अन्तर्विष्ट हो, नियोजित नहीं करेगा। जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष सीसे द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएं ऐसे कार्य के लिए निम्नलिखित नियमों का अवश्य पालन किया जाए:
- (i) सफेद सीसा, सीसे का सल्फेट या इस रंजक वाले उत्पादन को रंगन काम में तैयार मिश्रण के रूप को छोड़कर अन्य रूपों में काम में नहीं लाना चाहिए।
- (ii) स्प्रे के रूप में रंग करने से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचाने के लिए आवश्यक उपक्रम करना चाहिए।
- (iii) सूखा रगड़ने से जो धूल निकलती है, उससे बचाव के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।
- (iv) रंग लगाने वालों को काम पूरा होने पर धोने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।
- (v) रंगन कार्य करने वाले को काम करते समय ऊपरी कपड़ा पहने रहना चाहिए।



- (vi) Suitable arrangement shall be made to prevent clothing put off during working hours being spoiled by painting materials.
 - (vii) Cases of lead poisoning and suspected lead poisoning shall be notified and shall be subsequently verified by medical man appointed by competent authority of C.P.W.D PWD(DA).
 - (viii) C.P.W.D./PWD (DA) may require, when necessary medical examination of workers.
 - (ix) Instructions with regard to special hygienic precautions to be taken in the painting trade shall be distributed to working painters.
10. When the work is done near any place where there is risk of drowning, all necessary equipments should be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any person in danger and adequate provision, should be made for prompt first aid treatment of all injuries likely to be obtained during the course of the work.
11. Use of hoisting machines and tackle including their attachments, anchorage and supports shall conform to the following standards or conditions :-
- (i) (a) These shall be of good mechanical construction, sound materials and adequate strength and free from patent defects and shall be kept repaired and in good working order.
 - (b) Every rope used in hoisting or lowering materials or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength, and free from patent defects.
 - (ii) Every crane driver or hoisting appliance operator, shall be properly qualified and no person under the age of 21 years should be in charge of any hoisting machine including any scaffolding winch or give signals to operator.
 - (iii) In case of every hoisting machine and of every chain ring hook, shackle swivel and pulley block used in hoisting or as means of suspension, the safe working load shall be ascertained by adequate means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe working load. In case of a hoisting machine having a variable safe working load each safe working load and the condition under which it is applicable shall be clearly indicated. No part of any machine or any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except for the purpose of testing.
 - (iv) In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the Electrical Engineer-in-Charge. As regards contractor's machines the contractors shall notify the safe working load of the machine to the Engineer-in-Charge whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the Electrical Engineer concerned.
12. Motors, gearing, transmission, electric wiring and other dangerous parts of hoisting appliances should be provided with efficient safeguards. Hoisting appliances should be provided with such means as will reduce to the minimum the risk of accidental descent of the load. Adequate precautions should be taken to reduce to the minimum the risk of any part of a suspended load becoming accidentally displaced. When workers are employed on electrical installations which are already energized, insulating mats, wearing apparel, such as gloves, sleeves and boots as may be necessary should be provided. The worker should not wear any rings, watches and carry keys or other materials which are good conductors of electricity.
13. All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in safe condition and no scaffold, ladder or equipment shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing facilities should be provided at or near places of work.
14. These safety provisions should be brought to the notice of all concerned by display on a notice board at a prominent place at work spot. The person responsible for compliance of the safety code shall be named therein by the contractor.
15. To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions the arrangements made by the contractor shall be open to inspection by the Labour Officer or Engineer-in-Charge of the department or their representatives.
16. Notwithstanding the above clauses from (1) to (15), there is nothing in these to exempt the contractor from the operations of any other Act or Rule in force in the Republic of India.



- (vi) कपड़ों को रंगन कार्य करते समय खराब हो जाने से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।
- (vii) सीसे द्वारा विषाक्त या इस प्रकार का सन्देह जहां हो ऐसे लोगों के विषाक्ता प्रमाणत और परिचर्या के लिए के. लो. नि. विभाग द्वारा नियुक्त अधिकृत वैधिकृत वैद्यकीय परीक्षक द्वारा परीक्षण होना चाहिए।
- (viii) के. लो. नि. विभाग जब जरूरी हो तब काम करने वालों के वैद्यकीय परीक्षण की मांग कर सकता है।
- (ix) रंगन काम में लगे कर्मचारियों को रंगन सम्बन्धी स्वास्थ्यात्मक पूर्वरक्षण सूचनाएं वितरित करनी चाहिए।
10. जब काम किसी ऐसे स्थान के पास किया जाना हो, जहां डूबने का जोखिम हो जो सभी आवश्यक उपस्करों का उपबंध होना चाहिए और उपयोग के लिए तैयार रहने चाहिए और खतरे में पड़े व्यक्ति के तत्पर बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां की जानी चाहिए और कार्य के अनुक्रम में उठाई जा सकने वाली संभाव्य सभी क्षतियों के तत्पर प्राथमिक उपचार के लिए यथायोग्य उपबंध किया जाना चाहिए।
11. होइस्टिंग मशीन और टैकाल, का, जिसके अंतर्गत उनकी संलग्न जकड़ और अवलम्ब भी आते हैं, का उपयोग निम्नलिखित मानक या शर्तों के अनुरूप होगा—
- (i) (क) यह अच्छी यांत्रिक सनिर्मित के, सुसामग्री युक्त और यथायोग्य दृढ़तावान और प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होंगी और अच्छी तरह मरम्मत की हुई तथा चालू हालत में रखी जाएंगी।
- (ख) हर रस्सी, जिसको सामग्रियों को ऊपर उठाने या नीचे लाने या निलम्बन के उपयोग में लाया जाए मजबूत क्वालिटी और यथायोग्य दृढ़ता की तथा प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी।
- (ii) हर क्रेन चालक या होइस्टिंग सापित्र आपरेटर समुचित रूप से अहिंत होगा और 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी होइस्टिंग मशीन का, जिसके अंतर्गत पाड़ विंच आता है भार साधक न होगा नाही आपरेटर को सिग्नल देगा।
- (iii) हर होइस्टिंग मशीन और हर चैन रिंग हुक में ऊपर उठाने या नीचे लाने के लिए या निलम्बन के साधन स्वरूप उपयुक्त शैकल स्विवेल और पुली ब्लाक के सुरक्षित कार्यकरण बोझ को यथायोग्य साधनों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ऊपर निर्दिष्ट होइस्टिंग मशीन पर और सभी गियरों पर सुरक्षित कार्यकरण बोझ साफ साफ चिन्हित होगा ऐसी होइस्टिंग मशीन की दशा में, जिसका सुरक्षित कार्यकरण बोझ परिवर्तनशील हो, हर एक सुरक्षित कार्यकरण बोझ, उन शर्तों सहित, जिनके अधीन वह लागू होता हो, स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा। इस पैरा में उपरनिर्दिष्ट मशीन या किसी गीयर के किसी भी भाग को सुरक्षित कार्यकरण बोझ से अधिक, परीक्षण के प्रयोजन के सिवाय भारित नहीं किया जाएगा।
- (iv) विभागीय मशीनों की दशा में सुरक्षित कार्यकरण बोझ को भारसाधक विद्युत इन्जीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जहां तक ठेकेदारों की मशीनों का सम्बन्ध है, ठेकेदार जब कभी वह कार्यस्थल पर कोई मशीनरी लाए मशीन के सुरक्षित कार्यकरण बोझ को भारसाधक इन्जीनियर को अधिसूचित करेगा और सम्बन्धित विद्युत इन्जीनियर से उसका सत्यापन करवाएगा।
12. होइस्टिंग साधित्रों के मोटर, गियरिंग, पारेषण विद्युत वायरिंग और अन्य खतरनाक भागों को निरापद रखने के लिए दक्ष उपबंध करना चाहिए जिससे लदान के अकस्मात नीचे आ जाने की दशा में जोखिम न्यूनतम हो जाए। निम्नलिखित लदान के किसी भी भाग के अक्समात विस्थापित हो जाने की दशा में जोखिम न्यूनतम करने के लिए यथायोग्य पूर्वावधानियां बरती जाएं जबकि कर्मकार ऐसे विद्युत संस्थापन पर नियोजित हों जो पहले से ही ऊर्जित हो तो उनके लिए आवश्यकता अनुसार विसंवाही चटाईयां, पहनने वाले वस्त्र अर्थात दस्ताने, बाहें और बूटों का उपबंध होना चाहिए। कर्मकारों को अंगूठियाँ और घड़ियाँ धारण नहीं करनी चाहिए और चाबियाँ या अन्य ऐसी सामग्री नहीं ले जानी चाहिए जो विद्युत की सुसंवाहक हो।
13. सभी पाड़ सीढ़ियां और अन्य सुरक्षा युक्तियों को, जिनको इसमें उल्लिखित या वर्णित किया गया है, सुरक्षित अवस्था में रखा जाना चाहिए और किसी भी पाड़ सीढ़ी या उपस्कर को, जबकि वह उपयोग में हो, परिवर्तन न किया जायेगा या हटाया न जायेगा। कार्यस्थलों पर या उनके निकट यथायोग्य धुलाई सुख-सुविधाओं का उपबंध होना चाहिये।
14. सुरक्षा उपबंधी को सभी सम्बन्धितों की सूचना के लिए कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर लगे सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना चाहिये। सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए ठेकेदार द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति का नाम उसमें दिया जाएगा।
15. सुरक्षा पूर्वावधानियों से सम्बन्धित नियमों और विनियमों के प्रभावकारी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए इन्तजाम, विभाग के श्रम आफिसर, भारसाधक इन्जीनियर या उनके प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
16. खण्ड (1) से लेकर (15) तक के होते हुए भी उसमें की कोई बात ठेकेदार को भारत गणराज्य में प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या नियम के प्रवर्तन से छूट नहीं देता।



Model Rules for the Protection of Health and Sanitary Arrangements for Workers Employed by Central P.W.D. or its Contractors

1. APPLICATION

These rules shall apply to all buildings and construction works in charge of Central Public Works Department/ PWD (DA) in which twenty or more workers are ordinarily employed or are proposed to be employed in any day during the period during which the contract work is in progress.

2. DEFINITION

Work place means a place where twenty or more workers are ordinarily employed in connection with construction work on any day during the period during which the contract work is in progress.

3. FIRST-AID FACILITIES

- (i) At every work place, there shall be provided and maintained, so as to be easily accessible during working hours, first-aid boxes at the rate of not less than one box for 150 contract labour or part thereof ordinarily employed.
- (ii) The first-aid box shall be distinctly marked with a red cross on white back ground and shall contain the following equipment:-
 - (a) For work places in which the number of contract labour employed does not exceed 50-
Each first-aid box shall contain the following equipments :-
 1. 6 small sterilised dressings.
 2. 3 medium size sterilised dressings.
 3. 3 large size sterilised dressings.
 4. 3 large sterilised burn dressings.
 5. 1 (30 ml.) bottle containing a two per cent alcoholic solution of iodine.
 6. 1 (30 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.
 7. 1 snakebite lancet.
 8. 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.
 9. 1 pair scissors.
 10. 1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Government of India.
 11. 1 bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.
 12. Ointment for burns.
 13. A bottle of suitable surgical antiseptic solution.



दलनह; ykd fueZk folkkx ; k ml ds Bds }kj k fu; k'f r deZkjka ds LokLF; vkj I QkbZ 0; oLFkkvka ds I j {k.k ds fy, vkn'kZ fu; e

1. ykxw gksuk

यह नियम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियन्त्रणाधीन सभी भवन और निर्माण कार्यो पर लागू होंगे जिनमें ठेके पर चल रहे कार्य दिवसों में किसी भी दिन सामान्यतया 20 या इससे अधिक मजदूर नियोजित किए गए हो अथवा करने का प्रस्ताव हो।

2. i fjHkk"kk

कार्यस्थल का तात्पर्य उस स्थान से है जहां पर निर्माण कार्य के लिए ठेके पर चल रहे कार्य दिवसों में किसी भी दिन 20 या इससे अधिक मजदूर नियोजित हो अथवा करने का प्रस्ताव हो।

3. i kFkfed mi pkj I foekk, a

- प्रत्येक कार्यस्थल, में कार्य दिवसों में सुगमता से पहुंचने योग्य किसी स्थान पर प्राथमिक-उपचार के बक्से रखे जाएंगे जो सामान्यतया नियोजित 150 ठेके के मजदूरों अथवा उनके किसी, भाग के लिए कम से कम एक बक्से से कम न हो।
- प्राथमिक-उपचार बक्से पर स्पष्ट रूप से सफेद के ऊपर रेड क्रास का निशान होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए जैसे-

(क) ऐसे कार्यस्थलों पर जहां पर नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 50 से अधिक नहीं है-

प्रत्येक प्राथमिक उपचार बक्से में निम्नलिखित उपकरण होंगे-

- 6 छोटी विसंक्रमित पट्टियाँ।
- 3 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।
- 3 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।
- 3 बड़े आकार की जले पर लगाने की पट्टियाँ।
- 1 (30 मि.लि.) की बोतल जिसमें आयोडीन का 2 प्रतिशत अल्कोहल के साथ घुला हो।
- 1 (30 मि.लि.) की बोतल जिसमें साल्वोलेटाइल का घोल हो तथा उसके ऊपर मात्रा तथा औषधि सेवन की विधि लिखी हो।
- सप्रदंश की एक छुरी।
- पोटाशियम पर्मेगनेट क्रिस्टल की (30 ग्राम) एक बोतल।
- एक कैंची।
- महानिदेशक, फैक्टरी परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक-उपचार के सम्बन्ध में एक पर्चा।
- एक शीशी जिसमें एस्पिरिन की (प्रत्येक 5 ग्राम) की 100 टिकियां हो।
- जले पर लगाने के लिए मरहम।
- शल्यकर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाशक घोल की एक शीशी।



- (b) For work places in which the number of contract labour exceed 50.

Each first-aid box shall contain the following equipments.

1. 12 small sterilised dressings.
 2. 6 medium size sterilised dressings.
 3. 6 large size sterilised dressings.
 4. 6 large size sterilised burn dressings.
 5. 6 (15 gms.) packets sterilised cotton wool.
 6. 1 (60 ml.) bottle containing a two per cent alcoholic solution iodine.
 7. 1 (60 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.
 8. 1 roll of adhesive plaster.
 9. 1 snake bite lancet.
 10. 1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.
 11. 1 pair scissors.
 12. 1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General Factory Advice Service and Labour Institutes /Government of India.
 13. A bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.
 14. Ointment for burns.
 15. A bottle of suitable surgical antiseptic solution.
- (iii) Adequate arrangements shall be made for immediate recoupment of the equipment when necessary.
- (iv) Nothing except the prescribed contents shall be kept in the First-aid box.
- (v) The first-aid box shall be kept in charge of a responsible person who shall always be readily available during the working hours of the work place.
- (vi) A person in charge of the First-aid box shall be a person trained in First-aid treatment in the work places where the number of contract labour employed is 150 or more.
- (vii) In work places where the number of contract labour employed is 500 or more and hospital facilities are not available within easy distance from the works. First-aid posts shall be established and run by a trained compounder. The compounder shall be on duty and shall be available at all hours when the workers are at work.
- (viii) Where work places are situated in places which are not towns or cities, a suitable motor transport shall be kept readily available to carry injured person or person suddenly taken ill to the nearest hospital.

4. DRINKING WATER

- (i) In every work place, there shall be provided and maintained at suitable places, easily accessible to labour, a sufficient supply of cold water fit for drinking.
- (ii) Where drinking water is obtained from an Intermittent public water supply, each work place shall be provided with storage where such drinking water shall be stored.
- (iii) Every water supply or storage shall be at a distance of not less than 50 feet from any latrine drain or other source of pollution. Where water has to be drawn from an existing well which is within such proximity of latrine, drain or any other source of pollution, the well shall be properly chlorinated before water is drawn from it for drinking. All such wells shall be entirely closed in and be provided with a trap door which shall be dust and waterproof.



(ख) ऐसे कार्य स्थलों पर जहां ठेके के मजदूरों की संख्या 50 से अधिक हो।

प्रत्येक प्राथमिक—उपचार बक्से में निम्नलिखित उपकरण होंगे।

1. 12 छोटी विसंक्रमित पट्टियाँ।
 2. 6 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।
 3. 6 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियाँ।
 4. 6 बड़े आकार की विसंक्रमित जले पर लगाने की पट्टियाँ।
 5. विसंक्रमित रुई के 6 (15 ग्राम) पैकेट।
 6. आयोडीन की 2 प्रतिशत अल्कोहल घोल की (60 मि.लि.) शीशी।
 7. साल्वोलेटाइल की एक शीशी (60 मि.लि.) जिसके लेबल पर मात्रा और सेवन विधि लिखी हो।
 8. चिपकाने वाला प्लास्टर का एक रोल।
 9. सप्रदंश की एक छुरी।
 10. पोटेशियम परमेगनेट क्रिस्टल की 1 शीशी (30 ग्राम)
 11. एक कैंची।
 12. महानिदेशक, फैक्टरी परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक उपचार का एक पर्चा।
 13. एस्पिरिन की 100 टिकियां (प्रत्येक 5 ग्राम) की एक शीशी।
 14. जले पर लगाने का मरहम।
 15. शल्यकर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाशक घोल की एक शीशी।
- (iii) वस्तुओं को पुनः भरने की जब कभी आवश्यकता हो, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- (iv) प्राथमिक उपचार बक्से में सिवाय निर्धारित वस्तुओं के अन्य कुछ भी नहीं रखा जाएगा।
- (v) प्राथमिक उपचार का बक्सा किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास रखा जाएगा जो कि कार्यस्थल पर कार्यसमय के दौरान हमेशा हाजिर रहेगा।
- (vi) जिस कार्यस्थल पर नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 150 से अधिक होगी वहां पर प्राथमिक उपचार के बक्से का प्रभारी व्यक्ति प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित व्यक्ति होगा।
- (vii) ऐसे कार्यस्थलों पर जहां नियोजित ठेके के मजदूरों की संख्या 500 तथा इससे अधिक हो तथा अस्पताल कार्यस्थल के नजदीक नहीं हो तो एक प्रशिक्षित कम्पाउन्डर की देखरेख में एक प्राथमिक उपचार केन्द्र खोला जाएगा। कम्पाउन्डर ड्यूटी पर रहेगा तथा जब मजदूर काम पर होंगे तो उसकी सेवाएं हर समय उपलब्ध रहेगी।
- (viii) यदि कार्यस्थल किसी शहर या कस्बे में नहीं है तो घायल व्यक्तियों अथवा अकस्मात बीमार पड़े व्यक्तियों को समीपवर्ती अस्पताल में ले जाने के लिए उपयुक्त परिवहन व्यवस्था तुरन्त उपलब्ध रहेगी।

4. is ty%

- (i) प्रत्येक कार्यस्थल में मजदूरों द्वारा सुगमता से पहुंचने योग्य उपयुक्त स्थानों पर पीने योग्य ठण्डे पानी की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा।
- (ii) जहां पेय जल किसी अन्तर्विषयी सार्वजनिक जल व्यवस्था से प्राप्त किया जाता है वहां प्रत्येक कार्यस्थल पर संचय की व्यवस्था की जाएगी जहां ऐसे पेय जल का संग्रह किया जाएगा।
- (iii) संचयन की प्रत्येक जल व्यवस्था किसी शौचालय, नाली या प्रदूषण के अन्य स्रोत से 50 फुट से कम दूर नहीं होगी। जहां जल किसी ऐसे विद्यमान कुएं से लिया जाना हो जो शौचालय, नाली या प्रदूषण के किसी अन्य स्रोत के काफी निकट हो तो ऐसी स्थिति में कुएं से पीने के लिए जल निकालने से पूर्व उसका उचित रूप से क्लोरीकरण किया जाएगा। ऐसे सभी कुएं पूर्णतः ढके हुए होंगे और उनमें धूल और जल—रोधी छत—द्वार की व्यवस्था की जाएगी।



- (iv) A reliable pump shall be fitted to each covered well, the trap door shall be kept locked and opened only for cleaning or inspection which shall be done at least once a month.

5. WASHING FACILITIES

- (i) In every work place adequate and suitable facilities for washing shall be provided and maintained for the use of contract labour employed therein.
- (ii) Separate and adequate cleaning facilities shall be provided for the use of male and female workers.
- (iii) Such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and hygienic condition.

6. LATRINES AND URINALS

- (i) Latrines shall be provided in every work place on the following scale namely :-
 - (a) Where female are employed, there shall be at least one latrine for every 25 females.
 - (b) Where males are employed, there shall be at least one latrine for every 25 males.
Provided that, where the number of males or females exceeds 100, it shall be sufficient if there is one latrine for 25 males or females as the case may be upto the first 100, and one for every 50 thereafter.
- (ii) Every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy, and shall have a proper door and fastenings.
- (iii) Construction of latrines: The inside walls shall be constructed of masonry or some suitable heat-resisting nonabsorbent materials and shall be cement washed inside and outside at least once a year, Latrines shall not be of a standard lower than borehole system.
- (iv)
 - (a) Where workers of both sexes are employed, there shall be displayed outside each block of latrine and urinal, a notice in the language understood by the majority of the workers "For Men only" or "For Women Only" as the case may be.
 - (b) The notice shall also bear the figure of a man or of a woman, as the case may be.
- (v) There shall be at least one urinal for male workers upto 50 and one for female workers upto fifty employed at a time, provided that where the number of male or female workmen, as the case may be exceeds 500, it shall be sufficient if there is one urinal for every 50 males or females upto the first 500 and one for every 100 or part thereafter.
- (vi)
 - (a) The latrines and urinals shall be adequately lighted and shall be maintained in a clean and sanitary condition at all times.
 - (b) Latrines and urinals other than those connected with a flush sewage system shall comply with the requirements of the Public Health Authorities.
- (vii) Water shall be provided by means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrines and urinals.
- (viii) Disposal of excreta :- Unless otherwise arranged for by the local sanitary authority, arrangements for proper disposal of excreta by incineration at the work place shall be made by means of a suitable incinerator. Alternately excreta may be disposed of by putting a layer of night soil at the bottom of a pucca tank prepared for the purpose and covering it with a 15 cm. layer of waste or refuse and then covering it with a layer of earth for a fortnight (when it will turn to manure).



- (iv) प्रत्येक ढके हुए कूप में एक विश्वसनीय पम्प फिट किया जाएगा। छत द्वार को ताला लगाकर रखा जाएगा और केवल सफाई या निरीक्षण करने के लिए दो मास में कम से कम एक बार खोला जाएगा।

5. दि मः ँक्कुस धि I ढो?क, a

- (i) प्रत्येक कार्यस्थल पर कपड़े धोने की सुविधा का प्रबन्ध किया जाएगा तथा उसे वहां नियोजित टेके के मजदूरो के प्रयोग के लिए रखा जाएगा।
- (ii) स्त्री और पुरुष मजदूरों के प्रयोग के लिए उपयुक्त जगह की अलग-अलग और पर्याप्त व्यवस्था होगी।
- (iii) ऐसी सुविधाएं आसानी से सुलभ होंगी और इन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से साफ-सुथरा रखा जाएगा।

6. 'ककप्य; रफक ९-क्य;

- (i) प्रत्येक कार्यस्थल पर निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी, उदाहरणार्थ:-
- (क) जहां पर महिलाएं नियोजित की गई हैं वहां पर प्रति 25 महिलाओं के लिए कम से कम एक शौचालय हो।
- (ख) जहाँ पुरुष नियोजित हैं वहाँ प्रति 25 पुरुषों के लिए कम से कम एक शौचालय हो।
- बशर्ते कि जहां पर पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या 100 से अधिक है वहां 100 की संख्या तक प्रत्येक 25 पुरुषों अथवा महिलाओं के लिए एक शौचालय, तत्पश्चात् प्रत्येक 50 की संख्या के लिए एक शौचालय हो।
- (ii) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होना चाहिए तथा उनका इस प्रकार व्यवधान हो कि निजी गोपनीयता सुरक्षित रहे तथा शौचालय में दरवाजे तथा चटखनियों की उचित व्यवस्था हो।
- (iii) शौचालय का निर्माण भीतरी दीवारें चिनाई या किसी उपयुक्त तापरोधी अनवशोषी पदार्थ द्वारा निर्मित की जाएगी और उनमें वर्ष में कम से कम एक बार भीतर और बाहर सीमेंट की पुताई की जाएगी। यह शौचालय बोरहोल तरीके के शौचालयों के मानक से घटिया नहीं होंगे।
- (iv) (क) जहां पर महिलाएं व पुरुष काम पर लगाए जाएं, वहां पर अधिकांश लोगों द्वारा समझें जाने वाली भाषा में शौचालय तथा मूत्रालयों में केवल पुरुषों के लिए/केवल महिलाओं के लिए जैसी भी स्थिति हो इस प्रकार का एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए।
- (ख) इस नोटिस बोर्ड में पुरुष या महिला का जैसी भी स्थिति हो, एक चित्र भी बना हो।
- (v) एक ही अवसर पर नियोजित 50 पुरुषों तथा 50 महिलाओं के लिए कम से कम एक एक मूत्रालय होंगे बशर्ते कि जहां पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या 500 से अधिक हो वहां पर 500 पर प्रत्येक 50 पुरुषों अथवा महिलाओं के लिए एक पेशाबघर तथा शेष प्रत्येक 100 के लिए एक पेशाबघर उपयुक्त होगा।
- (vi) (क) शौचालयों तथा मूत्रालयों में उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होगी तथा इनको हर समय साफ-सुथरी हालत में रखा जाएगा।
- (ख) जो शौचालय तथा मूत्रालय भूमिगत नालियों से जुड़े नहीं होंगे उनके सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।
- (vii) पानी टूटी द्वारा सफाई किया जाएगा अथवा पानी ऐसे स्थान पर होगा जो शौचालय तथा पेशाबघर के नजदीक ही होगा।
- (viii) मल-मूत्र का निपटान:- जब तक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा अन्यथा प्रबन्ध न किया जाए, कार्य स्थल पर भस्मीकरण द्वारा मल-मूत्र के उचित निपटान का प्रबन्ध उचित भस्मक के द्वारा किया जाए। इसके विकल्प के रूप में मल-मूत्र का निपटान इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए पक्के टैंक के तल पर विष्टा की एक परत रखकर और उसे रद्दी या कूड़े की 15 से.मी. परत से ढकने के उपरान्त उनके ऊपर एक पखवाड़े तक मिट्टी की परत बिछाकर (जबकि वह खाद में परिवर्तित हो जाएगा), किया जा सकेगा।



- (ix) The contractor shall at his own expense, carry out all instructions issued to him by the Engineer-in-Charge to effect proper disposal of night soil and other conservancy work in respect of the contractor's workmen or employees on the site. The contractor shall be responsible for payment of any charges which may be levied by Municipal or Cantonment Authority for execution of such on his behalf.

7. PROVISION OF SHELTER DURING REST

At every place there shall be provided, free of cost, four suitable sheds, two for meals and the other two for rest separately for the use of men and women labour. The height of each shelter shall not be less than 3 metres (10 ft.) from the floor level to the lowest part of the roof. These shall be kept clean and the space provided shall be on the basis of 0.6 sq.m. (6 sft) per head.

Provided that the Engineer-in-Charge may permit subject to his satisfaction, a portion of the building under construction or other alternative accommodation to be used for the purpose.

8. CRECHES

- (i) At every work place, at which 20 or more women worker are ordinarily employed, there shall be provided two rooms of reasonable dimensions for the use of their children under the age of six years. One room shall be used as a play room for the children and the other as their bedroom. The rooms shall be constructed with specifications as per clause 19H (ii) a,b & c.
- (ii) The rooms shall be provided with suitable and sufficient openings for light and ventilation. There shall be adequate provision of sweepers to keep the places clean.
- (iii) The contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the bed room.
- (iv) The contractor shall provide one ayaa to look after the children in the creche when the number of women workers does not exceed 50 and two when the number of women workers exceed 50.
- (v) The use of the rooms earmarked as creches shall be restricted to children, their attendants and mothers of the children.

9. CANTEENS

- (i) In every work place where the work regarding the employment of contract labour is likely to continue for six months and where in contract labour numbering one hundred or more are ordinarily employed, an adequate canteen shall be provided by the contractor for the use of such contract labour.
- (ii) The canteen shall be maintained by the contractor in an efficient manner.
- (iii) The canteen shall consist of at least a dining hall, kitchen, storeroom, pantry and washing places separately for workers and utensils.
- (iv) The canteen shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it.
- (v) The floor shall be made of smooth and impervious materials and inside walls shall be lime-washed or colour washed at least once in each year.
Provided that the inside walls of the kitchen shall be lime-washed every four months.
- (vi) The premises of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition.
- (vii) Waste water shall be carried away in suitable covered drains and shall not be allowed to accumulate so as to cause a nuisance.
- (viii) Suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbage.
- (ix) The dining hall shall accommodate at a time 30 per cent of the contract labour working at a time.



- (ix) कार्यस्थल पर नियोजित ठेकेदार कर्मकारों तथा काम पर लगाए गए आदमियों के सम्बन्ध में सफाई कार्य तथा विष्टा के उचित रूप से निपटान के सम्बन्ध में प्रभारी इंजीनियर द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन ठेकेदार अपने खर्च पर ही करेगा। ठेकेदार की ओर से नगर-पालिका अथवा केन्टोनमेंट प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए गए इस प्रकार के कार्य के लिए उनके द्वारा लगाए गए प्रभारी के भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का रहेगा।

7. foJke ds fy, vkJ; LFky dh 0; oLFkk

प्रत्येक कार्यस्थल पर पुरुष तथा महिला श्रमिकों के विश्राम के लिए निःशुल्क चार उपयुक्त शेडों का प्रबंध होगा। दो पुरुषों के लिए तथा दो महिलाओं के लिए अलग-अलग। इन आश्रय-स्थलों की फर्श से छत के नीचे से नीचे भाग की उंचाई 3 मीटर से कम नहीं होगी, ये स्थान प्रतिव्यक्ति 0.6 वर्ग मीटर के हिसाब से बनाए जाएंगे और उन्हें साफ सुथरा रखा जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए निर्माणधीन भवन का एक भाग तथा अन्य वैकल्पिक स्थान का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि प्रभारी इंजीनियर इस बात से संतुष्ट हो और इसके लिए अनुमति दे दे।

8. f'k'kpfk

- (i) प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां पर सामान्यतः 20 या इससे अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं वहां पर उनके 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त आकार के दो कमरों की व्यवस्था की जाएगी एक कमरा बच्चों के खेलने के लिए होगा तथा दूसरा कमरा उनके सोने के लिए, ये कमरे पैरा 2 (क,ख,ग,) खण्ड 19 (ज) के आधार पर बनाए जायेंगे।
- (ii) कमरों में उपयुक्त प्रकाश तथा रोशनदान की व्यवस्था होगी। इन स्थानों को साफ रखने के लिए मेहतारों का भी प्रबन्ध होना चाहिये।
- (iii) ठेकेदार खेल के कमरे में उचित संख्या में खिलौने और सोने के कमरे में उपयुक्त चारपाई बिस्तर का प्रबन्ध करेगा।
- (iv) 50 तक महिला श्रमिकों की संख्या तक, बच्चों की देखरेख के लिए ठेकेदार एक दाई रखेगा तथा 50 से अधिक संख्या पर 2 दाई रखेगा।
- (v) शिशु कक्ष के लिए निर्धारित कमरों में केवल बच्चे उनके रखवाले और उनकी माताएं ही आ जा सकेंगी।

9. dSVhu

- (i) ऐसे कार्यस्थलों में, जहां पर नियुक्त ठेके-श्रमिकों की छः मास तक रहने की सम्भावना हो और जहां पर ठेके के श्रमिकों की संख्या सामान्यतया 100 या इससे अधिक हो, वहां पर ऐसे श्रमिकों के लिए ठेकेदार एक उपयुक्त कैन्टीन की व्यवस्था करेगा।
- (ii) इस कैन्टीन को ठेकेदार भली-भांति चलायेगा।
- (iii) इस कैन्टीन में कम से कम एक खाना खाने का हाल, रसोई स्टोर होगा और बर्तनों को साफ करने और कर्मकारों के नहाने के लिए अलग-अलग स्थान होगा।
- (iv) जब कभी कोई व्यक्ति कैन्टिन में आए तो इसमें उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (v) इसका फर्श चिकना हो और दुर्भेध सामग्री से निर्मित होना चाहिए। और कम से कम एक वर्ष में भीतर की दीवारों को चूना अथवा रंग से पुताई होनी चाहिये। शर्त यह है कि रसोई की दीवार पर भीतर से और हर चार महीने में एक बार पुताई की जाएगी।
- (vi) कैन्टीन के स्थान को साफ-सुथरी हालत में रखा जाये।
- (vii) गन्दे पानी को एक ढकी हुई नाली के द्वारा बहाया जायेगा और इसे एक स्थान पर एकत्र नहीं होने दिया जायेगा जिससे गन्दगी न हो।
- (viii) कूड़ा करकट को एकत्र करने तथा उसको उठाने के लिए उचित प्रबन्ध होगा।
- (ix) खाना खाने के हाल में एक समय में ठेके के श्रमिकों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत आदमियों के बैठने का स्थान होना चाहिए।



- (x) The floor area of the dining hall, excluding the area occupied by the service counter and any furniture except tables and chairs shall not be less than one square metre (10 sft) per diner to be accommodated as prescribed in sub-Rule 9.
- (xi) (a) A portion of the dining hall and service counter shall be partitioned off and reserved for women workers in proportion to their number.
(b) Washing places for women shall be separate and screened to secure privacy.
- (xii) Sufficient tables stools, chair or benches shall be available for the number of diners to be accommodated as prescribed in sub-Rule 9.
- (xiii) (a) 1. There shall be provided and maintained sufficient utensils crockery, furniture and any other equipments necessary for the efficient running of the canteen.
2. The furniture utensils and other equipment shall be maintained in a clean and hygienic condition.
(b) 1. Suitable clean clothes for the employees serving in the canteen shall be provided and maintained.
2. A service counter, if provided, shall have top of smooth and impervious material.
3. Suitable facilities including an adequate supply of hot water shall be provided for the cleaning of utensils and equipments.
- (xiv) The food stuffs and other items to be served in the canteen shall be in conformity with the normal habits of the contract labour.
- (xv) The charges for food stuffs, beverages and any other items served in the canteen shall be based on 'No profit, No loss' and shall be conspicuously displayed in the canteen.
- (xvi) In arriving at the price of foodstuffs, and other article served in the canteen, the following items shall not be taken into consideration as expenditure namely:-
 - (a) The rent of land and building.
 - (b) The depreciation and maintenance charges for the building and equipments provided for the canteen.
 - (c) The cost of purchase, repairs and replacement of equipments including furniture, crockery, cutlery and utensils.
 - (d) The water charges and other charges incurred for lighting and ventilation.
 - (e) The interest and amounts spent on the provision and maintenance of equipments provided for the canteen.
- (xvii) The accounts pertaining to the canteen shall be audited once every 12 months by registered accountants and auditors.

10. ANTI-MALARIAL PRECAUTIONS

The contractor shall at his own expense, conform to all anti-malarial instructions given to him by the Engineer-in-Charge including the filling up of any borrow pits which may have been dug by him.

- 11.** The above rules shall be incorporated in the contracts and in notices inviting tenders and shall form an integral part of the contracts.

12. AMENDMENTS

Government may, from time to time, add to or amend these rules and issue directions - it may consider necessary for the purpose of removing any difficulty which may arise in the administration thereof.



- (x) खाना खाने के हाल में, जिसमें सर्विस काउन्टर और फर्नीचर को छोड़कर, जिसमें मेज, कुर्सी शामिल नहीं है, प्रत्येक भोजन खाने वाले के लिए उप-नियम 9 में निर्धारित के अनुसार एक वर्ग मीटर से कम स्थान नहीं होना चाहिये।
- (xi) (क) खाना खाने के हाल और सर्विस काउन्टर को महिला श्रमिकों के अनुपात के अनुसार विभाजित कर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाये।
(ख) महिलाओं के लिए नहाने व कपड़े धोने का स्थान अलग होना चाहिए तथा उनकी गोपनीयता के बचाव के लिए ओट होनी चाहिए।
- (xii) उप-नियम 9 में निर्दिष्ट खाना खाने वालों के लिए मेज, कुर्सी, स्टूल अथवा बैंच उपयुक्त संख्या में विद्यमान रहने चाहिए।
- (xiii) (क) (1) कैन्टीन को सुचारु रूप से चलाने के लिए उपयुक्त मात्रा में बर्तन, क्रोकरी, फर्नीचर तथा उसके आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए।
(2) फर्नीचर, बर्तन और अन्य उपकरण साफ होने चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो।
(ख) (1) कैन्टीन में काम करने वालों को साफ कपड़े दिए जायें तथा उनके कपड़ों को साफ रखा जाए।
(2) सर्विस काउन्टर यदि कोई हो तो उसके ऊपर का भाग साफ-सुथरा तथा अभेद्य सामग्री का बना हो।
(3) बर्तनों तथा उपकरणों को धोने के लिए गर्म पानी के साथ उपयुक्त व्यवस्था होगी।
- (xiv) कैन्टीन में दिया जाने वाला खाना तथा अन्य वस्तुएं ठेके के मजदूरों की सामान्य पसन्द के अनुसार होंगे।
- (xv) भोजन की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमत जो कि कैन्टीन में परोसी या रखी जाए लाभ-हानि रहित आधार पर रखा जाय तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कैन्टीन में रखा जाय।
- (xvi) कैन्टीन में रखे पदार्थ का तथा अन्य पदार्थों का मूल्य निर्धारण करते समय निम्नलिखित मुद्दों के तहत न समझी जाये, जैसे कि:
(क) भूमि तथा भवन का किराया,
(ख) भवन का तथा कैन्टीन में रखे गए उपकरणों का ह्रास तथा अनुरक्षण प्रभार,
(ग) उपकरणों जिसमें, फर्नीचर, क्रोकरी, चम्मच तथा बर्तन शामिल हैं, खरीद, मरम्मत तथा बदलाव की कीमत,
(घ) पानी के प्रभार तथा प्रकाश और हवा के लिए खर्च किए गए प्रभार,
(ङ) कैन्टीन के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने उनका अनुरक्षण करने में खर्च की गई राशि तथा उसका ब्याज।
- (xvii) कैन्टीन से सम्बन्धित लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक 12 महीने में एक बार पंजीकृत लेखाकार तथा लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

10. **eyfj; k mleyu ds fy, mi k;**

प्रभारी इंजीनियर द्वारा मलेरिया उन्मूलन के बारे में दी गई हिदायतों के अनुसरण के साथ-साथ ठेकेदार अपने ही खर्च पर ऐसे गड्डों को भी भरेगा जिन्हें उसने खुदवाया हों।

11. उपयुक्त नियमों को निविदा तथा निविदा आमन्त्रण सूचना में शामिल किया जायेगा तथा वह ठेके का एक अंग-भूत माना जायेगा।

12. **I d kaku**

सरकार समय-समय पर इन नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती है तथा इन नियमों के प्रशासन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से उपयुक्त दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं।



C.P.W.D. Contractor's Labour Regulations

1. SHORT TITLE

These regulations may be called the C.P.W.D./PWD (DA) Contractors Labour Regulations.

2. DEFINITIONS

i) **Workman** means any person employed by C.P.W.D./PWD (DA) or its contractor directly or indirectly through a subcontractor with or without the knowledge of the Central Public Works Department/PWD (DA) to do any skilled, semiskilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment are expressed or implied but does not include any person :-

a) Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity : or

b) Who, being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding five hundred rupees per mensem or exercises either by the nature of the duties attached to the office or by reason of powers vested in him, functions mainly of managerial nature: or

c) Who is an out worker, that is to say, person to whom any article or materials are given out by or on behalf of the principal employers to be made up cleaned, washed, altered, ornamental finished, repaired adopted or otherwise processed for sale for the purpose of the trade or business of the principal employers and the process is to be carried out either in the home of the out worker or in some other premises, not being premises under the control and management of the principal employer.

No person below the age of 14 years shall be employed to act as a workman.

ii) **Fair Wages** means wages whether for time or piece work fixed and notified under the provisions of the Minimum Wages Act from time to time.

iii) **Contractors** shall include every person who undertakes to produce a given result other than a mere supply of goods or articles of manufacture through contract labour or who supplies contract labour for any work and includes a subcontractor.

iv) **Wages** shall have the same meaning as defined in the Payment of Wages Act.

3. i) Normally working hours of an adult employee should not exceed 9 hours a day. The working day shall be so arranged that inclusive of interval for rest, if any, it shall not spread over more than 12 hours on any day.

ii) When an adult worker is made to work for more than 9 hours on any day or for more than 48 hours in any week, he shall be paid over time for the extra hours put in by him at double the ordinary rate of wages.

iii) a) Every worker shall be given a weekly holiday normally on a Sunday, in accordance with the provisions of the Minimum Wages (Central) Rules 1960 as amended from time to time irrespective of whether such worker is governed by the Minimum Wages Act or not.

b) Where the minimum wages prescribed by the Government under the Minimum Wages Act are not inclusive of the wages for the weekly day of rest, the worker shall be entitled to rest day wages at the rate applicable to the next preceding day, provided he has worked under the same contractor for a continuous period of not less than 6 days.



दलह; ykd fuekZk fohkx ds Bdnljka ds Jfedka ds fy, fofu; e

1- l f{klr uke

इन विनियमों को "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए विनियम" कहा जायेगा।

2- i fjHkk' kk, a

(i) **deZlj** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा या उसके ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी उप-ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ज्ञान या बिना ज्ञान के, किराया या इनाम पर किसी कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल श्रमिक, पर्यवेक्षक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित किया गया हो चाहे नौकरी की शर्तें लिखित हो या अन्तनिहित लेकिन इस में निम्नलिखित कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा—

(क) जो मुख्यतया प्रबन्धकीय या प्रशासनिक तौर पर लगाया गया हो, या

(ख) वह जिसे पर्यवेक्षक के तौर पर लगाया गया हो और जो 500 रूपए से अधिक मजदूरी प्रतिमास ले रहा हो या मुख्यतया प्रबन्धकीय प्रकार का कार्य या तो कार्यालय में ड्यूटी के प्रकार के कारण या उसे दी गई शक्तियों के कारण करता हों,

(ग) जो बाहर का कर्मकार हो, अर्थात् वह व्यक्ति जिसे मुख्य नियोक्ता द्वारा या उसकी और से किसी प्रकार की वस्तुएँ या सामग्री बनाने के लिये, साफ करने के लिये, धोने के लिये, बदलने के लिये, पॉलिश कराने के लिये, मरम्मत के लिये या मुख्य नियोक्ता के व्यापार के उद्देश्य से बिक्री के लिए अन्यथा संसाधन करने के लिए दी गई हों और संसाधन की प्रक्रिया या तो बाहर के कर्मकार के घर में या किसी और स्थान पर किया जाना हो जो केन्द्रीय या मुख्य नियोक्ता के प्रबन्ध परिसर में न हो।

कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम आयु का हो, कर्मकार की तरह काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

(ii) **mfpr etnjh** से वह मजदूरी चाहे वह कालनुपाती काम के अथवा मात्रनुपाती काम के लिए हो जो समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निश्चित या अधिसूचित की गई हैं।

(iii) **Bdnljkh** में प्रत्येक वह व्यक्ति शामिल होगा जो ठेका मजदूरी द्वारा वस्तुओं या उत्पादन की वस्तुओं के अतिरिक्त दिए गए कार्य को परिणामार्थ हाथ में ले या जो किसी कार्य के लिए ठेके पर मजदूर सप्लाय करे तथा इसमें उप-ठेकेदार शामिल हैं।

(iv) **etnjh** का वही अर्थ होगा जो मजदूरी संदाय अधिनियम में परिभाषित है।

3-

(i) सामान्यतः किसी वयस्क कर्मचारी के काम का समय दिन में 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये, कार्य दिवस की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि विश्राम का मध्यावकाश, यदि कोई हो, मिलाकर उसका विस्तार किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक न हो।

(ii) यदि किसी वयस्क कर्मकार से किसी दिन 9 घंटे या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराया जाए तो उसे कार्य के अतिरिक्त समय के लिए मजदूरी की साधारण दर को दुगनी दर से "अतिकाल" संदत्त किया जाएगा। बच्चे से अतिरिक्त समय में काम नहीं कराया जाएगा।

(iii) (क) प्रत्येक कर्मकार को इस बात का विचार किए बिना कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा शामिल होता है, अथवा नहीं, समय-समय पर यथासंशोधित न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियमावली 1960 के उपबन्धों के अनुसार सामान्यतः रविवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी।

(ख) जहाँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में साप्ताहिक विश्राम के दिन की वेतन मजदूरी शामिल नहीं है वहां कर्मकार पिछले दिन को देय मजदूरी की दर पर विश्राम-दिवस की मजदूरी का पात्र होगा बशर्ते उसने उसी ठेकेदार के अधीन निरन्तर 6 दिन कम से कम की अवधि तक कार्य किया हो।



- c) Where a contractor is permitted by the Engineer-in-Charge to allow a worker to work on a normal weekly holiday, he shall grant a substituted holiday to him for the whole day on one of the five days immediately before or after the normal weekly holiday and pay wages to such worker for the work performed on the normal weekly holiday at overtime rate.

4. DISPLAY OF NOTICE REGARDING WAGES ETC.

The contractor shall before he commences his work on contract, display and correctly maintain and continue to display and correctly maintain in a clear and legible condition in conspicuous places on the work, notices in English and in the local Indian languages spoken by the majority of the workers giving the minimum rates of wages fixed under Minimum Wages Act, the actual wages being paid, the hours of work for which such wage are earned, wages periods, dates of payments of wages and other relevant information as per Appendix 'III'.

5. PAYMENT OF WAGES

- i) The contractor shall fix wage periods in respect of which wages shall be payable.
- ii) No wage period shall exceed one month.
- iii) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor where less than one thousand such persons are employed shall be paid before the expiry of seventh day and in other cases before the expiry of tenth day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.
- iv) Where the employment of any worker is terminated by or on behalf of the contractor the wages earned by him shall be paid before the expiry of the second working day from the date on which his employment is terminated.
- v) All payment of wages shall be made on a working day at the work premises and during the working time and on a date notified in advance and in case the work is completed before the expiry of the wage period, final payment shall be made within 48 hours of the last working day.
- vi) Wages due to every worker shall be paid to him direct or to other person authorised by him in this behalf.
- vii) All wages shall be paid in current coin or currency or in both.
- viii) Wages shall be paid without any deductions of any kind except those specified by the Central Government by general or special order in this behalf or permissible under the Payment of Wages Act 1956.
- ix) A notice showing the wages period and the place and time of disbursement of wages shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the Engineer-in-Charge under acknowledgment.
- x) It shall be the duty of the contractor to ensure the disbursement of wages in the presence of the Junior Engineer or any other authorised representative of the Engineer-in-Charge who will be required to be present at the place and time of disbursement of wages by the contractor to workmen.
- xi) The contractor shall obtain from the Junior Engineer or any other authorised representative of the Engineer-in-Charge as the case may be, a certificate under his signature at the end of the entries in the "Register of Wages" or the "Wage-cum-Muster Roll" as the case may be in the following form:-
 "Certified that the amount shown in column Nohas been paid to the workman concerned in my presence on at"

6. FINES AND DEDUCTIONS WHICH MAY BE MADE FROM WAGES

- (i) The wages of a worker shall be paid to him without any deduction of any kind except the following:-
 - (a) Fines
 - (b) Deductions for absence from duty i.e. from the place or the places where by the terms of his employment he is required to work. The amount of deduction shall be in proportion to the period for which he was absent.



- (ग) जहाँ प्रभारी इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को किसी कर्मकार से सामान्य अवकाश वाले दिन कार्य करवाने की अनुमति दी जाती है तो वह उसको सामान्य साप्ताहिक अवकाश के फौरन पांच दिन पूर्व अथवा पश्चात् के किसी भी दिन को सारे दिन का प्रतिपूर्ति अवकाश देगा तथा ऐसे कर्मकार को सामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए समयोपरि दर पर भुगतान करेगा।

4 etnjh vkrn ds I Ecllek ea ukVI yxkuk

ठेकेदार अपने ठेके का काम प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल के सहज द्रष्टव्य स्थानों पर अंग्रजी में और अधिकांश कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भारतीय भाषा में स्वच्छ और सुबाध्य अक्षरों में ऐसा नोटिस लगाएगा तथा लगाता रहेगा और सही-सही लगाता रहेगा जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निश्चित मजदूरी की न्यूनतम दरें, दी जा रही वास्तविक मजदूरी, ऐसी अर्जित की जाने वाली मजदूरी के कार्य के घंटे, मजदूरी की अवधि, मजदूरी भुगतान की तिथियां तथा परिशिष्ट 'III' के अनुसार अन्य सम्बन्धित सूचनाओं का उल्लेख होगा।

5 etnjh dk Hkqrku

- (i) ठेकेदार ऐसी मजदूरी कालावधियाँ, जिनके बारे में मजदूरी देय होगी, नियत करेगा।
- (ii) किसी भी मजदूरी की कालवधि एक मास से अधिक नहीं होगी।
- (iii) ऐसी स्थापनाओं में ठेके पर नियोजित अथवा ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को जहाँ ऐसे कर्मकारों की संख्या 1000 से कम है मजदूरी संदाय की मजदूरी कालवधि की समाप्ति के अन्तिम दिन के पश्चात् मजदूरी 7 वे दिन से पूर्व तथा अन्य मामलों में 10 वें दिन की समाप्ति से पूर्व ही कर दी जाएगी।
- (iv) जब ठेकेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी कर्मकार का नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा, तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी की अदायगी उसके नियोजन के समाप्त होने के दूसरे दिन की समाप्ति से पूर्व ही कर दिया जाएगा।
- (v) मजदूरी की सारी अदायगी काम के दिन कार्यस्थल पर तथा कार्यवधि में और पूर्व अधिसूचित तिथि पर की जायेगी और यदि कार्य मजदूरी अवधि की समाप्ति से पूर्व पूर्ण हो जाता है, अन्तिम अदायगी काम के अन्तिम दिन के पश्चात् 48 घण्टों में की जाएगी।
- (iv) प्रत्येक कर्मकार को देय मजदूरी का भुगतान उसको सीधे अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए अन्य व्यक्ति को किया जायेगा।
- (vii) सभी मजदूरी का भुगतान प्रचलित सिक्कों अथवा नोटों या दोनों में किया जाएगा।
- (viii) मजदूरी का भुगतान किसी प्रकार की कटौती के बिना किया जायेगा सिवाय उनके जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सामान्य अथवा विशेष आदेशों में निर्दिष्ट की गई हो अथवा जो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1956 में ग्राह्य है।
- (ix) मजदूरी अवधि तथा मजदूरी वितरण का स्थान और समय की, सूचना कार्यस्थल पर प्रदर्शित की जाएगी तथा ठेकेदार उसकी एक प्रति प्रभारी इंजीनियर को प्राप्त स्वीकृति के अधीन भेजेगा।
- (x) ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह कनिष्ठ इंजीनियर अथवा प्रभारी इंजीनियर के प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसका ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को मजदूरी भुगतान के स्थान तथा समय पर उपस्थित रहना अपेक्षित हो, की उपस्थिति में भुगतान करना सुनिश्चित है।
- (xi) ठेकेदार, कनिष्ठ इंजीनियर अथवा प्रभारी इंजीनियर के किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि से जो भी हो, उसके हस्ताक्षरों सहित "मजदूरी रजिस्टर" अथवा मजदूरी तथा मस्टर रोल" में जो भी हो, ये प्रविष्टियों के अंत में प्रमाण-पत्र निम्नलिखित रूप में लेगा:

" यह प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ न. में दिखाई गई राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मकारों को दिनांक को मेरी उपस्थिति में किया गया है।

6 tēkūs rFk dVkr; k; tksetnjh I s dh tk I dsh

- (i) निम्नलिखित को छोड़कर कर्मकार की मजदूरी किसी प्रकार की कटौती किए बिना ही उसको अदा की जाएगी :-
 - (क) जुर्माने।
 - (ख) काम से अर्थात् उस स्थान या स्थानों से जहां उसके नियोजन की शर्तों द्वारा उससे कार्य करने की अपेक्षा की गई है, अनुपस्थिति की अवधि के अनुपात में होगी।



- (c) Deduction for damage to or loss of goods expressly entrusted to the employed person for custody, or for loss of money or any other deduction which he is required to account, where such damage or loss is directly attributable to his neglect or default.
 - (d) Deduction for recovery of advances or for adjustment of overpayment of wages, advances granted shall be entered in a register.
 - (e) Any other deduction which the Central Government may from time to time allow.
- (ii) No fines should be imposed on any worker save in respect of such acts and omissions on his part as have been approved of by the Chief Labour Commissioner.

Note :- An approved list of Acts and Omissions for which fines can be imposed is enclosed at Appendix-X

- (iii) No fine shall be imposed on a worker and no deduction for damage or loss shall be made from his wages until the worker has been given an opportunity of showing cause against such fines or deductions.
- (iv) The total amount of fine which may be imposed in any one wage period on a worker shall not exceed an amount equal to three paise in a rupee of the total wages, payable to him in respect of that wage period.
- (v) No fine imposed on any worker shall be recovered from him by instalment, or after the expiry of sixty days from the date on which it was imposed.
- (vi) Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed.

7. LABOUR RECORDS

- (i) The contractor shall maintain a **Register of persons employed** on work on contract in Form XIII of the CL (R&A) Central Rules 1971 (Appendix IV)
- (ii) The contractor shall maintain a **Muster Roll** register in respect of all workmen employed by him on the work under Contract in Form XVI of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix V).
- (iii) The contractor shall maintain a **Wage Register** in respect of all workmen employed by him on the work under contract in Form XVII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix VI).
- (iv) **Register of accident** - The contractor shall maintain a register of accidents in such form as may be convenient at the work place but the same shall include the following particulars:
 - a) Full particulars of the labourers who met with accident.
 - b) Rate of Wages.
 - c) Sex
 - d) Age
 - e) Nature of accident and cause of accident.
 - f) Time and date of accident.
 - g) Date and time when admitted in Hospital,
 - h) Date of discharge from the Hospital.
 - i) Period of treatment and result of treatment.
 - j) Percentage of loss of earning capacity and disability as assessed by Medical Officer.
 - k) Claim required to be paid under Workmen's Compensation Act.
 - l) Date of payment of compensation.
 - m) Amount paid with details of the person to whom the same was paid.



- (ग) नियोजित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अधिरक्षा के लिए सौंपें गए माल को हुए नुकसान या हानि या धन की हानि या कोई अन्य कटौती जिसके लिए उससे हिसाब-देने की अपेक्षा की जाती हैं, जहाँ इस प्रकार का नुकसान या हानि प्रत्यक्षतः उसके द्वारा अपेक्षा या व्यतिक्रम करने के फलस्वरूप मानी गई है।
- (घ) अग्रिम धन की वसूली के लिए या मजदूरी के अधिक अदायगी का समायोजन करने के लिए कटौती, दिए गए अग्रिम धन का रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
- (ङ.) कोई अन्य कटौती जिसे समय समय पर केन्द्रीय सरकार करने की आज्ञा दे।
- (ii) किसी कर्मकार पर उसकी और से ऐसे कृत्यों और भूलों की बाबत किए गए जुर्माने को छोड़कर, जो मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित कर दिया हो, कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी:- कृत्यों तथा भूलों जिनके लिए जुर्माना किया जा सकता है की अनुमोदित सूची परिशिष्ट (X) में दी गई है।

- (iii) कर्मकार पर तब तक कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा और न उसकी मजदूरी में से नुकसान या हानि के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी जब तक कि उसे ऐसे जुर्माना या कटौतियों के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया जाए।
- (iv) किसी कर्मकार पर किसी एक मजदूरी के समय में किए गए जुर्माने की कुल रकम उस मजदूरी की कालाविधि की बाबत उसको देय मजदूरी में एक रूपए पर तीन पैसे से अधिक नहीं होगी।
- (v) किसी कर्मकार पर किया गया कोई जुर्माना उससे, किशतों में, या जुर्माना किए जाने की तारीख से 60 दिन बीतने के बाद वसूल नहीं किया जाएगा।
- (vi) प्रत्येक जुर्माना उस दिन अधिरोपित किया गया समझा जाएगा, जिस दिन वह कृत्य या भूल की गई हो जिससे निमित्त जुर्माना किया गया है।

7- Je l Ecllek vflkyk

- (i) ठेकेदार, ठेके के काम पर **fu; k't r 0; fDr; ka dk jftLVj** ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियमावली 1971 (परिशिष्ट 'IV') के प्रपत्र 13 में रखेगा।
- (ii) ठेकेदार उस द्वारा ठेके के काम पर नियोजित सभी कर्मकारों के सम्बन्ध में ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन नियम) 1971 में परिपत्र 16 (परिशिष्ट 'V') में **eLVj jky jftLVj** रखेगा।
- (iii) ठेकेदार उस द्वारा ठेके के काम पर नियोजित सभी कर्मकारों के सम्बन्ध में ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 (परिशिष्ट 'VI') के परिपत्र 17 में एक **etnjh jftLVj** रखेगा।
- (iv) ठेकेदार ऐसे प्रपत्र में जो कार्यस्थल पर सुविधाजनक हो **nflWukvka dk ,d jftLVj** रखेगा, जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित बातें होंगी:

- (क) उन श्रमिकों के पूरे ब्यौरे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हों।
- (ख) मजदूरी की दर।
- (ग) लिंग।
- (घ) आयु।
- (च) दुर्घटना की प्रकृति और उसका कारण।
- (छ) दुर्घटना का समय और तारीख।
- (ज) अस्पताल में दाखिल होने की तारीख और समय।
- (झ) अस्पताल छोड़ने की तारीख।
- (ट) उपचार की अवधि और उसका परिणाम।
- (ठ) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमानित सामर्थ्य की हानि और निशक्तता की प्रतिशतता।
- (ड) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन दिए जाने वाला अपेक्षित दावा।
- (ढ) क्षतिपूर्ति की अदायगी की तारीख।
- (त) संदत्त रकम और उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसे वह रकम संदत्त की गई।



- n) Authority by whom the compensation was assessed.
- o) Remarks
- v) The contractor shall maintain a **Register of Fines** in the Form XII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XI)
The contractor shall display in a good condition and in a conspicuous place of work the approved list of acts and omissions for which fines can be imposed (Appendix-X)
- vi) The contractor shall maintain a **Register of deductions for damage or loss** in Form XX of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XII)
- vii) The contractor shall maintain a **Register of Advances** in Form XXIII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XIII)
- viii) The contractor shall maintain a **Register of Overtime** in Form XXIII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix-XIV)

8. ATTENDANCE CARD-CUM-WAGE SLIP

- i) The contractor shall issue an **Attendance card-cum-wage slip** to each workman employed by him in the specimen form at (Appendix-VII)
- ii) The card shall be valid for each wage period.
- iii) The contractor shall mark the attendance of each workman on the card twice each day, once at the commencement of the day and again after the rest interval, before he actually starts work.
- iv) The card shall remain in possession of the worker during the wage period under reference.
- v) The contractor shall complete the wage slip portion on the reverse of the card at least a day prior to the disbursement of wages in respect of the wage period under reference.
- vi) The contractor shall obtain the signature or thumb impression of the worker on the wage slip at the time of disbursement of wages and retain the card with himself.

9. EMPLOYMENT CARD

The contractor shall issue an **Employment Card** in Form XIV of the CL (R&A) Central Rules 1971 to each worker within three days of the employment of the worker (Appendix-VIII).

10. SERVICE CERTIFICATE

On termination of employment for any reason whatsoever the contractor shall issue to the workman whose services have been terminated, a **Service certificate** in Form XV of the CL (R&A) Central Rules 1971 (Appendix-IX)

11. PRESERVATION OF LABOUR RECORDS

All records required to be maintained under Regulations Nos. 6 & 7 shall be preserved in original for a period of three years from the date of last entries made in them and shall be made available for inspection by the Engineer-in-Charge or Labour Officer or any other officers authorised by the Ministry of Urban Development in this behalf.

12. POWER OF LABOUR OFFICER TO MAKE INVESTIGATIONS OR ENQUIRY

The Labour Officer or any person authorised by Central Government on their behalf shall have power to make enquires with a view to ascertaining and enforcing due and proper observance of Fair Wage Clauses and the Provisions of these Regulations. He shall investigate into any complaint regarding the default made by the contractor or subcontractor in regard to such provision.



- (थ) अधिकारी जिसके द्वारा प्रतिकार निर्धारित किया गया।
(द) टिप्पणियां।
- (v) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 12 में **teplusk , d jftLVj** रखेगा।
(परिशिष्ट-‘XI’)
ठेकेदार कृत्यों तथा भूलसे जिनके लिए जुर्माना किया जा सकता है, की अनुमोदित सूची कार्यस्थल के सहज द्रष्टव्य स्थान पर अच्छी हालत में प्रदर्शित करेगा (परिशिष्ट-‘X’)
- (vi) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 20 (परिशिष्ट-‘XII’) में नुकसान तथा हानियों के लिए **dVkr; ka dk , d jftLVj** रखेगा।
- (vii) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 22 (परिशिष्ट-‘XIII’) में एक **vfxe jftLVj** रखेगा।
- (viii) ठेकेदार, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) नियम 1971 के प्रारूप 23 (परिशिष्ट-‘XIV’) में एक **l e; ki fj jftLVj** रखेगा।

8- **mi fLFkr dkM&rFk etnjh&iphz**

- (i) ठेकेदार, उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मकार को परिशिष्ट 'VII' पर दिए गए नमूना-प्रारूप के अनुसार एक **mi fLFkr dkM** तथा **etnjh iphz** देगा।
- (ii) यह कार्ड प्रत्येक मजदूरी-कालवधि के लिए वैध होगा।
- (iii) ठेकेदार कार्ड पर प्रत्येक कर्मकार की प्रतिदिन दो बार कार्य आरम्भ पर तथा विश्राम मध्यान्तर के पश्चात् उपस्थिति लगायेगा।
- (iv) यह कार्ड सम्बन्धित मजदूरी कालवधि के दौरान कर्मकार के कब्जे में रहेगा।
- (v) ठेकेदार, सम्बन्धित मजदूरी कालवधि के मजदूरी देने से कम से कम एक दिन पूर्व कार्ड के पीछे मजदूरी पर्ची के भाग को पूर्ण करेगा।
- (vi) ठेकेदार मजदूरी देते समय मजदूरी पर्ची पर कर्मकार के हस्ताक्षर लेगा अथवा अगूठे का निशान लगाएगा तथा कार्ड को स्वयं अपने पास रखेगा।

9- **fu; kst u dkMZ**

ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को, उसके नियोजन किए जाने कि तीन दिन के भीतर, ठेकेदार श्रमिक नियोजन तथा उन्मूलन केन्द्रीय नियम 1971 के प्रारूप 14 में (परिशिष्ट 'VIII') एक नियोजन कार्ड देगा।

10- **l ok cek.k&i =**

किसी भी कारण से नियोजन के समाप्त होने पर ठेकेदार उस कर्मकार को, जिसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, ठेकेदार श्रमिक (नियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियम, 1971 के प्रारूप 15 में (परिशिष्ट 'IX') एक सेवा प्रमाण-पत्र देगा।

11- **Je vfhky[ka dks l gjfkr j[kuk**

विनियमन सं. 6 तथा 7 के अधीन रखे जाने वाले अपेक्षित सभी अभिलेखों को उनमें की गई अन्तिम प्रविष्टिकी तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए मूल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा ये प्रभारी इंजीनियर, श्रम अधिकारी अथवा निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा सम्बन्ध में प्राधिकृत किए गए अन्य अधिकारियों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाएंगे।

12- **Je vfeckfj; ka dks vlošk.k ; k tkp djus l æàkh 'kfdR; k**

श्रम अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह उचित मजदूरी खण्डों और विनियमों के उपलब्धों का सम्यक और उचित अनुपालन अभिनिश्चित करने और प्रवर्तित कराने की दृष्टि से जांच करे। वह ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा ऐसे उपलब्धों के बारे में की हुई व्यतिक्रम संबंधी किसी शिकायत का अन्वेषण करेगा।

**13. REPORT OF LABOUR OFFICER**

The Labour Officer or other persons authorised as aforesaid shall submit a report of result of his investigation or enquiry to the Executive Engineer concerned indicating the extent, if any, to which the default has been committed with a note that necessary deductions from the contractor's bill be made and the wages and other dues be paid to the labourers concerned. In case an appeal is made by the contractor under Clause 13 of these regulations, actual payment to labourers will be made by the Executive Engineer after the Superintending Engineer has given his decision on such appeal.

- i) The Executive Engineer shall arrange payments to the labour concerned within 45 days from the receipt of the report from the Labour Officer or the Superintending Engineer as the case may be.

14. APPEAL AGAINST THE DECISION OF LABOUR OFFICER

Any person aggrieved by the decision and recommendations of the Labour Officer or other person so authorised may appeal against such decision to the Superintending Engineer concerned within 30 days from the date of decision, forwarding simultaneously a copy of his appeal to the Executive Engineer concerned but subject to such appeal, the decision of the officer shall be final and binding upon the contractor.

15. PROHIBITION REGARDING REPRESENTATION THROUGH LAWYER

- i) A workman shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by:-
 - a) An officer of a registered trade union of which he is a member.
 - b) An officer of a federation of trade unions to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated.
 - c) Where the employer is not a member of any registered trade union, by an officer of a registered trade union, connected with the industry in which the worker is employed or by any other workman employed in the industry in which the worker is employed.
- ii) An employer shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by :-
 - a) An officer of an association of employers of which he is a member.
 - b) An officer of a federation of associations of employers to which association referred to in clause (a) is affiliated.
 - c) Where the employers is not a member of any association of employers, by an officer of association of employer connected with the industry in which the employer is engaged or by any other employer, engaged in the industry in which the employer is engaged.
- (iii) No party shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any investigation or enquiry under these regulations.

16. INSPECTION OF BOOKS AND SLIPS

The contractor shall allow inspection of all the prescribed labour records to any of his workers or to his agent at a convenient time and place after due notice is received or to the Labour Officer or any other person, authorised by the Central Government on his behalf.

17. SUBMISSIONS OF RETURNS

The contractor shall submit periodical returns as may be specified from time to time.

18. AMENDMENTS

The Central Government may from time to time add to or amend the regulations and on any question as to the application/Interpretation or effect of those regulations the decision of the Superintending Engineer concerned shall be final.

**13- Je vfejdkjh dh fj i k/W**

श्रम अधिकारी या 'यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति अपने अन्वेषण या जांच के परिणाम की एक रिपोर्ट संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को भेजेगा जिसमें वह व्यतिक्रम की जाने वाली सीमा, यदि कोई हो, उपदर्शित करेगा और साथ ही एक टिप्पणी भी देगा कि ठेकेदार के बिल में से आवश्यक कटौतियां कर ली जाएं और संबंधित श्रमिकों को मजदूरी तथा अन्य देय रकमों का भुगतान कर दिया जाए। इन विनियमों के खण्ड 13 के अधीन ठेकेदार द्वारा अपील किए जाने की दशा में अपील अधीक्षण इंजीनियर द्वारा निर्णय दे देने के बाद कार्यपालक इंजीनियर श्रमिकों को वास्तविक रूप से भुगतान करेगा।

(क) कार्यपालक इंजीनियर संबंधित श्रमिकों को श्रम अधिकारी या अधीक्षण इंजीनियर, जैसी भी स्थिति हो, रिपोर्ट के प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर भुगतान की व्यवस्था करेगा।

14- Je vfejdkjh ds fofu'p; ds fo#) vihy

श्रम अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विनिश्चय और सिफारिशों से कथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के विरुद्ध विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर संबंधित अधीक्षण इंजीनियर को अपील कर सकेगा और उसके साथ ही अपनी अपील की एक प्रति संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को भेजेगा किन्तु ऐसी अपील के अधीन, अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

15- odhy ds ekQr vl; konu ds ckjs ea fu"kk

(i) कर्मकार इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जाँच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा—

(क) किसी ऐसे पंजीकृत व्यवसाय संघ का अधिकारी, जिसका वह सदस्य है।

(ख) व्यवसाय संघों के ऐसे परिसंघ का अधिकारी जिससे खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है।

(ग) जहां नियोजक, किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहाँ जिस उद्योग में कर्मकार नियोजित है, उससे संबंधित व्यवसाय के किसी अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य कर्मकार द्वारा।

(ii) नियोजक इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा—

(क) नियोजक के किसी ऐसे संघ का कोई अधिकारी, जिसका वह सदस्य है।

(ख) नियोजकों के संघ के किसी ऐसे परिसंघ का कोई अधिकारी जिससे खण्ड (क) में निर्दिष्ट संघ संबद्ध है।

(ग) जहां नियोजक, नियोजकों के किसी संघ का सदस्य नहीं है वहाँ जिस उद्योग में नियोजक लगा हुआ है, उससे संबंधित नियोजक के संवर्ग के किसी अधिकारी द्वारा या उस उद्योग में लगे किसी अन्य नियोजक द्वारा।

(iii) इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में कोई भी पक्षकार किसी विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा।

16- cfg; ka vkj fLYki ks dk fujh(k.k

ठेकेदार अपने किसी भी कर्मकार से सम्बन्धित सभी श्रम विलेखों के उसके अधिकर्ता को सम्यक सूचना प्राप्त होने पर किसी सुविधाजनक समय और स्थान पर अनुज्ञात करेगा या श्रम अधिकारी या उसकी ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को भी निरीक्षण करने देगा।

17- foofj.k; ka dks çLr¶ djuk

ठेकेदार समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सामयिकी विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

18- I d kksku

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनियमों का परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी और उन विनियमों के लागू होने, निर्विचन या प्रभावी होने के बाद में किसी प्रश्न पर संबंधित अधीक्षण इंजीनियर का विनिश्चय अन्तिम होगा।



दलनह; ykd fuekzk foHkx l adek ea Bdnkjka ds Jfedka dks vuKs çLkñr
çl fo/kk ds ckjs ea jftLVj dk uewk çk: iA

**SPECIMEN FORM OF THE REGISTER, REGARDING
MATERNITY BENEFIT ADMISSIBLE TO THE CONTRACTOR'S LABOUR
IN CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT WORKS.**

ठेकेदार का नाम और पता

Name and address of the contractor.....

कार्य का नाम और स्थिति

Name and location of the work.....

1. स्त्री का नाम और उसके पति का नाम
Name of the woman and her husband's name.
2. पद नाम
Designation.
3. नियुक्ति की तारीख
Date of appointment.
4. मास और वर्षों सहित वह तारीख जिसको उसे नियुक्त किया गया
Date with months and years in which she is employed.
5. सेवान्मुक्त/पदच्युत किये जाने की तारीख, यदि कोई हो
Date of discharge/dismissal, if any.
6. गर्भ धारण के बाबत प्रमाण पत्र पेश किए जाने की तारीख
Date of production of certificates in respect of pregnancy.
7. वह तारीख जिसको स्त्री प्रत्याशित प्रसव के बारे में इत्तिला देती है
Date on which the woman informs about the expected delivery.
8. प्रसव/गर्भपात/ मृत्यु होने की तारीख
Date of delivery/miscarriage/death
9. प्रसव/गर्भपात/संबंधी प्रमाण पत्र किये जाने की तारीख
Date of production of certificate in respect of delivery/miscarriage.
10. प्रत्याशित प्रसव से पूर्व संदत्त प्रसूति/मृत्यु प्रसुविधा की रकम और उसकी तारीख
Date with the amount of maternity/death benefit paid in advance of expected delivery.
11. प्रसूति प्रसुविधा के पश्चातवर्ती संदाय की रकम और उसकी तारीख
Date with amount of subsequent payment of maternity benefit.
12. स्त्री के मृत्यु के बाद उसकी प्रसूति प्रसुविधा का संदाय प्राप्त करने के लिए उस स्त्री द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति का नाम
Name of the person nominated by the woman to receive the payment of the maternity benefit after her death.
13. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम, जिसको प्रसूति प्रसुविधा की रकम संदत्त की गई, संदाय की तारीख और मास
If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefit amount was paid, the month thereof and the date of payment.
14. रजिस्टर की प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित करते हुए ठेकेदार के हस्ताक्षर
Signature of the contractor authenticating entries in the register.
15. निरीक्षक आफिसर के उपयोग के लिए टिप्पणी स्तम्भ
Remarks column for the use of Inspecting Officer.



Je ck/MZ Labour Board

कार्य का नाम.....

Name of work

टेकेदार का नाम.....

Name of Contractor

टेकेदार का पता.....

Address of Contractor

के० लो० नि० विभाग के मंडल का नाम व पता.....

Name and address of C.P.W.D. Division

के. लो. नि. विभाग के श्रम अधिकारी का नाम

Name of C.P.W.D. Labour Officer

के. लो. नि. विभाग के श्रम अधिकारी का पता.....

Address of C.P.W.D. Labour Officer

श्रम कार्यान्वयन अधिकारी का नाम

Name of Labour Enforcement Officer

श्रम कार्यान्वयन अधिकारी का पता

Address of Labour Enforcement Officer

क्रम संख्या Sl. No.	श्रेणी Category	न्यूनतम निर्धारित मजदूरी Minimum wage fixed	भुगतान की गई वास्तविक मजदूरी Actual wage paid	वर्तमान संख्या Number present	टिप्पणी Remarks

साप्ताहिक छुट्टी

Weekly holiday

मजदूरी की अवधि.....

Wage period

मजदूरी के भुगतान की तारीख

Date of payment of wages

काम के घंटे.....

Working hours

आराम का मध्यान्तर.....

Rest interval



फार्म 13 Form-XIII (कृपया नियम 75 देखें) (See Rule 75)

Register of Workmen Employed by Contractor

ठेकेदार का नाम व पता.....

Name and address of contractor

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है

Name and address of establishment under which contract is carried on

कार्य का स्वरूप व स्थान

Nature and location of work

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता

Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या	मजदूर का नाम	आयु तथा लिंग	पिता/पति का नाम	कार्य का स्वरूप/ पद का नाम	मजदूर का स्थायी गृह पता (गांव व तहसील तालुक और जिला)	स्थानीय पता	नौकरी आरम्भ होने की तारीख	मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	नौकरी से बर्खास्त करने की तारीख	बर्खास्त करने के कारण	टिप्पणी
Sl. No	Name and Surname of workman	Age and Sex	Father's/Husband's name	Nature of employment/ designation	Permanent home address of the workman (Village and Tehsil, Taluk and District)	Local address	Date of commencement of employment	Signature or thumb impression of the workman	Date of termination of employment	Reasons for terminations	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



फार्म 16 Form-XVI (कृपया नियम 78 (2)(क) देखें) (See Rule 78(2)(a))
eLVj jkky Muster Roll

ठेकेदार का नाम व पता.....
 Name and address of contractor
 कार्यालय का नाम और पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
 Name and address of establishment under which contract is carried on
 कार्य का स्वरूप व स्थान.....
 Nature and location of work
 मुख्य नियोजता का नाम व पता..... महीने पक्ष के लिए.....
 Name and address of Principal Employer. For the Month of fortnight

क्र. संख्या Sl. No	मजदूर का नाम Name of Workman	लिंग Sex	पिता/पति का नाम Father's/Husband's name	दिनांक Dates	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	



फार्म 17 Form-XVII (कृपया नियम 78 (2)(क) देखें) (See Rule 78(2)(a))
etnjh jftLVj Register of wages

ठेकेदार का नाम व पता.....

Name and address of contractor

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है

Name and address of establishment under which contract is carried on

कार्य का स्वरूप व स्थान.....

Nature and location of work

मुख्य नियोजता का नाम व पता..... मजदूरी की अवधि: मासिक या पाक्षिक
 Name and address of Principal Employer..... wages Period: Monthly/Fortnight

क्र. संख्या Sl. No.	मजदूर का नाम Name of workman	मजदूरों के रजिस्ट्रर में क्रम संख्या Serial No. in the register of workman	मजदूरों के लिए गए कार्य का स्वरूप/ पदनाम Designation/ nature of work done	जितने दिन कार्य किया No. of days worked	किए गए कार्य के एकक Units of work done	मजदूरी की दर/पीस रेट Daily rate of wages/ piece rate	की गई मजदूरी की रकम Amount of wages earned				वसूली, यदि कोई हो (वसूली का स्वरूप लिखें) Deductions if any (indicate nature)	भुगतान की गई शुद्ध राशि Net amount paid	मजदूर के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान Signature or thumb impression of the workman	ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Initial of contractor or his representative		
							मूल मजदूरी Basic wages	महंगाई भत्ता Dearness allowances	समयोपरि भत्ता Overtime	अन्य नकद भुगतान के स्वरूप लिखें Other cash payments (Indicate nature)					जोड़ Total	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**QkeZ 19/Form-XIX**(कृपया नियम 78(2)(ख) देखें)
[See rule 78 (2)(b)]**etnjh dMZ
Wages Slip**

ठेकेदार का नाम व पता

Name and address of contractor.....

मजदूर का नाम तथा उसके पिता/पति का नाम

Name and Father's/Husband's name of workman.....

कार्य का स्वरूप तथा स्थान का नाम

Nature and location of work.....

सप्ताह/पक्ष/मास के लिए

For the Week/Fortnight/Month ending.....

1. जितने दिन कार्य किया

No. of days worked.....

2. किए गए कार्य के एककों की संख्या (पीस रेट मजदूरों के बारे में)

No. of units worked in case of piece rate workers.....

3. दैनिक मजदूरी की दर/पीस रेट

Rate of dailly wages/piece rate

4. समयोपरि मजदूरी की रकम

Amount of overtime wages.....

5. दी जाने वाली कुल रकम

Gross wages payable.....

6. वसूलियां, यदि कोई हो

Deduction, if any.....

7. दी गई मजदूरी की शुद्ध रकम

Net amount of wages paid.....

ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Initials of the contractor or his representative



QkeZ 14 / Form-XIV
 %dl;k fu; e 76 n\$[k%
 [See rule 76]

jkt xkj dkmZ
Employment Card

टेकेदार का नाम व पता

Name and address of contractor-----

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है

Name and address of establishment under which contract is carried on-----

कार्य का नाम व स्थान

Name of work and location of work-----

मुख्य नियोक्ता का नाम व पता

Name and address of Principal Employer-----

1. मजदूर का नाम

Name of the workman-----

2. लगाये गए मजदूरों के रजिस्टर में क्रम संख्या

Sl. No. in the register of workman employed-----

3. रोजगार/पद का नाम

Nature of employment/designation-----

4. मजदूरी की दर

%hl odZ ds ckja ea , dd ds C; kjk l fgr½

Wage rate (with particulars of unit in case of piece work)-----

5. मजदूरी की अवधि

Wage period-----

6. रोजगार की अवधि

Tenure of employment-----

7. टिप्पणी

Remarks-----

Bcdnkj ds gLrk{kj
 Signature of contractor



फॉर्म 15 Form-XV (कृपया नियम 77 देखें) (See Rule 77)
Idk çek.ki = Service Certificate

ठेकेदार का नाम व पता.....

Name and address of contractor

कार्य का स्वरूप तथा स्थान.....

Nature and location of work

मजदूर का नाम व पता.....

Name and address of workman

आयु अथवा जन्म तिथि.....

Age or date of birth

पहचान चिन्ह.....

Identification marks

पिता / पति का नाम.....

Father's/Husband's name

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है.....

Name and address of establishment in under which contract is carried on

मुख्य नियोक्ता का नाम और पता.....

Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या Sl. No	रोजगार की कुल अवधि Total Period for which employed से From	किए गए कार्य का स्वरूप Nature of Work Done	मजदूरी दर (पीस वर्क के मामले में एकक के ब्योरों सहित) Rate of wages (with particulars of unit in case of piece work)	टिप्पणी Remarks
1	2 3	4	5	6

हस्ताक्षर / Signature



LIST OF ACTS AND OMISSIONS FOR WHICH FINES CAN BE IMPOSED

, d s d k; kã r Fk k Hk ykã d h l p h f t l d s f y, t e k u s f d; s t k l d r s gã

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक विनियमों के नियम 7 (v) के अनुसार कार्य स्थल पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा दोनों में अच्छी तथा स्थानीय भाषा दोनों में अच्छी प्रकार से प्रदर्शित किया जाना।

1. जान बूझ कर अकेले या अन्य के साथ मिल कर अवज्ञा या उल्लंघन।
2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य या सम्पत्ति के अतिरिक्त, ठेकों के संबंध में चोरी धोखाबाजी, बेईमानी करना।
3. घूस या अन्य गैरकानूनी परितोषण लेना या देना।
4. नित्य देर से काम पर आना।
5. शराब पीकर लड़ना, उपद्रवी या बेहंगा या अन्यमनस्क व्यवहार।
6. नित्य लापरवाही।
7. उस क्षेत्रों के आस-पास बीड़ी-सिग्रेट पीना जहां आग पकड़ने वाली या अन्य सामग्री रखी हो।
8. नित्य अनुशासनहीनता।
9. चालू कार्य में अथवा के. लो. नि. वि. या ठेकेदार की संपत्ति को क्षति पहुंचाना।
10. ड्युटी पर सोना।
11. कामचोरी या कार्य को धीरे करना।
12. नाम, आयु, पिता के नाम आदि के बारे में गलत सूचना देना।
13. नियोक्ता द्वारा दिये गये मजदूरी कार्ड को नित्य खो देना।
14. मालिक की उत्पादन की सम्पत्ति का अनधिकृत उपयोग या कार्यस्थल पर अनाधिकृत वस्तुएं बनाना।
15. कुशल कामगारों द्वारा निर्माण तथा अनुरक्षण में अकुशल कारीगरी दिखाना जिसे विभाग स्वीकार नहीं करता जिसके संशोधन के लिये ठेकेदार को बाध्य किया जाता है।
16. गलत शिकायतें लगाना और/या भ्रामक विवरण देना।
17. स्थापनाओं के परिसर के भीतर कोई व्यापार चलाना।
18. कर्मचारियों का अनधिकृत व्यापार कार्य करना।
19. स्थापना के परिसर के भीतर किसी प्रकार का धन एकत्र करना या उसके लिए प्रचार करना जब तक कि मालिक द्वारा अधिकार न दिया गया हो।
20. मालिकों की पूर्व अनुमति के बिना परिसर के भीतर बैठकें बुलाना।
21. परिसर के भीतर कार्य समय के दौरान किसी कामगार या कर्मचारी को डराना या धमकाना।

In accordance with rule 7(v) of the CPWD Contractor's Labour Regulations to be displayed prominently at the site of work both in English and local Language.

1. Wilful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with other.
2. Theft fraud or dishonesty in connection with the contractors beside a business or property of CPWD.
3. Taking or giving bribes or any illegal gratifications
4. Habitual late attendance.
5. Drunkenness lighting, riotous or disorderly or indifferent behaviour
6. Habitual negligence.
7. Smoking near or around the area where combustible or other materials are locked
8. Habitual indiscipline.
9. Causing damage to work in the progress or to property of the CPWD or of the contractor.
10. Sleeping on duty.
11. Malingering or slowing down work.
12. Giving of false information regarding name, age father's name, etc.
13. Habitual loss of wage cards supplied by the employers.
14. Unauthorised use of employer's property of manufacturing or making of unauthorised particles at the work place.
15. Bad workmanship in construction and maintenance by skilled workers which is not approved by the Department and for which the contractors are compelled to undertake rectifications.
16. Making false complaints and/or misleading statements.
17. Engaging on trade within the premises of the establishments.
18. Any unauthorised divulgence of business affairs of the employees.
19. Collection or canvassing for the collection of any money within the premises of an establishment unless authorised by the employer.
20. Holding meeting inside the premises without previous sanction of the employers.
21. Threatening or intimidating any workman or employer during the working hours within the premises.



फार्म 12 Form-XII (कृपया नियम 78(2)घ देखें) (See Rule 78(2) (d))

Register of Fines

ठेकेदार का नाम व पता
 Name and address of contractor
 कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
 Name and address of establishment in under which contract is carried on
 कार्य का स्वरूप व स्थान
 Nature and location of work
 मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
 Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या Sl. No.	मजदूर का नाम Name of workman	पिता/पति का नाम Father's/ Husband's name	नौकरी का स्वरूप/ पदनाम Designation/ nature of employment	वह कार्य/भूल जिसके लिए जुर्माना लगाया गया Act/Omission for which fine imposed	तारीख Date of Offence	क्या कर्मकार ने इस जुर्माने के विरुद्ध कोई कारण बताया है Whether workman showed cause against fine	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी की व्याख्या सुनी गई Name of person in whose presence employee's explanation was heard	मजदूरी की अवधि तथा देय मजदूरी Wage period and wages payable	जुर्माना की राशि Amount of fine imposed	जुर्माना जिस तिथि को समाप्त हुआ Date on which fine realised	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



फार्म 20 Form-XX (कृपया नियम 78(2)घ) देखें) (See Rule 78(2) (d))

{fjr@gkfu dsfy, dVlfrh dlk jftLVj Register of Deduction for Damage or Loss

टेकदार का नाम व पता

Name and address of contractor

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है

Name and address of establishment in under which contract is carred on

कार्य का स्वरूप व स्थान

Nature and location of work

मुख्य नियोजता का नाम व पता

Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या Sl.N.	मजदूर का नाम Name of Workman	पिता/पति का नाम Father's/Husband name	नौकरी का स्वरूप/ पदनाम Designation/ nature of employment	क्षति अथवा हानि का ब्यौरा Particulars of damage or loss	क्षति अथवा हानि की तारीख Date of damage or loss	क्या कर्मकार ने इस कटौती के विरुद्ध कोई कारण बताया है Whether workman showed cause against deduction	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी की व्याख्या सुनी गई name of person in whose presence employee's explanation was heard	लगाई गई कटौती की राशि Amount of deduction imposed	किस्तों की संख्या No. of installments	वसूली की तिथि Date of recovery		टिप्पणी Remarking
										प्रथम किस्त First install- ment	अंतिम किस्त Last instal- ment	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



फार्म 22 Form-XXII (कृपया नियम 78(2)घ देखें) (See Rule 78(2) (d))

vfxe dk jftLVj Register of Advances

ठेकेदार का नाम व पता

Name and address of contractor

कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है

Name and address of establishment in under which contract is carried on

कार्य का स्वरूप व स्थान

Nature and location of work

मुख्य नियोजता का नाम व पता

Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या Sl. No.	मजदूर का नाम Name of workman	पिता/पति का नाम Father's/ Husband name	नौकरी का स्वरूप/ पदनाम Designation/ nature of employment	मजदूरी की अवधि तथा देय मजदूरी Wage Period and wages payable	दिए गए अग्रिम की तिथि तथा राशि Date and amount of advance given	वह प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम दिया गया Purpose(s) for which advance made	किस्तों की संख्या जिनके द्वारा अग्रिम लौटाया जाना है Number of installments by which advance to be repaid	लौटाई गई प्रत्येक किस्त की तिथि तथा राशि Date and amount of each installm- ent repaid	वह तिथि जबकि अन्तिम किस्त लौटाई गई Date and which last installment was repaid	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



फार्म 23 Form-XXIII (कृपया नियम 78(2)(ब) देखें) (See Rule 78(2) (e))

I e; jftLVj Register of Overtime

ठेकेदार का नाम व पता
 Name and address of contractor
 कार्यालय का नाम व पता जिसके अधीन ठेका चल रहा है
 Name and address of establishment in under which contract is carreid on
 कार्य का स्वरूप व स्थान
 Nature and location of work
 मुख्य नियोक्ता का नाम व पता
 Name and address of Principal Employer

क्र. संख्या Sl. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मजदूर का नाम Name of Workman	पिता/पति का नाम Father's/ Husband's name	लिंग Sex	नौकरी का स्वरूप/ पदनाम Designation/ nature of employment	जिन तारीखों को समयोपरि कार्य किया Date on which Overtime worked	कुल समयोपरि कार्य अथवा पीस रेट के मामले में उत्पादन Total overtime worked or production in case of piece rated	मजदूरी की सामान्य दर Normal rate of wages	समयोपरि मजदूरी की दर Overtime rate of wages	समयोपरि कमाई Overtime earning	जिस दर पर समयोपरि मजदूरी दी Rate on which overtime paid	टिप्पणी Remarks	
1												



ifjfk'V - XV
e/; Lfk dh fu; Dr ds fy, ukVI
¼kM 25 dk l nHkZ y½

सेवा में,
 मुख्य अभियंता/अपर महानिदेशक
 अंचल/क्षेत्र

महोदय,

मैं/हम एतद्द्वारा आपको निम्नलिखित विवादों के निपटारे हेतु एक मध्यस्थ नियुक्त करने का नोटिस देता हूँ/देते हैं, जो करार के खंड 25 के अनुसार किया जाएगा और जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

1. आवेदक का नाम:
2. क्या आवेदक व्यक्ति/प्रोपराइटी फर्म/पार्टनरशिप फर्म/लिमिटेड कंपनी है:
3. आवेदक का पूरा पता:
4. उस निर्माण कार्य का नाम और संविदा की संख्या जिसमें माध्यस्थता की आवश्यकता है:
5. उस मंडल का नाम जिससे ठेका किया गया है:
6. निर्माण कार्य में संविदा की राशि:
7. संविदा की तारीख:
8. निर्माण कार्य आरंभ करने की तारीख:
9. निर्माण कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख:
10. निर्माण कार्य पूरा होने की वास्तविक तारीख (यदि पूरा हो गया है):
11. किए गए दावों की कुल संख्या:
12. दावा की गई कुल राशि:
13. अंतिम बिल की सूचना की तारीख (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
14. अंतिम बिल के भुगतान की तारीख (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
15. अंतिम बिल की राशि (यदि कार्य पूरा हो गया हो):
16. निर्णय हेतु अधीक्षण अभियंता से किए गए अनुरोध की तारीख:
17. अधीक्षण अभियंता का निर्णय प्राप्त होने की तारीख:
18. आपसे की गई अपील की तारीख:
19. आपका निर्णय प्राप्त होने की तारीख:

आवेदक के नमूना हस्ताक्षर

(केवल वही व्यक्ति/प्राधिकारी हस्ताक्षर करे जिसने संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं)

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं:-

1. राशि के दावों सहित दावों की विवरणी
- 2.
- 3.
- 4.

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि डुप्लीकेट में:-

1. कार्यपालक अभियंता
मंडल



APPENDIX XV
Notice for appointment of Arbitrator
[Refer Clause 25]

To

The Chief Engineer/ADG/DGW
 (Zone or Region)

Dear Sir,

In terms of clause 25 of the agreement, particulars of which are given below, I/we hereby give notice to you to appoint an arbitrator for settlement of disputes mentioned below:

1. Name of applicant
2. Whether applicant is Individual/Prop. Firm/Partnership Firm/Ltd. Co.
3. Full address of the applicant
4. Name of the work and contract number in which arbitration sought
5. Name of the Division which entered into contract
6. Contract amount in the work
7. Date of contract
8. Date of initiation of work
9. Stipulated date of completion of work
10. Actual date of completion of work (if completed)
11. Total number of claims made
12. Total amount claimed
13. Date of intimation of final bill (if work is completed)
14. Date of payment of final bill (if work is completed)
15. Amount of final bill (if work is completed)
16. Date of request made to SE for decision
17. Date of receipt of SE's decision
18. Date of appeal to you
19. Date of receipt of your decision.

Specimen signatures of the applicant
 (only the person/authority who
 signed the contract should sign)

I/We certify that the information given above is true to the best of my/our knowledge. I/We enclose following documents.

1. Statement of claims with amount of claims.
- 2.
- 3.
- 4.

Yours faithfully,


(Signatures)

Copy in duplicate to:


1. The Executive Engineer,
Division.



SKETCH OF CEMENT GODOWN



SECTION AB



ALL DIMENSIONS IN MM

PLAN

TOTAL QUANTITY OF CEMENT IN THE GODOWN 30 TONNES



Form of Earnest Money Deposit

Bank Guarantee Bond

WHEREAS, contractor..... (Name of contractor) (hereinafter called "the contractor") has submitted his tender dated (date) for the construction of (name of work) (hereinafter called "the Tender")

KNOW ALL PEOPLE by these presents that we (name of bank) having our registered office at (hereinafter called "the Bank") are bound unto (Name and division of Executive Engineer) (hereinafter called "the Engineer-in-Charge") in the sum of Rs. (Rs. in words) for which payment well and truly to be made to the said Engineer-in-Charge the Bank binds itself, his successors and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this day of 20... . THE CONDITIONS of this obligation are:

- (1) If after tender opening the Contractor withdraws, his tender during the period of validity of tender (including extended validity of tender) specified in the Form of Tender;
- (2) If the contractor having been notified of the acceptance of his tender by the Engineer-in-Charge:
 - (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to contractor, if required;

OR

- (b) fails or refuses to furnish the Performance Guarantee, in accordance with the provisions of tender document and Instructions to contractor,

We undertake to pay to the Engineer-in-Charge either up to the above amount or part thereof upon receipt of his first written demand, without the Engineer-in-Charge having to substantiate his demand, provided that in his demand the Engineer-in-Charge will note that the amount claimed by his is due to him owing to the occurrence of one or any of the above conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date* after the deadline for submission of tender as such deadline is stated in the Instructions to contractor or as it may be extended by the Engineer-in-Charge, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE

SIGNATURE OF THE BANK

WITNESS

SEAL

(SIGNATURE, NAME AND ADDRESS)

*Date to be worked out on the basis of validity period of 6 months from last date of receipt of tender.



c; kuk êku jkf'k tek QkeZ cfd xkj/h cak i =

जबकि ठेकेदार(ठेकेदार का नाम) (इसके बाद 'ठेकेदार' के रूप में उल्लेख किया जायेगा) ने .
..... के निर्माण के लिए (कार्य का नाम) (इसके बाद 'निविदा' के रूप में उल्लेख किया जायेगा) दिनांक(तारीख) को अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

इन प्रस्तुतियों से सभी व्यक्तियों को जानता हूँ कि हम (बैंक का नाम) अपनेस्थित (इसके बाद 'बैंक' के रूप में उल्लेख किया जायेगा) पंजीकृत कार्यालय के माध्यम सेरु. (शब्दों में.....) की राशि (कार्यपालक अभियंता का नाम तथा मंडल) (इसके बाद 'प्रभारी अभियंता' के रूप में उल्लेख किया जायेगा) से बंधे हुए है जिसके लिए उक्त प्रभारी अभियंता को भुगतान किया जायेगा और किया जाना है, बैंक अपने आप को इन प्रस्तुतियों के द्वारा अपने उत्तराधिकारियों और कार्यों से बंधे है।

उक्त बैंक की सामान्य सील के साथ आज तारीख..... वर्ष..... को सील किया गया।

इस बाध्यता की शर्तें इस प्रकार हैं

1. यदि निविदा खुलने के बाद ठेकेदार निविदा फॉर्म में निर्दिष्ट निविदा की वैधता की अवधि (निविदा की बढ़ाई हुई वैधता सहित) के दौरान अपनी निविदा वापस लेता है;
2. यदि ठेकेदार प्रभारी अभियंता द्वारा अपनी निविदा की स्वीकृति को अधिसूचित कर दिये जाने के बाद:

(क) आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदार अनुदेशों के अनुरूप करार करने में असफल होता है अथवा इनकार करता है;

अथवा

(ख) निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों तथा ठेकेदार को अनुदेशों के अनुरूप कार्य निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में असफल होता है अथवा इनकार करता है;

हम प्रभारी अभियंता को प्रभारी अभियंता द्वारा उनकी मांग की पुष्टि किये बिना उनके प्रथम लिखित मांग के प्राप्त होने पर या तो उपर्युक्त राशि अथवा उसका हिस्सा का भुगतान करने का वचन देते हैं बशर्त कि अपनी मांग में प्रभारी अभियंता यह उल्लेख करे कि यह उनके द्वारा मांगी गई राशि की गई अथवा शर्तों का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक शर्त अथवा कोई भी शर्त के होने के कारण उन्हें देय है।

यह गारंटी निविदा को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय जैसा कि ठेकेदार को दिये गये अनुदेशों में निर्धारित समय का उल्लेख किया गया है अथवा प्रभारी अभियंता द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा तक, बैंक को बढ़ाई गई समय क सूचना एतद द्वारा माफ की जाती है, के बाद तारीख.....सहित और तक लागू रहेगी। इस गारंटी के संबंध में कोई मांग उपर्युक्त तारीख के बाद बैंक नहीं पहुंचना चाहिए।

तारीख:

बैंक का हस्ताक्षर

गवाह:

सील

(हस्ताक्षर, नाम और पता)

*निविदा के प्राप्त होने के अन्तिम तिथि से 6 महीने की वैधता अवधि के आधार पर तिथि का निर्धारण किया जायेगा।



Form of Performance Security (Guarantee)

Bank Guarantee Bond

In consideration of the President of India (hereinafter called "The Government") having offered to accept the terms and conditions of the proposed agreement between.....and..... (hereinafter called "the said Contractor(s)") for the work..... (hereinafter called "the said agreement") having agreed to production of an irrevocable Bank Guarantee for Rs. (Rupees only) as a security/guarantee from the contractor(s) for compliance of his obligations in accordance with the terms and conditions in the said agreement.

1. We, (hereinafter referred to as "the Bank") hereby undertake to pay to the Government an amount not exceeding Rs. (Rupees..... Only) on demand by the Government.
2. We,(indicate the name of the Bank) do hereby undertake to pay the amounts due and payable under this guarantee without any demure, merely on a demand from the Government stating that the amount claimed as required to meet the recoveries due or likely to be due from the said contractor(s). Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the bank under this Guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. (Rupeesonly)
3. We, the said bank further undertake to pay the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the contractor(s) in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the Contractor(s) shall have no claim against us for making such payment.
4. We, (indicate the name of the Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till Engineer-in- Charge on behalf of the Government certified that the terms and conditions of the said agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor(s) and accordingly discharges this guarantee.
5. We, (indicate the name of the Bank) further agree with the Government that the Government shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said agreement or to extend time of performance by the said Contractor(s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said contractor(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor(s) or for any forbearance, act of omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said Contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.
6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor(s).
7. We, (indicate the name of the Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the Government in writing.
8. This guarantee shall be valid up tounless extended on demand by the Government. Notwithstanding anything mentioned above, our liability against this guarantee is restricted to Rs. (Rupees) and unless a claim in writing is lodged with us within six months of the date of expiry or the extended date of expiry of this guarantee all our liabilities under this guarantee shall stand discharged.

Dated theday offor.....(indicate the name of the Bank)



fu"iknu çfrHkfr dk QkZ cfd xkj/h çak i =

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'सरकार' कहा गया है) और (जिन्हें इसमें इसके बाद 'उक्त ठेकेदार' कहा गया है) के बीच कार्य के लिए तारीख को हुए करार सं. (जिसे इसमें इसके बाद 'उक्त ठेकेदार' कहा गया है) के निबंधनों और शर्तों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त ठेकेदार द्वारा उक्त करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार अपनी बाध्यताओं का पालन करने के लिए ठेकेदार से प्रतिभूति/ गारंटी के रूप में रु. (रूपये केवल) की अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने को सहमत हो गया है।

- हम (बैंक के नाम का उल्लेख) (जिसे इसमें इसके बाद 'बैंक' कहा गया है) इसके बाद 'बैंक' कहा गया है) इसके द्वारा सरकार को वचन देते हैं कि सरकार द्वारा मांगे जाने पर, रु. (रूपये केवल) से अनधिक राशि अदा करेंगे।
- हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा यह वचन देते हैं कि जब भी सरकार इस गारंटी के अधीन, उस देय किसी राशि की अदायगी के लिए किंचित् मात्र भी यह कहेगी कि उसे उक्त ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा उक्त करार की किसी शर्त कर भंग किए जाने पर या उक्त करार का निर्वाह न किए जाने के कारण सरकार को जो हानि या क्षति हुई है या उठानी पड़ी है या होगी या उठानी पड़ेगी उसके कारण यह राशि मांगी जा रही है, इस गारंटी के अधीन उसे इस प्रकार देय राशि का भुगतान बिना किसी झिझक के अविलम्ब करेंगे। बैंक से की गई ऐसी कोई मांग इस गारंटी के अधीन बैंक द्वारा देय और अदायगी योग्य राशि के संबंध में अंतिम और निर्णायक होगी। तथापि इस गारंटी के अधीन हमारी देयता से अनधिक राशि तक सीमित रहेगी।
- हम, उक्त बैंक, सरकार को यह भी वचन देते हैं कि ठेकेदार (ठेकेदारों) संभरक (संभरकों) के किन्हीं विवाद या विवादों के संदर्भ में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के सक्षम लम्बित किसी वाद या कार्यवाही के बावजूद भी इस प्रकार मांग किया गया धन हम सरकार को अदा करेंगे जिसके संबंध में इस विलेख के अधीन हमारी देयता अंतिम और असंदिग्ध है। हमारे द्वारा इस बंधपत्र के अधीन किया गया भुगतान वैध उनमोचन होगा और इस प्रकार किए गए भुगतान के लिए हमारे विरुद्ध ठेकेदार का किसी प्रकार का दावा नहीं होगा।
- हम (बैंक का नाम लिखिए) यह भी करार करते हैं कि इसमें अंतर्विष्ट प्रत्याभूति उस समय तक पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी जब तक कि उक्त करार निष्पादित नहीं हो जाता और यहीं नहीं यह गारंटी तब तक प्रवर्तनीय बनी रहेगी जब तक कि उक्त करार के अधीन या उसके फलस्वरूप सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान सरकार को पूरी तरह नहीं कर दिया जाता या इस संबंध में सरकार द्वारा मांगी गई राशि चुकता नहीं कर दी जाती या सरकार के दावे निपटा नहीं दिए जाते या तब तक कार्यालय/ विभाग/ मंत्रालय यह प्रमाणित नहीं कर देता कि उक्त ठेकेदार (ठेकेदारों) ने उक्त करार की शर्तों को पूर्णतः और यथोचित रूप से पूरा किया है और तदनुसार उसे/ उन्हें इस गारंटी से मुक्त किया जाता है। यदि इस गारंटी के अधीन को या उससे पहले लिखित रूप में हानि या क्षति की पूर्ति की मांग नहीं की जाती या कोई दावा नहीं किया जाता है तो हम उसके बाद इस गारंटी की अपनी समस्त देयताओं से निर्मुक्त हो जायेंगे।
- हम (बैंक का नाम लिखें) सरकार से इस बात पर सहमत हैं कि सरकार को समय-समय पर हमारी सहमति के बिना और इस गारंटी बंध पत्र के अधीन हमारी देयताओं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त करार की किसी शर्त को बदलने या उक्त ठेकेदार (ठेकेदारों) के ठेके की मियाद बढ़ाने या उक्त ठेकेदार (ठेकेदारों) के संबंध में सरकार को जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उन्हें समय-समय पर या किसी निश्चित अवधि तक स्थगित करने और उक्त करार की किसी भी शर्त को हटाने या लागू करने की पूरी छूट होगी और इस प्रकार कोई शर्त बदले जाने से या उक्त ठेकेदार (ठेकेदारों) को अधिक समय दिए जाने से या कोई शर्त हटाये जाने से या सरकार की किसी भूल चूक के कारण या उक्त ठेकेदार (ठेकेदारों) को सरकार द्वारा ऐसी कोई डील दिए जाने से, या प्रतिभूतियों के संबंध में लागू होने वाले कानून के अधीन ऐसी कोई बात या चीज किए जाने से, इस उपबंध के न होने की स्थिति में हम इस प्रकार अपनी देयताओं से मुक्त हो गए होते, हम अपनी देयताओं से मुक्त नहीं होंगे।
- यह गारंटी बैंक या ठेकेदार (ठेकेदारों) के संगठन में हुए परिवर्तन के कारण उन्मोचित नहीं होगी।
- हम अंत में यह वचन देते हैं कि हम सरकार से लिखित पूर्वानुमति लिए बिना इस गारंटी को उसके प्रवृत्त रहने की अवधि में प्रतिसंहत नहीं करेंगे।
- जब तक सरकार द्वारा इस मांग पर बढ़ाया न जाए यह गारंटी तक विधिमान्य होगी। उपर्युक्त के होते हुए भी इस गारंटी के विरुद्ध उपलब्धता रु. (रु. मात्र) तक सीमित है और जब तक कि इस गारंटी के अवसान की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर हमारे पास कोई दावा नहीं भेजा जाता इस गारंटी के अधीन हमारी सभी देयताएँ उन्मोचित हो जाएंगी।

तारीख के की को (बैंक का नाम लिखिए) बैंक के लिए।



PROFORMA OF SCHEDULES

(Separate Performa for Civil, Elect. & Hort. Works in case of Composite Tenders)
(Operative Schedules to be supplied separately to each intending tenderer)

SCHEDULE 'A'

Schedule of quantities (as per PWD-3)

SCHEDULE 'B'

Schedule of materials to be issued to the contractor.

S.No.	Description of item	Quantity	Rates in figures & words at which the material will be charged to the contractor	Place of Issue
1	2	3	4	5

SCHEDULE 'C'

Tools and plants to be hired to the contractor

Sl.No.	Description	Hire charges per day	Place of Issue
1	2	3	4

SCHEDULE 'D'

Extra schedule for specific requirements/document for the work, if any.

SCHEDULE 'E'

Reference to General Conditions of contract.

Name of work:

Estimated cost of work: Rs.

(i) Earnest money: Rs. (to be returned after receiving performance guarantee)

(ii) Performance Guarantee : 5% of tendered value.

(iii) Security Deposit : 2.5% of tendered value.

or

2.5% of tendered value plus 50% of PG for contracts involving maintenance of the building and services/ other work after construction of same building and services/ other work.

**वृद्धि; का दर: i**

(प्रत्येक पुनः निविदा देने वाले निविदाकार को प्रभावी अनुसूचियां प्रथमतः दी जाएगी)

वृद्धि ^d*

मात्राओं की अनुसूची (लोक निर्माण विभाग-3 फार्म के अनुसार)

वृद्धि ^[k*

ठेकेदार को निर्गत की जाने वाली सामग्रियों की अनुसूची

क्रम सं.	मद विवरण	मात्रा	जिस दर पर सामग्रियां ठेकेदार को प्रभारित होगी वह दर अंकों एवं शब्दों में	निर्गत स्थान
1	2	3	4	5

वृद्धि ^x*

ठेकेदार को भाड़े पर दिए जाने वाले औजार एवं संयंत्र

क्रम सं.	विवरण	भाड़ा प्रभार प्रतिदिन	निर्गत स्थान
1	2	3	4

वृद्धि ^?k*

कार्य के लिए विशेष अपेक्षाएं/दस्तावेज, यदि कोई हों/ की अतिरिक्त अनुसूची।

वृद्धि ^3*

ठेके की सामान्य शर्तों का संदर्भ

कार्य का नाम.....

कार्य की अनुमानित लागत रु.....

- (i) धरोहर राशि रु..... (निष्पादन प्रतिभूति के जमा के बाद लौटा दी जाएगी)
- (ii) निष्पादन गारंटी निविदित्त मूल्य का 5 प्रतिशत
- (iii) प्रतिभूत निक्षेप निविदित्त मूल्य का 2.5 प्रतिशत

अथवा

निविदित्त मूल्य का 2.5 प्रतिशत एवम् निष्पादन गारंटी का 50 प्रतिशत उन ठेके के लिए जिसमें भवन एवम् सेवाओं/अन्य कार्य के निर्माण के बाद उस भवन एवम् सेवाओं/अन्य कार्य का अनुरक्षण भी शामिल हो।



SCHEDULE 'F'

GENERAL RULES : Officer inviting tender
 & DIRECTIONS

Maximum percentage for quantity of items of work to be executed beyond which rates are to be determined in accordance with Clauses 12.2 & 12.3. See below

Definitions:

- 2(v) Engineer-in-Charge
- 2(viii) Accepting Authority
- 2(x) Percentage on cost of materials and labour to cover all overheads and profits. 15%
- 2(xi) Standard Schedule of Rates
- 2(xii) Department
- 9(ii) Standard CPWD contract Form GCC 2014, CPWD Form 7/ 8 as modified & corrected upto

Clause 1

- (i) Time allowed for submission of Performance Guarantee from the date of issue of letter of acceptancedays
- (ii) Maximum allowable extension with late fee @ 0.1% per day of Performance Guarantee amount beyond the period provided in (i) above
 *** days*
 *** (1 to 15 days to be filled by NIT approving authority)

Clause 2

Authority for fixing compensation under clause 2.

Clause 2A

Whether Clause 2A shall be applicable Yes / No

Clause 5

Number of days from the date of issue of letter of acceptance for reckoning date of startdays

Mile stone(s) as per table given below:-

Sl No.	Description of Milestone (Physical)	Time Allowed in days (from date of start)	Amount to be with-held in case of non achievement of milestone
1.			
2.			
3.			
4			

Time allowed for execution of work.

Authority to decide:

- (i) Extension of time (Engineer in Charge or Engineer in Charge of Major Component in case of Composite Contracts, as the case may be)
- (ii) Rescheduling of mile stones (Superintending Engineer in Charge or Superintending Engineer in Charge of Major Component in case of Composite Contracts, as the case may be)
- (iii) Shifting of date of start in case of delay in handing over of site (Superintending Engineer in Charge or Superintending Engineer in Charge of Major Component in case of Composite Contracts, as the case may be)



वृत्त पत्र *

सामान्य नियम

एवं

दिशानिर्देश

निविदा आमंत्रण करने वाला प्राधिकारी.....

कार्य की मदों की मात्रा के लिए अधिकतम प्रतिशत

जिससे अधिक निष्पादित मदों के लिए दरों का

निर्धारण खण्ड 12.2 और 12.3 के अनुसार होगा

निम्नानुसार

i f j H k k k , %

2(v) भारसाधक इंजीनियर

2(viii) स्वीकारकर्ता प्राधिकारी

2(x) अतिरिक्त और लाभों को पूरा करने के लिए

सामग्रियों की लागत पर प्रतिशतता

15 प्रतिशत

2(xi) दरों की मानक अनुसूची

2(xii) विभाग

9(ii) मानक के. लो. नि. वि. ठेका फार्म

.....तक संशोधित और शोधित के.लो.नि.वि. फार्म 7/8

[k.M&1

(i) स्वीकृती पत्र जारी होने की तारीख से निष्पादन

गारंटी के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुमत समय,

.....दिन

(ii) उपर्युक्त (i) में दी गई अवधि से आगे कार्यनिष्पादन

गारंटी राशि का 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से

विलंब शुल्क के साथ अधिकतम अनुमेय विस्तार

.....**.....दिन

**(1 से 15 दिन – निविदा अनुमोदन अधिकारी द्वारा भरा जाए)

[k.M&2

खण्ड 2 के तहत प्रतिकर निश्चित करने वाला प्राधिकारी

.....

[k.M&2d

क्या खण्ड 2क लागू होगा

हाँ/ नहीं

[k.M&5

कार्य आरम्भ की तारीख की गणना के लिए स्वीकृति

पत्र के जारी होने की तारीख से दिनों की संख्या

.....दिन

लक्ष्य (मील-पत्थर) नीचे दी गई सारणी के अनुसार

क्रम सं.	लक्ष्य का विवरण (वास्तविक)	अनुमत्य समय, दिनों में (कार्य आरम्भ की तारीख से)	लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में रोकी जाने वाली राशि
1.			
2.			
3.			
4.			

कार्य निष्पादित करने के लिए अनुमत्य समय

fu. k k d i k f / k d k j h

(1) समय विस्तार (प्रभारी अभियंता या संयुक्त संविदा के मामले में कार्य के मुख्य हिस्से के प्रभारी अभियंता, जैसा भी मामला हो।)

(2) उपलब्धियों का पुनः अनुसूचिकरण (प्रभारी अधीक्षण अभियंता, या संयुक्त संविदा के मामले में कार्य के बड़े अवयव के प्रभारी अधीक्षण अभियंता, जैसा भी मामला हो।)

(3) कार्य स्थल उपलब्ध कराने में देरी के कारण हेतु कार्य आरम्भ की तिथि में परिवर्तन (प्रभारी अधीक्षण अभियंता, या संयुक्त संविदा के मामले में कार्य के बड़े अवयव के प्रभारी अधीक्षण अभियंता, जैसा भी मामला हो।)



Clause 6, 6A

Clause applicable - (6 or 6A)

Clause 7

Gross work to be done together with net payment /adjustment of advances for material collected, if any, since the last such payment for being eligible to interim payment Rs.

Clause 10A

List of testing equipment to be provided by the contractor at site lab.

- 1. 2. 3.
- 4. 5. 6.

Clause 10B(ii)

Whether Clause 10 B (ii) shall be applicable Yes/No

Clause 10C

Component of labour expressed as percent of value of work =%

Clause 10CA

S.N.	Materials Covered under this clause:	Nearest Materials (other than cement*, reinforcement bars, the structural steel and POL) for which All India Wholesale Price Index to be followed:	Base Price and its corresponding period of all the Materials covered under clause 10 CA*
1			
2			
3			
4			

* includes Cement component used in RMC brought at site from outside approved RMC plants, if any.

** Base price and its corresponding period of all the materials covered under clause 10 CA is to be mentioned at the time of approval of NIT. In case of recall of tenders, the base price may be modified by adopting latest base price and its corresponding period.

Clause 10CC

Clause 10 CC to be applicable in contracts with stipulated period of completion exceeding the period shown in next column months

Schedule of component of other Materials, Labour etc. for price escalation.

Component of civil (except materials covered under clause 10CA) /Electrical construction value of work. - Xm %

Component of Labour - expressed as percent of total value of work. Y %

Note : Xm.....% should be equal to (100) - (materials covered under clause 10CA i.e. Cement, Steel, POL and other material specified in clause 10CA + Component of Labour)



[k.M 6] 6 d

[k.M ykx&1/6 ; k 6 d1/2

[k.M&7

अंतरिम भुगतान के लिए पात्र होने के लिए अंतिम ऐसे भुगतान के बाद कुल भुगतान एकत्रित सामग्रियों के अग्रिमों के समायोजन सहित किया जाने वाला कुल कार्य

[k.M 10 d

कार्यस्थल प्रयोगशाला में टेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये जाने परीक्षण उपकरणों की सूची

- 1 2. 3.
4. 5. 6.

[k.M&10 [k 1/2i1/2

क्या खण्ड 10 ख (ii) लागू होगाहाँ / नहीं

[k.M&10 x

श्रम घटक को कार्य के मूल्य के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है।

[k.M&10 1/2d1/2

	इस खण्ड में प्रावधित सामग्री	सामग्री (सीमेंट*, प्रबलन छड़ें, पी ओ एल तथा ढांचागत स्टील के सिवाय) जो अखिल भारतीय थोकमूल्य सूचकांक के सर्वाधिक अनुरूप है	खण्ड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट सभी सामग्रियों की मूल कीमतें एवम् उसकी समतुल्य अवधि**
1.
2.
3.
4.

* बाहर के अनुमोदित आरएमसी सयंत्रों, यदि कोई हो, से कार्यस्थल पर लाए गए आरएमसी में प्रयुक्त सीमेंट संघटक शामिल हैं।

** खंड 10 ग क के अंतर्गत समाविष्ट सभी सामग्रियों की मूल कीमतों एवम् उसकी समतुल्य अवधि का वर्णन एन आई टी के अनुमोदन के समय किया जाना है। यदि निविदाए पुनः आमंत्रित की जाती हैं तो मूल कीमतों को नवीनतम आधार मूल्यों एवम् उसकी समतुल्य अवधि के अनुसार बदली जाए।

[k.M&10 xx

खण्ड 10 गग उन संविदाओं पर लागू होगा जिसमें कार्य समापन की अवधि,

अगले कालम में दर्शाई गई अवधि से अधिक अनुबंधित है।

मूल्य वृद्धि के लिए अन्य सामग्री, श्रम आदि के घटकों की अनुसूची।

निर्माण कार्य सामग्री के लिए सिविल घटक (खंड 10 ग क के अंतर्गत शामिल सामग्रियों को छोड़कर)

वैद्युत कार्य घटक कार्य में कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित

श्रम के घटक

कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित

.....महीने

Xm%

Y%

नोट: Xm प्रतिशत = 100 - (10 ग क के अंतर्गत आने वाली सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील, पी ओ एल एवम् अन्य सामग्री + श्रम के घटक)



Clause 11

Specifications to be followed
for execution of work

Clause 12

Type of work *** _____

***To be filled by NIT approving authority either Project and original work or Maintenance works including works of upgradation, aesthetic, special repair, addition/ alteration in buildings.

The items related to road work like upgradation/ improvement of footpath & central verge, improvement of carriage way by patch repair or annual/periodical repairs of road surface and A/R & M/O works pertaining to road shall be treated as maintenance work.

New road construction works and the strengthening of road surface shall be considered as original works.

12.2 & 12.3 Deviation Limit beyond which clauses
12.2 & 12.3 shall apply for building work

- 12.5 (i) Deviation Limit beyond which clauses
12.2 & 12.3 shall apply for foundation
work (except items mentioned in earth work
subhead in DSR and related items)
- (ii) Deviation Limit for items mentioned in earth
work subhead of DSR and related items

Clause 16

Competent Authority for
deciding reduced rates.

Clause 18

List of mandatory machinery, tools & plants to be deployed by the contractor at site:-

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |
| 7. | 8. | 9. |

Clause 25

Constitution of Dispute Redressal Committee (DRC)

Chairman -

Member -

Member -



कार्य निष्पादन के लिए अनुपालन
किए जाने वाले विनिर्देश

[k.M&12

dk; Z dk i d kj -----**

** fufonk vupknu vf/kdkjh }kjk Hkou dk; Z dk çdkj ; k rks i fj ; kstuk , oaemy fuekZk dk; Z vFkok vuj{k.k dk; Z ft l ea mlu; u] l kñ; j fo'ksk ejEer] tkMuk@cnyuk ds dk; Z Hkh 'kkfey gkx} Hkj k tk, A

l Md dk; Z ea Qy i kFk] e/; i VVh ds mlu; u dk; j l Md ds i ðUnh dk; Z rFkk okf'kd @ i kf{k d dk; Z vFkok okf'kd ejEer , oe-vuj{k.k ds dk; Z dks vuj{k.k dk; Z Hkj k tk, A tcf d ubZ l Md rFkk l Md ds l qf < dj .k dk; Z dks emy fuekZk dk; Z ekuk tk, xkA

12.2 विचलन सीमा, जिसके परे खंड 12.2 तथा
तथा 12.3 12.3 भवन निर्माण कार्य के लिए लागू होंगे

12.5 (क) विचलन सीमा, जिसके परे खण्ड 12.2 तथा
12.3 नीव कार्य (दिल्ली दर अनुसूची में मिट्टी कार्यो
के उपशीर्ष तथा उससे संबंधित मदों के अलावा) के लिए लागू होंगे.....

(ख) विचलन सीमा, जिसके परे खण्ड 12.2 तथा
12.3 दिल्ली दर अनुसूची में मिट्टी कार्यो
के उपशीर्ष में मदों तथा उससे संबंधित मदों
के लिए लागू होंगे

[k.M&16

घटी हुई दरें निर्धारित करने के
लिए समक्ष प्राधिकारी

[kM& 18

कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाली अनिवार्य मशीनरी, औजार एवं सयंत्रों की सूची

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |
| 7. | 8. | 9. |

[kM& 25

विवाद निवारण समिति का गठन

- (क) अध्यक्ष
- (ख) सदस्य
- (ग) सदस्य



Clause 36 (i)

Requirement of Technical Representative(s) and recovery Rate

Sl No.	Minimum Qualification of Technical Representative	Discipline	Designation (Principal Technical /Technical representative)	Minimum Experience	Number	Rate at which recovery shall be made from the contractor in the event of not fulfilling provision of clause 36(i)	
						Figures	Words
1.							
2.							
3.							
4							
5							

Assistant Engineers retired from Government services that are holding Diploma will be treated at par with Graduate Engineers.

Diploma holder with minimum 10 year relevant experience with a reputed construction co. can be treated at par with Graduate Engineers for the purpose of such deployment subject to the condition that such diploma holders should not exceed 50% of requirement of degree engineers.

Clause 42

- (i) (a) Schedule/statement for determining theoretical quantity of cement & bitumen on the basis of Delhi Schedule of Rates printed by C.P.W.D.
- (ii) Variations permissible on theoretical quantities:
 - (a) Cement
 - For works with estimated cost put to tender not more than Rs. 5 lakh. 3% plus/minus.
 - For works with estimated cost put to tender more than Rs.5 lakh. 2% plus/minus.
 - (b) Bitumen All Works 2.5% plus & only & nil on minus side.
 - (c) Steel Reinforcement and structural steel sections for each diameter, section and category 2% plus/minus
 - (d) All other materials. Nil

RECOVERY RATES FOR QUANTITIES BEYOND PERMISSIBLE VARIATION

Sl No.	Description of Item	Rates in figures and words at which recovery shall be made from the Contractor	
		Excess beyond permissible variation	Less use beyond permissible variation
1.	Cement		
2.	Steel reinforcement		
3.	Structural Sections		
4.	Bitumen issued free		
5.	Bitumen issued at stipulated fixed price		

**[k.M&36 1/2 rduhdh çrfuf/k ¼ k¼ dh vko' ; drk rFk ol yjh dh nj**

क्रम संख्या	तकनीकी प्रतिनिधि की न्यूनतम योग्यता	दिवि	पदनाम (प्रमुख तकनीकी / तकनीकी प्रतिनिधि)	न्यूनतम अनुभव	संख्या	खण्ड 36 (1) के प्रावधानों को पूरा न किए जाने की स्थिति में ठेकेदार से की जाने वाली वसूली की दर	
						अंको में	शब्दों में
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त वे सहायक इंजीनियर जो डिप्लोमाधारक हों, ग्रेजुएट इंजीनियर के बराबर माने जाएंगे। डिप्लोमाधारक इंजीनियर को प्रतिष्ठित निर्माण कम्पनी में कम से कम दस साल के उपयुक्त अनुभव होने की दशा में ग्रेजुएट इंजीनियर के बराबर माने जाएंगा परंतु ऐसे डिप्लोमाधारक इंजीनियर ग्रेजुएट इंजीनियर की तैनाती की आवश्यकता के पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

[k.M&42

- (i) (क) के. लो. नि. वि. द्वारा मुद्रित दिल्ली दर अनुसूची क आधार पर सीमेंट और बिटुमन की अनुमानमूल मात्रा निर्धारित करने के लिए अनुसूची विवरण
- (ii) अनुमानमूलक मात्राओं में अनुमत्य विचलन
- (क) सीमेंट जिन कार्यों के लिए निविदा में अनुमानित मूल्य रु. 5 लाख से अधिक न हो 3 प्रतिशत अधिक / कम
- जिन कार्यों के लिए निविदा में अनुमानित मूल्य रु. 5 लाख से अधिक हो 2 प्रतिशत अधिक / कम
- (ख) बिटुमन सभी कार्यों के लिए 2.5 प्रतिशत केवल अधिक और कम के पक्ष में शून्य
- (ग) इस्पात प्रत्येक व्यास, कोट और श्रेणी के लिए पुनर्बलन और संरचनात्मक इस्पात काट 2 प्रतिशत अधिक / कम
- (घ) सभी अन्य सामग्रियां शून्य

vupR; fopyu l svf/kd dh ek=kvkdsfy, ol yjh nja

क्रम सं.	मद विवरण	अंको और शब्दों में वह दर जिस पर ठेकेदार से वसूली की जाएगी	
		अनुमत्य विचलन से अधिक आधिक्य	अनुमत्य विचलन से अधिक उपयोग घटाया
1.	सीमेंट		
2.	इस्पात पुनर्बलन		
3.	संरचनात्मक काट		
4.	निःशुल्क निर्गत बिटुमन		
5.	निर्धारित निश्चित कीमत पर निर्गत बिटुमन		



Annexure to clause 34 (x) showing quantities of materials for areas of surfacing to be considered for working out minimum period for which hire charges of road roller are to be recovered

Sl.No.	Material of surfacing	Quantity or areas
1.	निचली तह की मिट्टी की कुटाई Consolidation of earth subgrade	1860 वर्ग मी. 1860 Sq.m
2.	15 से.मी. से 22.5 से.मी. मोटी पत्थर की सोलिंग की कुटाई Consolidation of stones soling 15 cm. to 22.5 cm thick	170 घन मी. 170 Cu.m.
3.	10 से.मी. से 20 से.मी. मोटी ईट की सोलिंग की कुटाई Consolidation of brick soling 10 cm. to 20 cm. thick	230 घन मी. 230 Cu.m.
4.	पत्थर के मिलावे की 7.5 से.मी. से 11.5 से.मी. तक मोटी ऊपरी तह की कुटाई Consolidation of wearing coat of stone ballast 7.5 cm to 11.5 cm thick	30 घन मी. 30 Cu.m.
5.	ईट के मिलावे की 10 से.मी. मोटी ऊपरी तह की कुटाई Consolidation of wearing coat of brick ballast 10 cm. thick	60 घन मी. 60 Cu.m.
6.	लाल बजरी की 6 मि.मी. मोटी तह बिछाना ओर कूटना Spreading and consolidation of red bajri 6 mm.	1860 वर्ग मी. 1860 Sq.m.
7.	12.5 मि.मी. सामान्य आकार के पत्थर का उपयोग करके एक तह का लेप करना— Painting one coat using stone aggregate 12.5 mm nominal size-	
	(क) 1.65 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी की दर से और फर्शबंदी वाला ए-90 या एस-90 बिटूमन 2.25 कि. ग्राम प्रति वर्ग मी. की दर से लगाते हुए।	
	(a) @ 1.65 m ³ per 100 m ² and paving bitumen A-90 or S-90 @ 2.25 Kg per m ² या or	
	(ख) 1.50 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी की दर से और बिटूमन पायस या सड़क तारकोल 2.25 कि.ग्राम प्रति वर्ग मी. की दर से लगाते हुए।	930 वर्ग मी.
	(b) @ 1.50 m ³ per 100 m ² and bitumen emulsion or Road tar @ 2.25 Kg per m ²	930 Sq.m.
8.	दो तहों का लेप करना— Painting two coats using-	
	(क) पहली तह में, 12.5 मि.मी. सामान्य आकार के पत्थर का मिलाया जाना	
	(a) For first coat, stone aggregate 12.5 mm nominal size:	
	(i) 1.50 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी की दर से और फर्शबंदी वाला ए-90 या एस-90 बिटूमन 2 कि.ग्राम प्रति वर्ग मी. की दर से लगाते हुए @ 1.50m ³ per 100m ² with paving bitumen A-90 or S-90 @ 2 Kg per m ² या or	
	(ii) 1.35 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी की दर से और बिटूमन पायस 2 कि.ग्राम प्रति वर्ग मी. की दर से लगाते हुए। @ 1.35m ³ per 100m ² with bitumen emulsion @ 2 Kg per m ² या or	600 वर्ग मी. 600 Sq.m
	(iii) 1.25 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी की दर से और सड़क तारकोल 2.25 कि.ग्राम प्रति वर्ग मी. की दर से लगाते हुए। @ 1.25 m ³ per 100m ² with roadtar @ 2.25 Kg per m ²	
	(ख) दूसरी तह में, 10 मि.मी. सामान्य आकार के पत्थर का मिलावा 0.9 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और—	
	(b) For 2nd Coat, stone aggregate 10mm nominal size 0.9 Cu.m. per 100 Sq.m with-	
	(i) फर्शबंदी वाला ए-90 या एस-90 बिटूमन या बिटूमन पायस 1 कि. ग्राम प्रति वर्ग मी. लगाते हुए 1kg of paving bitumen A-90 or S-90 or bitumen emulsion per Sq.m. या or	
	(ii) सड़क तारकोल 1.25 कि.ग्राम प्रति वर्ग मी. लगाते हुए। 1.25 Kg. of road tar, per Sq.m.	600 वर्ग मी. 600 Sq.m.



Sl.No.	Material of surfacing	Quantity or areas
9.	<p>फिर से लेप करना, 10 मि.मी. सामान्य आकार के पत्थर का मिलावा 0.9 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और— Re-painting with stone aggregate 10 mm nominal size 0.9 Cu.m. per 100 Sq.m. with- (क) फर्शबंदी वाला ए-90 या एस-90 बिटूमन 1 कि. ग्राम प्रति वर्ग मी. लगाते हुए (a) 1Kg. of paving bitumen A-90 or S-90 per Sq.m. या or (ख) बिटूमन पायस 1.25 कि.ग्राम प्रति वर्ग मी. लगाते हुए। (b) 1.25 kg of Bitumen emulsion per Sq.m.</p>	<p>1670 वर्ग मी. 1670 Sq.m.</p>
10.	<p>2 से.मी. मोटी पूर्व मिश्रित फर्शी सतह बनाना, 10 मि.मी. सामान्य आकार के पत्थर का मिलावा 2.4 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और बंधक लगाकर चिपकाऊ लेप सहित, जब कि बंधक गर्म कट-बैक बिटूमन के या बिटूमन पायस का विनिर्दिष्ट परिमाण हो। 2 cm premix carpet surfacing using 2.4 m³ of stone aggregate 10 mm nominal size per 100 m² and binder including tack coat, the binder being hot cut back bitumen or bitumen emulsion specified quantities.</p>	<p>930 वर्ग मी. 930 Sq.m.</p>
11.	<p>2.5 से.मी. मोटी पूर्व मिश्रित फर्शी सतह बनाना, 10 मि.मी. सामान्य आकार के पत्थर का मिलावा 3 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और बंधक लगाकर चिपकाऊ लेप सहित, जब कि बंधक गर्म कट-बैक बिटूमन के या बिटूमन पायस का विनिर्दिष्ट परिमाण हो। 2.5 cm. premix carpet surfacing using 3m³ of stone aggregate 10 mm nominal size per 100 m² and binder including tack coat, the binder being hot cut back Bitumen or bitumen emulsion in specified quantities.</p>	<p>930 वर्ग मी. 930 Sq.m.</p>
12.	<p>4 से.मी. मोटी बिटूमन कंक्रीट की सतह बनाना, गरम कट-बैक बिटूमन के चिपकाऊ लेप के ऊपर (60% 20 मि.मी. सामान्य आकार का और 40% 12.5 मि.मी. सामान्य आकार का) पत्थर का मिलावा 3.8 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और मोटी रेत 1.9 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और गरम कट-बैक बिटूमन का उपयोग करते हुए। 4 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 3.8 Cu.m. (60% 20 mm nominal size and 40% 12.5 mm nominal size) per 100 m² and coarse sand 1.9 Cu.m. per 100 m² and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.</p>	<p>460 वर्ग मी. 460 Sq.m.</p>
13.	<p>5 से.मी. मोटी बिटूमन कंक्रीट की सतह बनाना, गरम कट-बैक बिटूमन के चिपकाऊ लेप के ऊपर (60% 25 मि.मी. सामान्य आकार का और 40% 20 मि.मी. सामान्य आकार का) पत्थर का मिलावा 4.8 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और मोटी रेत 2.4 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और गरम कट-बैक बिटूमन का उपयोग करते हुए। 5 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 4.8 Cu.m. (60% 25 mm nominal size and 40% 20 mm nominal size) per 100 m² and coarse sand 2.4 Cu.m per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen</p>	<p>370 वर्ग मी. 370 Sq.m.</p>
14.	<p>6 से.मी. मोटी बिटूमन कंक्रीट की सतह बनाना, गरम कट-बैक बिटूमन के चिपकाऊ लेप के ऊपर (60% 40 मि.मी. सामान्य आकार का और 40 % 25 मि.मी. सामान्य आकार का) पत्थर का मिलावा 5.8 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और मोटी रेत 2.9 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और गरम कट-बैक बिटूमन का उपयोग करते हुए। 6cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 5.8 Cu.m. (60 % 40 mm. nominal size and 40% 25mm nominal size) per 100 Sq.m. and coarse sand 2.9 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.</p>	<p>280 वर्ग मी. 280 Sq.m</p>
15.	<p>7.5 से.मी. मोटी बिटूमन कंक्रीट की सतह बनाना, गरम कट-बैक बिटूमन के चिपकाऊ लेप के ऊपर (60% 50 मि.मी. सामान्य आकार का और 40% 40 मि.मी. सामान्य आकार का) पत्थर का मिलावा 7.3 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और मोटी रेत 3.65 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और गरम कट-बैक बिटूमन का उपयोग करते हुए। 7.5 cm thick bitumen concrete surfacing using stone aggregate 7.3 Cu.m. (60% 50mm nominal size and 40% 40 mm nominal size)per 100 Sq.m. and coarse sand 3.65 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.</p>	<p>230 वर्ग मी. 230 Sq.m.</p>
16.	<p>2.5 से.मी. मोटी बिटूमनी चादर बनाना, गरम कट-बैक बिटूमन के चिपकाऊ लेप के ऊपर (60% 12.5 मि.मी. सामान्य आकार का और 40% 10 मि.मी. सामान्य आकार का) पत्थर का मिलावा 1.65 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और मोटी रेत 1.65 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और गरम कट-बैक बिटूमन का उपयोग करते हुए। 2.5 cm bitumastic sheet using stone aggregate 1.65 Cu.m. (60% 12.5 mm nominal size, 40% 10 mm nominal size)per 100 Sq.m. and coarse sand 1.65 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot cut back bitumen.</p>	<p>750 वर्ग मी. 750 Sq.m.</p>



Sl.No.	Material of surfacing	Quantity or areas
17.	<p>4 से.मी. मोटी बिटूमनी चादर बनाना, गरम कट-बैक बिटूमन के चिपकाऊ लेप के ऊपर (60% 12.5 मि.मी. सामान्य आकार का और 40%10 मि.मी. सामान्य आकार का) पत्थर का मिलावा 2.6 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और मोटी रेत 2.5 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और गरम कट-बैक बिटूमन का उपयोग करते हुए।</p> <p>4cm bitumastic sheet, using stone aggregate 2.6 Cu.m. (60%12.5mm nominal size 40%10 mm nominal size) per 100 Sq.m., coarse sand 2.5 Cu.m. per 100 Sq.m. and hot cut back bitumen over a tack coat of hot bitumen.</p>	<p>560 वर्ग मी.</p> <p>560 Sq.m.</p>
18.	<p>पूर्णतया पतली भराई वाली सतह बनाना, बंधक सहित 40 मि.मी. सामान्य आकार का पत्थर का मिलावा 6.10 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. लगाते हुए, 20 मि.मी. से 12.5 मि.मी. तक सामान्य आकार की पत्थर की बजरी 1.8 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. का छाना देते हुए और बंधक तथा 10 मि.मी. सामान्य आकार की पत्थर की बजरी 1.07 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. के जल-सह लेप सहित, जबकि बंधक यथानिर्दिष्ट गर्म बिटूमन या तारकोल हो।</p> <p>Laying full grouted surface using stone aggregate 40 mm nominal size 6.10Cu.m. per 100 Sq.m. with binder, binding with 20mm to 12.5 mm nominal size stone grit. 1.83 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of binder and stone grit 10mm nominal size, 1.07Cu.m. per 100 Sq.m., the binder being hot bitumen or tar as specified.</p>	<p>460 वर्ग मी.</p> <p>460 Sq.m.</p>
19.	<p>पूर्णतया पतली भराई वाली सतह बनाना, बंधक सहित 50 मि.मी. सामान्य आकार का पत्थर का मिलावा 9.14 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. लगाते हुए 20 मि.मी. से 12.5 मि.मी. तक सामान्य आकार की पत्थर की बजरी 1.83 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. का छाना देते हुए और बंधक तथा 10 मि.मी. सामान्य आकार की पत्थर की बजरी 1.07 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. के जल-सह लेप सहित, जबकि बंधक यथानिर्दिष्ट गर्म बिटूमन या तारकोल हो।</p> <p>Laying full grouted surface using stone aggregate 50 mm nominal size 9.14 Cu.m. per 100 sq.m. grouting with binder, with stone grit 20 mm to to 12.5 mm nominal size, 1.83 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of binder and stone grit 10mm nominal size, 1.07 Cu.m./100Sq.m. the binder being hot bitumen or tar.</p>	<p>370 वर्ग मी.</p> <p>370 Sq.m.</p>
20.	<p>4 से.मी. मोटी पूर्व मिश्रित मकाडम सतह बनाना, 25 मि.मी. सामान्य आकार का पत्थर का मिलावा 4.57 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और गरम बिटूमन का उपयोग करते हुए 12.5 मि.मी. सामान्य आकार के पत्थर के मिलावे 1.52 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. से बांधते हुए, गर्म बिटूमन और 10 मि.मी. सामान्य आकार के पत्थर के मिलावे 1.07 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. के जल-सह लेप सहित।</p> <p>4cm. thick premix macadam surfacing using stone aggregate 25mm nominal size 4.57 Cu.m. per 100 Sq.m and hot bitumen binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size 1.52 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of hot bitumen and stone aggregate 10mm nominal size. 1.07 Cu.m. per 100 Sq.m.</p>	<p>560 वर्ग मी.</p> <p>560 Sq.m.</p>
21.	<p>5 से.मी. मोटी पूर्व मिश्रित मकाडम सतह बनाना, 25 मि.मी. सामान्य आकार का पत्थर का मिलावा 6.10 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. और गरम बिटूमन का उपयोग करते हुए 12.5 मि.मी. सामान्य आकार के पत्थर के मिलावे 1.52 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. से बांधते हुए, गर्म बिटूमन और 10 मि.मी. सामान्य आकार के पत्थर के मिलावे 1.07 घन मी. प्रति 100 वर्ग मी. के जल-सह लेप सहित।</p> <p>5cm thick premix macadam surfacing with stone aggregate 25 mm nominal size, 6.10 Cu.m. per 100 Sq.m and hot bitumen binding with stone aggregate 12.5 mm nominal size 1.52 Cu.m. per 100 Sq.m. and seal coat of hot bitumen and stone aggregate 10mm nominal size 1.07 Cu.m. per 100 Sq.m.</p>	<p>460 वर्ग मी.</p> <p>460 Sq.m.</p>